राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 16वां दिवस [संख्या 12

मंगलवार,

दिनांक 4 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में आरम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

प्रश्न

[कृषि, खाद्य, राजस्व, सहकारिता, स्वायत्त शासन; वित्त, सिंचाई, कारागृह, खनिज, पंचायत, योजना, विद्युत्, खादी एवं ग्रामोद्योग, पशुपालन, जन स्वास्थ्य, पर्यटन]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री केदारनाथ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : प्रश्न सं. 286।

श्री अध्यक्ष : आपको स्वीकृति दें ?

रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास की योजना

286. **श्री रामकिशन (भरतपुर)** : [केदारनाथ (गंगानगर) की ओर से] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य सरकार ने रेगिस्तान क्षेत्र के विकास के लिए कितनी एवं कौन कौन सी योजनायें विश्व बैंक को भेजी हैं ? तथा उनमें से कितनी योजनायें स्वीकार की गई हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : राज्य सरकार ने रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक को निम्न योजनायें प्रेषित की थीं :-

1. जोधपुर सूखा ग्रस्त क्षेत्रीय विकास परियोजना।

2. नागौर सूखा ग्रस्त क्षेत्रीय विकास परियोजना।

3. विश्व बैंक द्वारा उपरोक्त वर्णित दोनों योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामकिशन की ओर मुखापेक्ष) आप कुछ पूछेंगे ?

श्री रामकिशन : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

बाड़मेर जिले को डामर की सड़क

287. **श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1952 से अब तक प्लान के अन्तर्गत कितने मील सड़क डामर की बनायी गई ? और कौन कौन सी ?

(2) मौजूदा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में कौन सी और कितने मील सड़कों को डामर की बनाने का प्रस्ताव है ?

(3) क्या आगोलाई से मांडपुरा होती हुई पचपदरा जाने वाली सड़क को डामर

Page No 2

(2)

(श्रीमती मदन कौर)

की बनाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो किस कारणवश ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) वर्ष 1952 से अब तक बाड़मेर जिले में 1216 किलोमीटर डामर की सड़कें बनाई गईं। इनमें से 695 किलो मीटर राज्य योजना व 521 किलोमीटर सीमा सड़क योजना के अन्तर्गत बनाई गई हैं। डामर सड़कों की सूची (अ) संलग्न है।

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। वर्ष 1974-75 में स्वीकृत सड़कों की सूची (ब) संलग्न है।

(3) आगोलाई माडपुर रोड का कार्य अर्थाभाव के कारण योजना में स्वीकृत नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, आगोलाई, पचपदरा वाया. माडपुरा सड़क बाड़मेर जिले की सबसे पुरानी सड़क है और इस सड़क पर नियमित रूप से बस सेवा चलती है पिछले तीस साल से और ढाई तीन किलोमीटर पर आबादी है और अभी तक डामर नहीं किया गया है तो क्या वहां पर डामर किया जाना उचित नहीं है ?

श्री रामकिशन : मंत्रीजी तो नए हैं सड़क पुरानी होगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : आगोलाई से माडपुरा, इस रास्ते पर, मैं इसे रास्ता ही कहूंगा सड़क जैसी चीज नहीं है ......

श्रीमती मदनकौर : यहां पर ग्रेवल है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरा उत्तर सुन लीजिए। यह सड़क नहीं है और इसलिए इसको पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया। फैमिन के वक्त वहां पर ग्रेवल जरूर डाली गई थी। अब माननीय सदस्या ने इस बारे में कहा है तो मैं अगले वर्ष में इसको देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या यह सही है कि कागजों में डामर बन जाती है ? और मौके पर डामर नहीं मिलता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई ऐसी बात माननीय सदस्य के ध्यान में हो तो बताइये मैं जांच कराऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : आप तो इस सदन के सबसे बड़े सेठ हैं, 62 पर्सेंट आपका है और 38 पर्सेंट गरीब दूसरों के पास है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 62 पर्सेंट में से कुछ खर्च करने की योजना है।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र।

लेवी देने वाले कृषकों को सुविधाएं

288. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लेवी देने वाले किसानों को सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं देने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या क्या सुविधाओं की घोषणा की गई थी ?

(2) क्या उपरोक्त सुविधाएं लेवी देने वालों को दी गई हैं ? यदि हां, तो किन किन को क्या क्या सुविधा दी गई ?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां। लेवी देने वाले कृषकों को

(श्री शिवचरण माथुर)
सीमेंट, कपड़ा, मिट्टी का तेल, खाद आदि प्राथमिकता एवं उपलब्धि के आधार पर तथा खाद पुरानी दर पर देने का निश्चय किया गया था।

(2) जी हां, लेवी देने वाले काश्तकारों में नियंत्रित मूल्य की वस्तुयें संबंधित जिलाधीशों द्वारा लेवी की मात्रा को ध्यान में रख कर उपलब्धि के आधार पर प्राथमिकता से वितरित कराई गई।

श्री सुरेशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन काश्तकारों ने लेवी दी क्या उन सबको यह सुविधा दी गई ? यह पुरानी रेट पर खाद देना था और जो कपड़ा, सीमेन्ट वगैरह देने की बात थी तो वह जिन जिन काश्तकारों ने लेवी दी उन सबको ये चीजें प्राप्त हो गई ? क्या सेंट परसेंट जिलों में ये सुविधायें किसानों को प्राप्त हुई जिन्होंने लेवी दी ?

श्री शिवचरण माथुर : आप यह बतायें कि किनको ये सुविधायें प्राप्त नहीं हुई ? सवाल यह है कि खाद के बारे में आवश्यक रूप से कहा था कि जिन लोगों ने लेवी दी है उनको पुरानी दर पर खाद दिया जाय बाकी दूसरी चीजों की उपलब्धि के आधार पर प्राथमिकता देने वाली बात कही गई थी। यह बात निश्चित है कि खाद पुरानी रेट पर दिया गया था।

श्री नत्थीसिंह (नदबई) : भरतपुर में नहीं मिला।

श्री शंकरलाल (पाली) : पाली जिले से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि जिन काश्तकारों ने लेवी दे दी किन्तु खाद नहीं दिया गया है सारे किसान माननीय जिलाधीशों के सामने चक्कर लगाते रहे और उनको खाद उपलब्ध नहीं हो सका।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या यह माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि आम तौर पर यह हुआ कि जितनी खाद उपलब्ध थी उसको तो उन्होंने प्रायोरिटी के हिसाब से दे दिया जिन लोगों ने लेवी पहले दे दी लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लेवी देर से दी उन लोगों को खाद भी नहीं मिल सका। इसके लिए सरकार क्या करने का इरादा रखती है ? अब किसानों को किस रेट पर खाद दिला सकते हैं ? भरतपुर जिले में ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने लेवी पहले दे दी उनको तो खाद मिल गया लेकिन जिन लोगों ने लेवी बाद में दी उनको कोई चीज नहीं मिली और न खाद ही मिला। इसलिए सरकार क्या कर रही है ? यह माननीय मंत्री महोदय बतायें।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक पाली से आने वाले माननीय सदस्य की बात का प्रश्न है, मेरे पास में भी यह प्रश्न आया था। मुझे याद है दूसरे जिलों में जहां अधिक मात्रा में खाद उपलब्ध थी हमने डायवर्ट करके दिलवाने की कोशिश की है। यह अलग अलग जिलों में किसानों से जितना लेवी में अनाज लिया है उसके हिसाब से स्केल बनाया था जिसके अनुपात में खाद बांटने की बात थी और उसके अनुसार बंटवाया है। जहां पर कम रहा वहां पर दूसरी जगहों से डायवर्ट करके दिलाया है। मैं दूसरी चीजों के बारे में तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता लेकिन जहां तक खाद का प्रश्न है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि निश्चित मात्रा में जितना भी खाद उपलब्ध था पुरानी

Page No 4

(५)

(श्री शिवचरण माथुर)

दर पर दिया गया है। और फिर यह भी राजस्थान में ही हुआ है और कहीं पर नहीं। 31 मई के बाद प्राईसेज बढ़ गई तो हमने भारत सरकार से कहा कि जो पुराना स्टाक है उस पर रेट नहीं बढ़नी चाहिए और मैं समझता हूं कि कई लोगों की कोर्ट में मामला ले जाने की बात थी और कोर्ट ने फैसले भी दिए हैं। हमने 31 मई तक के पुराने स्टाक को पुरानी दर पर दिलाने की चेष्टा की है। अब कुछ केसेज रह गए हैं तो उस समय की पुरानी रेट पर तो खाद उपलब्ध है नहीं इसलिए आज तो कुछ भी करना सम्भव नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र : जिन लोगों ने लेवी दे दी उन सब लोगों को यह सुविधा प्राप्त हुई या नहीं

श्री शिवचरण माथुर : आप हम सब जानते हैं कि सुविधा प्राप्त हुई है।

श्री सुरेशचन्द्र : कुछ लोगों को तो जिनसे लेवी ली गई उनको तो सुविधा दी गई उनको कपड़ा भी मिला, सीमेंट भी मिली और दूसरे बराबर घूमते रहे।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि जहां तक खाद का सवाल है हमने लेवी की जितनी क्वान्टिटी आने वाली थी जितना खाद उपलब्ध था उस आधार पर फैलाकर निश्चित् मात्रा में आवश्यक रूप से खाद देने की बात कही थी और उसको स्ट्रिक्ट किया है। जहां तक दूसरी कमोडिटीज का सवाल है कपड़ा सीमेंट वगैरह जितनी उपलब्ध थी उसको प्राथमिकता के आधार पर लेवी देने वालों ने जो देने की बात कही उसके अनुसार दिलाया भी गया है। अब कोई रह गए तो रह गए। जहां तक खाद के बारे में सवाल है हमने उपलब्ध कराने की चेष्टा की है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या सरकार जिन लोगों ने लेवी नहीं दी.....

श्री शंकरसिंह रावत : (नसीराबाद) : मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि कुछ केसेज ऐसे भी हैं कि किसानों के पास अभी लेवी का गेहूं पड़ा है और उन पर केसेज चल रहे हैं। क्या सरकार उनके केसेज विथड्रा करेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इसका इस प्रश्न से तो कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 15 मार्च तक लेवी जमा करा देंगे उनके मुकदमें वापस ले लिए जायेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या सरकार इसको कम भी कर सकती है ? क्या सरकार को जो गेहूं लेवी में दिया जाता है वह उस किसान की परिस्थितियों के मुताबिक कम करने का भी अधिकार है ? क्या लेवी की मात्रा कम कर सकती है सरकार ?

श्री शिवचरण माथुर : काहे की मात्रा ?

श्री मूलचन्द सामरिया : जिन लोगों से लेवी लेना चाहते हैं उनकी स्थिति समझ कर जिनके साथ ज्यादती हुई है और जो अभी भी लेवी नहीं दे सकते क्या आपका अधिकार है कि कम कर सकें ?

श्री शिवचरण माथुर : कम करने का सवाल नहीं है यह उचित मात्रा में लेवी देने का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का ताल्लुक नहीं है, यह तो मैंने माननीय सदस्यों

(श्री शिवचरण माथुर)
की जानकारी के लिए निवेदन कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

पाली जिले के प्रभावग्रस्त ग्राम

289. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले के कुल कितने गांव प्रभावग्रस्त घोषित किये गये हैं और कितने गांव प्रभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं ?

(2) जिन गांवों को प्रभावग्रस्त घोषित नहीं किये हैं उनके लिए प्रभावग्रस्त घोषित नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पाली जिलाधीश ने जिन गांवों को राज्य सरकार द्वारा प्रभावग्रस्त घोषित नहीं किये हैं उनको प्रभावग्रस्त करने हेतु गांव के लिए चाही गई जानकारी राज्य सरकार को प्रेषित कर दी है ? यदि हां, तो पाली जिलाधीश द्वारा यह जानकारी कब प्रेषित की गई और इन गांवों को अभी तक प्रभावग्रस्त घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) अब इन गांवों को कब तक प्रभावग्रस्त घोषित कर दिया जायगा ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय द्वारा दिया जाएगा इसलिए उनके नियत कार्यक्रम पर उत्तर प्राप्त करें ।

श्री शंकरलाल : ऐसा है कि जो प्रभावग्रस्त क्षेत्र घोषित होते हैं वह रेवेन्यू रिकार्ड के आधार पर होते हैं, अकाल राहत का सम्बन्ध नहीं है ।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, जो क्रोप डेमेज के सम्बन्ध में रिकार्ड तैयार किया जाता है वह सीधा फैमिन रिलीफ डिपार्टमेंट में आता है, राजस्व विभाग उसमें प्रशासनिक विभाग नहीं है। यह खरावा दर्ज करने का काम रेवेन्यू का अमला जरूर करता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट वह फैमिन डिपार्टमेंट को भेजता है और डिक्लेरेशन भी वही करते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं। टीनेंसी एक्ट की धारा 226 के अन्तर्गत जहां तक मैं समझता हूं वह नोटिफिकेशन भी जो इश्यु होता है फेमिन डिपार्टमेंट से इश्यु होता है राजस्व विभाग से नहीं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न राजस्व विभाग से संबंधित होना चाहिये क्योंकि अकाल राहत कार्य खोलने के लिये प्रभावग्रस्त एरिया राजस्व विभाग द्वारा ही घोषित किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री मीठालाल ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 289 स्थगित कर दिया गया है। अब क्या बात रह गयी ? जब प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है तो फिर आप सप्लीमेन्ट्री किस प्रश्न का कर रहे हैं ? श्री मीठालाल ।

नाहरगढ़ से जयगढ़ तक राष्ट्रीय पार्क बनाने की योजना

290. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) [श्री मीठालाल लालसोट की अनुपस्थिति में] :-क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नाहरगढ़ से जयगढ़ (जयपुर) तक चार मील लम्बे क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्क बनाने के लिये एक योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त योजना केन्द्रीय सरकार के पास भिजवादी गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : यह आप कैसे पूछ रहे हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे उन्होंने अधिकार दिया है।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरफ आने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उन्होंने तो कल कह दिया था सदन में कि मैं उधर नहीं जाने वाला हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह हमारे पास आपको भी ले आयेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता तो मीठालाल हैं श्री श्रीराम गोटेवाला कैसे पूछ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास लिखित में उनके हाथ का लिखा हुआ आ गया है कि श्री श्रीराम गोटेवाला को मैं अपना प्रश्न पूछने का अधिकार देता हूं।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जी नहीं और प्रश्न नहीं उठता, यह तो कोई जवाब नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या नाहरगढ़ से जयगढ़ तक चार मील लम्बे क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्क बनाने की योजना नहीं बनी थी? इसका इन्होंने जवाब जी नहीं दिया वह गलत है क्योंकि मुझे निश्चित् तौर से पता है कि ऐसी योजना बनी थी।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, पांचवी पंच वर्षीय योजना में राजस्थान में एक नेशनल पार्क बनाया जाने की एक स्कीम भारत सरकार की थी और भारत सरकार ने यह अधिकार राजस्थान सरकार को दिया। सरकार ने राजस्थान में नेशनल पार्क बनाने के लिये एक कमेटी कोन्स्टीट्यूट की और उसने यह तय किया नेशनल पार्क जैसलमेर में बनाया जाना चाहिये डेजर्ट एरिया में।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब राज बहादुर जी यहां आये थे उन्होंने नाहरगढ़ जाकर मुआयना किया और मुझे अच्छी तरह यह भी जानकारी है कि कृषि मन्त्री जी भी वहां पर स्वयं गये थे और उन्होंने नेशनल पार्क वहां पर बनाने की सहमति प्रदान की थी। फिर यहां जो प्लान भी बन गया था वह स्कीम पूरी क्यों नहीं हो सकी?

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान स्तर पर तो कृषि मन्त्री का कोई वास्ता ही नहीं

(श्री शिवचरण माथुर)

पड़ता वह तो भारत सरकार के स्तर पर आवश्यकता होती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार के मन्त्री श्री राज बहादुरजी यहां आगये और उन्होंने भी नाहर गढ़ से जयगढ़ तक नेशनल पार्क बनाने के लिये उपयुक्त जगह बताया तो यहां पर नेशनल पार्क नहीं बनने का क्या कारण है?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजबहादुरजी ने यह सुझाव दिया लेकिन बाद में राज्य सरकार ने उस सुझाव को खत्म कर दिया।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सुझाव राजबहादुरजी ने दिया इसलिये उस सुझाव को नहीं माना गया था।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजबहादुरजी के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन राज्य स्तर पर राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया उसके अनुसार जैसलमेर को ही नेशनल पार्क के लिये उचित समझा गया।

श्री रामकिशन : आप राजबहादुरजी का स्वागत करें या नहीं करें उससे मुझे मतलब नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, पांचवी पंच वर्षीय योजना में एक नेशनल पार्क केन्द्रीय सरकार की मदद से राजस्थान में बनने का प्रावधान था। गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से यह भी हिदायत थी कि जहां पर वन्य पशु हो और डेजर्ट ऐरिया का विकास होना चाहिए। इसलिए जैसलमेर को जहां पर काले हिरन, तिल्लोर और दूसरे जानवर पाये जायें वहां पर नेशनल पार्क बनाया जाय। यह निर्णय हुआ जैसलमेर में एक लिमिटेड जगह भी आरक्षित कर ली गई है और वहां पर यह वन्य पशु भी अधिक हैं। इसलिए राज्य सरकार ने जैसलमेर में नेशनल पार्क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी।

बयाना में राजस्थान क्रय विक्रय संघ की जांच

291. **श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी** (बयाना) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बयाना जिला भरतपुर में बयाना क्रय विक्रय सहकारी समिति होते हुए भी उसके कार्य क्षेत्र में राजस्थान क्रय विक्रय संघ ने चीनी और खाद का विक्रय करने की अपनी निजी ब्रांच खोल रखी है? यदि हां, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी): जी हां, बयाना क्रय विक्रय सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार खाद व चीनी के लिये आवश्यक धन जुटा सके अतः वहां संघ द्वारा स्वयं का डिपो खोलना आवश्यक था।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पहले भी बयाना क्रय विक्रय सहकारी समिति चीनी और खाद का काम करती थी और अब भी वह चीनी और खाद का काम करने को तैयार है। फिर भी उसे यह कार्य करने को क्यों नहीं दिया गया?

श्री रामनारायण चौधरी : जी, यह बात सही है कि पहले चीनी और खाद का बयाना में काम बयाना क्रय विक्रय सहकारी समिति ही करती थी। लेकिन बयाना क्रय विक्रय सहकारी समिति की तरफ क्रय विक्रय संघ के खाद के पेटे 2,39,348 रुपये निकलते थे जिसका भुगतान क्रय विक्रय सहकारी समिति बयाना के नहीं करने की वजह से व पहले जब चीनी के वैगन भेजे गये तो क्रय विक्रय सहकारी समिति बयाना के उन वैगनों को आर्थिक अभाव के कारण नहीं छुड़ाने की स्थिति में मजबूरी की हालत में यह काम अब वहां पर क्रय विक्रय संघ ने अपना डिपो खोलकर करना शुरू किया है।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि मन्त्री महोदय जो बकाया रकम बयाना सहकारी समिति में निकलना बताते हैं उसके विपरीत बयाना क्रय विक्रय सहकारी समिति वालों ने यह कहा है कि हम क्रय विक्रय संघ में 52 हजार रुपये मांगते हैं और क्रय विक्रय संघ का क्रय विक्रय सहकारी समिति बयाना के जिम्मे एक भी पैसा नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां यह बात भी सही है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति ने क्रय विक्रय संघ के खिलाफ में कुछ रुपये निकाले और राजस्थान क्रय विक्रय संघ ने जो 2,39,348 रुपये बकाया निकाले हैं उसके हिसाब की मिलान की कार्यवाही भी चल रही है लेकिन अभी तक निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी हिसाब का मिलान पूरा नहीं हुआ है।

श्री नत्थासिंह : अध्यक्ष महोदय मैं, मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सदन में बताने की कृपा करें कि वह बयाना क्रय विक्रय समिति को वहां पर काम करने देना चाहते हैं या उसको समाप्त करना चाहते हैं या क्रय विक्रय संघ की ब्रांच का वहां पर चीनी और खाद का काम करने दिया जायेगा या उसको खत्म कर दिया जायेगा या मन्त्री महोदय बयाना क्रय विक्रय सहकारी समिति और क्रय विक्रय संघ की ब्रांच दोनों को ही खत्म कर देंगे ? वह क्या चाहते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय मौजूदा स्थिति में जब तक कि बयाना क्रय विक्रय सहकारी समिति की माली हालत में सुधार नहीं होता तब तक तो क्रय विक्रय संघ की ब्रांच ही वहां पर चीनी और खाद का काम करती रहेगी। लेकिन शीघ्र क्रय विक्रय सहकारी समिति बैंक से प्लेज करके एन.ए.सी. प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार की बातचीत जयपुर बीकानेर बैंक से चल रही है वह होने के बाद जब क्लीयरेन्स मिल जायेगा तो बयाना क्रय विक्रय समिति चीनी और खाद का काम शुरु कर देगी। और क्रय विक्रय संघ की दुकान हटा दी जायेगी। फिर आपकी दुकान लग जायेगी।

श्री रामकिशन : आपकी दुकान लग जायेगी या क्रय विक्रय सहकारी समिति को दुकान मिल जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 292।

जयपुर के भूतपूर्व महाराजा की भूमि

292. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व महाराजा जयपुर के पास 1963 के बाद किन किन स्थानों पर कितनी कृषि, शिकार एवं आबादी की जमीन थी तथा उस जमीन में से आज तक कितनी बेच दी गई ?

(2) उक्त जमीन किन लोगों या संस्थाओं को कब कब बेची गई ?

(3) क्या यह सही है कि खातीपुरा की हजारों बीघा जमीन भूतपूर्व महाराजा जयपुर एवं उनके परिवार जनों के द्वारा बेची गई, जिसका इन्द्राज पुरानी तारीखों में राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव की मदद से किया गया ? यदि हां तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) भूतपूर्व महाराजा जयपुर के पास इन्वेंटरी के अनुसार निम्नलिखित कृषि एवं आबादी भूमि थी :—

(क) कृषि भूमि–कुल 13,532 बीघा 11 विस्वा है।

नाम तहसील	नाम ग्राम	क्षेत्रफल (बीघों में) (बीघा) (बिस्वा)
1	2	3
1. जयपुर	1–बीड खातीपुरा	1209.18
	2–प्रेमपुरा	12.17
	3–भोजपुरा	364.13 (मानसिंह जी की निजी सम्पत्ति)
	4–भोजपुरा (महाराज कुमार के नाम)	72.05
	5–ख्याडावास	2.19
	6–खातीपुरा	25.12
2. सांगानेर	1–फालानापोह (फार्म महारानीजी)	414.00
3. वस्सी	1–वड़वा	1701.01 (ग्रास फार्म)
	2–पड़ासोली (वीड़ महाराज कुमार)	679.09
4. दौसा	1 मन्डाना	764.12
	2–राना का बाड़ (कस्बा दौसा)	515.16 (ग्रास फार्म)
5. आमेर	1–लालवास	542.19 (हनीर्त रेंज)
	2–आमेर	617.01 (हनीहृत रेंज)
6 जमवारामगढ़	1–विट्ठलपुर	1398.17 (एच.)
	2–जमवाघाट	2.03 (एस.)
	3–गोपालगढ़	3681.14 (कृषि)

1	2	3
	4—जमवारामगढ़	39.08 (फार्म)
	5—घाटी धनयामपुर	1012.18 ,,
	6—सुरेठी	155.19 ,,
	योग—	13532.11

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इसकी टोटल क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष : बता तो दिया ।

श्री मूलचन्द मीणा : (ख) आबादी भूमि की सूची संलग्न है जो इस प्रकार है :—

नाम स्थान	बीघा बिस्वा
1. जयपुर शहर	531.71
2. झालाना चौड़ तहसील सांगानेर	2.09
3. घाटी घनश्यामपुरा जमुवा रामगढ़	16.03
4. गोपालगढ़	1.18
योग—	551.01

पोलिटिकल विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 28-3-52 के अन्तर्गत भूतपूर्व महाराजा जयपुर को निम्नलिखित क्षेत्रों में शिकार करने के अधिकार थे :—

1. जयपुर रेंज : 1—घटवाडा, 2—रामसागर कूकस,

2. रामगढ़ रेंज : 1—कस्बे से 2—आड़ा पहाड़,

3. सवाई माधोपुर रेन्ज : 1—भूमरवाडी, 2—सेलधार, 3—मानसरोवर रेन्ज, 4—राजबाग, 5—बोदल, 6—पटवा बावड़ी

4. खण्डार रेन्ज : 1—कबीदा, अनन्तपुरा, 2—नरसिंहधर

5. सवाई माधोपुर : शूटिंग लाज, डाक बंगला मय विमान भवन आदि के ।

6. तालाब : 1—सिंगोलिया, 2—मोजपुरा, 3—रामगढ़, 4—किरावल, 5—मानसागर

(श्री मूलचन्द मीणा)

शिकार के अधिकार भी दिनांक 12-5-72 को समाप्त किये जा चुके हैं।

कृषि भूमि को बेचने की एक रजिस्ट्री बक्सीसनामा ग्राम रानी की बाड़ कस्बा दौसा एवं ग्राम मन्डाना की पूरी भूमि जो कुल 1279.18 बीघा है, श्रीमती प्रेम कुमारी पुत्री भूतपूर्व महाराजा मानसिंह के नाम हुआ है।

उप-पंजीयन, अधिकारी जयपुर के यहां दिनांक 6-7-71 से 10-3-74 तक 114 व्यक्तियों को आबादी की भूमि जयपुर में बेची गई है। बाकी जयपुर शहर की आबादी भूमि बेचने की रजिस्ट्रियां यदि प्रेजीडेन्सी टाउन्स में करवाई गई हों या बिना रजिस्ट्री के बेची हों तो उसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) जयपुर शहर की आबादी की भूमि 114 व्यक्तियों को रजिस्ट्री कराकर बेची गई है, सूची संलग्न है।

(3) बीड़ खातीपुरा की कुल भूमि 1210 बीघा 10 बिस्वा है जो फार्म सवाई मानसिंह के नाम से भू-राजस्व अभिलेख में अंकित है इसमें से 30 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर मकानात आबादी के रूप में बने हुए हैं, बाकी कृषि भूमि 1209.18 बीघा है। संशोधन, भू-मापन एवं भू-अभिलेख का कार्य सन् 1970-71 में भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा करवाया गया था। इस कार्यवाही के समय तत्कालीन अधिकारियों ने भूतपूर्व महाराजा जयपुर द्वारा विक्रय की गई भूमि संबंधी ग्राम खातीपुरा बीड में 62 व्यक्तियों के नाम लेसी (उप–कृषक) इन्द्राज करने का आदेश दिया था। उन्हें लेसी (उप-कृषक) बतौर काबिज काश्तकार अंकित किया गया है। इस अंकन के अनुसार भूतपूर्व महाराजा लेसर (कृषक) दर्ज हैं संबंधित ग्रामों में पुनः भू-मापन एवं भू-अभिलेख का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : Very long reply.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is a very long property also.

श्री मूल चन्द मीणा : भू-स्वामी की भू-संपदा में आसामियों को खातेदारी अधिकार देने का राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 की धारा 6 में प्रावधान निहित है।

यह सत्य नहीं है कि वर्तमान मुख्य सचिव की मदद से भूतपूर्व महाराजा जयपुर एवं उनके परिवारजनों के द्वारा बेची गई खातीपुरा की जमीन का इन्द्राज पुरानी तारीखों में किया गया। मुख्य सचिव का इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का हाथ नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, शहर की जो जमीन बेची गई है उसके बारे में मैंने प्रश्न के भाग दो में पूछा है और यह बताया गया है कि 114 व्यक्तियों को जमीन बेची गई है किन्तु जो सूची मुझे दी गई है वह केवल 76 व्यक्तियों की है। इसमें जो स्थान बताये गये हैं, नायला हाउस, मोती-डूंगरी ये सारे अन्य स्थान हैं। ये जितने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्थान है, उनमें सात-सात हजार में रजिस्ट्रियां हुई हैं और एक एक प्लाट 273 वर्ग गज का है। रजिस्ट्रियां सात हजार में हुई हैं और उस हिसाब से पांच सात रुपया प्रति वर्ग गज की रेट आती है। जबकि नायला हाउस के पास जमीन की कीमत इससे अधिक है और आज वहां की जमीन 300 रुपया प्रति वर्ग गज से कम नहीं है। तो क्या यह कीमत उचित है और जो रजिस्ट्रियां हुई हैं वे क्या उचित हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह उचित हुआ है या नहीं, वेल्यूएशन ठीक बताया गया है या नहीं, और इन सबकी वजह से कर की चोरी हुई है, इसके सम्बन्ध में वित्त विभाग ही बता सकता है। इसका सम्बन्ध वित्त विभाग से है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री राम किशन : मैं यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जिस रेट से यह जमीन बेची गयी है, वह इतनी कम है कि वहां पर करों की चोरी हुई है। मंत्री महोदय, इसको सवाल-जवाब की दृष्टि से नहीं परन्तु इस बात पर विचार करें कि जिन दिनों में यह जमीन सेल हुई है उसके आस पास के दिनों में ही सरकारी जमीन की नीलामी किस रेट से हुई है। क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जांच के आदेश दे रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सेल हुई है, जिसके बारे में आपकी यह मान्यता है कि यह अन-आथोराइज्ड है, उसके बारे में क्या कोई कार्यवाही आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : आथोराइज्ड या अन-आथोराइज्ड सेल हुई है, कब हुई है, इस प्रकार की तीन सेल के बारे में राज्य सरकार को जानकारी है, जिनकी कि रजिस्ट्रियां हुई हैं, एक तो दौसा की सेल है, दूसरी जयपुर का बीड़ है। जो माननीय सदस्य इसका जिक्र कर रहे हैं आबादी भूमि की सेल जो लैसी और लेसर की है, कृषक और उप-कृषक, ये खातीपुरा बीड के बारे में है। इन तीनों सेल्स के बारे में राज्य सरकार जानकारी कर रही है कि खातीपुरा की जो सेल हुई है, उसको रि-ओपन कर दिया है। जहां तक दौसा तहसील की भूमि के बारे में है वह महाराजा ने अपनी पुत्री प्रेम कुमारी को बख्शीश की है और यह सन् 1960 में बख्शीश की गई थी। राजस्थान लैन्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन आफ एस्टेट एक्ट उस समय लागू नहीं हुआ था। इसके अलावा इससे पूर्व कोई भी ट्रान्सफर किए हों तो वे इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। इस कानून को, अधिनियम को हमने, इस सदन ने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया है और एक आर्डिनेन्स भी निकाला गया है जिसके द्वारा एक्वीजीशन की कार्यवाही की जाएगी। उस वक्त यह देखा जाएगा कि यह ठीक तरह से कानून के अनुसार हुआ है या नहीं ? इसे कम्पीटेन्ट आथोरिटी द्वारा देखा जाएगा। जहां तक प्रश्न आबादी जमीन को बेचने का है, राजाओं के पास जो जमीन है, उस लैण्ड

(श्री परसराम मदेरणा)

की जो डेफीनेशन है उसके सम्बन्ध में इस सदन में तारीख 25 को चर्चा हो चुकी है। शहर में जो राजाओं की जमीन है वह इस परव्यू में नहीं आती है इस सम्बन्ध में एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। जो अन्डर वेल्यूएशन का सवाल है, इसके लिए जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप इस सम्बन्ध में इन्वेस्टीगेशन करेंगे। यह सरासर कर चोरी का सवाल है। आज नायला बाग की जमीन का रेट 300 रुपया प्रति वर्ग गज से कम नहीं है। आपने यह आश्वासन दिया है कि आप इसकी इन्क्वायरी करेंगे। आपने यहां पर यह स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है खातीपुरा के ट्रान्सफर का इन्द्राज गलत हुआ है। उप काश्तकार के नाम से जो इन्द्राज हुआ है वहां गलत हुआ है और महाराजा के नाम पर काश्तकार के नाम का इन्द्राज है। यह सब इन्द्राजात की कार्यवाही गलत रूप से की गई है। आपने यह पहले भी स्वीकार किया है। चीफ सेक्रेटरी द्वारा इनकी इन्द्राजात नहीं हुई है तो किसी न किसी अधिकारी के द्वारा तो यह कार्यवाही हुई है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही आप करने जा रहे हैं? यह प्रश्न पिछले सत्र के समय भी यहां पर उठाया गया था और जब सेल हो रही है खुले आम तो उस समम भी यह प्रश्न विधान सभा में, इस सदन में उठा था और इस सदन में एक स्थगन प्रस्ताव भी आया था कि इस प्रकार से सेल हो रही है और एक हजार से अधिक रांग सेल हुई है और गलत इन्द्राज किए जा रहे हैं। तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही सरकार करेगी?

श्री परसराम मदेरणा : सेटिलमेंट आफिसर जयपुर, जिसने इस प्रकार के आदेश दिये हैं जयपुर महाराजा को लेसर और दूसरे काश्तकार को बेची है उसमें लेसी माना जाय। यह सेटिलमेंट आफिसर के विरुद्ध जब अपील हुई थी तब कार्यवाही चल रही थी जो डिपार्टमेंटल जेर तजवीज है।

श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में, मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूं। जहां तक खातीपुरा बीड की जमीन का प्रश्न है जो बेचान हुई है हमारी सरकार की यह है कि इसमें सीलिंग एक्ट के तहत जो जमीनें आती हैं, उसको एक्वायर करके शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को देने की और दूसरी तरफ जो इस प्रकार के बेचान है उसके बारे में इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने कृपापूर्वक स्वीकार किया है कि जांच करवायेंगे तो यह पूछना चाहती हूं जो कुछ हुआ है। वह लीगल हुआ या यह इल्लीगल हुआ है। इस बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्षजी प्रश्न यह है कि अन्य प्रश्नों के लिये अभी समय जा रहा है और यह प्रश्न भी इतना महत्वपूर्ण है कि इसको अवाइड नहीं किया जा सकता है। बीस हजार बीघा खेती की जमीन और 5 हजार आबादी की जमीन जयपुर के राज घराने के पास है और सचिवालय के पास में पत्थर गढ़ी भी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
हो चुकी है। बड़े बड़े सेठ जमीनों को बेचने में लगे हुये हैं इसलिये इसको प्रश्न अवर के बाद किसी समय ले लिया जाय ताकि विस्तार से इस पर चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष : It is for the Hon. Members to decide not for me.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मन्त्री महोदय इस स्थिति को देखते हुए स्टेटमेंट दे दें तो माननीय सदस्यों की सन्तुष्टि हो सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : कानून में संशोधन अभी किया गया है और इसलिये अब कार्यवाही की जायेगी। मैंने इसी सत्र में पिछले महीने की 25 तारीख को स्टेटमेंट दिया था। 13 अप्रेल, 64 को उस कानून के पार्ट्स समझे जायेंगे। उसके बाद कानून कार्यवाही प्रारम्भ की जायगी। कानून में नहीं बेच सकते थे और लैण्ड की परिभाषा में कौन कौन सी भूमि आती है। 31 (ए) की जो भूमि है जो भूमि धारी की है उसमें आबादी की भूमि नहीं आती है। इसमें यू. आई. टी. एक्ट के तहत कार्यवाही कर सकते हैं लेकिन इस एक्ट में जो आबादी शहरों में है गांवों के अन्दर उस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही आती है, शहरों की नहीं आती है। सीलिंग कानून में वही भूमि ली जाती है जिसमें पर्सनल कल्टीवेशन हो। अब कलक्टर स्वयं इस कार्यवाही को देखेगा और देखने बाद ही कार्यवाही की जा सकती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, राम बाग की बिक्री के बारे में क्या हुआ? क्या उसकी बिक्री हुई है या नहीं हुई है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया चूंकि रेवेन्यू से सम्बन्धित है और रूरल एरिया होने के नाते शहरों से सम्बन्धित है और चूंकि वह मामला यू. आई. टी. में आता हैं प्रश्न है, सरकार एक है, वह व्यवस्था करें इस बात की क्योंकि राज घराने से इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। हम जमीन नागरिकों को देने की स्थिति में नहीं हैं और इन लोगों के पास 13 हजार बीघा भूमि है जो राज घराना लिये बैठा है।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है अपने यहां की पूरी विगत मालूम होने पर केन्द्रीय सरकार को बहुत बड़ा लाभ होता है। हमारा एक्वीजीशन एक्ट बना हुआ हैं। केन्द्रीय सरकार उतनी राशि राजा महाराजाओं को देकर वह सम्पत्ति अपने अधीन कर सकती है इसलिये यह निवेदन है इसका फैसला हो जाने पर हमारी सरकार को भी काफी फायदा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : Last batch of supplementaries now.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय हांडा जी ने प्रश्न को स्पष्ट किया कि अन्डर वेल्यूएशन पर रजिस्ट्री हुई है तब से राज्य सरकार ने क्यों नहीं कागनिजेन्स ली और अन्डर वेल्यूएशन की कार्यवाही क्यों नहीं की क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रश्न को डेफिनिटली तीन भागों में बांट सकते हैं, एक तो करोड़ों रुपयों का टैक्स इवेजन हुआ है जो राज्य सरकार के तहत एक यू.आई.टी. का प्रश्न है क्योंकि महाराजा जयपुर के पास इस शहर का बहुत बड़ा भू-खण्ड है और आज जब गरीबों को जमीन देने का प्रश्न है तो वह राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। तीसरा जो कि एग्रीकल्चरल लैंन्ड्स का क्वेश्चन है उसमें कई क्वेश्चन इन्वोल्व होते हैं, उसमें लैन्ड एक्वीजीशन, लैन्ड यूटिलाईजेशन, बीड आदि का है फिर ट्रांसफर का क्वेश्चन है। सारे ट्रान्सफर इल्लीगल हुये हैं, सारे बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिये गये हैं। आज माऊन्ट बेटन इंगलैन्ड से पधारे तो····

श्री अध्यक्ष : कोई सप्लीमेन्टरी हो तो पूछिये, आपका ही समय जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं तो केवल एक सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूं इतनी बड़ी सम्पत्ति है आज लार्ड माऊन्ट बेटन पधारे और इस कपटद्वारे या तख्तशाही के बारे में इन्दिरा ने बुलाकर स्वयं बात करने से इन्कार कर दिया। और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है तो क्या आप इसके सम्बन्ध में तीन फेजों में चाहे शहरी जमीन हो, चाहे यू.आई.टी. की जमीन हो आप तुरन्त कार्यवाही करेंगे और उन जमीनों को प्राप्त करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह जो आतिश में मार्केट बना है। इसकी क्या नेचर है और क्या इसको आपने मान्यता दी है कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य का सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन अप्रासंगिक है और इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक राम बाग के बेचने का प्रश्न है जयपुर जिले में कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसलिये प्रश्न के एक भाग के उत्तर में आखिरी लाइन में प्रेसीडेन्सी टाउन में हो सकती है और यहां पर तीन प्रेसीडेन्सी टाउन हैं। हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, अब जानकारी कर रहे हैं। जहां तक यू.आई.टी. का प्रश्न है राजस्थान एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत पब्लिक परपजेज के लिये किसी भी प्रापर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे पहले रजिस्ट्री हुई है आपने क्या कार्यवाही की। पहले रजिस्ट्री हुई है लेकिन हमको इस प्रश्न के उत्तर के पहले जानकारी नहीं थी और कुछ प्रापर्टी का इन्द्राज का मालूम किया गया है। 31 राजाओं की सभी प्रकार की प्रापर्टी जिसकी सूची इन्वेन्टरी में है, उनकी आज क्या हालत है जब यह लेने लगे तो फैक्ट्स सामने आये हैं। मैं नहीं कहता अन्डर वैल्यूएशन है। यहां हाउस में आरोप लगाया गया है कि अन्डर वैल्यूएशन है। मैं जांच के पहले नहीं कह सकता हूं कि अन्डर वैल्यूएशन करके बेची हैं····

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अभी तो सब की जांच हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसरण।

प्रश्न संख्या 293

श्री रामसरण

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला : रामसरणजी तो अनुपस्थित हैं, इसका उत्तर देने दीजिये, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

नागौर में सी. टी. ओ. का रिक्त पद।

294. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर में सी. टी. ओ. का पद कितने समय से रिक्त पड़ा है? बार बार जन अनुरोध के बावजूद नियुक्ति न करने का क्या कारण रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि नागौर में ए. सी. टी. ओ. द्वारा व्यापारियों के साथ किये गये अभद्र व्यवहार व नाजायज दबाव से रिश्वत प्राप्त करने की शिकायत, राज्य सरकार को प्राप्त हुई है? अगर हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) 15.10.73 से रिक्त है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी की वजह से।

(2) जी हां।

शिकायत उप-महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर को जांच हेतु भेज दी गई है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तीन साल से नागौर में सी. टी. ओ. की जगह खाली है और एक एस. डी. ओ से काम कराया जा रहा है। जयपुर में वे किसी बड़े अधिकारियों के वे रिश्तेदार हैं और इस कारण इनको वहां पर भेजा गया है। दूसरा यह है कि तीन साल तक उनसे काम करवाया गया है, उनके विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जांच के लिये भेजी गयी हैं। हजारों रुपयों के स्केन्डल हैं। हर रोज नागौर से एक थैला भर कर मोटर में जोधपुर ले जाते हैं। व्यापारियों को उनके द्वारा सताया जा रहा है। एक सी. टी. ओ. लाडनूं डीडवाना से 60-70 मील दूर है और व्यापारियों को कहा जाता है कि नागौर आइये। आकर वहां पर भी उन लोगों का काम नहीं करते हैं, उनको कहते हैं कि आप नागौर आइये, यहां तो मैं और काम से आया हूं। क्या इस कल्याणकारी राज्य के ऊपर इस प्रकार का कलंक लगाने वाले अधिकारी के विरुद्ध आप कोई एक्शन लेने का इरादा रखते हैं?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जो यह आरोप लगाया गया है कि तीन साल से सी. टी. ओ. नागौर में काम कर रहे हैं यह गलत है वे 1-2-74 से वहां पर काम कर रहे हैं। चूंकि आर. ए. एस. अधिकारियों की कमी होने के कारण वरिष्ठतम सी. टी. ओ. को चार्ज दिया गया है। उनको पदोन्नति नहीं दे सके इसलिए कि सी. टी. ओ. की सिनियोरिटी लिस्ट फाइनल नहीं हो पायी है और चूंकि वे वरिष्ठतम सी. टी. ओ. में होने के कारण उनको सी. टी. ओ. बनाया गया है।

शिकायत आयी है उसके बारे में जान-बूझ कर जांच इसलिए नहीं की है, कि जो

Page No 17

(17)

(श्री चन्दनमल बैद)

आरोप माननीय सदस्य लगा रहे हैं कि किसी के सम्बन्धी है और इस कारण यह नहीं हो रही है, इसलिए इसको एन्टीकरप्शन विभाग को जांच करने के लिए भेज दिया गया है। यह किसके सम्बन्धी है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम है। एन्टीकरप्शन से जांच होकर आने पर ही कहा जा सकता है। जोधपुर से नागौर जाते हैं और वहां से थैला भर कर ले जाते हैं, मैं नहीं कह सकता, यदि माननीय सदस्य ने देखा हो तो वे कह सकते हैं कि थैले में वे क्या ले जाते हैं।

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय यह तो मानते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत थी और उनको एन्टीकरप्शन को भेजी गई। क्या डिपार्टमेंटल कार्यवाही उनके विरुद्ध कराया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया ?

श्री चन्दनमल बैद : यह सही है कि सीरियस नेचर की शिकायतें हैं। शिकायतें करने वाले कितने सीरियस हैं यह एन्टी-करप्शन वाले जांच करके बतायेंगे।

श्री दीपंकर : वड़े भ्रष्ट आदमी हैं। आपने कहा कि उनका कोई अधिकारी है यहां पर उसकी उनको जानकारी नहीं है। आपसे मैंने निवेदन किया था। आपके कहने पर मैं मुख्य मंत्रीजी से मिला। आपने इसको एन्टीकरप्शन को भेज दिया तो क्या आप डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अमृतलाल गहलोत।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण का आधार

295. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिंचाई विभाग में असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स जूनियर इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में क्या कोई आधार तय किये हुए हैं ? यदि हां, तो उस आधार पत्र को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। और यदि कोई आधार तय नहीं है, तो क्यों ?

(2) जोधपुर नगर में उपरोक्त विभाग में कार्य करने वाले एसिस्टेंट इन्जीनियर्स, जूनियर इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स की पूर्ण सूची मय उनके नाम और जब से वहां कार्य कर रहे हैं, उस दिनांक के अलग अलग सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से कोई आधार तय नहीं किये हुए हैं। राज्य सरकार के आदेश राज्य सेवाओं में स्थानान्तरण के विषय में निकाले हुए हैं वे ही इन पर भी लागू हावे हैं (प्रतिलिपि संलग्न है)

(2) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न व्यापक रूप में है, साधारण नहीं है। माननीय मंत्री महोदय

(श्री अमृतलाल गहलोत)
की ऊंची प्रतिभा है और हर रूप में यह प्रश्न पूछा है, दूसरे मंत्रियों से भी पूछा, सबसे ज्यादा आरोप राजस्थान सरकार पर जनता की ओर से है वह यह है कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है और नीति के अभाव में ही अनीति बरती जाती है और इस कारण से आरोप लगाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह सामान्य प्रशासन विभाग से निकला हुआ आर्डर है कि तीन साल से पहले किसी का ट्रान्सफर नहीं किया जायगा। इसका वायोलेशन लार्ज नम्बर में होता है। आपको कोई इस सम्बन्ध में नीति बनानी चाहिये। नीति देनी चाहिये। कोई नीति बन सकती है? यह बता दें। जोधपुर शहर में बैठा हूं। बीस बीस साल से वे ही इन्जीनियर्स वहां पर बैठे हुए हैं। सबसे पुराना वहां पर इन्जीनियरिंग कालेज है और वहां के निकले हुए इन्जीनियर्स वहां पर अधिकारी बन कर जमे हुए हैं। हर एक जोधपुर आना चाहता है। एक व्यक्ति बहुत अरसे से जमा है और दूसरा कोई मुंह नहीं देखता। इसलिये आप साफ शब्दों में कह दें। यह आरोप लगाया गया है और जयप्रकाशजी के लोग जब मंत्री लोग आते हैं तो नारे लगाते हैं कि भ्रष्ट मंत्री वापिस जाओ। हम कैसे फेस कर सकते हैं? आखिर हमारे मंत्रीजी की क्या नीति है? उम्र भर वहां रह नहीं सकता। आप भले आदमी हैं, भद्र पुरुष हैं। नियमों में कमी नहीं है। आपके द्वारा नियमों के बनाने के बाद भी इस प्रकार की स्थिति है तो इसके लिये क्या नीति है?

श्री अध्यक्ष : Now supplementary.

श्री शंकरलाल : सप्लीमेन्टरी नहीं है कंपलीमेन्टरी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जो नीति है वह सब माननीय सदस्यों को मालूम है। तीन साल तक आम तौर पर किसी अधिकारी का ट्रान्सफर उस स्थान से नहीं करते हैं जहां पर कि वह पोस्टेड है। दो वर्ष के बाद ट्रान्सफर करने होते हैं तो राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों के कारण ऐसे ट्रान्सफर्स करने पड़ते हैं। जो नीति निर्धारित की हुई है, उससे अलग निकल कर करने पड़ते हैं। तो उसके लिये स्वीकृति लेते हैं। अलग अलग केडर के लिये अलग अलग नियम बना रहे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों के आधार ही स्थानान्तरण आवश्यकता होने पर किये जाते है, आम तौर पर इसका वायोलेशन होता हो ऐसा नहीं है। कुछ लोग वहीं के वहीं सर्विस में हो गये, वहां ही पढ़े, और पदोन्नति लेकर वहीं के वहीं 20–20 वर्ष से रह रहे हैं। आपने इस सम्बन्ध में कोई ऐसा उदाहरण दिया नहीं और यदि आप देंगे तो निश्चित रूप से कोई अनियमितता है तो उसको दूर किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत : एक व्यक्ति कितने साल तक रह सकता है?

श्री हीरालाल देवपुरा : इतना स्पष्ट मैंने कह दिया। कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नीति क्या है और काम कैसे होता है यह माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

जयपुर जेल के स्टोर व फैक्ट्री में गबन

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): [**श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) की अनुपस्थिति में]: क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1961 से 1967 तक जयपुर जेल के स्टोर व फैक्ट्री में 70–80 हजार का गबन का मामला पाया गया ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जेल के फैक्ट्री व स्टोर की आन्तरिक जांच की गई जिसमें बीस हजार रुपये की कमी पाई गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, कारागृह (श्री बनवारीलाल): (1) जी नहीं। कुछ अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच करवाने के आदेश दिये जा चुके हैं। उनकी राय पर इस सम्बन्ध में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा विशेष आडिट करवाने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां, इस पर मुख्य लेखाधिकारी द्वारा जांच करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 297

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

जालोर जिले में अनाज का वितरण

298. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या खाद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को 3 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अभी तक पूरे अनाज का वितरण नहीं किया गया है ? अगर हां, तो अब तक कितनी बार अनाज का वितरण किया गया है एवं किस हिसाब से अनाज का वितरण किया जा रहा है ? इस प्रकार की वितरण प्रणाली का क्या आधार निश्चित किया गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अनाज ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पूरी मात्रा में जनसंख्या के आधार पर न मिलने से बहुत शिकायतें हो रही हैं। अगर हां, तो इस बारे में सरकार पूरा अनाज वितरण करवाने को कब तक क्या प्रबन्ध करने जा रही है ?

(3) क्या सरकार जालोर जिले का अनाज का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक एवं कितने प्रतिशत।

(4) क्या यह सत्य है कि खाद्यान्न ग्राम पंचायत वार रिटेल दुकान तक पहुंचाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? अगर हां तो क्यों ? अगर नहीं तो क्या व्यवस्था कब से की गई है ?

Page No 20

(20)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(5) क्या यह सत्य है कि जिले में जन संख्या के आधार पर अनाज व शक्कर वितरण नहीं किया जा रहा है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो किस साल की जनगणना के आधार पर अनाज व शक्कर का वितरण किया जा रहा है?

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त नहीं होने से जालोर जिले को अन्य जिलों के समान ही जो आवंटन किया जाता है उस मात्रा से जालोर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की समस्त जनता को 3 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न का वितरण माह सितम्बर, से 3 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जो या तो भूमिहीन है या जिनके पास 25 बीघा बारानी भूमि से कम भूमि है अथवा सरकारी कर्मचारी हैं। वितरण का यह आधार खाद्यान्न सलाहकार समिति की बैठक जिसके माननीय विधायक भी सदस्य हैं, द्वारा लिया गया निर्णय है।

(2) कम आवंटन के कारण जनसंख्या के आधार पर पूरी मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिलने की शिकायत है। जनसंख्या के आधार पर पूरी मात्रा में खाद्यान्न वितरण करवाना केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त मात्रा में आवंटन पर निर्भर करता है। राज्य सरकार केन्द्र से खाद्यान्न का अधिक कोटा प्राप्त करने के भरसक प्रयत्न कर रही है। जैसे ही आवंटन अधिक मिलेगा, जालोर को भी ज्यादा मात्रा दी जा सकेगी।

(3) केन्द्र से आवंटन की मात्रा में वृद्धि हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उपलब्धि के आधार पर माह फरवरी तथा मार्च में बढ़ोतरी की गई है। मार्च में आवंटन में वृद्धि होने से पूर्वापेक्षा 320 टन ज्यादा खाद्यान्न दे दिया गया है।

(4) व्यवस्था है। खाद्यान्न आवंटित ग्राम पंचायत रिटेल दुकानदार किया जाता है जिसे खुदरा दुकानदार खाद्य निगम डिपो से उठाकर ले जाते हैं और उन्हें इस हेतु निर्धारित दर से परिवहन व्यय दिया जाता है।

(5) राशन कार्ड में अंकित यूनिटों के आधार पर उपलब्धि को देखते हुए किया जा रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जिन लोगों के पास कम भूमि है उनको दिया जाना बताया है तो उस हिसाब से किस तरह से वितरण करना सम्भव है, इसके बारे में क्या आधार रखा है? इसके बारे में आपके पास जानकारी क्या है? पहिला प्रश्न।

दूसरा प्रश्न यह है कि आप जिन व्यक्तियों को वितरित करते हैं वे कितने प्रतिशत हैं। वह कितने प्रतिशत जनता को वितरित हो रहा है और कितने प्रतिशत भूमिहीन और शिडयूल्ड कास्ट के लोगों को वितरित करने से रह जाता है।

तीसरा, आपने कहा कि यह जो वितरित किया गया है गेहूं वह कौन से एरिया में किया गया है और कितने में मोटा अनाज किया गया है उसके बारे में क्या नीति रही है?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नेक्स्ट, आपने यह रखा है कि रिटेलर किसी एरिया में ले जाय तो नाज वितरित हो जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है अगर रिटेलर नहीं ले जाय तो ? इस वजह से उस एरिया की जनता नाज से महरूम रह जाती है, ऐसी जनता के लिए क्या व्यवस्था की है ताकि उस जनता को भी अनाज मिल सके ।

चौथा यह है कि वहां पर जो मजदूर लोग हैं उनके बारे में वितरण करने के बारे में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

ट्रान्सपोर्ट ग्राम पंचायतों के आधार पर है सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है । रिटेलर को ले जाना पड़ता है लेकिन उसको पूरा नहीं पड़ता है इसलिए. वह नहीं ले जाता है तो उस एरिया की जनता को अनाज प्राप्त नहीं होता है । इसलिए ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था करके जैसा कि चूरू में किया गया है ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचायें । उसको आपसे जो कमीशन मिलता है वह बहुत थोड़ा है और पैसा बहुत ज्यादा लगता है । ऐसी हालत में वितरण नहीं हो पाता है ।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जालोर का ही नहीं है सारे राजस्थान का है । ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण सब जगहों पर एक प्रकार का नहीं किया जाता है । सलाहकार समितियों को जो सुझाव दिये जाते हैं तो क्या खाद्यान्न सलाहकार समिति के अनुसार ही वितरित किया जाता है या राज्य स्तर पर किया जाता है ? इसके बारे में आपकी क्या नीति है ? अकाल क्षेत्र में किस तरह से मिलेगा और दूसरे लोगों को किस तरह से मिलेगा इसके बारे में आपने क्या नीति बनाई है ?

श्री नत्थासिंह (नदबई) : माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि शहरों में और कस्बों में खाद्यान्न में एक सा देने की नीति है या भिन्न है ? यह बताने का कष्ट करें ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर कमेटियां बनी हुई हैं जिसमें विधायक सम्मिलित हैं । आप यह ध्यान रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग होती है वह कब होती है और जो वहां पर निर्णय लिये जाते हैं उनका क्रियान्वयन होता है, इनकी आप इन्फार्मेशन रखते हैं क्या ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करनपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या गंगानगर जिले में कहां देहात में अनाज की दुकान है जहां पर कि आपकी यह वितरण व्यवस्था हो ? कोई एक दुकान बता दें । गंगानगर जिले में कोई एक दुकान का नाम बता दें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : यह प्रश्न चूंकि राजस्थान व्यापी कर दिया है इसलिए मैं भी पूछ लूं

श्री शिवचरण माथुर : आप हवामहल से बाहर तो निकलते ही नहीं हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : फरवरी के महीने की जयपुर शहर में चीनी वितरित नहीं की गई है तो क्या राज्य सरकार की मार्च के महीने में फरवरी की भी चीनी वितरित करवाने की योजना है ?

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि जो भूमिहीन हैं या कम भूमि वाले लोग हैं उनको स्पेशल तौर से कोटा दिया जाता है तो क्या यह माननीय मंत्री महोदय ने जालोर जिले के लिए ही तय किया है या सारे राजस्थान के लिए ? अगर सारे राजस्थान के लिए किया है तो क्या ऐसे परिवारों का सर्वे करा लिया गया है ? उसके अनुसार कितनी जन-संख्या और कितने परिवार हैं जिनको इस तरह से कोटा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में एक बार नहीं कई बार इस बात को बहुत स्पष्ट किया है कि यहां पर राजस्थान स्तर पर कोई एक नीति कि कितना गल्ला अलग अलग तरह के किस किस व्यक्ति को दिया जाय बनाना बहुत मुश्किल है। यदि, अध्यक्ष महोदय, 3 किलो के हिसाब से सारे राजस्थान की पूरी आबादी को देने का काम हो तो कम से कम 1 लाख टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं समझता हूं कि यदि 1 लाख टन अनाज हमारे पास उपलब्ध हो तो फौरन 3 किलो के हिसाब से दे दिया जाता, लेकिन माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि किसी महीने में कम और किसी महीने में ज्यादा गल्ला दिया जाता है। मार्च में 50 हजार टन नाज हमको मिला है तो सम्भव नहीं हो सकता है कि यहां पर एक नीति बनाकर हर व्यक्ति को 3 किलो दे दिया जायगा। उपलब्धि के हिसाब से और प्रत्येक जिले की स्थिति के हिसाब से, मैं नहीं कहता कि हर जिले को बराबर बांटा जाता है, लेकिन जैसी स्थिति जिस जिले की होती है उसकी स्थिति को देखते हुए अलग अलग जिलों को आवंटित करते हैं, और यह अपेक्षा करते हैं कि वहां की खाद्यान्न सलाहकार समिति अपने अपने जिले की स्थिति को देखते हुए निर्णय करे कि कौनसा ऐसा क्षेत्र है जिसको ज्यादा दिया जाय या कि सब को बराबर देना हो तो आबादी के किन व्यक्तियों को यह दिया जाना चाहिए।

जालोर का जहां तक सवाल है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने इतने सप्लीमेन्ट्री पूछे उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया है।

श्री शिवचरण माथुर : जालौर जिले में खाद्यान्न सलाहकार समिति ने यह तय किया है कि उसके अनुसार भूमि का आधार रखकर यह वितरित किया गया है। और आगे बढ़ाने का सवाल है तो 320 टन इस महीने में जालोर जिले को आवंटन किया है और सभी जगह और व्यापक रूप से अलग अलग जिलों को आवंटन किया गया है जो हमें 50 हजार टन मिला है उसमें से। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा अधिक मात्रा में अनाज दे सकते हैं।

दूसरा, रिटेलर के बारे में आपने पूछा है कि देहातों में अगर रिटेलर नहीं ले जाय तो ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था की जाती है। मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि रिटेलर के पास में आज इतनी गुन्जायश है कि वह ले जा सकता है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई गुन्जायश नहीं है उनको।

श्री शिवचरण माथुर : आप सुनिये तो सही।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप एक्जामिन करायें। कलेक्टर से रिपोर्ट मांगें। उनको फायदा नहीं पड़ता है इसलिए ले जा नहीं सकते। अगर बोरियां करते हैं तो उसकी शिकायतें होती हैं।

श्री शिवचरण माथुर : एक रिटेलर को 80 पैसा प्रति क्विन्टल कमीशन मिलता है। उसके अलावा दूरी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्जेज मिलते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या मिलता है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर सुनिये।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बता रहा हूं। 5 किलो मीटर की दूरी के लिए 50 पैसा प्रति क्विन्टल और 10 से 15 किलो मीटर की दूरी पर एक रुपया प्रति क्विन्टल दिया जाता है। इसके बाद में 3 पैसा प्रति किलो मीटर प्रति क्विन्टल और इससे ज्यादा हो तो 3-5 पैसा प्रति क्विन्टल दिया जाता है। खाद्यान्न भरने के लिए जो बोरियां होती हैं वह भी खाली होने के बाद उनके पास ही रहती हैं जो कि चार रुपये की होती हैं। उसकी कीमत भी उसके पास ही जाती है। इसलिए यह कहना कि रिटेलर के पास इतनी गुन्जाइश नहीं होती है कि वह ले जा सके। वह मैं नहीं मानता। किसी एरिया में कोई आदमी नहीं ले गया तो अलग बात है।

श्री शंकरलाल (पाली) : रिटेलर नहीं ले जाय तो सरकारी दुकान खोली जानी चाहिए।

श्री लूणाराम : माननीय मंत्रीजी मैंने जो पाइन्ट बताये हैं उनके बारे में प्रबन्ध होना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : प्रत्येक जगह पर सरकारी दुकान खोलना असाध्य होगा सरकार के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके दुकान लगाने में। या उसकी अनाज की कीमत बढ़ाये जो आज के हालात को देखते हुये संभव नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें हों उनको दूर करने की कोशिश की जा सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ही दुकान नहीं लगा सकती तो फिर रिटेलर कैसे लगायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका एवं परिषद् क्षेत्रों में हरिजनों को भू-खण्ड

293. **श्री रामचरण (अटरू)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अभी दि. 26-1-75 के पहले हरिजन तथा आदिवासी व्यक्तियों को पंचायत समिति क्षेत्रों में मुफ्त भू-खण्ड अलाट दिये गए हैं ? अगर हां, तो नगरपालिका तथा नगर परिषद क्षेत्रों में क्यों नहीं ?

(श्री रामचरण)

(2) क्या राज्य सरकार भविष्य में नगरपालिका नगर परिषद् क्षेत्रों में हरिजनों को भू-खण्ड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) उत्तर प्रश्न के भाग 1 में दे दिया गया है।

जामसर जिप्सम

297. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जामसर जिप्सम का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा इस खान के राष्ट्रीयकरण करने की तिथि से किसी प्राइवेट व्यक्ति या सोसायटी को कोई काम करने का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस कार्य का किस-किस को कब-कब ? क्रमशः सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखी जाय ?

(3) क्या सरकार ने इस खान के राष्ट्रीयकरण किये जाने की तिथि से लेकर आज तक छोटे व बड़े हर कार्यों के ठेके पक्षपात व भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर दिये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जामसर जिप्सम के नाम कोई कम्पनी नहीं है पर यह खान बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के पास लीज पर थी। बीकानेर जिप्सम लिमिटेड 14-6-1973 से राज्य सरकार के 51% शेयर्स होने के फलस्वरूप यह गवर्नमेंट कम्पनी हो गई और अब इसका नाम राजस्थान स्टेट माईन्स एन्ड मिनरल्स लिमिटेड है।

(2) जामसर जिप्सम का खनन कार्य राजकीय कम्पनी आर. एस. एम. एम. द्वारा बतौर पट्टेधारी के किया जा रहा है। खनन् से सम्बन्धित सभी कार्य, उक्त कम्पनी द्वारा किये जा रहे हैं व राज्य सरकार द्वारा सीधे कोई ठेके आदि नहीं दिये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान में गांवों का विद्युतिकरण

144. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान प्रान्त में अब तक कितने गांवों, नगरों एवं शहरों का विद्युतिकरण किया गया उसकी सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) राजस्थान प्रांत में अब तक विभिन्न जिलों में कितने प्रतिशत गांवों में विद्युतिकरण किया गया है, का विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में जनवरी 1975 तक कुल 6184 ग्रामों एवं कस्बों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विद्युतिकृत ग्रामों का प्रतिशत भी उक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

बिजली की दैनिक खपत

145. श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पास विभिन्न स्रोतों से कुल कितनी यूनिट बिजली डेली उपलब्ध है? स्रोतों का अलग-अलग ब्यौरा देने की कृपा करें।

(2) उपलब्ध बिजली की रोजाना की कृषि, उद्योग, व घरेलू कार्यों की अलग-अलग खपत क्या है?

(3) टेरिफ के हिसाब से मण्डल को वर्ष 1973-74 में कृषि उद्योग व घरेलू कार्यों से कुल व अलग अलग कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

(4) मण्डल को उपलब्ध बिजली का दैनिक वितरण राज्यवार क्या है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश व राजस्थान का अलग अलग ब्यौरा प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(5) एटोमिक प्लान्ट, रावतभाटा को भाखरा से पेरेलल जोड़ने से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को क्या राजस्थान में विद्युत वितरण करने में कठिनाई होगी? होगी तो क्या? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान में विभिन्न स्रोतों से बिजली की उपलब्धि अणुशक्ति केन्द्र की उत्पादन शक्ति एवं सिंचाई के लिये पानी की आवश्यकता आदि अनेक कारणों पर निर्भर करती है। मोटे तौर से औसतन करीब 72 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन प्राप्त होती है। विभिन्न स्रोतों से बिजली की उपलब्धि निम्नानुसार है:—

1.	राजस्थान अणुशक्ति विद्युत केन्द्र	36	लाख यूनिट
2.	सतपुडा	11	"
3.	चम्बल	17.5	"
4.	भाखरा	7.5	"
	कुल	72.0	

(विद्युत मंत्री)

(1) जब उपरोक्त 72 लाख यूनिट की उपलब्धि कम रहती है तब चम्बल, सतपुडा और भांखरा सिस्टम से डिजाइन्ड।शिडयूल्ड से अधिक बिजली प्राप्त कर कार्य चलाया जाता है।

(2) मोटे रूप में औसतन माह फरवरी 1975 में कृषि, उद्योग व घरेलू कार्यों के लिए प्रति दिन को आवश्यकता का अनुमान निम्न प्रकार है।

	लाख यूनिट
कृषि	45—00
उद्योग	30—00
घरेलू एवं वाणिज्यिक	8—00

(3) वर्ष 1973-74 में लेखानुसार सिचाई, कृषि, उद्योग व घरेलू कार्यों से कुल 15,82,18,271.66 राजस्व प्राप्त हुआ जिसका अलग अलग विवरण निम्न प्रकार है :—

सिचाई एवं कृषि	4,22,44,272.27
उद्योग	8,17,30,985.29
घरेलू	3,42,43,014.10

(4) डिजाइन्ड, शड्यूल्ड आधार पर जो बिजली की उपलब्धि (72 लाख यूनिट) राजस्थान को है वह वर्तमान में राजस्थान के लिये भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी आवश्यकतानुसार चम्बल सिस्टम से अतिरिक्त उत्पादन करके या भाखरा से अधिक ड्रा करके राजस्थान की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। किसी दिन राजस्थान में खपत कम होने पर यदा कदा बिजली साझेदार होने के नाते हरियाणा, पंजाब सिस्टम व मध्य प्रदेश को दी जाती है। ओवर ड्रावल का हिसाब समय समय पर कर दिया जाता है।

(5) एटोमिक प्लांट रावतभाटा भाखड़ा से पेरेलल में जोड़ने पर राजस्थान में विद्युत वितरण करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई।

विराटनगर तहसील के ग्रामों में बांधों का सर्वे

146. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (वेराठ) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर के ग्राम पणदो, देवीपुरा, चतरपुरा, छापड़ा, कुहाड़ा, लुहाकना, आंतेला आदि 14 बांधों के सर्वे हेतु राज्य सरकार

(श्री हनुमानसहाय व्यास)
द्वारा दो वर्ष पूर्व निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो कब कब सर्वे हुआ तथा कितनी कितनी लागत का ?

(2) क्या राज्य सरकार बांधों के निर्माण की स्वीकृति दिए जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, समय समय पर बांधों की सर्वे हेतु निवेदन प्राप्त होने पर सरकार ने आवश्यक कार्य हेतु आदेश जारी किये हैं। इनमें से पणदो तथा अमरसर बांधों की सर्वे होचुकी हैं और छापड़ा लुहाकना व आंतोला का सर्वेक्षण कार्य जारी है । पणदो व अमरसर बांधों की लागत लगभग 5.66 व 0.57 लाख रुपये आंकी गई है।

(2) इन बांधों में से अमरसर बांध का कार्य ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत हाथ में लिया गया था बाकी बांधों को वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर शुरू किये जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

कोटपूतली तहसील के ग्राम सरून्ड, नारेहुडा में बांध बनाने का सर्वे

147. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील के ग्राम सरून्ड, नारेहडा के पास बांध बनाने के लिये सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो यह बांध कहां बनाया जायेगा और इससे सिंचाई कहां कहां की जायेगी ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील करनपुर में मुरब्बा नं. 53 की भूमि को पानी

148. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मुरब्बा नं. 53 नहरी चक 7 ओ तहसील करनपुर जो 15 बीघा पंचायत तेजेवाला को व 8 बीघा माफी कोतवाल को आवंटित किया जा चुका है, उसका पानी बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त भूमि की सिंचाई हो सकती है। मगर पक्षपात नीति के कारण उपरोक्त भूमि को सिंचित भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है।

(3) उपरोक्त भूमि को पानी दिये जाने के सम्बन्ध में एक्स ई. एन. सिंचाई विभाग गंगानगर को कब रिपोर्ट पेश हुई और कब तक उसके कार्यालय में विचाराधीन रही ? और यह मामला कब से विभाग के विचाराधीन है ? इतने लम्बे समय तक निर्णय न होने का क्या कारण है ? और इस मामले का निर्णय कब तक कर दिया जावेगा ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम पंचायत सांचोर क्षेत्र का पीने के पानी की सार्वजनिक टूटियां

149. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सांचौर क्षेत्र में अभी तक पीने के पानी की सार्वजनिक टूंटियां बहुत कम हैं? अगर हां, तो अब तक कुल कितनी सार्वजनिक पीने के पानी की टूंटियां कहां कहां लगाई गईं?

(2) क्या यह सत्य है कि कई मोहल्लों में सार्वजनिक टूंटियां लगवाने की जनता की मांग है? अगर हां, तो कहां कहां पर? इन स्थानों पर सार्वजनिक टूंटियां कब तक लगवा दी जावेंगी?

उत्तर

(1) ग्राम सांचौर में 33 सार्वजनिक नल लगे हुए हैं। यह 1971 की 8048 जनसंख्या के लिये विभाग के नियमों के अनुसार अधिक है।

(2) केवल एक सार्वजनिक नल की मांग तटीयों के मोहल्ले में लगाने की प्राप्त हुई है। सांचौर ग्राम में पहले ही से अधिक सार्वजनिक नल होने के कारण और नये सार्वजनिक नल लगाना सम्भव नहीं प्रतीत होता है।

ग्रामीण पेय जल योजनाएं

150. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की विभिन्न विचाराधीन ग्रामीण पेय जल योजनाएं जिनको कि अढ़ाई प्रतिशत जनता का अंशदान भी प्राप्त हो गया है उन्हें अब तक भी स्वीकृति प्रदान नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त कुछ योजनाओं को इस वर्ष व अगले वर्ष स्वीकृति प्रदान करने के बारे में सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो किन किन योजनाओं को? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, नई जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति के लिए इस वित्तीय वर्ष में धन राशि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी।

(2) राज्य सरकार की नवीनतम नीति के अनुसार वर्ष 1975–76 में नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृत किया जा सकेगा। अभी तक जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

राजकीय नलकूप योजना

151. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर): क्या भू-जल मण्डल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजकीय नलकूप योजना राज्य में कहां-कहां पर चालू है तथा प्रत्येक नलकू

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
द्वारा कितनी-कितनी भूमि की वास्तविक सिंचाई होती है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राजकीय नलकूप योजना राज्य में जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, बाडमेर, बीकानेर, अलवर व भरतपुर जिलों के उन नलकूपों के लिये चालू है जिनका डिस्चार्ज 15,000 गैलन प्रति घण्टा या अधिक है। इन नलकूपों द्वारा वर्ष 1974-75 की रबी में की गई वास्तविक सिंचाई के विवरण की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। जिन नलकूपों को सिंचाई के लिये अनुपयुक्त पाया जाने अथवा मांग न होने कारण नहीं चलाया गया उनकी ज़िलेवार सूची 11 भी सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय

152. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी आंकी गयी थी और कितनी उपलब्धि हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि जिन आधारों पर केन्द्रीय सरकार प्रति व्यक्ति औसत आय का अनुमान लगाती है उन आधारों पर यदि राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय का हिसाब किया जाये तो यह बहुत कम आती है और केन्द्र और राज्य के बीच का अन्तर कम होता नहीं दिखाई देता।

(3) इन्हीं आधारों पर भारत के अन्य राज्यों में जो आय का निर्धारण किया गया है उसमें राजस्थान का कौनसा स्थान है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का प्रति व्यक्ति औसत आय का सर्वेक्षण कराया था ? यदि हां, तो जिलेवार प्रति व्यक्ति औसतन आय ग्रामीण क्षेत्रों की बताने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि कुछ जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है तो शेष अब कौन कौन से ज़िलों की रिपोर्ट्स आनी शेष है और अभी तक तैयार न कराने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति औसत आय का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त 1973-74 में प्रति व्यक्ति औसत आय प्रचलित कीमतों पर 762 रु. अनुमानित की गई है। चतुर्थ योजना के पांचों वर्षों की औसत आय प्रति व्यक्ति आय 608 रु. अनुमानित हुई है।

(2) राज्य सरकार ने ऐसा प्रयास नहीं किया है क्योंकि राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इस कार्य हेतु उपयोग में लगाये गये समंक भिन्न हैं तथा तुलनीय नहीं हैं।

(योजना मंत्री)

(3) राज्यवार तुलनीय प्रति व्यक्ति प्राय के समंक उपलब्ध नहीं है, अतः भारत के राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है सही रूप में आंका जाना सम्भव नहीं है ।

(4) राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत आय का सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा कृषि हेतु ऋण का विवरण

153. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971-72, 1972-73, 1973-74 एवं 1974-75 में कृषि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस-किस राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितने रुपये गारन्टी देने का निश्चय किया था ?

(2) उक्त गारन्टी की राशि को किन-किन बैंकों द्वारा कितनी-कितनी किस जिले में वितरित की ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

नाहरी का नाका जयपुर में शिव मन्दिर के पास सरकारी भूमि का अतिक्रमण

154. श्री गणेशलाल (गंगरार) क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका, जयपुर में जलदाय विभाग ने पानी की टंकी व बोरिंग का निर्माण किया है ? क्या इस सरकारी जमीन में एक शिव मंदिर है व सरकार ने अपने खर्चे से अर्द्ध गोलाकार कम्पाउन्ड वाल का निर्माण किया है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (1) में वर्णित जलदाय विभाग व शिव मंदिर की सीमा (अर्द्ध गोलाकार कम्पाउन्ड की आधार दीवार) के बाहर आस पास सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर शिव मदिर की आड में कुछ थडियां व दुकानों का निर्माण किया है ? यदि हां, तो इन दुकानों व थडियों के मालिक व निर्माणकर्ता कौन कौन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित कुछ थडियों व कुछ दुकान मालिकों का चालान म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट जयपुर के समक्ष किये गये थे ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों का चालान कब कब किया था और म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट, जयपुर ने किस किस पर किस किस तारीख को कितना कितना रुपया जुर्माना किया ? म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के निर्णय के पश्चात् नगर विकास न्यास, जयपुर ने अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित कुछ थड़ीवालों व कुछ दुकानवालों का चालान म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट, जयपुर की अदालत में नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस प्रकार के पक्षपात का क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (2) में वर्णित थड़ी मालिकों व

(श्री गणेशलाल)

दुकानदारों से माहवारी किराया ग्राम सेवक समाज नामक समिति के नाम पर कोई व्यक्ति वसूल कर रहा है ? यदि हां तो कब से कब तक किस किस थडीवाले व किस किस दुकानदार से कितना कितना रुपया किराये के रूप में वसूल किया है ?

(6) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग 1 व 2 में वर्णित सरकारी जमीन ग्राम सेवक समाज, नाहरी का नाका, जयपुर को आवंटित कर दी है ? यदि हां, तो कब व कितनी भूमि ?

(7) क्या प्रश्न के भाग 2 में वर्णित थडियों व दुकानें ग्राम सेवक समाज ने दुकानदारों को अपने खर्चे से बनाकर किराये पर दे रखी हैं या स्वयं दुकानदारों ने अपने खर्चे से थडियां व दुकानें स्वयं ने बनाई हैं ?

(8) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग 2 में वर्णित अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, जयपुर को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब कब व किस किस माध्यम से और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसका क्या कारण है ?

(9) क्या सरकार प्रश्न के भाग 2 में वर्णित अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत 23 बी बी में भूमि का आवंटन

155. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) आबादी ग्राम पंचायत 23 बी. बी. (घेरा) में पिछले छः महीनों में पक्की सड़क के साथ-साथ कितने अहातें अलाट किये गये ? उनके प्रार्थना-पत्र कौन-कौन सी तारीख को पेश हुये ? एक महीने की अवधि का नोटिस कब-कब दिया गया और रकम कौन-सी तारीख को दाखिल हुई ?

(2) क्या यह सत्य है कि दिसम्बर 1970 में जब पंचायतों से आबादी भूमि के वितरण के अधिकार वापिस लिये गये तो उसके बाद पक्की सड़क के साथ-साथ पिछली तारीखों में भूमि का आवंटन किया गया है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच करवायेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

सेवा सहकारी समिति आई. जे. जे. तहसील पदमपुर के सदस्य

156. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सेवा सहकारी समिति आई. जे.जे. तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर का निर्माण कब हुआ था ? निर्माण के समय उसके कितने सदस्य थे, बाद में कितने सदस्यों की बढोतरी हुई ? आज कितने सदस्य हैं ? कितने और कौन-कौन से सदस्यों की सदस्यता किस-किस कारण समाप्त की गई ?

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

(2) क्या यह सच है कि इन सदस्यों की जो उक्त समिति को खांड व खाद का ब्लेक करने से रोकते हैं, सदस्यता समाप्त करदी जाती है ?

(3) क्या यह सच है कि एक व्यक्ति श्री प्रीतमसिंह जो खाद आदि ब्लेक में बेचता है का सागी भतीजा जगदीशसिंह उक्त समिति का सुपरवाईजर है ?

(4) क्या यह सच है कि मुश्ताकअली इन्स्पेक्टर, सहकारी समितियां, पदमपुर ने उक्त समिति के निरीक्षण के समय खाते में कोई खाद जमा नहीं पाई थी मगर जब इन्स्पेक्टर ने नोटों पर दस्तखत करके मुंशीराम सुपुत्र खलीन्दा राम राजपूत साकिन जलूका को 125 रुपये देकर भेजा तो उसे एक थैला यूरिया खाद का दे दिया गया ?

(5) क्या यह सच है कि उक्त खाद काण्ड को प्रीतमसिंह व इन्स्पेक्टर आदि ने मिलजुल कर दबा दिया है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

(6) क्या यह सच है कि उपरोक्त समिति का चुनाव पिछले लम्बे अर्से से कभी नहीं हुआ ? यदि हां तो क्यों व चुनाव कब तक करवा दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) जे. जे. ग्राम सेवा सहकारी समिति का पंजीयन दिनांक 27-3-59 को हुआ। पंजीयन के समय समिति में सदस्य संख्या 30 थी। बाद में 191 सदस्यों की बढ़ोतरी हुई। 82 व्यक्तियों की सदस्यता समाप्त की गई। जिसकी सूची मय कारण सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) श्री जगदीशसिंह, व्यवस्थापक श्री प्रीतमसिंह का भतीजा है। परन्तु यह जानकारी में नहीं है कि श्री प्रीतमसिंह खाद बीज का ब्लेक करता है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) इस समिति का चुनाव 29-7-71 को हुआ। आगामी चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखिये)

पंचायत समिति सांचौर की प्राथमिक पाठशालाओं के भवन

157. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति सांचौर में कई प्राथमिक पाठशाला भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं ? अगर हां, तो ऐसे कितने हैं ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन पाठशाला भवनों की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पंचायत समितियों में कई प्राथमिक पाठशाला भवन पिछली भयंकर बाढ़ के कारण पानी में बह गये थे ? अगर हां, तो कहां कहां पर ? उन भवनों का पुनर्निर्माण किस प्रकार करवाया गया है ? अगर अब तक नहीं किया गया हो तो उनका पुनर्निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त पंचायत समिति में कई स्थानों पर प्राथमिक पाठशाला भवन बिल्कुल नहीं है ? अगर हां, तो कितनी पाठशालाओं के भवन बने हुए नहीं हैं ? उन पाठशालाओं के भवन निर्माण कब तक करवा दिये जावेंगे ?

(5) क्या यह सत्य है कि उक्त पंचायत में कई प्राथमिक पाठशालाओं में कोई आवश्यक सामान स्कूल चलाने के लिए उपलब्ध नहीं है ? अगर हां, तो कितनी पाठशालाओं में क्या-क्या सामान उपलब्ध नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करावें ? उक्त सामान की पूर्ति उक्त पाठशालाओं में क्या सरकार करना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम ठुमठ (कुशलगढ) की ग्राम सेवा सहकारी समिति

158. श्री जोर्यिग (कुशलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कुशलगढ़ क्षेत्र में ग्राम ठुमठ में ग्राम सेवा सहकारी समिति है ? यदि हां, तो समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या उक्त समिति की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 28-8-74 एवं 12-9-74 को हुई है ? यदि हां, तो दोनों ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों की एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि श्री कृष्णदत्त शर्मा सहायक निरीक्षक ने कुछ व्यक्तियों को कार्यकारिणी सदस्य बिना कोरम के बनाकर समिति का कारोबार प्रारम्भ किया है और उसकी शिकायतें भी हुई हैं ? यदि हां, तो विभाग ने उक्त सहायक निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । कुशलगढ़ क्षेत्र में ग्राम ठुमठ में ग्राम सेवा सहकारी समिति है । इस समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त समिति की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 28-8-74 को हुई और 12-9-74 को ग्रामसभा की कोई बैठक नहीं हुई है । दिनांक 28-8-74 की ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) जी हां । श्री कृष्णदत्त सहायक निरीक्षक ने कुल सदस्यों के 1।3 से अधिक सदस्यों के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 28-8-74 की ग्राम सभा की बैठक में समिति के चुनाव कराये । इस विषय में शिकायत प्राप्त होने पर जांच

Page No 34

(34)

(सहकारिता मंत्री)
कराई गई जिसमें अनियमित कार्यवाही होना नहीं पाया गया। अतः सहायक निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखिये)

बीकानेर जिले की नगरपालिकाओं में हरिजनों एवं जन जाति के लोगों को रजत जयन्ती पर आवासीय पट्टे

159. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले की नगर पालिकाओं व नगर परिषद् क्षेत्रों में गत 5 वर्षों से अब तक स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, गांधी जयन्ती आदि राष्ट्रीय पर्वो व रजत जयन्ती समारोह में कितने–कितने आवासीय पट्टे हरिजनों, जन जाति के लोगों व गरीब तबकों को वितरण किये गये? सूची प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

बीकानेर जिले की नगरपालिका व नगर परिषद् क्षेत्रों में गत 5 वर्षों में हरिजनों जनजाति व गरीब तबकों को 168 आवासीय पट्टे वितरण किए गए हैं। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखिये)

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय फार्म तथा बीड

160. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र (उपनिवेशन) में कोई राजकीय फार्म या बीड़ कायम है? यदि हां, तो कहां-कहां कितने-कितने बीघे है सम्पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या उपरोक्त बीड़ों में बीजाई भी कहीं-कहीं की जाती रही है? यदि हां, तो कब-कब क्या-क्या पैदावार हुई? 1971 से 1974 तक का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उपरोक्त किसी बीड़ में उक्त वर्षों में भी कहीं कोई रबी की फसल की बीजाई की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार मौके पर किसी अधिकारी को भेजकर जांच कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं, अधिकारी को भेज जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखिये)

खातेदार एवं विश्वेदारों की अनउपजाऊ भूमि का मुआवजा

161. श्री लगाराम (डूंगरगढ़)-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

खातेदार एवं विश्वेदारों की भूमि जो देवी विपदा, नदी में बाढ़ आदि के आ जाने के कारण खत्म हो जाती है और उपजाऊ नहीं रहती है, क्या ऐसी भूमि के एवज में भूमि का मुआवजा देने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसा नियम बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। देवी प्रकोप से खराब हुई भूमि के लिये भू-संरक्षण हेतु केवल ऋण दिये जाने की व्यवस्था है।

तहसील विराटनगर में गिरदावरे तथा पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें

162. श्री हनुमानसहाय (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर में वर्तमान में नियुक्त गिरदावर पटवारियों के विरुद्ध पूर्व से अनेकों शिकायतें पैन्डिग हैं? यदि हां, तो किन किन के विरुद्ध और कब से तथा अब तक उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है।

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

राज्य में रिहायशी मकानों के लिए पट्टों का वितरण

163. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के किस-किस जिले में कितने कितने पट्टे रिहायशी मकानों के लिए बांट दिये गये हैं और इन जिलों में कितने बिना मकान वाले खेतीहर मजदूर हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

[उत्तर प्राप्त नहीं हुआ]

चक 25 बी. बी. तहसील पदमपुर में भूमि का मामला

164. श्री गुरदयालसिंह संधू (करणपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि चक 25 बी. बी. तहसील पदमपुर मु. नं. 22 में 21 बीघा तथा मुरब्बा नं. 23 में 4 बीघे कुल 25 बीघे सन् 1952 में सोहनसिंह पुत्र श्री गणेशसिंह को स्थाई आवंटित किये गए थे ?

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त भूमि किश्तें दाखिल न होने के कारण ता. 15-7-60 को खारिज हो गई थी और ता. 12-10-66 को दोबारा बहाल कर दी गई थी व उस भूमि की काश्त श्री सोहन सिंह के नाम पर आज तक चली आ रही है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री सोहनसिंह 1960 में मर चुका है और जो भूमि बहाल कराई गई है वह श्री सोहनसिंह के

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

नकली हस्ताक्षरों से कराई गई है और यह भूमि श्री रघुवीरसिंह पुत्र श्री चरणसिंह द्वारा काश्त की जाती है ?

(घ) उक्त भूमि पर ता. 15–7–60 से 12–10–66 तक किस का कब्जा किस आधार पर रहा और क्या इस नाजायज काश्त करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। भूमि जिस व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर बहाल की गई इसकी जांच की जा रही है। पूर्ण जांच होने पर ही नतीजा निकाला जा सकता है। वर्तमान में श्री रघुवरसिंह पुत्र श्री चरणसिंह द्वारा हिस्सा ठेका पर काश्त की जा रही है।

(घ) 15-7-60 से 12-10-66 तक जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के कब्जे पर काश्त पर रही उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

1960. श्री गुरुवचनसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह

1961. मु. नं. 22 पर रघुवरसिंह व गुरुवचनसिंह मु. नं. 23 पर रघुवीरसिंह

1962–दोनों मुरब्बों पर कब्जा काश्त

1963–श्री रघुवरसिंह

1964 }
1965 } खसरा गिरदावरी बन्द होने से नाम अंकित नहीं है।
1966 }

नाजायज काश्त के बारे में भी, जो जांच भूमि बहाल करने के सम्बन्ध में की जा रही है, जांच करली जायेगी।

तहसील कोलायत में मिट्टी के ठेके

165. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में व्हाइट क्ले, फायर क्ले, चाईना क्ले, बाल क्ले, ग्लास सैन्ड व लाल मिट्टी के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को ठेके दिये हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसे ठेकेदारों की सूची मय क्वालिटी व अवधि ठेके की, ठेका कब दिया गया व किन–किन शर्तों पर दिया गया दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि एक ही पार्टी ने अपने परिवार वालों के नाम से नियम विरुद्ध भिन्न–भिन्न ठेके ले रखे हैं और मोनोपोली स्थापित कर रखी है, यदि हां, तो ऐसे ठेकेदार का नाम बतलाया जाय कि उसने किस-किस नाम से कितने-कितने एकड़ के कुल ठेके ले रखे हैं ?

(3) आज तक उक्त ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों ?

(4) क्या बिना एरिया डवलप किये उसके रद्द कर दूसरी पार्टी को नियमानुसार दिया जा सकता है ? यदि हां, तो आज तक ऐसे कितने एरिया औरों को दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ठेके के बजाय नियमानुसार खनन पट्टे दिये गये हैं जिसका ब्योरा

Page No 37

(37)

(श्री लूणाराम) ...

सदन की मेज पर रख दिया गया है। (सूची–1)

(2) एक ही परिवार के सदस्यों की भिन्न-भिन्न पार्टियों के पक्ष में खनन पट्टे दिये गये हैं जिनका ब्योरा सदन की मेज पर रखा दिया गया है। (सूची–2) किन्तु यह नियम विरुद्ध नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां। क्षेत्र को डवलप नहीं किये जाने की कोई शिकायत नहीं होने से कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

[सूची विस्तृत होने के कारण राज वि. सभा पुस्तकालय में रखी गई।]

पंचायत समिति जवाजा में डी.पी. ए.पी का कार्यक्रम

166. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अजमेर जिले के ब्यावर उपखण्ड में जवाजा पंचायत समिति को केन्द्रीय सरकार ने डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम में सम्मिलित किया है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ कार्य के तखमीने तैयार कराये गये हैं। क्या कुछ कार्यों को स्वीकृति के लिए राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को भेजा गया था? यदि हां, तो उनकी स्वीकृति मिली या नहीं? जिन कार्यों के तखमीने बनवाये व केन्द्र की स्वीकृति के लिये भेजे उसकी सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

(3) उपरोक्त कार्यक्रम को अमल में लिवाने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां, अजमेर जिले की ब्यावर तहसील को डी.पी.ए.पी. के लिये चुनी गयी है और जवाजा पंचायत समिति इस तहसील का भाग है।

(2) ब्यावर तहसील के सम्बन्ध में पूरा प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं हुआ है और न ही तखमीने तैयार करवाये गये हैं। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) वर्ष 1974–75 में निम्न प्रकार से इस तहसील में व्यय करने का प्रस्ताव बनाकर केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिये गये अनुदान में कमी कर देने के कारण 4.00 लाख से घटा कर 3.85 लाख रुपये कर दी गयी है। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति का प्रयत्न किया जा रहा है।

1. कृषि	1.75
2. पशु दुग्ध उत्पादन विकास	0.50
3. भेड़ विकास	0.50
4. वन एवं घास विकास	0.25
5. सिंचाई	0.50
6. अधिकरण एवं निष्पादन	0.10
7. अन कमिटेड	0.40
योग	4.00 लाख

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. सर्व श्री निरंजननाथ आचार्य व केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से मेवाड़ शुगर मिल, भोपालसागर द्वारा गन्ने की एक विशेष किस्म की खरीद बन्द कर देने के विषय में।

2. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 13 फरवरी को थानेदार, पुलिस थाना लाडनूं द्वारा तहसील लाडनूं के ग्राम मंगलपुरा के चौक में तथा घरों में घुसकर ग्रामीणों की पिटाई किये जाने के विषय में।

इन दोनों ही स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

3. श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से सिरोही से 20 मील की दूरी पर मड़िया गांव के जागीरदार द्वारा एक व्यक्ति के मकान पर हाल ही में किये गये हमले के विषय में।

4. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सन् 1974 में आयोजित राजस्थान न्यायिक (विशेष भर्ती सेवा) सेवा परीक्षा परिणाम की अंकतालिका के टोटल ठीक न होने के विषय में।

ये दोनों ही प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं माननीय सदस्य यदि चाहें तो बजट पर आज से प्रारम्भ होने वाली चर्चा के समय इन्हें उठा सकते हैं। अतः मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है शुगर मिल्स भोपालसागर के सम्बन्ध में उदयपुर जिले के दो सौ, तीन सौ किसान आज यहां पर दो तीन रोज से आये हुए बैठे हैं और वे उद्योग मन्त्रीजी से मिले हैं और मुख्य मन्त्रीजी से भी मिले हैं। और उन्होंने यह शिकायत की है कि मेवाड़ शुगर मिल ने एक सौ दस सेन्टर, गन्ना लेने के खोल रखे थे, उनको अब बन्द कर दिया है और इससे 1 करोड़ 75 लाख रुपये की फसल जो खेतों में खड़ी है वह नष्ट होने वाली है। इस खड़ी हुई फसल से 12 हजार परिवारों पर असर पड़ता है। मुख्य मन्त्री महोदय ने उनको आश्वासन दिये हैं और उद्योग मंत्री ने भी आश्वासन दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि उद्योग मन्त्री यहां होते तो इस ज्वलन्त प्रश्न को, जो अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, उसके निराकरण में सहयोग देते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेवाड़ शुगर मिल 38 साल पहले प्रारम्भ हुई थी। मेवाड़ सरकार के जमाने में उस शुगर मिल ने अलग-अलग किस्म के गन्नों के प्रोडक्शन कराने में पूरा-पूरा सहयोग दिया। उन्नत किस्म के बीज उन्नत गन्ने के लिये और उत्तम बीज तथा आर्थिक सहयोग के आधार पर गन्ने की अलग अलग किस्म, गाजरिया, केड़ा, धोलिया कालिया किस्म के गन्नों का उत्पादन उनके समय से होता रहा। एक तरफ तो मिल ने उत्पादन बढ़ाया और दूसरी तरफ उसकी क्रशिंग केपेसिटी नहीं बढ़ाई। उदयपुर में 20

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
लाख क्विटल गन्ने का क्षेत्र है और मिल की केपेसिटी केवल 16 लाख क्विटल है। 6 लाख क्विटल क्रश करना अवशेष रह जाता है। अब यह मिल उस गन्ने को खरीदने की स्थिति में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसानों की फसल को नष्ट होने से बचाने के लिये उद्योग मन्त्रीजी सतर्कता से चिन्तन करते तो जीवाजी शुगर मिल की केपेसिटी एक हजार क्विटल प्रति दिन की है और केशोरायपाटन शुगर मिल की केपेसिटी दो हजार क्विटल की है इस तरह से यदि इनका एरिया आफ आपरेशन उद्योग मन्त्री बढ़ा देते और कुछ भाग भीलवाडा, कुछ चित्तोड़ का कुछ केशोरायपाटन में और दलादा की फैक्ट्री में मिला देवा तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा इस फैक्ट्री में कन्ज्यूम किया जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है और संभव है राज्य सरकार इस ओर सतर्कता से चिन्तन नहीं कर रही है। इससे किसानों में असन्तोष बढ़ रहा है। इसका निराकरण नहीं किया गया तो वे किसान जो यहां आये हुए हैं वे यहीं डटे रहेंगे, और संभव है कि मिल के खिलाफ कोई विद्रोह न हो जाय। मैं चाहता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार एक बक्तव्य दे। आज 36 साल से यह मिल मेवाड़ सरकार के जमाने से काम करती आ रही है। इससे बाई–प्रोडक्ट मोलेसिस का फायदा अलग है और गन्ने की छाल का फायदा अलग है और साथ ही मिल को कई प्रकार की सहूलियतें भी राज्य सरकार द्वारा दी गई हैं, इनको कोल की, और लकड़ी की सहूलियतें भी दी हुई हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, बून्दी के बारे में···

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मिल के मैनेजमेंट को बुलाकर राज्य सरकार तस्फिया करे और दोनों मिलों में एरिया आफ आपरेशन का विभाजन करे तो 6 लाख क्विटल गन्ने की खड़ी फसल को बचाया जा सकता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाय, ये किसान जो यहां आये हुए हैं, यहीं बैठे रहेंगे। इससे सारे उदयपुर क्षेत्र मे आक्रोश बढ़ेगा, अशांति पैदा होगी। मुझे यह भी भय है कि मिल वालों का घेराव किसान न कर बैठें। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आज जो उन किसानों में असतोष है, आक्रोष की भावना है निराशा की भावना है, इस पृष्ठभूमि में मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में मिल का नेशनलाइजेशन करके इस मिल को अपने हाथ में लिया जाना चाहिए ताकि सतर्कता और ढंग से किसानों की समस्या का निराकरण हो सके। मुझे आशा है राज्य सरकार इस विषय में वक्तव्य देकर इस समस्या का निराकरण करेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, जो बून्दी के बारे में बात कही गई··

श्री अध्यक्ष : केवल बून्दी का नाम लेने से क्या होता है। बून्दी का नहीं केशोरायपाटन का नाम था। इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आप बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : केशोरायपाटन की मिल के बारे में ही निवेदन करना है कि वहां भी इसी प्रकार की समस्या है और यदि ऐसा कर दिया गया तो यह समस्या और भी जटिल हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : I cannot make it a general rule. I have allowed you sometimes but you cannot make a convention of it. You want to make a convention for future, that I will not allow! It does not concern Bundi in any case. He may have just named Bundi, but it does not concern Bundi,

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : वह ऐसा है, जैसा कि आपने बताया है। केशोरायपाटन में शुगर मिल है। वहाँ इतना गन्ना होता है कि काफी सरप्लस गन्ना रहता है। वहां के किसानों का भी नुकसान उसी प्रकार से है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां के किसानो के साथ में भी अन्याय होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिये और जटिल प्रश्न हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय जो स्थगन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, वह पुलिस अत्याचारों की कहानी है। और पुलिस के द्वारा प्रजातन्त्री इन्स्टीट्यूशन पर आक्रमण है। बड़ी निर्मम और रोमांचकारी कहानी है। लाडनूं तहसील के थानेदार 13 फरवरी को पुलिस फोर्स लेकर मंगलपुर गांव में तशरीफ ले गये। वहां जाकर उन्होंने मंगलपुर गांव के किसानों को, गरीबों को मगलपुर चौक में बेरहमी से पीटा जिससे अनेक किसानों की हड्डियां टूट गई। एक जस्सूराम 70 वर्ष का किसान जिसे दिल की बीमारी थी, वह मर गया। इतना ही नहीं सारे गांव मंगलपुर में, घर-घर में घुस घुस लोगों को पीटा गया है। एक रमना बाई नाम की औरत जो प्रसव पीड़ा में पड़ी हुई थी, उसको खाट पर ही पीटा गया जिससे उसके प्रसव हो गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा करके जो विशिष्ट व्यक्ति उस गांव का है, उसके इशारे पर हुआ। जिसने उस गांव की जोहड़ पाटन और प्याऊ पर कब्जा कर लिया, जिसकी एक दरखास्त बकायदा जिस पर 63 आदमियों के हस्ताक्षर थे, 16-10-74 को सरपंच को दी। सरपच ने पंचायत की मिटिंग बुलाई। बाकायदा सर्वसम्मति से 16-10-74 को प्रस्ताव पास किया। जोहड पाटन और प्याऊ को मुक्त कराया जाये। क्योंकि जोहड़ पाटन का सम्बन्ध तहसीलदार से था इसलिए तहसीलदार को लिखा कि नाजायज कब्जा हटाया जाये। 12 ता. का कब्जा हटाया गया। तहसीलदार के जरिये से हटाया गया। उस बलदेवाराम विशिष्ट व्यक्ति ने सरपच के खिलाफ मुकदमा पुलिस में दर्ज कराया। पुलिस वालों ने गांव वालों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया। यह बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है, अध्यक्ष महोदय, 24–2–74 को थानेदार पुलिस फोर्स लेकर रात को सरपच के घर में घुस गये और वहां उनको घर में खूब पीटा। उनसे 24-2-74का एक फोर्ज डाकूमेंट लिखाया गया कि हमने इस प्रकार का कोई आर्डर नहीं लिखा। जब कि वह रजिस्टर मौजूद है। वे रसीदें मौजूद हैं। जिनमें यह है कि यह इरेग्युलर स्ट्रक्चर हटाया गया। उसके कारण पैसा व्यय हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। लाउड स्पीकर लगाकर वहां के सी. ओ. और थानेदार गांव में घूमते हैं। कोई खानों में भागा कोई बीड़ों में भागा तो कोई जंगलों में भागा। लोग गांव से बाहर भाग गये हैं। जहाँ पर भी कोई गांव वाला मिल जाता है तो उसको

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
पकड़ कर पीटा जाता है। गांव वालों पर पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे पुलिस के खिलाफ बनाये गये हैं। फोर्ज्ड मुकदमे बनाये गये हैं। सारा गांव एक श्मशान बना हुआ है। एक स्त्री, एक बच्चा, एक व्यक्ति उस गांव में नहीं है। लोग खानों में और जंगलों में पड़े हुए हैं। पुलिस स्वच्छन्द गांव में लाउड स्पीकर लगाकर घूम रही है। थानेदार जंगलों में जीप लेकर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहना चाहूंगा, पुलिस की अनेक रोमांचकारी कहानियां सदन में आई हैं। यह अपने आप में एक भयंकर कहानी है यह सब राजनैतिक महत्व की वजह से हो रहा है। पुलिस सबसे बड़ी डकैत है।

पीस एण्ड आर्डर को तोड़ने वाली है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पुलिस हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके लिए खतरा पैदा कर रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल !

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आप का नहीं है।

श्री दीपंकर : मेरे से सम्बन्ध रखने वाला तो है। हाउस में मेरे ऊपर आरोप लगाये जायं। मैं उसके बारे में क्लीयर करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पूरा क्लीयर करते हैं।

श्री दीपंकर : बड़ी कृपा होगी। मैं थोड़े शब्दों में क्लीयर कर दूं। मेरे पर हाउस में चार्ज लगाया है।

श्री अध्यक्ष : आप का नाम मैंने लिया नहीं है।

श्री दीपंकर : मैं निवेदन करना चाहता हूं एक एफ. आई. आर है। सी. आई. डी. इन्क्वायरी कर रही है। यह आप देख रहे हैं कि अवैधानिक कब्जा हटाया गया तो सरपंच पर हमला किया गया है। सी. आई. डी. की इन्क्वायरी पूरी नहीं हुई है। लोकल पुलिस से सी. आई. डी. दब गई।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

राजनैतिक प्रभाव काम में आ रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यह जो जुल्म हो रहा है, सरकार इसकी जांच करवाये। एक या दो आदमी मर गये हैं। एक औरत के जापा होने वाला था।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस थानेदार को सस्पेण्ड किया जाये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जुल्म करने वालों को सस्पेण्ड करना चाहिए।

Page No 42

(42)

श्री सांवरमल मोर : अध्यक्ष महोदय, उस थानेदार को सस्पेण्ड किया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल !

(व्यवस्था–सूचक घण्टी)

(व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सांवरमल मोर : अध्यक्ष महोदय, थानेदार को और जुल्म करने वालों को सस्पेण्ड किया जाय।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं। जैसा कि कहा गया है एक या दो आदमी मर गये हैं। अगर दो आदमी मर गये हैं तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए सरकार का बयान ही काफी नहीं है। यह जनरल बहस में नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष : एक की हो गई। दो की नहीं।

श्री रामकिशन : दो के लिए कहा है। एक मंगतूराम है।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री दीपंकर : दो की मृत्यु हो गई है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव वाले माननीय सदस्यों को बोलने दें।

श्री दीपंकर : आपने बड़ी कृपा की है।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने का समय दे दिया है। अब नहीं दूंगा।

श्री दीपंकर : मैं अधिक समय नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बा बयान नहीं देना चाहता। एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे की मृत्यु होने की सूचना माननीय होराजी ने दी है। इसमें सरकार को सिर्फ बयान नहीं देना है। हम यह जानना चाहेंगे इस घटना के बारे में कि सरकार ने क्या कार्यवाही की है। आप इस बारे में सरकार को निर्देश दें कि जल्दी ही इस बारे में जांच करायें जिससे कि पुलिस डिमाण्ड की बहस के समय में इसका उपयोग किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, उसके बारे में निवेदन है कि जितने भी भूतपूर्व जागीरदार हैं वह आज भी अभी भी जैसा कि वह सामन्ती युग में करते थे, वैसे ही आज भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक दर्दनाक घटना है। इसका नाम अमर सिंह है। जिसका सिरोही से थोड़ी दूर के फासले पर मकान था। उस गांव के अन्दर वहां के सरपंच थे, उनके साथ पहले मारपीट की। बहुत से आदमी, जो बन्दूक लेकर गये, गिरोह बना कर इसके घर पर गये, उस पर हमला किया और मारपीट की। उसके बाद में उसके घर में

(श्री केसरीमल)
आग लगाई और आग लगा देने के बाद उन तमाम गांव वालों को, जो वहां पर इकट्ठे हो गये थे, और जो इस बात को कहने को तैयार थे, इस बात की धमकी दी कि किसी ने इस घटना की जानकारी किसी को दी, अथवा किसी ने इस मामले की गवाही दी तो उन लोगों को इसी रास्ते पहुंचाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आज भी यह सामन्त हैं, इनके इस प्रकार के काले कारनामे हैं लेकिन सरकार उनके खिलाफ कुछ न करे, वह सारे गांव को आतंकित करें यह बात कभी सहनीय नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को तुरन्त पकड़ें, उन्हें सजा दिलाये और सारे मामले की जांच करायें और जिस व्यक्ति के साथ ज्यादती हुई है, जिसका मकान जला दिया गया है, उसको मुआवजा दिलाने की कोशिश करें। और उसको खास तौर पर हर्जाना मिले और मुलजिमों को सजा मिले। मैं यह मांग करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष जी, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत अहमियत का स्थगन प्रस्ताव है, वह इसलिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय में तो ऐसा होता ही रहा है कि विद्यार्थी को फेल डिक्लेअर कर दिया गया है, उसके बाद उसने स्क्रूटिनी कराई या और तरह की बात कराई तो वह फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होता है। लेकिन आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा विशेष भर्ती परीक्षा 1974 में की गई, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत दिनों तक नहीं निकला। लोग राज्यपाल महोदय से मिले, तो रिजल्ट उसके बाद में निकला। परिणाम निकला, यह छः फरवरी 1975 को परिणाम निकाला, उस परिणाम की कई ऐसे विद्यार्थियों की मार्क लिस्ट मेरे पास हैं, एक मार्क लिस्ट में सदन में लेकर आया हूं, उसमें जितने मार्क होने चाहिए, 37,47,22,45 इसका राजस्थान लोक सेवा आयोग ने टोटल 147 लगाया है, जब कि टोटल 151 होता है। मेरा निवेदन करना है•••

श्री अध्यक्ष : प्रासीजर दिया हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अकर्मण्यता की ओर ध्यान दिला रहा हूं कि ऐसा यह राजस्थान लोक सेवा आयोग है। इसी प्रकार मुन्सिफ की परीक्षा ली है, उसमें वह न्याय क्या करेंगे जब कि उनके साथ में इस प्रकार अन्याय हो रहा है, जो पास होने चाहिए, उनको फेल डिक्लेअर कर दिया जाय और वह मारे-मारे फिरते रहें और रिजल्ट बहुत दिनों के बाद में आये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत न्याय मंत्री, जो मेरे सामने बैठे हैं, खेत सिंह जी, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह आपका विभाग है, इसमें जो गड़बड़ी हो रही है, इनको आप दूर करें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में व्यवस्था।

दिनांक 17 फरवरी, 1975 को जब सचिव, राजस्थान विधान सभा ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखी तो विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अभिभाषण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करते हुए कहा कि :–

(1) जो प्रति सदन की मेज पर रखी गई है वह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

(श्री अध्यक्ष)
नहीं है क्योंकि यह अभिभाषण न तो अन्त तक पढ़ा गया और न ही इसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय द्वारा यह कहा गया कि इसे पढ़ा हुआ माना जावे।

(2) राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण का जितना भाग सदन के समक्ष पढ़ा है वह अभिभाषण माना जाना चाहिये।

(3) राज्यपाल महोदय द्वारा पूरा अभिभाषण न पढ़े जाने से संविधान के अनुच्छेद 176 की पूर्ति नहीं हुई है।

मैंने उसी दिन अपनी संक्षिप्त व्यवस्था में इन आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए विस्तृत व्यवस्था बाद में देने की बात कही थी। मैंने इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, राज्यपाल महोदय संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत अपना अभिभाषण देते हैं। इस संवैधानिक औपचारिकता की पूर्ति के लिये राज्यपाल महोदय दिनांक 17 फरवरी को विधान सभा में पधारे और उन्होंने सदन को सम्बोधित किया एवं सदन आहूत करने के कारणों आदि से भी सदन को अवगत कराया था।

माननीय सदस्यों की मुख्य आपत्ति यह है कि चूंकि इस अभिभाषण को पूरा नहीं पढ़ा गया है और न ही इसके सम्बन्ध में यह कहा गया कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये, अतः वास्तविक अर्थ में यह अभिभाषण नहीं कहा जा सकता। सामान्यतया अभिभाषण पूरे ही पढ़े जाते हैं परन्तु ऐसे अवसर अनेक बार इस विधान सभा में और अन्य विधान सभाओं में भी आये हैं जब राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण अस्वस्थता तथा अन्य कारणों से पूरा नहीं पढ़ सके हैं और उसे पढ़ा हुआ मान लिया गया है। ऐसे उदाहरण भी संसदीय इतिहास में उपलब्ध हैं जबकि राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण न पढ़ा जाकर आसन द्वारा पढ़ कर सुनाया गया है और उसको संवैधानिक आवश्यकता का पालन मान लिया गया है। सन् 1961 में प्रथम बार यह मामला राजस्थान विधान सभा के सामने आया जब राज्यपाल महोदय ने विधान सभा सदस्यों को राज भवन में आहूत किया और चूंकि वे अपना अभिभाषण अस्वस्थता के कारण पढ़ने की स्थिति में नहीं थे, अतः तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष द्वारा उनका भाषण पढ़ा गया। 3 मार्च, 1966 को जब राज्यपाल महोदय अन्य कारणों से अपना अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ सके तो अभिभाषण का शेष भाग पढ़ा हुआ मान लिया गया और तत्कालीन अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था देते हुए यह निर्णय दिया कि--

"मेरी मान्यता है कि अस्वस्थता के कारण या और कारणों से भाषण नहीं पढ़ सके तो भी 176 (1) में उसको पूरा पढ़ा हुआ माना जायगा।"

इसी प्रकार एक बार इसी विधान सभा में जब राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे तो स्वयं विपक्ष ने यह सुझाव दिया था, उसका शेष भाग पढ़ा हुआ मान लिया जाय। यहां ही नहीं, लोक सभा तथा अन्य विधान सभाओं के सामने भी इसी प्रकार की परिस्थितियां आई हैं। उदाहरण के लिये आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक विधान सभाओं के नाम

(श्री अध्यक्ष)

लिये जा सकते हैं। अभिभाषण पूरा पढ़े न जाने के कारण चाहे जो रहे हों या राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पश्चात् चाहे स्वयं यह न भी कहा हो कि शेष भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय, परिणाम एक ही रहा है।

अब यह प्रश्न रह जाता है कि सदन की मेज पर जो अभिभाषण की प्रति रखी गई है क्या उसी भाषण की प्रति है जो राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़ा गया? जैसा कि मैंने सदन को उस दिन भी सूचित किया था, अभिभाषण की वही प्रति सदन की मेज पर रखी गई है जिसे राज्यपाल महोदय द्वारा प्रमाणित करके अभिभाषण के तुरन्त पश्चात् मुझे दी गई थी।

अतः मेरी यही व्यवस्था है कि राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसमें कोई वैधानिक त्रुटि अथवा खामी नहीं हुई है और उससे संविधान के अनुच्छेद 176 की पूर्ति हो जाती।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, हाण्डा साहब ने यहां पर जो चर्चा की है, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दे, यह मामला गम्भीर है...

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आपको इजाजत नहीं दी, फिर भी आप बोल रहे हैं।

श्री दीपंकर : आपकी आज्ञा से। आपकी आज्ञा मुझे मिल गई है।

श्री अध्यक्ष : मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैंने आज्ञा नहीं दी है। माननीय सदस्य ! (श्री दीपंकर बोलते रहे) एक दफा पहले मैंने आपको निवेदन किया। तीन बार अब मैं निवेदन कर चुका हूं। बोलने का मौका दे चुका हूं। कहीं तो अन्त करना पड़ेगा। दूसरा विषय ले लिया है, रूलिंग दे दी है। फिर भी आप बोल रहे हैं।

श्री दीपंकर : जीरो अवर में बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : मैं आज्ञा नहीं दूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है, चूरू के सम्बन्ध में जब बहस हुई थी तब सरकार की तरफ से...

श्री अध्यक्ष : कल आ चुका है। बात हो चुकी है।

श्री रामकिशन : सरकार ने उत्तर दिया था कि सात दिन के भीतर-भीतर...

श्री अध्यक्ष : यह बात माननीय सदस्य ने उठाई थी, मोहरसिंह जी ने।

श्री रामकिशन : क्या हुआ उसका ?

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में बात करने की बात हुई थी।

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्री से क्या बात करनी है ? चेम्बर में क्या बात करनी है ?

श्री अध्यक्ष : फिर किससे करना चाहते हैं ? आप यह किसी और रूप में ले आइये दुबारा ।

श्री रामकिशन : सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि जवाब देगी ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया । आज की लिस्ट आफ बिजनेस में यह कार्य नहीं है, वक्तव्य के बारे में । और किसी समय किसी रूप में लाना चाहें तो ले आयें, मैं आपको समय दे दूंगा ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या 1 (1) (5) परि/73 दिनांक 31 जनवरी, 1975 को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन ।

समिति का प्रतिवेदन

विशेषाधिकार समिति के द्वितीय व तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री रघुनाथ विश्नोई (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति 1974–75 के निम्न प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(1) श्री सुन्दर लाल द्वारा श्री केशरीमल भण्डारी, विद्यालय निरीक्षक, झुंझुनूं के प्रति प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रश्न से सम्बन्धित, समिति का द्वितीय प्रतिवेदन, तथा

(2) श्री मोहनलाल छंगाणी द्वारा कुछ वकीलों के प्रति प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रश्न से सम्बन्धित समिति का तृतीय प्रतिवेदन ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद के सम्बन्ध में समय का विभाजन ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद हेतु कार्य सलाहकार समिति द्वारा चार दिवस का समय नियत किया गया है । इन चार दिनों में सदन में माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हेतु लगभग 17 घन्टे का समय उपलब्ध होगा । इस समय का मैं दलवार सामान्य तौर पर इस प्रकार विभाजन करता हूं :—

कांग्रेस	–	13.00 घन्टे जिसमें सरकार की ओर से उत्तर का समय भी सम्मिलित है ।
स्वतंत्र	–	1.00 घन्टा
जनसंघ	–	0.50 घन्टा
संसोपा	–	0.45 ,,
सी.पी.आई.	–	0.45 ,,
सी.पी.एम.	–	0.10 ,,
निर्दलीय	–	0.30 ,,

श्री श्रीराम गोटेवाला ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जो माननीय वित्त मंत्री ने 1975-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

76 का बजट पेश किया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री ने जिस प्रकार का संतुलित बजट पेश किया है और बिना किसी प्रकार कर लगाये हुए, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके साथ ही जो वित्तमंत्री ने हमारे यहां के मिनरल्स पर ध्यान दिया और विशेषकर रॉक फॉस्फेट पर ध्यान देकर जिस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की, उसके बारे में मैं मानकर चलता हूं कि करों की वजह से और कई कारणों से जो जन-असंतोष फैलता, उससे राजस्थान को बचाया, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि भारत सरकार जो पहले कहती रही कि रॉक फॉस्फेट का उत्पादन बढ़ाया जाए, और जब हमने उत्पादन बढ़ाया और आज हमारी स्थिति यह रही कि लाखों रुपये का माल रॉक फॉस्फेट का निकला हुआ बाहर पड़ा है और दूसरी ओर मेटल्स और मिनरल्स ट्रेडिंग निगम उस माल को दो करोड़ डालर सालाना विदेशी मुद्रा खर्च करके बाहर से मंगा रही है। समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार कहां कमजोर रही कि व्यवस्था नहीं हो पाई।

(12.35 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव; उपाध्यक्ष, पदासीन)

करोड़ों रुपये का माल जिसको निकालने के लिए पहले दबाव डालते रहे। जब माल बनाया तो इम्पोर्ट बंद न करके यह काम करते रहे। राजस्थान सरकार ने अपनी लॉबी वहां पर क्रिएट नहीं की या राजस्थान के संसद सदस्यों ने कोई रुचि नहीं दिखाई क्यों कि मैं रेग्यूलरली संसद की कार्यवाही पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैंने इस बात के लिए मित्रों से कहा था कि रॉक फॉस्फेट के प्रश्न को दिल्ली में उठायें। यह राजस्थान का सौभाग्य है कि वह उन प्रांतों में से है बिहार के बाद में जहां सबसे अधिक खनिज भंडार है। कम से कम 80 हजार करोड़ रुपये का भंडार है। वैसे तो वित्त मंत्री ने होशियार मुनीम की तरह आय-व्यय का अच्छे ढंग से काम अंजाम दिया है और जिन तमन्नाओं को हम पूरा करना चाहते हैं, यदि हमने सारे मिनरल्स को बाहर नहीं निकाला तो निश्चित रूप से हम जिन लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं उनको नहीं प्राप्त कर पायेंगे। मैं इस बारे में स्वर्गीय मोहन कुमार मंगलम् से भी मिला था, रॉक फॉस्फेट का झगडा उसी समय से चल रहा है, भारत सरकार भी बेनीफिशयरी प्लांट लगाने का सोच रही है। रॉक फॉस्फेट और पाइराइट मिलाकर खाद का कारखाना राजस्थान में लगाने की 20 वर्ष से बातचीत चल रही थी लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कब तक हम इस रॉ-मेटिरियल को बेचते रहेंगे, कब हम इस स्थिति में आयेंगे कि कारखाना लगाकर रॉ-मेटिरियल का उपयोग करेंगे ? आज करोड़ों रुपये इस खाद के लिए व्यय करना पड़ता है और खाद के लिए ही नहीं, रॉक फॉस्फेट के लिए हमें दो करोड़ डालर का गत वर्ष आयात करना पड़ा। अगर इस प्रकार की स्थिति में रहते हैं तो राज्य सरकार को हिम्मत से आगे आकर रॉक फॉस्फेट का उपयोग करने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिये।

एक बात समझ में नहीं आई कि सारी योजनायें जो केवल मात्र राजस्थान की ही नहीं, सारे राष्ट्र का नक्शा बदलने वाली हैं, जैसे हम राजस्थान नहर के बारे में बरा-

Page No 48

(48)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
बर मांग करते रहे हैं कि राजस्थान अकेला इस स्थिति में नहीं है कि सारे भार को वहन कर समुचित विकास कर सकें। लेकिन न तो राजस्थान नहर परियोजना राष्ट्रीय योजना मानी गई न रॉक फॉस्फेट के बारे में जिसके लिए हम मानते हैं कि देश को करोड़ों डालर की बचत होगी और सारे देश का नक्शा बदलने वाली बात है, उसमें कहां गड़बड़ी है, भारत सरकार के उन अधिकारियों के मस्तिष्क में क्या है, मैं वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह इस तथ्य के बारे में अपना जवाब दें और प्रकाश डालें कि क्यों नहीं हम रॉक फॉस्फेट का रॉ-मेटिरियल के रूप में उपयोग करें ? यह सही है कि 220 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट पाइराइट और रॉक फॉस्फेट दोनों को मिलाकर लगायेंगे।

जैसा मैंने पहले कहा स्वर्गीय मोहन कुमार मंगलम् ने कहा था कि राजस्थान सरकार को 4 करोड़ की आमदनी है, यह उस समय की बात है, आज तो वित्त मन्त्री ने इसकी आमदनी 12 करोड़ तक लगाई है। जो उन्होंने मशीनरी पर्चेज की है 3 करोड़ की खनन के लिए, तो मैं मानकर चलता हूं कि अगर इसका सही उपयोग करें तो निश्चित रूप से रॉक फॉस्फेट 20 करोड़ सालाना की आमदनी का सोर्स बन गया है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 220 करोड़ के प्रोजेक्ट के बारे में विश्व बैंक से बात की है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पाइराइट भी जिस सल्फर की वजह से मिनरल्स और मेटल्स निगम इस स्थिति में है कि सारे खाद कारखानों पर दबाव डालते थे कि रॉक फास्फेट खरीदना पड़ेगा और राजस्थान का रॉक फॉस्फेट स्टेशनों पर पड़ा रहता है तो सल्फर के लिए आप दबाव डालने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यह जो खाद का कारखाना लगाने की बात है और राजनैतिक कारणों से पिछले 20 साल से रॉक फॉस्फेट के बारे में आपको केन्द्र का मुंह ताकना पड़ रहा है और अपनी आर्थिक स्थिति जिस ढंग से ठीक करना चाहते हैं वह नहीं ठीक कर पाते हैं, तो इस प्रकार हिम्मत करके आपने गत वर्ष जब बजट पेश किया था सरप्लस क्रिएट किया, इतना करोड़ का घाटा पूरा करने के लिए हम समझते थे कि कोई न कोई कर लगायेंगे लेकिन अन्तिम समय तक कोई कर नहीं लगाया। कल भी मैं समझता था कि 16 करोड़ रु. का घाटा कैसे पूरा करेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अन्तिम समय पर कर लगायेंगे और अन्तिम समय में ही लगायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी थ्योरी में अन्तिम समय न मालूम क्या होता है ? यहां अन्तिम समय वाली बात नहीं होगी, मध्य में कहीं आ जाए तो बात दूसरी है जिस प्रकार इस वर्ष बीच में आए। उस बारे में आप पेशबन्दी करना चाहें तो करें।

तो मैं रॉक फास्फेट और पाइराइट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां 80 हजार करोड़ के मिनरल्स पड़े हैं। मिश्रा के अन्दर जापान का आईरन ओर था उसका क्या हुआ ? वह खान बन्द पड़ी है। बस्सी और बून्दी में सिलिका सैंड के भण्डार हैं उसके उपयोग के बारे में आपके खनिज विकास निगम ने क्या किया ? उसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है कि उसको 13 लाइसेंस दिए गए, अखबारों की सूचना के अनुसार उन्होंने केवल 2 लाइसेंसिज को यूटिलाइज किया बाकी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

11 लाइसेंसेज कैंसिल हुए। आखिर हम इस राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको पंजाब व हरियाणा के स्तर पर लाना चाहते हैं, हम बिना साधनों के जुटाये किस प्रकार बढ़ा पायेंगे ?

मैं आपको पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की घोषणा से मुझे वित्त मन्त्री जी के पिछले साल के भाषण में घोषणा की हुई एक बात याद आ जाती है कि इन्होंने यहां पर सदन से यह कहा था कि एक यूथ बोर्ड का गठन राज्य सरकार करने जा रही है। लेकिन आज एक साल से ऊपर हो गया है कोई भी यूथ बोर्ड का गठन आज तक नहीं हुआ। इसके बारे में जैसा कि मेरी जानकारी है कि वह यूथ बोर्ड बनाने की योजना अब समाप्त हो गयी है। इसी तरह एक बोर्ड और बनाने की बात थी जिसमें कि भारत सरकार के मिनिस्टर उसमें चेयरमैन थे और जहां तक मेरी जानकारी है यहां के कोई सेक्रेट्री या कमिश्नर उसके एक्स आफिशियो सेक्रेट्री होंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसका भी आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक ब्यूरोक्रेसी राज्य सरकार पर हावी रहेगी तब तक यहां पर किसी प्रकार का डेवलपमेंट का कार्य होना मुश्किल है। आपने डेजर्ट बोर्ड बनाने की बात कही उसके लिये तो मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान का दो तिहाई डेजर्ट हमारे राजस्थान के हिस्से में है यह हमारा दुर्भाग्य है।

लेकिन आपने जैसी कि यह घोषणा की है कि डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा और डेजर्ट का विकास किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने कल सारा भाषण पढ़ा और उसमें कई चीजें देखी वहां पर मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर जिले के विकास के लिए कोई योजना मुझे नहीं मिली। एक तरफ तो आप तीन सौ करोड़ रुपये एक ही जिले में इर्रिगेशन के नाम पर खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जिलों में 20 करोड़ रुपये अकाल के नाम पर खर्च करते हैं। लेकिन मुझे बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर जिले के लिये आपने जो काम बांदी-कुई में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने एक बांध के लिए जो उद्घाटन किया था, और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि वह तो सिर्फ एक दो करोड़ की योजना थी पूरी नहीं हो सकी। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 70 में सुखाड़िया साहब ने जो शिलान्यास वहां बांध बनाने के लिए किया था वह पत्थर ही अभी तक लगा हुआ है, लेकिन कोई काम वहां पर आज तक नहीं हुआ। कितनी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति है कि आज राजस्थान में कुछ जिलों पर इतना खर्च और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है उसके लिए कोई खर्च आपने करने का प्रावधान नहीं रखा। जब ऐसा देखते हैं तो हमारे जयपुर जिले के लोगों को थोड़ा मन में अफसोस होता है आखिर जयपुर वालों ने क्या कसूर किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जयपुर के बारे में कई बार कहा कि जयपुर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के पानी का लेवल 15 फीट नीचे चला गया है और यहां पर काफी खतरा इससे होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में पीने के पानी के लिए, पानी के निकास के लिए और गन्दे पानी के निकास के लिए कोई व्यवस्था आज नहीं है। वर्षों पहले जो स्थिति थी वही आज चली आ रही है। इस बात के लिए जब मैं मन्त्री महोदय से या वाटर वर्क्स के चीफ इन्जीनियर से मिलता हूं तो मुझे यही कहा जाता है कि पानी की निकासी का बहुत अच्छा प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात सुनकर बहुत ही शर्म आती है क्योंकि आज यहां जैसा कि मैंने निवेदन किया कि वाटर लेवल 15 फीट नीचे चला गया है और इससे काफी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। इसके साथ-साथ मुझे इस बात का भी बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि पानी पीने के लिए भी हम आज भारतवर्ष को आजाद हुए 26 साल गुजर गए हैं, और हम लोगों को पीने के लिए स्वच्छ और मीठा पानी तक नहीं दे सकते हैं। हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि हम ऐसे ऐरिया में जावें जहां कि आज भी लोगों को खारा पानी पीने को मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय आज भी हमारे राजस्थान में ऐसी-ऐसी जगह हैं वहां पर कि लोगों को 20 मील से पीने को पानी लाना पड़ता है। आपको कम से कम लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तो करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वाटर लेवल 15 फिट नीचे चला गया है, और स्थिति ऐसी पैदा हो गई है जयपुर शहर से जो गटर से पानी जाता है वह पानी जयपुर के आसपास जहां पर कि खेत है वहां पर खेती में जहां पर साग-सब्जी, फल वगैरह पैदा होते है युटिलाईज होता है। मुझे क्षमा करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज भी जयपुर के लोगों के पेट में इस गटर के पानी पीने से और इन खेतों में वह पानी जाने से करीब 85 प्रतिशत लोगों के जो जयपुर शहर और उसके आसपास रहते हैं उनके पेट में कीड़े हैं। मैंने कई बार इस ओर सदन मे और सदन के बाहर मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया कि यह वाटर इन खेतों में युटिलाईज आप मत करिये क्योंकि इसके काफी खराब परिणाम हो सकते हैं। और आपको जयपुर की जो सात लाख जनता है उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप पानी की व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप इन जयपुर की सात लाख जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं! बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ आप एक जिले पर 220 करोड़ रुपये का खर्चा अकाल के नाम पर कर रहे हैं, पर इधर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आज कलकत्ता मे पीने के पानी के लिए और गन्दे पानी के निकास के लिए 250 करोड़ रुपया लगाकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है इसी प्रकार बम्बई मे पचास वर्षीय योजना में गन्दे पानी के निकास और पीने के पानी की समस्या के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। पर हमारे यहां पर जयपुर राजधानी होते हुए भी कोई राज्य/राज्य सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय जहां पर एक तरफ राज्य सरकार डेजर्ट को डेवलप करने की बात कर रही है, सड़कों का विकास करने की

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बात करती है वहां जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है उसके गन्दे पानी के निकास के लिए और पीने के स्वच्छ पानी देने को आप तैयार नहीं हैं। आज आप फैक्ट्रीज में सस्ती दरों पर बिजली दे रहे हैं वहां पर आप जयपुर जिले के किसानों के कुओं पर बिजली देने को तैयार नहीं हैं। आज फसलें चौपट हो रही हैं और जयपुर जिले का काश्तकार बरबाद हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार ने स्लम्स क्लियरेन्स की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रख दी जिसके कारण राज्य सरकार को कुछ रकम यहां के स्लम्स क्लियरेन्स में लगानी पड़ी है, और उपाध्यक्ष महोदय, वह भी पूरी नहीं पड़ती है। आज तीस लाख रुपये से क्या हो सकता है ? जो प्लान्ट यहां लगाने के लिए घोषणा कर दी जाती है उसकी कभी भी क्रियान्विति नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय हमें थोड़ी ईर्षा होती है कि एक तरफ तो राज्य सरकार लगातार हर बजट में एक ही जिले में सिंचाई के नाम पर पैसा खर्च कर रही है और इस साल तो 300 करोड़ रुपये एक जिले में सिंचाई के लिये रखा है दूसरी ओर जयपुर जिले के लिये आपने एक करोड़ रुपया भी खर्च करने का प्रावधान नहीं रखा। इससे हम लोगों के मन में तकलीफ होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हम पानी के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि यहां पानी कहां से लावें? उपाध्यक्ष महोदय, मेजा बान्ध 17 साल पहले बना था और उस समय उस पर सिर्फ 75 लाख रुपये खर्च हुए थे। दुबारा आपने इस बांध के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये का प्रावधान रखा लेकिन आप इसमें दो-तीन फीडर्स से भरवाना चाहते हैं तो कैसे वह पूरा होगा? नतीजा यह हुआ कि वह फेल हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 67 में खण्डेला के अन्दर काफी बरसात होने की वजह से 12 व्यक्ति मर गये थे उस वक्त मुख्य मन्त्रीजी ने और वित्त मंत्रीजी ने यह आश्वासन सदन में दिया था कि वहां पर पानी इकट्ठा करके बान्ध बनाया जायेगा ताकि आइन्दा लोगों की मृत्यु नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए उस वक्त दो लाख रुपये सैक्शन किये इससे क्या हो सकता है। मैंने उसकी प्रगति के बारे में चीफ इंजीनियर महोदय से बात की, कहीं पर और वैसी ही घटना नहीं घट जाये, लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में कोई योजना सरकार ने नहीं रखी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज जयपुर जिला राजस्थान सरकार को रेवेन्यू की दृष्टि से 48 पर्सेन्ट रेवेन्यू अकेला जयपुर जिला राज्य सरकार को देता है लेकिन आर. ई. सी. की स्कीम्स के अन्तर्गत यहां पर बहुत ही कम काम हुए हैं। मैं तो यह कहूंगा कि बिलकुल ही नहीं हो रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। कई बार पानी के बारे में निवेदन किया और यह कहा गया कि अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड से पानी का सर्वे कराया जाय और चूंकि पानी नीचे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

चला गया है तो बिजली के कनेक्शन्स कुओं के लिए दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी के बजट भाषण के आंकड़ों को रात भर पढ़ता रहा सारा बजट पढ़ लिया पर राज्य सरकार ने किसानों को लोन देने के बारे में और बिजली देने के बारे में जयपुर जिले के लिए कोई राशि प्रदान नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज! आप दो माननीय सदस्य आपस में जोर से बोल रहे हैं, यह उचित नहीं है। आप इस तरह बोलें कि लोगों को जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं उसको सुना जा सके।

श्री श्रीराम गोटेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, आप फिक्र न करें मेरी आवाज काफी बुलन्द है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने कुछ जिले चुने हैं जिनमें आर. ई. सी. की स्कीम द्रुतगति से लागू की जावेगी। इसका तो स्वागत है, लेकिन आपने जो लीडिंग 6 बैंकों से लोन देने की व्यवस्था की बात की है उसमें आपने जयपुर के लिये क्या रखा? उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर का किसान जो कि राजस्थान के दूसरे किसानों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है वहां तो आपने कुओं की संख्या बनाने के लिए बिजली देने का जो प्रावधान रखा है वह है 4 हजार और सीकर जो कि उससे बहुत कम रेवेन्यू देता है वहां आपने 5 हजार कुओं को बिजली देने की बात की है इस प्रकार का सौतेला व्यवहार जब हम जयपुर वालों के साथ देखते हैं तो हमें मन में अफसोस होता है और हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आप इस प्रकार की कार्यवाहियां करके यहां की जनता को मजबूर करते हैं कि वह इसके लिये कदम उठाये। उपाध्यक्ष महोदय, जो काश्तकार ज्यादा लगान दें उसके लिये आप कोई प्रोत्साहन देने की बात नहीं करते और दूसरी ओर आप हिल्ली और डेजर्ट एरिया को डेवलप करने के लिए बोर्ड बनाने की बातें करते हैं। जो आपको 45 पर्सेन्ट रेवेन्यू देता है उसका आप विकास नहीं करना चाहते हैं जो कम खर्च में ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में पांच बुनियादी बातें हर भारतीय को मिलनी चाहिये वह है कि हर व्यक्ति को रोजगार, रहने को आवास, चिकित्सा-व्यवस्था और शिक्षा की सुविधा और उसके भोजन की व्यवस्था। यह भी आज आप लोगों को 26 वर्ष में उपलब्ध नहीं करा सके हैं सारा का सारा पैसा वहां पर खर्च कर रहे हैं जिसके कि फ्रूट्स आपको आज से तीस और चालीस साल बाद मिलेंगे और जहां आपको थोड़े पैसे में ज्यादा लाभ हो सकता है वहां पर आप कोई विकास के नाम पर खर्च नहीं करना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में आप यहां पर लोगों को कुछ समय पहले कहते थे कि हमारे पास बिजली बहुत है और हम किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि राजस्थान में 84 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है और 15 लाख यूनिट ओवर जनरेट करते हैं। आप चम्बल से ओवर जनरेट जो बिजली पैदा करते हैं अगर वह बन्द हो जाय तो कितनी खराब हालत उद्योगों की हो

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सकती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बिजली देने की क्षमता नहीं थी तो आपने लोगों में ऐलान कैसे कर दिया कि आपके पास बिजली अधिक है। आपके पास आपके लोगों को बिजली देने को तो है नहीं और आप दूसरे लगों को बिजली देने की बात करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब प्रधान मंत्री बांसवाड़ा आयीं थीं तब मेरे एक मित्र प्रेस पत्रकार ने बिजली के बारे में प्रश्न किया और वे सारा का सारा मसला प्रधान मंत्रीजी के पास बिजलो के बारे में रखना चाहते थे तो हमारे यहां के एक मंत्री महोदय ने यह कह दिया अभी उसका जिक्र मत करो। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आखिर आपके पास कितनी बिजली है और जो स्टेटमेन्ट आज पोलीटिकल लीडर्स राजस्थान की बिजली के बारे में देते हैं उसमें वास्तविकता कितनी है? इस सारी बात को प्रधान मंत्री के सामने नहीं लाया गया और आज स्थिति यह है कि चम्बल में यदि पानी कम हो गया तो गत वर्ष बिजली के लिये जो हालत थी, उससे भी बढ़ कर हालत खराब हो जावेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात थी और उस एरिया में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर भारत सरकार मदद करती है उस इलाके के बारे में नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं क्या उदयपुर से एक भी सीट शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेन्ट नहीं करती है? कल बजट भाषण में उल्लेख किया है, मुझे समझ में नहीं आया।

श्री चन्दनमल बैद : बनिये के बेटे का बजट समझ नहीं पाये आप?

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे यहां के किसी इलाके को शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में इन्क्ल्यूड नहीं किया गया है। सवाईमाधोपुर में, कोटा के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट की पूरी बस्तियां हैं। तीन-तीन पार्लियामेन्ट्री मेम्बर चुन कर जाते हैं। किस बात में उपेक्षा की गई है, मेहरबानी करके जवाब दें और हमें आप संतुष्ट करें जिससे हम कह सकें कि हमारे साथ भी न्याय हुआ है, ताकि जनता को सारी बात का जवाब भी दे सकें।

उद्योगों के बारे में आपने छूट दी, मैं उसका स्वागत करता हूं। गृह उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं जब जवाहरात के अन्दर लगे लोगों की बात करना चाहूंगा तो आप मुझे भले ही प्रतिक्रियावादी कह दें लेकिन जो सही हकीकत है वह तो मुझे निवेदन करना ही होगा। हमारे यहां पर 25 हजार आदमी जवाहरात के धन्धे में लगे हुए हैं। आपको सेलस टैक्स की वजह से 5 लाख की आमदनी होती है। इस सम्बन्ध में दो-दो हजार ढाई-ढाई हजार लोगों के बीच में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि बिक्री कर की वजह से यह दिक्कत आती है। सारा धन्धा ही चौपट हो रहा है। जो कारीगर, मजदूर, बीस-बीस रुपया रोज कमाते थे वे आज बिलकुल बेकार हैं और लगभग 25 हजार मजदूर इस प्रकार से बेकार हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि कोई विशेष प्रेशर न पड़ता हो तो आप इस रोजगार को ठप्प होने से बचा लें और गरीब मजदूरों के लिये रोजगार बना रहे इसकी व्यवस्था के प्रश्न को हल कर सकें तो हम

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। आप इसको इस दृष्टि से देखें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उद्योगों के बारे में मैं निवेदन कर रहा था। सदन में प्रश्न भी आया था। सीमेन्ट फैक्टरी लगाने की बात थी। छोटे उद्योगों के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इन्डस्ट्रीज के अधिकारियों ने छापे मारे, और फर्जी उद्योगों के बारे में जांच की और उनके लाइसेन्स कैंसल किये। नये आदमी राजस्थान में उद्योग लगाने आये और उन्होंने आपकी सब सुख-सुविधाओं का उपभोग किया और फैक्टरियां बन्द करके चले गये। आपके अधिकारियों की निगाह में ये सारी चीजें हैं और उनके साथ मिल कर धन्धा चलाते थे। राजस्थान में रोजगार देना चाहते हैं तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आप इन स्थानीय उद्योग-धन्धों को बढ़ायें, उनको पनपायें। जो भी कोई रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं उनको स्थिति यह है कि उनको छः-छः महीने आपके यहां चक्कर खाने पड़ते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में आर्गेनाइजेशन है इसके लिये उसी तरह का यहां भी ऐसा आर्गेनाइजेशन बनाया जाय, उसकी स्थापना की जाय ताकि उद्योग लगाने वालों को चक्कर नहीं काटने पड़ें और एक ही विन्डो पर उनका सब काम हो जाय, उनको जमीन भी मिल जाय, उनको पानी और बिजली की सुविधा मिल जाय और उनको अन्य मदद भी मिल जाय।

मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन की ओर से किराये पर देने की बात थी। नियम नहीं बनाये आपने। अव्यवस्था-सी है इस कारण। आप इसको दूर करें और इस ओर गौर करके सारा काम उनका करवाने के लिये आपको प्रयत्न करना चाहिये।

तीसरी बात और निवेदन करना चाहूंगा। पिछली बार भी सारी बातें कही गयीं। राजस्थान की लगभग 150 नगरपालिकायें हैं, जिनमें अनऑथोराइज्ड कब्जे हैं, तीन-तीन मंजिले जहां पर मकान बन चुके हैं। राजस्थान में लगभग एक लाख ऐसे केसेज होंगे जो कि आपके पास विचाराधीन हैं। आपने बहुत बढ़िया काम किया है कि आपने 5।। लाख परिवारों को जमीन के पट्टे दिये। यह बहुत अच्छा काम किया है। मैं शहरी बात तो बाद में करूंगा लेकिन गांवों की बात ही ले लीजिये। हजारों केसेज नगरपालिकाओं में पड़े हुए हैं, उनकी वजह से लोग अननेसेसरी परेशान होते हैं, चालान हुए पड़े हैं कम से कम आपको दस करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है। केस कम्पाउन्ड करके, पैनेल्टी लगा कर करोड़ों रुपया आप वसूल कर सकेंगे। इससे म्युनिसिपैलिटीज को साधन उपलब्ध हो सकेंगे। नगरपालिका क्षेत्रों की आप आज उपेक्षा कर रहे हैं, आपने कोई बजट में व्यवस्था नहीं की। आपके एक कदम से उनको अच्छी इनकम हो सकेगी और इसकी व्यवस्था आप चाहें तो कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करते हुए और माननीय वित्त मंत्रीजी को कहते हुए कि आप इस ओर ध्यान दीजिये, शिक्षा पर इस साल 72 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा है मैं उसका स्वागत करता हूं। उसके साथ यह भी निवेदन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

करता हूं कि हमारे यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा जो है वह 1 प्रतिशत है। कुल 19 प्रतिशत है। इसको देश के समकक्ष लाने में बहुत काम करना पड़ेगा और इसके लिये बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल मात्र यह कह दें कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, कर भार से मुक्त रखा है इससे काम नहीं चलेगा। आज आम आदमी डेवलपमेंट चाहता है। मूल में आगे बढ़ना चाहता है। इस कटु सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो लक्ष्य रखा है, उनको पूरा करने के लिये हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और अप्रिय बातें भी सहन करनी पड़ेंगी। आज राजस्थान देश के मुकाबले में एक कश्मीर और दूसरा आसाम को छोड़ कर नीचे के स्तर पर है। उसको उठाने के लिये उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा के लिये वाकई यह हमारे लिये शर्मनाक बात है कि 19 प्रतिशत ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 प्रतिशत ही। इस सारे काम के लिये तेजी से कदम उठाने पड़ेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो संतुलित बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये उनको धन्यवाद देते हुए पुनः यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के सामने जो यह अहम सवाल है उसके लिये साहस के साथ आगे आयें और उनको हल करने के लिये कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गोपालसिंह (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट सदन के सामने पेश किया है वह बहुत ही यथार्थवादी, सन्तुलित और युक्तसंगत है। किसी भी बजट का मूल्यांकन करते समय हमें जो आज की वस्तु स्थिति है उसका भी मूल्यांकन करना पड़ता है। साथ में जो आज हमारे साधन उपलब्ध हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा और साधन कम हैं तो प्रायोरिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा और प्रायोरिटीज के समय हमारे लक्ष्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आज जैसी स्थिति है चारों तरफ हम बहुत ही विकट दौर से गुजर रहे हैं। चारों तरफ अकाल छाया हुआ है। 19 हजार गांव अकाल की चपेट में है। कई हजार गांवों में खाद्य की कमी नहीं, लेकिन अगर वह है तो केवल नाम मात्र की है।

उद्योगों के नाम पर केवल एक-दो उद्योग हैं सिन्थेटिक का है और फर्टीलाईजर का है इनके सिवाय आपकी वृद्धि दर बहुत कम होती जा रही है इसके अलावा सामाजिक सेवायें भी प्रभावित हैं। हमारे यहां रॉ-मेटेरियल अवेलेबिल नहीं है। ऐसी स्थिति में जो कुछ साधन थे वो हमारे लक्ष्य पूर्ति के लिये उसमें दो प्रमुख है एक लक्ष्य तो गरीबी हटाना और दूसरा आत्म-निर्भरता। जो आज बजट पेश किया गया है वह बहुत अच्छा पेश किया गया है, बजट बड़ा सन्तुलित है और हमारी आज की आवश्यकताओं को देखते हुए यह सराहनीय है।

क्योंकि आज हम यह मानते हैं, हमारा बहुत बड़ा तबका कृषि पर आधारित है या कृषि से सम्बन्धित उद्योगों पर आधारित है इस बजट के अन्दर बहुत अच्छे प्रावधान हैं, बहुत अधिक पैसे रखे गये हैं। यह स्वाभाविक है इससे आगे चल कर स्थिति में फर्क आयेगा और कृषि के धन्धों में सुधार होगा। आज तक कृषि के धन्धे को वह अहमियत

(श्री भोपालसिंह)
नहीं मिली है जो मिलनी चाहिये थी। ज्यों ही आजादी हुई त्यों ही हमारा ध्यान औद्योगिक विकास की तरफ गया और हमने इस क्षेत्र को बहुत नेग्लेक्ट किया। नतीजा यह हुआ हमारी जो बहुत बड़ी आबादी इस पर निर्भर थी, उसका उत्थान नहीं हुआ और जो इन्डस्ट्रीज में पैसा लगाया वह वहीं पर खर्च हो गया और उसका आउट पुट ज्यादा न होने की वजह से अच्छे फल प्राप्त नहीं हुये। नतीजा यह हुआ लोगों की बढ़ती हुई आबादी के साथ में एग्रीकल्चर के अन्दर बराबर धान ज्यादा न होने से एक अभाव की स्थिति पैदा हो गई।

उधर इन्डस्ट्रीज के सैक्टर में कर्मचारियों का वर्ग बढ़ा, उनकी तनख्वाहें बढ़ीं। इस तरह बहुत सारा पैसा बाजार में आया और मांग बढ़ी। चीजों की मांग की बढ़ोतरी होने लगी और चीजें महंगी होने लगी और जिसने आगे चल कर मुद्रा स्फीति का रूप धारण कर लिया और यह यहां तक हो गया कि भाव बढ़ते गये और निरन्तर बढ़ते गये और पिछले सितम्बर से पहले कोई आशा नहीं थी कि कब तक बढ़ते चले जायेंगे—देयर इज गेलेपिंग इनफ्लेशन और नतीजा यह हुआ कि गरीब आदमियों की जो आय थी उसका ह्रास हो गया, उसकी क्रय शक्ति घट गई। इन्डस्ट्रियल इनपुट और कन्ट्रोल की वजह से रा-मेटेरियल की पूरी तरक्की नहीं हो रही है, पूरा काम नहीं चला और जो कुछ काम चला उसका पूरा रिटर्न नहीं निकल रहा है और उसके कारण कोई सैविंग्स नहीं हुई और नतीजा यह हुआ देयर इज नो रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट इन दी इन्डस्ट्रीज। इस तरह स्टेगनेशन की स्थिति कायम हो गई और जब यह स्टेगनेशन हो गया तो स्केयरसिटी की स्थिति बन गई और वस्तुओं की बाजार में कमी आई और इस तरह भाव और बढ़ गये और उनकी उस तरफ जो क्रय शक्ति थी उसका ह्रास और हो गया, सैविंग कम हो गई और इस तरह का एक विसियस सर्किल हो गया और आज हम उससे गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है जो देश का प्राइमरी सैक्टर है उसको मजबूत किया जाय और उस तरह के साधन जुटाये जायं, मैं देखता हूं वह इस बजट में युक्तिसंगत है लेकिन उसी के अन्दर एक कमी आज तक रही है। जितने भी विकास से फायदे हुये हैं, उन फायदों का नतीजा नहीं के बराबर हुआ है या फिर जो विकास हुआ है उसका फायदा बहुत ही कुछ लोगों, बहुत ही रिच तबके के लोगों को, बहुत ही रिच किसानों को हुआ है।

आज प्रोडक्टिव इर्रीगेशन इनपुट की जो थ्योरीज हैं उसको लेकर जितने साधन हैं एग्रीकल्चर के सैक्टर में यह खुशहाल लोगों को प्राप्त हैं और खुशहाल इलाकों को प्राप्त हैं। इसलिये असंतुलित इलाकों और सन्तुलित इलाकों के बीच में, किसानों और किसानों के बीच में हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ कुछ लोग बहुत धनवान हो गये और क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया। जितनी पैदावार होनी चाहिये थी वह नहीं हुई।

आज वैज्ञानिकों ने यह माना है कि जितने साधन हैं उसको ज्यादा से ज्यादा स्तर पर एक्सटेन्ड करें तो उसका असर ज्यादा क्षेत्रों में पहुंचेगा बजाय इसके कि हम बड़े-बड़े किसानों को देकर मैकेनाइज्ड फार्मिंग करायें, जिसमें इन्टेन्सिव इनपुट्स

(श्री भोपाल सिंह)

की जरूरत होती है, जहां फार्म क्षेत्र बहुत बड़ा होता है-। वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। मेक्सिको और फिलिपाइन इन दोनों में जो कैपिटल इन्टेंसिव की कमी है, जो उससे पैदावार है व साउथ कोरिया, तावान और इजिप्ट के बराबर है। उसमें यह साफ जाहिर है कि केपिटल इन्टेंसिव तरीके अपनाये गये हैं वहां पैदावार प्रति यूनिट कम है, हमारा प्रोडक्शन कम होता है। और जहां लेबर इन्टेंसिव तरीके अपनाये गये हैं वहां पैदावार ज्यादा होता है। इस तरह वहां जो विकास हुआ चाहे इर्रीगेशन के साधन से हुआ हो, चाहे पावर के साधन से हुआ हो जितना इनफ्रास्ट्रक्चर मिला फर्टीलाइजर के रूप में वह एक तबके को, एक खुशहाल इलाके को हुआ है, दूसरों को नहीं पहुंचा है। इसलिए जितनी उन्नति हमारे यहां होन चाहिये थी वह नहीं हो पाई है। इसलिये यही जरूरी है कि इसको करेक्ट करना चाहिये।

आज जो कदम उठाये जा रहे हैं कि उन इलाकों में, जहां पर बरसात पर ही हमारी खेती आधारित है, वहां पर अब पैसा खर्च करके जो पानी मिलता है इर्रीगेशन के जरिये, माइनर इर्रीगेशन के जरिये, मंझली इर्रीगेशन की स्कीम्स के लिये और डेयरी के विकास के लिये, शीप के विकास के जरिये जो काम चल रहा है उसमें अभी बहुत गुंजायश है। इस तरह जो गरीब तबका उनको बहुत सहायता मिलने वाली है, उस हद तक इसमें लाभ होगा।

जहां तक बजट के अन्दर सामाजिक सेवाओं का सम्बन्ध है काफी अहमियत दी गई है। किसी भी देश में जहां गरीबी हटाने की बात कही जाती है और समाजवाद की बात कही जाती है वहां पर सामाजिक सेवायें एक ऐसी चीज हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि हम समाजवाद की तरफ प्रगति करते हैं या नहीं करते हैं। जो आज कुछ बजट के अन्दर यह कहा गया है कि रूरल सेक्टर में मोबाइल यूनिट और विशेषज्ञों के जरिये लोगों की हैल्थ, चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधायें उपलब्ध होंगी, उसका मैं स्वागत करता हूं।

इसी तरह से एजूकेशन में भी कुछ बढ़ाने की बात कही गई है उसका भी स्वागत है। और इसके साथ ही साथ जो एक दो बातें और हैं जिनको मैं कहना चाहता हूं। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में निवेदन करूंगा। औद्योगिक क्षेत्र की जब हम तरक्की की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि कम से कम हमारे को एक तो रा-मेटिरियल उचित मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए और उसके साथ में उनको सेविंग करने का मौका मिलना चाहिए। उसके लिए सेंट्रल बजट में प्रावधान है, टैक्स होलीडेज का भी प्रावधान है। इसी तरह से एक वातावरण दूसरा होता है कि कहां तक उद्योगों का आगे बढ़ावा हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसके साथ लेबर रिलेशन को भी सुधारने की बात है। आज जो वेज स्ट्रक्चर है उसमें भी सुधार होना चाहिए। वेजेज का धरातल मिनिमम वेजेज को ध्यान में रख कर तय करना चाहिए। वहां पर सीलिंग की तरफ प्रोडक्शन से जोड़ना चाहिए और हमारे देश के अन्दर जहां पर

(श्री भोपाल सिंह)

विकास की बात है हमने बहुत कुछ साधनों से जोड़ रखा है। वहां पर लेबर को उतना नहीं देना चाहिए। जो उनका प्रोडक्शन हो। कुछ उसमें से बचाना चाहिए। बचा कर सेविंग के रूप में या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या उसको कंज़ूमर को राहत पहुंचाना चाहिए क्योंकि जैसे सोवियत एशिया वगैरा में है वहां पर रेग्यूलरी वेजेज हैं, जितनी सेविंग जरूरी है वह काट लेते हैं और उसके बाद जो कुछ बचता है वह दिया जाता है। अगर यह नहीं हुआ तो सेविंग की कमी होगी। आज भी लेबर की कहीं, किसी किसी जगह में और किसी किसी विभाग के अन्दर बहुत वेजेज बढ़ा दी गई हैं। वेज आयलेंड हो गए हैं जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है। दूसरी बहुत जगहों पर इतना नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी तरफ भी दृष्टिपात करने की जरूरत है और इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए।

थोड़ी सी बात मैं अपने जिले के बारे में भी कहना चाहता हूं। जिला जैसलमेर के अन्दर फिर अकाल की स्थिति बनी हुई है। पिछले दस साल के बाद एक साल के बाद एक साल अच्छा आया और बरसात 15 अगस्त को हुई जिसकी वजह से हमारे वहां खेती तो नहीं हो सकी लेकिन ग्रास का उत्पादन बहुत अच्छा हो गया। लोगों ने मवेशी के आधार पर अपना जीवन निर्वाह सुख से निकाला। साथ में दस साल के कर्जे, लगान वगैरह वह सब इकठ्ठा हो गया था उसको भी हमने एक साल के अन्दर अस्सी लाख के रूप में इसके द्वारा अदायगी की। इस तरह से दस साल से हम जो प्रभावित थे अकाल से, हमारी क्रय शक्ति बिल्कुल घट गई थी और ह्रास हो चुकी थी उस पर यह हमारा अस्सी लाख का कर्जा चुकाना पड़ा जिसकी वजह से हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। जब यह साल निकला तो फिर अकाल आ गया, ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गई। दूसरा कृषि प्रधान इलाकों में जहां खेती नहीं होती वहां केवल उदर पूर्ति का ही सवाल रहता है लेकिन जैसलमेर जैसे पशु प्रधान इलाके में और दूसरे पशु प्रधान इलाकों में उसकी दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तो अपने लोगों की उदर पूर्ति करनी होती है वहां पर अपना पशु जो कि भविष्य के लिए उसका आर्थिक विकास का आधार है उसको भी बचाना होता है। हमारे लिए इस साल राजस्थान केनाल पर कुछ कार्य करने की बात कही गई है और यह नीति बनाई गई है कि उपयोगी काम हैं उन्हीं को हाथ में लिया जायगा। हम इसका तो स्वागत करते हैं। हमें कहा गया है कि लोग वहां पर काम के लिए जावें और कुछ लोग गए भी हैं। तीन चार हजार लोग ढाई तीन सौ मील की दूरी पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जहां पर पशु होते हैं वहां पर मोबिलिटी पशुओं से सीमित होती है। वह लोग इस तरह से मोबाइल नहीं होते जिस तरह से कि इंडस्ट्रियल लेबर या अरबन लेबर हो या एग्रीकल्चर लेबर हो। हम लोग जो वहां बसते हैं, हमारे पशु को बचाने के लिये जरूरी है कि जहां पर अच्छे पाश्चर हों वहां पर रख कर किसी तरह से इस साल पशुओं को बचा लें तो आगे के लिए हमारा आर्थिक आधार बन जाता है, आर्थिक ढांचा रह जाता है जिसके

Page No 59

(59)

(श्री भोपाल सिंह)

जरिये हम आगे निर्वाह कर सकते हैं। इस लिए हमारा मूवमेंट सीमित है और वहां पर अब लोग जाने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उन लोगों के लिए जिनकी दो तरह की जिम्मेदारी हो गई है, दो तरह का भार लिए चल रहे हैं, उनके लिए जैसलमेर के अन्दर कार्य जल्दी खोलने चाहिये। आज तक कोई राहत कार्य नहीं शुरू हुए हैं। अगर एक दो सड़कें योजना के अन्तर्गत खोली गई हैं तो वहां लेबर ओरियेन्टेशन नहीं होने की वजह से वहां पर कुछ मजदूर लगे हुए हैं जो सैंकड़ों में भी नहीं हैं। स्थिति बहुत गम्भीर बनी हुई है। धान छः किलो हमको मिलता है। हमारे वहां पर हम लोग 11 साल से, सन् 65 से, जबकि पाकिस्तान ने हमला किया उसके बाद से हमेशा राशनिंग के आधार पर रह रहे हैं, छः किलो बहुत ना काफी है। दूसरा कहीं बाजार के अन्दर फ्री तरह से कोई धान उपलब्ध नहीं है और उसके अन्दर भी कुछ मात्रा बढानी चाहिए। पहले एक दफा हमारे केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्री पधारे थे, उन्होंने हमारी स्थिति देखी और एक विशेष स्थिति को देख कर एक दफा 12 किलो तक दिया। उसके बाद दस किलो मिला, एक दफा आठ किलो मिला आज की स्थिति में हम बारह किलो की या दस किलो की मांग तो नहीं कर सकते और छः किलो से निर्वाह करते हैं। लेकिन अब जब कि हम अस्सी लाख रुपया कर्जा देकर और 1 लाख 30 हजार की पापूलेशन ने अस्सी लाख के कर्ज का भार उठाया है जब कि पास में ही बाड़मेर जिला है जहां पर आठ लाख की आबादी है वहां पर भी अस्सी लाख दिया है। इस तरह से पर केपिटा बहुत बड़ा कर्जा अदा किया और अकाल की वजह से क्रय शक्ति बिल्कुल घट गई है। उसकी वजह से फ्री मार्केट में इतनी ऊंची कीमत देकर धान खरीद भी नहीं सकते हैं, यह विशेष स्थिति है। दूसरा नजदीक में भी कहीं धान नहीं है और पहले हम लोग पाकिस्तान से भी ले आते थे लेकिन वह स्थिति भी अब बन्द हो गई। पाकिस्तान से हमारे रिलेशन्स बिगड़ जाने के बाद उधर भी नहीं जा सकते हैं। बाड़मेर जिले में इतनी बड़ी धांधली है कि कलेक्टर महोदय, वहां पर अगर कोई धान लाना चाहें तो, लाने नहीं देते, फ्री मूवमेंट नहीं है। इसलिए हमारी स्थिति एक विशेष स्थिति है। कुछ समय पहले सवाल उठा था और ऐसी भी बात लगी कि जैसे जैसलमेर को बहुत कुछ दिया जाता है और दूसरे जिलों को कुछ भी नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले की स्थिति बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल विशेष स्थिति है और बड़ी असाधारण स्थिति है। उसके अन्दर जो कुछ भी दिया जा रहा है वह ना काफी है लेकिन पूरे इलाके के अन्दर ही धान की कमी है उसको देखते हुए हम जैसे भी हो, चला रहे हैं। इसके अलावा जो गायें हर साल फेमिन के वक्त बाहर चली जाती हैं उनके लिए एक वैधानिक स्थिति में भी सरकार को चाहिए कि मदद दे। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत भी यह है कि जब अभाव की स्थिति हो तो सरकार का यह फर्ज है कि उन लोगों को राहत पहुंचाये।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

(श्री भोपाल सिंह)

गायों की स्थिति जिसमें आम तौर पर किसी तरह से लोग घास तो ले लेते हैं लेकिन पिछले साल क्योंकि अच्छी बरसात हो गई तो सभी गायें गर्भवती हो गई, दुधारू हैं। वह गायें बिना किसी फीडिंग और कंसन्ट्रेट के बच नहीं सकतीं। लाजमी है कि जिस प्रकार से गत अकाल की स्थिति के अन्दर व्यवस्था की है उसी हिसाब से इस बार भी कंसन्ट्रेट देने की व्यवस्था करनी चाहिये। नहीं की तो यह गायें जो पिछले दस साल के अन्दर बहुत बड़ी मात्रा में सरकार ने पैसा खर्च करके सब्सडाइज्ड ग्रास देकर कंसन्ट्रेट के रूप में और लोगों को राहत कार्यों पर लगा कर उस तरह से परचेजिंग पावर पैदा हुई और गायों को बचाया है, अगर ये गायें मर जाती हैं, जैसलमेर में अगले साल बरसात भी हो जाती है तो हम खेती तो पैदा नहीं कर सकते, हमारे वहां पर खेती नहीं होती और सरकार ने भी यह बात सिद्धान्त रूप से मान ली है कि जैसलमेर में खेती करना हो नहीं सकता, हल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और पशुओं पर ही हमारा जीवन निर्भर है, इस लिए पशुओं को बचाने की अत्यन्त ही जरूरत है। अगर यह पशुधन एक दफा खत्म हो जाता है तो वापिस कहां से पैदा होगा? थारपारकर नस्ल पिछले अकाल की स्थिति में पेरिश हो गई और आज कुछ एक बहुत अच्छी किस्म, केन्द्रीय ब्रीडिंग फार्म, सूरतगढ़ को चाहिए थी।

वे यह चाहते थे कि थारपारकर नस्ल की गायें उनको मिल जाएं परन्तु उस नस्ल की गाएं उनको नहीं मिलीं। चांदपुर फार्म के पास उन्हें ऐसी 100 गायें मिलीं। इस प्रकार से यह नस्ल खत्म हो रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जो राष्ट्रीय धन समाप्त हो रहा है, उसको बचाया जाए और उनके concentrate की भी सुविधा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण सुनने पर जो मानसिक प्रतिक्रिया हुई वह तो अपने आप में एक असहनीय पीड़ा थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस संसार की कोई भी भाषा इतनी समृद्ध नहीं है कि मन के हर उद्‌गार को शब्दों में व्यक्त किया जा सके। इस बजट को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किस प्रकार से फ्राड किया गया है। किस तरह से पूर्वी राजस्थान के साथ एक नेग्लेक्ट व्यू अपनाया गया-है और इससे कुछ स्थितियां उत्पन्न हुई है, उनको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मजबूरी के जो भी शब्द उपयुक्त हैं, उन्हीं के द्वारा मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको हम हिल्ली डेजर्ट एरिया का बजट कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। आज राजनीतिक तरीके से, गत 27 सालों से पूर्वी राजस्थान का शोषण हो रहा है। इसको आप देखें तो आपको स्पष्ट हो जायगा। रेगिस्तान और हिल्ली एरियाज में रहने वालों के साथ मेरी हमदर्दी है। मेरी हमदर्दी है कि उनका विकास किया जाये परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि उनका विकास करते

(श्री मूलचंद सामरिया)

समय पूर्वी राजस्थान के लोगों को कतई भुला दिया जाए और इस इलाके का, खास तौर से जयपुर डिविजन को नेग्लेक्ट कर दिया जाये जो कि रेवेन्यू का 48 परसेन्ट राज्य को देता है। इसके बदले वहां पर कोई योजना न हो, कोई विकास का कार्य न हो, और तो और, जो आश्वासन दिए जाते हैं उनकी भी राज्य सरकार परवाह नहीं करती है। इस तरह की मनःस्थिति में, मैं यह समझता हूं कि यह सारा जो बजट पेश किया गया है यह राजस्थान के डिविजन करने के लिए पेश हुआ है। यह इस बजट के पेश होने से प्रतिक्रिया हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो लोग पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के टुकड़े करने की बात करते हैं उनकी दलीलों को बजट परिपक्व करता है कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का एक साथ रहना घातक होगा और उनमें क्लेश पैदा करेगा। पूर्वी राजस्थान टैक्स देगा और उसका यूटिलाइजेशन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, राजनैतिक वर्चस्व को कायम रखने के लिए, पूर्वी राजस्थान की कमियों का फायदा उठाते हुए, पश्चिमी राजस्थान में लगा देना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार मेरी इस चुनौती को स्वीकार करती है कि 27 वर्षों में जितना आय-व्यय हुआ है, उसका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और वह कमेटी यह निष्कर्ष निकाले कि वास्तव में कितनी इन्कम पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान से आती है और उसमें प्रति वर्ष कितना व्यय उन दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। यह नतीजा निकाला जाए कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लोगों की सुख-सुविधा, विकास, उनकी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति और उनके रहन-सहन को ऊंचा करने के लिए कितना कितना खर्च किया जाता है। अगर कमेटी की रिपोर्ट सामने आ जावे तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार अपने आप में असमर्थ होगी उन आंकड़ों का जवाब देने के लिए। जिस तरह का नेग्लेक्टेड व्यू पूर्वी राजस्थान के साथ बरता गया है, वह साफ है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह से देखा जाए तो इस बजट को दो टुकड़ों में बांटा गया है। एक टुकड़ा है आय के साधनों का। पूर्वी राजस्थान बराबर अपना हिस्सा देता रहा है और जो भाग है खर्च का, उस खर्च के मद को संतोषजनक तरीके से वित्त मंत्री महोदय ने नहीं बांटा है। पूर्वी राजस्थान के लिए सिंचाई की कोई परियोजना नहीं है, विद्युत के लिए कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया गया है, उद्योगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं। इसके बावजूद भी हमारे वित्त मंत्री पूर्वी राजस्थान से टैक्स वसूल करना वाजिब मानते हैं। एक तरह से मजबूर करते हैं कि यहां के लोग टैक्स देते रहें और इस कर की रकम को वे मनमाने तरीके से जहां चाहें खर्च करते रहें। यह कैसी विडम्बना है। पूर्वी राजस्थान के लोग कमजोर हैं। आज हमारे ऊपर ज्यादतियां हो रही हैं। आज हमें जनता के प्रति वफादार होना चाहिए। अगर आज हम यह समझें कि हमें अपनी जनता की परवाह है, तो पूर्वी राजस्थान के जितने भी लोग यहां पर हैं, उन्हें बजट पेश होने के समय कह देना चाहिए था ताकि वित्त मंत्री दुबारा रिवाइज्ड बजट पेश करते जिसमें पूर्वी, पश्चिमी राजस्थान का बेलेन्स्ड बजट होता। मैं यह निवेदन

(श्री मूलचंद सामरिया)

करना चाहता हूँ कि यह बजट क्षेत्रीय असन्तुलन को बढाएगा जिससे राजस्थान के दो टुकड़े करने वाले लोगों को उनकी मांग का आधार मिल जाएगा और यह बजट "डिविजन आफ राजस्थान बिल" के रूप में माना जाएगा। पूर्वी राजस्थान की जनता को विवश होकर, उसके ऊपर हो रही ज्यादतियों के विरुद्ध, सरकार से अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन का सहारा लेना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को पेश करते समय यह कहा गया कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय यह भी एक फ्राड है। करीब 12 तरह के कर पहले ही सरकार ने लगा दिये हैं जिससे आगामी वर्ष में सरकार को 28.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। इस तरह के टैक्स सरकार ने कुछ ही महीने पहले अध्यादेशों के जरिए जनता पर लगा दिये हैं और उसके बाद विधान सभा में भी राज्य सरकार की डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सी रहती है और कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ एक्शन होता है। बहुमत के आधार पर सरकार अवैधानिक कार्य करती है। इसके बावजूद भी यह कहने की हिम्मत करना कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, तो जो 28.40 करोड़ के टैक्स हैं ये क्या हैं? ये सारे के सारे टैक्स गरीबों पर लगे हैं और ज्यादातर किसानों पर लगे हैं। सिंचाई की दरों में जो वृद्धि की गई है, उसका भार किसानों पर होगा। विद्युत दरों में जो वृद्धि की गई है, उसका भार भी किसानों पर होगा। इसके अलावा अकाल के नाम पर जो टैक्स लगाये गये हैं उससे किसान और गरीब प्रभावित होगा। मोटर वाहनों पर जो टैक्स है उससे गरीब लोग प्रभावित होंगे। मनोरंजन कर भी आम जनता पर ही लगा है। आबकारी शुल्क में जो संशोधन किया गया है, वह टैक्स नहीं है तो क्या है? क्या सुविधा आपने इसी बजट के जरिए दी है? क्या करों में कटौती की है? जनता को कोई राहत नहीं पहुंचायी गयी है। राक फासफेट की कीमत भी सरकार ने बढ़ाई है। इसका ताल्लुक खाद से है जो किसानों के काम आती है। इनडाइरेक्टली किसानों के आर्थिक स्थिति पर प्रहार किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भाड़े में असाधारण रूप से वृद्धि की है। यह टैक्स नहीं है तो क्या है? इस तरह से पीने के पानी की दरों में वृद्धि की गई। यह भी एक प्रकार का जनता पर टैक्स ही है। इस तरह से बिजली की दरों में वृद्धि एक प्रकार से टैक्स है। किसानों की आय पर भी आपने सीधा ही टैक्स लगा दिया है उनको भी मजबूर किया गया है कि वे इस प्रकार की फसलें बोयेंगे तो टैक्स देंगे व गेहूं बोयेंगे तो लेवी देंगे। दो सौ रुपये की मार्केट वेल्यू वाली फसल को आप 105 रुपये में लेते हैं। इस प्रकार राज्य सरकार ने उनके कार्य में हस्तक्षेप किया है कि अन्य फसल बोने पर टैक्स लगा दिया जायगा। यह एक प्रकार से स्वतंत्र कृषि व्यवसाय में रुकावट है। उनको मजबूर किया गया है कि यह-यह फसल बोयी जाए, यह-यह न बोयी जाए। अमुक फसल बोने पर टैक्स है व अमुक पर लेवी है। अमुक काम करने पर यह पाबन्दी है।

अभी कुछ समय पूर्व कृषि मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो खाद है उसका वितरण अग्रिम भुगतान सिस्टम पर होगा।

(श्री मूलचंद सामरिया)

उसका भी एक तरीका आने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, जो मालदार किसान होगा जिनके पास सरप्लस मनी बचती है, अपनी आवश्यकता से ज्यादा खर्च करने की कैपेसिटी में होंगे वह लोग पैसा जमा करा देंगे और जो मार्जिनल किसान और गरीब किसान हैं जिनकी वकालत आप करते हो उनको खाद लेने में भी दिक्कत होगी। इस प्रकार जो बजट में नये टैक्सेज लगाये हैं वह 28.40 करोड़ के टैक्सेज लगाये हैं। उनका भार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसान और गरीबों पर ही पड़ता है और मालदार लोगों पर इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय इस बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने सबसे बड़ी झुंझलाहट पैदा करने वाली बात जो कही वह शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्स की बात कह कर इस सदन में यह दिखाने की कोशिश की है कि शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्स की सामाजिक स्थिति सुधरेगी, उनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो जायगा। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, मेरी मजबूरी थी इस किताब को मैंने पूरा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि यह काली किताब है और इसको हाथ लगाने से भी हाथ काले हो जाते हैं और इसका असर कपड़े पर हो सकता है। जैसा बजट पेश किया है उसी तरह की यह किताब है। इसका रंग छूटता है इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा सकता।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने इसका असली रूप नहीं देखा है जो कि दूसरा है। यह रंग हट जायगा और इसका असली रूप सामने आ जायेगा।

श्री शंकरलाल (पाली) : इसका अदृश्य रूप है। जैसी दृष्टि से देखोगे वैसा ही रूप दिखेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : हाथ लगाकर देखिये इस काली किताब को।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हाथ नहीं लगाया है, जीभ लगाई है।

श्री मूलचन्द सामरिया : शहद लगा कर तो आप ही चाटें। इस बजट में इस तरह की कोई बात नहीं है न आगे का प्रोग्राम है। एक परम्परागत दिशाहीन बजट पेश कर दिया है जो कि सेक्रेटरी ने लिख कर दे दिया है उसको पढ़ दिया है। आपको यह मीठा लगता है तो आप ही इसको शहद लगा कर चाटें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की उन्नति के लिए बहुत सी बातों की घोषणा इसमें की है। इसमें पहले तो यह कहा गया आवास भूमि के पट्टों के बारे में कि हमने एक कीर्तिमान पैदा कर दिया है। संसार के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि की घोषणा की है हमने आदिवासियों को बड़े बड़े नालों में, नदियों के किनारे, पहाड़ों पर, पहाड़ की तलहटी में, गैर-मुमकिन तलाइयों में, गैर-मुमकिन श्मशान में, जहां भी जगह थी, जिन पर या तो उनका कब्जा था या वह जगह ऐसी थी जो कि किसी के काम

(श्री मूलचंद सामरिया)
में आ नहीं सकती थी तो उसका कोटा पूरा करने के लिए वह जगह 45 बाई 30 के प्लाट काट कर उनको एलाट कर दी, और वह इतनी बड़ी जगह है, माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूं कि अगर मंत्री महोदय अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज बनायें तो नहीं बना सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि वह पिजन होल्स बनाने के लिए जमीन दी गई है या इन्सान के लिए। वह कहां तो कमरे बनायेगा, कहां किचन बनायेगा, कहां पर लेट्रिन बनायेगा, किस जगह पर बैठेगा, किस जगह पर सोयेगा। इन तमाम बातों को ध्यान में न रख कर चूंकि यह तय कर दिया कि अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को पट्टे 26 जनवरी तक देने थे वह दे दिये और उन पट्टों को देकर आप यह सोचें कि आपने गरीब वर्ग के लोगों के लिए बहुत क्रान्तिकारी कदम उठाया है, मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। न तो इससे क्रान्तिकारी परिवर्तन उनके रहन-सहन में होने वाला है, न इससे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन उनकी आर्थिक स्थिति के सुधरने में होगा, न कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने में होगा। किसी को 45 बाई 20 का प्लाट देकर आप आवास की समस्या का हल निकलना समझते हैं तो यह एक धोखा है।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली में 150, 200 गज में अच्छे मकान बने हैं। आप दिल्ली में देखिये कि 150 और 200 गज में बहुत बढ़िया मकान बने हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : दिल्ली में मकान 10–5 मंजिल ऊपर तक बनते हैं। यहां इन पर मकान कैसे बनेंगे ? दो-दो कोठड़ियां बनने के बाद...

श्री शंकरसिंह रावत : यह स्कीम, मूलचन्दजी, पसन्द आयेगी आपको भी। आप भी आने वाले हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप सबको मिला कर कांग्रेस इज इक्वल टू जीरो। क्या आप सभी को ऐसा बनाना चाहते हैं। आप और मेरे आने से कोई विरोध खत्म नहीं होता है। आपकी तानाशाही प्रवृत्तियों से आपके खिलाफ वातावरण बन रहा है। राजस्थान के लोग कांग्रेस को नहीं चाहते हैं। जिन लोगों को जनता ने विरोध में भेजा उन लोगों को भी आपने ले लिया...

श्री शंकरलाल (पाली) : यह उनको समझना चाहिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसलिए कहा था कि...

श्री शंकरसिंह रावत : जनता ने कहा कि वहां पर बैठो नहीं तो मुश्किल हो जायगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : जनता ने कहा कि आप इन लोगों से मिलेंगे तो आपकी भी वही हालत हो सकती है। हम ऐसा सुनते हैं। इसी लिए आप वहां पर बैठे रहिये। विधान सभा में आ गये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर 184 आये हैं और 184 ही आपकी तरफ बैठ जायं तो यह 184 ही राजस्थान की जनता नहीं है। राजस्थान की पौने तीन करोड़ जनता अलग है। कोई मिनिस्टर बन

(श्री मूलचंद सामरिया)

जाता है तो समुद्र की तरह हो जाता है और मिनिस्टर नहीं बनता है तो तलाई हो जाता है ।

एक माननीय सदस्य : आप तो कुए के मेंढ़क हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपका तो दायरा ही नहीं है । आपको मैं मेंढ़क भी मानने को तैयार नहीं हूं ।

श्री शंकरलाल (पाली) : यह सारी बातें बजट से सम्बन्धित नहीं हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप छेड़ेंगे तो जवाब देना ही पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : आप कोई वह हैं कि आपको छेड़ेंगे ?

श्री मूलचंद सामरिया : कतई नहीं । शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो कुछ कहा है, मकानों के बारे में तो मैंने निवेदन किया है । कई बार, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है शिड्यूल्ड कास्ट के नौकरियों के रिजर्वेशन के बारे में । नौकरियों में रिजर्वेशन की बात है, शिक्षा में भी उन लोगों को कुछ रिजर्वेशन लेने और प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन दे देते हैं, लेकिन यह व्यवस्था अपने आप में अपर्याप्त है । इस लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा यह देखा है कि अगर म्युनिसिपैलिटी, जिनमें सफाई करने वाले, लेट्रिन्स और यूरिनल्स की सफाई करने वाले कर्मचारियों की संख्या जोखों ला की तादाद में है, हर नगरपालिका में हैं, यदि उनको कम कर दिया जाय तो यह 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन न रह कर 10-12 पर्सेन्ट होता है, और जो हायर सर्विसेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो हायर जुडिशियल सर्विसेज हैं, उनके बारे में एक क्वेश्चन के द्वारा यह जानकारी मैंने चाही तो यह राजस्थान के लिए खास तौर से बड़ी शर्म की बात है कि इन कास्ट व ट्राइब्स दोनों में से एक में भी एक भी व्यक्ति राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज में नहीं है और जिन लोगों के बारे में आप यह दावा करते हैं कि उनके रहन-सहन का स्तर, उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ रहा है तो आप धोखे में हैं । यह मिसाल मैंने आपके सामने इसीलिए दी है कि आप इस मुगालते में न रहें कि कितना स्तर शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आपने ऊंचा किया है ।

इसके अलावा अगर आप यह सोचें कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आप जमीन देते हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जमीन का एलॉटमेंट 15 बीघा से ज्यादा किसी भी हालत में किसी को नहीं हुआ है । एक-एक, दो-दो बीघा, तीन-तीन बीघा आप उस परिवार के नाम एलॉट कर देते हैं जो परिवार 10, 12 और 15 आदमियों का होता है और वह जमीन जो 15 बीघा से कम आप दस-बारह आदमियों के लिये देंगे तो कैसी देंगे, कंकरीली, पत्थरीली, ऊंची-नीची जिस पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है और जो बिल्कुल वेस्ट लैंड है उसको अलॉट करते हैं । फिर उसके बाद भी दस-दस साल तक जबकि

(श्री मूलचंद सामरिया)

अलाटीज को खातेदारी अधिकार मिल जाने चाहिए, लेकिन आपकी मशीनरी ऐसी है कि उसको दस-दस साल तक चक्कर लगाने पर भी और परेशान होने पर भी उसको एक्चुअल पजेशन नहीं दिला पाती और वे बेचारे मुकदमेबाजी में फंसते रहते हैं, अपने पैसे बरबाद करते हैं, भूखों मरते रहते हैं और मुकदमेबाजी में अपना सर्वस्व स्वाह कर देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूं कि कास्ट और ट्राइब्स की सामाजिक अवस्था सुधारने की दृष्टि से उनका जीवन स्तर उन्नत करने की दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और सभी प्रकार से यदि आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है। लेकिन आप कभी नहीं चाहते कि वे स्वावलम्बी बनें, वे अपना भार स्वयं संभाल सकें और अपने पैरों पर खड़े रहकर आपके मोहताज नहीं बनें, आप पर किसी प्रकार से आश्रित नहीं रहें। जब तक इन लोगों की मजबूरियां बनी रहेंगी, जब तक इनमें अभाव की स्थिति कायम रहेगी, इनमें सुधार नहीं होगा तब तक आप इनकी मजबूरियों का लाभ उठाते रहेंगे और वोट हासिल करते रहेंगे लेकिन जिस दिन ये लोग स्वावलम्बी बन जायेंगे, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो जायेंगे और अपने आपको समझने लग जायेंगे, अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को समझने लग जायेंगे उस दिन से आपको वोट देना बन्द कर देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप इनको आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र बनाने की इच्छा रखते हैं तो क्या कारण है कि आप इनको उद्योग धन्धों में रिजर्वेशन नहीं देते हैं, छोटे-छोटे उद्योग धन्धों में और बड़े-बड़े उद्योग धन्धों में 28 पर्सेन्ट का रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं, कुटीर उद्योगों में और अन्य उद्योगों में उनको रिजर्वेशन देकर, सुविधायें देकर, उनका एक स्वतन्त्र अस्तित्व बनाने के लिये कानून क्यों नहीं बनाते हैं? लेकिन आप रिजर्वेशन देते हैं सेठों को, बड़े-बड़े सेठों को जो आपको करोड़ों रुपया चन्दा देते हैं और फिर आपसे परमिट, लाइसेंस वगैरह उनको कम कीमत और रिआयत पर सामान मिलने हेतु, मिलता है फिर वे चीजों को मनमाने तरीके से मनमाने भावों पर बेच कर जनता का शोषण करते हैं। क्यों नहीं आप यह सुविधायें गरीब लोगों को और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देते हैं। उनको सुविधायें देने से आज जो समाजवाद का ढोंग कर रहे हैं उसको भी पूरा किया जा सकता है और वे समझने लगेंगे कि समाजवाद आने से गरीब लोग आगे बढ़ सकेंगे। यह नहीं कि आपने किसी को 100 रुपया छात्रवृत्ति दे दी, कोई नंगा है तो उसको कपड़े का टुकड़ा दे दिया या और कोई छोटी मोटी सुविधा देकर आपने उसकी मजबूरियों का फायदा उठाया। इस प्रकार से तो वे कभी सक्षम नहीं होंगे, कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे और आप उनका शोषण करते रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको उद्योग धन्धों में संरक्षण देकर उनकी आर्थिक अवस्था को सुधारना चाहिए जिससे वे एक स्वतन्त्र अस्तित्व को समझ सकें और आपकी धोखे की बातों में न आवें। इससे उनको मालूम हो जायगा कि समाजवाद क्या है और फिर वह बतायेंगे कि आपने उनका कितने वर्षों तक किस प्रकार से शोषण किया है, आज तो वे मजबूर हैं, दीन हैं, हीन है और

(श्री मूलचंद सामरिया)

जिव्हाहीन हैं, वे बोल ही नहीं सकते इस प्रकार का लाचार उनको आपने कर दिया है। इसी तरह से आप अपना काम निकालते रहना चाहते हो तो बात दूसरी है, इससे वे आर्थिक रूप से कभी सुदृढ़ नहीं हो सकेंगे और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वृद्धावस्था पेन्शन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ ही अपाहिजों के पेन्शन की बात भी कही गई है। इसमें भी कोई नई बात नहीं कही गई है। जबकि समाज कल्याण मन्त्री महोदय ने और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री महोदय ने और मौजूदा मुख्य मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि पेन्शन के नियमों को सरल बनाया जायगा। एक 70 साल की वृद्धा है जिसके न कोई वारिस है और न उसके पास जीवन-यापन का कोई साधन है जो चल फिर भी नहीं सकती उसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। पहले तो वह डाक्टर के पास जा कर उसको फीस देवे और उससे सर्टीफिकेट लावे, फिर फोटोग्राफर के पास जावे और यदि वह गांव में नहीं है तो जयपुर या अन्य शहर में आवे और अपना फोटो खिचवावे, उसके बाद गांव के पटवारी से रिपोर्ट करावे फिर किसी गजेटेड आफिसर या एम. पी., एम. एल. ए. से उसको लिखवाना होगा और यह सब कुछ करवा लेने के बाद उस पर गिरदावर की रिपोर्ट होगी। यह इतनी सारी कार्यवाही उस विधवा औरत को करनी पड़ती है जो 70 साल की वृद्धा है और अपने हाथ पैरों से अच्छी प्रकार से चल फिर भी नहीं सकती, जिसका कोई भी आगा पीछा नहीं है तो यह तो कोई सरलीकरण नहीं हुआ, पेन्शन के नियमों का।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक घंटा मिलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सारे दल के लिए आप ही बोलोगे क्या?

श्री मूलचन्द सामरिया : हां, और तो सब कहीं काम से गये हैं, सदन से बाहर गये हुए हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के पेन्शन के केसेज वृद्धावस्था के हैं उनमें कई तरह की कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं। अगर उनमें यह सुविधा हो जाती कि उसी क्षेत्र के किसी एम. एल. ए., एम. पी. या किसी जिम्मेदार सार्वजनिक कार्यकर्ता से यह सब करवा लिया जा सकता तो बहुत अच्छा होता। वह सब कुछ लिख सकते थे, सब बातों की तस्दीक कर सकते थे। जिनके आगे पीछे कोई नहीं हैं, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है उनको इससे काफी राहत मिलती। यदि यह सब सर्टिफिकेट गलत दिया जाता तो उस अमाउन्ट की वसूली गलत सर्टिफिकेट देने वाले से की जाती इससे यह हो जाता कि कोई भी आसानी से गलत सर्टिफिकेट नहीं दे सकता था। केवल एक डाक्टर के सर्टिफिकेट के अलावा बाकी सारी इन्फार्मेशन पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव से ले ली जाय जिससे कोई परेशानी भी नहीं होगी और कोई उसे तंग भी नहीं कर सकेगा अगर कोई गलत रिपोर्ट देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकेगी और उसकी रकम उससे वसूल भी की जा सकेगी।

इसके अलावा जो अपाहिजों की पेन्शन के बारे में केसेज हैं, वह तो डिस्ट्रिक्ट हैड-

Page No 68

(68)

(श्री मूलचंद सामरिया)

क्वार्टर पर तय किये जाते हैं। एक अन्धा है या लंगड़ा है, वह व्यक्ति 25–30 मील दूर गांव में रहता है वहां से मजबूर करते हैं कि वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर आकर कागजों की पूर्ति करे। तो इसके लिए भी मैं समझता हूं कि यह भी अधिकार तहसील-दार को दे दिये जायं तो ठीक रहेगा। पेन्शन स्वीकार करने का अधिकार तहसील हैड-क्वार्टर पर रख दिया जाय तो इससे काफी राहत मिलेगी। गवर्नर साहब की स्पीच में भी इस तरह की बात आई जब भी मैंने इस विषय में कहा था। इसके अलावा जैसे बिजली की बातें हैं राजस्थान में सरप्लस बिजली की बात कही जाती है और हमारे खेतों को पूरी बिजली नहीं मिलने से फसलें सूख रही हैं। इसका नतीजा यह है कि हमको सफर करना पड़ रहा है। आज भी किसानों को पूरी बिजली नहीं मिल पाती। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार को इन बातों के लिये बोल्डली फेस करना चाहिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर आज जनता के हैं न कि किसी और के। तेल के मामले में आप झुक गये। अभी तक स्टेट के तीन चार मामले आये उनमें आपको मात खानी पड़ी है। ऐसे मामलों में आपकी यह स्थिति हो सकती है। इस स्थिति को आपको समझना चाहिए और जनता के मामले में बोल्डली लड़ना चाहिए और उनको लेना चाहिए। आज इस मामले में निवेदन करूंगा राजस्थान का पूर्वी हिस्सा एक अभागा हिस्सा है जिसमें जयपुर जिला भी आता है। भूतपूर्व जयपुर की तानाशाह हुकूमत, प्रतिक्रियावादी हुकू-मत या आप जो भी भद्दे से भद्दे और गन्दे से गन्दे शब्दों में कहना चाहें, जो शोषणकर्ता थे, उस सरकार ने एक जमवा रामगढ़ का सिचाई का बांध मुहैया कराया। रामगढ़, बस्सी, दौसा इस क्षेत्र में लगभग 3, 4 हजार एकड़ में सिचाई होती थी। लेकिन उस प्रतिक्रियावादी, सामन्त हुकूमती के बाद में हमारे प्रदेश में प्रगतिशील और लोकतन्त्री और जनकल्याणकारी सरकार आयी, जनता की हुकूमत आई, वह दिन बस्सी, दौसा और जमवा रामगढ़ के किसानों के लिए अभिशाप हो गया है। जिन खेतों की सिचाई जमवा रामगढ़ के बन्धे से होती थी, उसको सरकार ने छीन लिया और पेय जल के काम में लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जितने कमाण्ड एरिया के लोग थे, वह आर्थिक स्थिति से पिस गये हैं। उनके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी सम्भल नहीं सकते हैं। जयपुर की पेय जल योजना बनाम योजना थी। राज-महल योजना थी, वह पूरी कर दो। उसका कई बार बनाया गया है। प्लान भी तैयार है। वह योजना इसलिए पूरी नहीं कर रहे हैं कि जयपुर को पानी दिया जा सके। क्योंकि क्या जयपुर के लोग इतने बदकिस्मत हैं। वे तालाब का पानी पीते हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है जो सिचाई के काम में आता है। आज जयपुर का खून ठण्डा नहीं पड़ गया है। वह शान्ति से रहना चाहते हैं। सरकार ने सिचाई का साधन छीन लिया जब से यह प्रगतिशील किसानों की हुकूमत बनी है और आप उसका बैठ कर समर्थन करें। हमारी समझ में नहीं आता है कि इस सरकार का समर्थन आप लोग किस मजबूरी से करते हैं। जिसने किसानों का इरींगेशन का सोर्स छीन लिया। उसके बारे में यह सरकार कई स्पष्टीकरण देती है। सफाई देती है। मेरा निवेदन है

(श्री मूलचंद सामरिया)

कि आप उनका सिंचाई का सोर्स वापिस दे दें। इसके अलावा आप और किसी प्रकार से उनको सन्तोष नहीं दे सकते हैं। आप यह सोचते हैं कि जयपुर के लोग राजनैतिक दृष्टि से कमजोर हैं। आपके पिछलग्गू हैं। बजट आप हम बनाते हैं। खर्च आप करते हैं। आपके माफिक चलेंगे तो ठीक नहीं तो आप अनुशासन से निष्कासित कर सकते हैं। राजनैतिक दृष्टि से, अपर हैण्ड होने से शोषण करते हैं। इसके अलावा, सत्तापक्ष से और सरकार की ओर से कोई रीजनेबिल जवाब नहीं हो सकता है। यह स्वतन्त्रता के लिए कलंक है। लोक कल्याणकारी सरकार के लिए कलंक है। अगर सरकार चाहती है तो बीसलपुरा का जो प्लान बन चुका है, उसको जल्दी से पूरा किया जाये। जमवा रामगढ़ बंधे से जो सिंचाई होती थी, उसको सिंचाई के काम के लिए रख दें।

अब मैं अकाल राहत के कामों के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा। आज की हालत यह है कि लोग सूखे से पिस रहे हैं। मेरे क्षेत्र में लोगों को गाजर के पालरे पर गुजर करके रहना पड़ रहा है। अगर थोड़ा बहुत अनाज मिला तो वह गाजर के पालरे में मिला कर घोल बना कर उनको पीना पड़ता है। क्योंकि यह जन कल्याणकारी सरकार है। यह छोटे बड़े का भेद मिटा रही है। इसलिए इसने 90% लोगों को गाजर के पालरे को खाने के लिए मजबूर किया है। मान्यवर, इसका कारण यह तो नहीं है कि एक बार जैसा हमारे देश की प्रधान मंत्री ने कहा था कि राजस्थान को करोड़ों रुपया अकाल राहत कार्यों में दिया गया है। करोड़ों रुपयों की सड़कें बनी हैं। लेकिन देखकर ताज्जुब होता है कि सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए हम आयन्दा राजस्थान को पैसे देने के बारे में यह मान कर चलेंगे कि जिस काम के लिए पैसा दिया है, वह काम नहीं होता है। यह फैक्ट है। हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा है। इस देश की प्रधान मंत्री ने जो कांग्रेस पार्टी की हैड भी हैं। राजस्थान सरकार कहे कि वह गलत बयान दिया है। अब यह सही बात है कि जो धन आया है, उसका दुरुपयोग किया गया है। गोलमाल किया गया है। इसीलिए अकाल राहत कार्यों में हमें अधिक मात्रा में सहायता नहीं मिलती है। यह हमारे लिए डूब मरने की बात है। प्रधान मंत्री हमको चोर समझती है, गबन करने वाला समझती है। उस सरकार के राज्य में हम भी रहते हैं। चीफ मिनिस्टर को स्थिति साफ करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि इन्दिराजी बकवास करती हैं हमने कोई गोलमाल नहीं किया है। जिन नेताओं को चोर बताया जाये, उनको नैतिक दृष्टि से बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। केन्द्रीय सरकार की गलती है तो केन्द्रीय सरकार व श्रीमती इन्दिरा गांधी की भर्त्सना करनी चाहिए।

दूसरा, जो चूरू और नागौर जिले में शराबबन्दी की है, उसका मैं स्वागत करूंगा। गांधीजी ने कहा था कि अगर शराब के पैसे पर कोई सरकार चलती है तो नैतिक दृष्टि से उसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर लोग शराब पीते हैं। ठीक है। लेकिन जो

(श्री मूलचंद सामरिया)

इंगलिश वाइन है, वह ऊंचे दरजे की शराब है। उनको शराब पीने में कोई गिला नहीं है। ऊंची शराब 50 रु. में, 30 रु. में आती है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है लेकिन क्या सरकार ने कोई कानून बना रखा है कि एक व्यक्ति जो तीन, चार या पांच रुपये का काम करने वाला कोई मजदूर है, वह शराब नहीं पी सकता है। तो फिर यह सीधी बात है कि यह सरकार उस गरीब व्यक्ति को, जिसकी इन्कम दो तीन, चार रुपये रोज की है, उस किसान को, जिसके खेत में दस पन्द्रह क्विन्टल जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं या और कुछ भी, पैदा होता है, जो साल भर के लिए उसके परिवार के खर्च के लिए भी काफी नहीं है, कई तरह की सहूलियत देती है, गरीब और अनुसूचित जाति के छात्रों को सौ-डेढ़ सौ रुपये की छात्रवृत्ति देती है, उनको मकान के लिए जमीन के पट्टे दिये हैं, उन गरीब मजदूर और किसानों से शराब पिला कर पैसा वापिस छीनती है तो मैं कहता हूं कि यह सरकार आदिवासियों, गरीबों, हरिजनों का इस शराब के द्वारा शोषण करती है। अच्छा होता, जो ऐशो आराम से रहते है और जिन्होंने अपना बजट संतुलित बना लिया है और शराब पर खर्च करते हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाते। जब इसकी मांग होगी, तब मैं इसके बारे में अधिक निवेदन करूंगा। लेकिन अभी मेरा निवेदन है कि शराब के पैसे से राज्य चलाने का आपको नैतिक अधिकार नहीं है या फिर आपको गांधीजी की जय बोलने का अधिकार नहीं है। गांधीजी के बताये हुए मोटे से मोटे उसूल के खिलाफ जाकर आप गांधीजी की जय बोलते हैं, आप शराबबन्दी नहीं करते हैं–यह अफसोस की बात है। इसी सदन में 1972 से सरकार ने सम्पूर्ण शराबबन्दी की घोषणा की थी, तो उपाध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि उस घोषणा को आप अमली जामा नहीं पहनायें। उसका कारण यह है कि आप लोगों को शराब पिला कर उनसे वोट ले सकते हैं। मजबूर है, उसको मजबूर रखा जाय और इस हालत में रखा जाय कि शराब के ऊपर दस बीस रुपये की राशि खर्च करे और अपनी आमदनी को शराब पर खत्म करके बैठा रहे, ताकि उन लोगों से आप आसानी से वोट ले सकें और सत्ता में बने रह सकें। आप इन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए शराबबन्दी नहीं करते हैं। जो शराब पीने वाले मैजोरिटी में हैं, उसकी आमदनी का मुख्य स्रोत मजदूर है, वे गरीब लोग हैं। एक तरफ आप जनकल्याणकारी राज्य की बात कहें, दूसरी तरफ किसान, मजदूर, आदिवासी और छोटे छोटे लोगों को शराब पिला कर, पागल बना कर रखें, उनकी सुध नहीं आने दें, वह अपने घर के कपड़े बेच दें, बर्तन बेच दें, मकान बेच दें या शराब के लिए उसको गिरवी रख दें। शराब बहुत से अपराधों को भी जन्म देती है, चोरी के कैसेज, कत्ल के कैसेज, डेकोइटी के कैसेज आदि को जन्म देने वाली शराब है। राजस्थान में आप शराब को जारी रखते हैं तो राजस्थान की जनता का दिमाग स्वतन्त्र रूप से सोच नहीं सकता है, वह शराब के नशे में जकड़ा रहेगा और आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा सकेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा, इसको तुरन्त बन्द किया जाय। मैं एक बात और निवेदन करूंगा, आपने बारह तरह के टैक्सेज

(श्री मूलचंद सामरिया)

लगाये हैं। जो लोग दे सकते हैं उन पर आप हेविएस्ट टैक्स लगा सकते हैं। जो शराब से इन्कम होती है, उसको कम्पेन्सेट करने के लिए ऐसे लोगों पर हेविएस्ट टैक्स लगा दिया जाय इसका मैं स्वागत करूंगा। लेकिन आप गरीबों का शोषण मत कीजिये, आप इनका खून चूसना बन्द कीजिये, उनको आप बेघर मत कीजिये, उनके मकान मत बिकवाइये। आप लोगों को शराब पिलाते हैं तो यह जनकल्याणकारी सरकार की बात कहना आपको शोभा नहीं देता। जो लोग टैक्स दे सकते हैं उन पर अधिक शराबबन्दी टैक्स लगा कर आप पैसा वसूल करिये–वह वाजिब बात होगी। लेकिन आप गरीब से पैसा लेते हैं तो वह एक तरफ पैसा देता है और दूसरी तरफ इज्जत देता है। वह शराब के नशे में पड़ा रहता है और धन्धा नहीं करता है,...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप शराबबन्दी न करके जनकल्याणकारी राज्य अपने आपको कहें–यह समझ में नहीं आता।

थोड़ा और कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री मूलचंद सामरिया : नहीं साहब, पांच मिनट।

जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रश्न है, इस बजट में मैंने देखा है, सामाजिक सेवाओं पर बहुत कम खर्च किया जाता है। समाज कल्याण पर बहुत कम कर दिया है। यह ठीक किया है क्योंकि आप जानते हैं कि समाज कल्याण के खर्च में कटौती कर देंगे तो बीस पच्चीस एम.एल.ए. आपके साथ बैठे हुए हैं वे लोग इसको लेकर विद्रोह नहीं कर सकते हैं। आपने उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया है। लेकिन यह आपका इन्टरनल मामला है, बीस पच्चीस आदमी आपके पास बैठते है, कन्धे से कन्धा मिला कर–यह उनके देखने की बात है।

श्रीमन्, मैंने गत वर्ष और इससे पहले वर्ष यह निवेदन किया था कि दौसा एक ऐसा स्थान है, जिसकी भौगोलिक सीमाएं अलवर और सवाई माधोपुर जिलों से मिलती हैं। यह लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, मुकदमात की संख्या, लैंड रेवेन्यू की मात्रा, कृषियोग्य भूमि, पशुधन, एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स, विद्यार्थियों की संख्या–इन सब बातों को देखने पर यह उचित होगा कि भीमकाय जयपुर जिले के दो टुकड़े किये जायं और दौसा को डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर बनाया जाय, जिससे इफेक्टिव और वायबल जिले के रूप में यह बन सके। इससे प्रशासन की व्यवस्था होगी वह वायबल होगी और लोगों को प्रशासन को एप्रोच करने की समानता के आधार पर मिल जायेगा। डूंगरपुर तीन तहसीलों का जिला है और भी जिले हैं जो तीन चार तहसीलों के हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस जयपुर जिले में 17 तहसीलें है।

श्री देवीलाल : जैसा राज्य था, वैसा रखा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपने सारी सामन्ती परम्पराओं को तोड़ दिया है तो इसे

(श्री मूलचन्द सामरिया)

भी तोड़ दें तो अच्छा होगा। इससे इफेक्टिव और वायबल यूनिट बन जायगी। मैं कहता हूं कि सामन्ती ढंग का जो 'स्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसको तोड़ दिया तो इसे भी तोड़ दीजिये। इस सामन्ती परम्परा को तोड़ कर प्रजातांत्रिक रूप से इफेक्टिव और वायबल यूनिट बनायें। मेरा तो निवेदन है है कि आप सारे जिलों का पुनर्निर्धारण करें। आज जो स्थिति है, उसके अन्दर दौसा के लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्यायें हैं। सवाई माधोपुर के कोने से और अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास से लोग जयपुर आते हैं, उनको आने जाने में समय खराब करना पड़ता है और परेशानी होती है इसको आप ध्यान में रखें। जो बातें मैंने बतलाई हैं, उनके आधार पर आपको सोचना चाहिए और बराबर और समाप्त की व्यवस्था करनी चाहिए व दौसा को जिला बनाना चाहिये।

इसमें बेरोजगारी की चर्चा नहीं की गई है। बेरोजगारों की संख्या कितनी है यह सरकार से पूछते हैं तो सरकार कहती है कि हमें पता नहीं है कि बेरोजगारों की संख्या कितनी है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। बेरोजगारी और महंगाई दोनों एक साथ चलती रहेंगी। इनको समाप्त करने में यह सरकार अक्षम है और प्रैक्टिकल कोई कदम नहीं उठा सकती है। इसलिए मैं इस पर अधिक निवेदन करके सदन का और अपना समय नष्ट करूं यह उचित नहीं मानता हूं इस सरकार के पास बेरोजगारी का कोई इलाज नहीं है, न मन है, इसलिए इस समस्या को हल करने के बारे में एक लाइन भी इसमें नहीं लिखी है। कितने बेरोजगार हैं उनमें से कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बेरोजगार हैं कितने बेरोजगार नहीं हैं इसके आंकड़े नहीं हैं। आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में कह कर टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहूंगा।

चुनाव के बारे में निवेदन है, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव नहीं करायेंगे तो आप लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि आप इस तरीके से जनतंत्र तो खत्म करना चाहते हैं। जनतंत्र का मतलब यह है, पार्लियामेन्ट और असेम्बली के चुनाव होते हैं, तो जितनी भी संस्थाओं के चुनाव होते हैं, नगरपालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतें, जिला परिषद और मैं तो कहूंगा सहकारी समितियों के भी समय पर चुनाव होने चाहिए। आप देखेंगे कि एक भी ऐसी संस्था नहीं है, जिसके समय पर आप चुनाव करा सकें। मेरा निवेदन है कि यह और भी अच्छा होगा कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव आप सहकारी विभाग से न करायें, चुनाव इन्सपेक्टर वगैरह से कराते हैं वह इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि वह रिकार्ड विभाग से ही करावे क्योंकि जो पदाधिकारियों के पास होता है उन्हें नहीं देते हैं। एक बार जो बन गया, वह बन गया, वह रिकार्ड नहीं देता है, तो कोई इलाज नहीं है। वह भले ही प्रस्ताव पास कर दें लेकिन समय पर मिले नहीं, किताब और रिकार्ड लेकर गायब हो जाय। आपने इन चीजों को जान बूझ कर रखा है क्योंकि समितियों में ज्यादातर लोगों ने

(श्री मूलचन्द सामरिया)
गबन घोटाले कर रखे हैं, और आपकी शह से वह लोग पल रहे हैं, उनका आप पर्दाफाश नहीं करना चाहते हैं, इस कारण उनका चुनाव कराने की मन्शा नहीं है, न आपका मन ऐसा बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि समितियों, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के चुनाव करा कर आप, लोगों के दिमाग में यह जमाइये कि यह संस्थायें जिन्दा हैं। यह तमाम संस्थायें हैं, रामनारायण चौधरी जब इनकी मांगों के बारे में बात करते हैं, या बिल लाते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है, क्या यह मुर्दा लाश के लिए कफन के लिए पैसा मांग रहे हैं। यह तो मर चुकी हैं। कभी वे बजट पेश करते हैं, कभी बिल पेश करते हैं तो क्या जो मुर्दा चीज हो गई है उसके कफन और काठी के लिए मांग करते हैं, यह जिन्दा नहीं हैं।

श्री शंकरसिंह रावत : कफन काठी को आप उठा लायेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा निवेदन है कि यह जो मरी हुई संस्थायें हैं इनको आप जीवित करिये कफन काठी उठाना आपका काम हो सकता है मेरा कतई नहीं। क्योंकि जिस विचार से पंचायत राज को पैदा किया था, उसकी लोगों ने नकल की, आज आप उसको खतम करें यह अच्छी बात नहीं होगी। यह बजट स्पीच की किताब है, मैं इसको फाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि हाथ काले होंगे नहीं तो यह फाड़ने काबिल है। मैं खास तौर से श्रीमती कमलाजी और मुन्शी लालजी महावर से निवेदन करूंगा कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। जोशीजी में दम नहीं, इन प्रोटेस्ट यु शुड रिजाइन ताकि पुनः पूर्वी राजस्थान को सरकार नेग्लेट नहीं करेगी, तब पूर्वी राजस्थान का सही माइने में प्रतिनिधित्व आप कर पायेंगे।

कई माननीय सदस्य : पहले आप विधान सभा से स्तीफा दो।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या आपने बनाया है मुझे विधान सभा का सदस्य ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह संधु।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : उपाध्यक्षजी, मैं इस बजट के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। यह बजट जिसको संतुलित बजट कहा गया था, इसमें 28 करोड़ 40 लाख की जो रकम रखी है, वह रकम ज्यादातर किसानों पर लगेगी और कुछ दिन पहले अध्यादेशों के जरिए किसानों पर लगाई जा चुकी है और इसका अधिकतर भाग गंगानगर जिले से वसूल होगा। अब और कर लगने वाले हैं जैसे कि इस बजट में कहा गया है कि एक जुलाई से सैल्स टैक्स बढ़ा कर 4 प्रतिशत किया जाएगा और कुछ और रकमों के बारे में कहा गया है कि यदि वह केन्द्र से नहीं मिलेगी तो किसी तरह से अवेलबुल करायेंगे। तो मैं मान कर चलता हूं कि जल्दी ही नए कर आने वाले हैं और उसका अधिकतर बोझ किसानों पर ही पड़ेगा। जो इस समय 28.40 करोड़ के कर किसानों पर लगाए हैं उनके विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर का किसान आज यह महसूस करता है कि वह इस तरह करों के नीचे दब गया है कि वह कभी उठ नहीं सकेगा और आने वाले जो कर हैं, उनका बोझ भी उन्हीं पर पड़ने वाला है।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

सिचाई करों के बारे में उस दिन मुख्य मंत्री ने उदाहरण दिया था और कहा था कि कर्नाटक के अन्दर गन्ने पर 190 रुपए सिचाई कर लगता है. यू. पी. में 60), पंजाब में 37) रु. और राजस्थान में 35) रु.। मैंने इन आंकड़ों को सुन कर यह सोचा था कि उन आंकड़ों को किसी तरह से मंगवाया जाय तो मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कर्नाटक में उन फसलों पर जो एक साल में पकती हैं 20) रु. और डेढ़ साल में जो पकती हैं उस पर 30) रु. यू. पी. में 28.27 रु. लगता है और पंजाब में 33) रु. लगते हैं। यह मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सरहिंद और भाखरा केनाल के पास हैं। अगर रावी की बात करूं तो वहां से जो पानी ले रहे हैं वहां 27) रु. गन्ने पर कर लगाते हैं। इसी तरह से मैं कर्नाटक की बात करता हूं कि फुड क्राप्स पर वहां 50 पैसा सिचाई दर है, पंजाब में 11.70, राजस्थान में 15) रु. है फाडर क्राप्स पर, राजस्थान में 25) रु. है, पंजाब में 7) रुपए कुछ पैसे हैं और कर्नाटक में ज्वार मेज इत्यादि पर 5॥) रुपए।

तो मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार ने इतने बड़े नहरी कर लगाए हैं, वह उचित नहीं हैं। भारत में किसी भी जगह इसके मुकाबले का इर्रीगेशन रेट नहीं है। यह जो पंजाब का उदाहरण दिया जाता है कि वहां 37) रु. लगते हैं तो उसमें ऐसा है कि वहां उन जमीन पर लगता है जिसमें नई सिचाई की जाए, वहां रेवेन्यू रेट कम लगती है उसको पूरा करने के लिए उस समय तक लगाते हैं जब तक नए सेटिलमेंट नहीं हो जाते, क्योंकि राजस्थान मे सेटिलमेंट हो चुके हैं। जहां नहीं हों वहां पिछली बार राज्य सरकार ने कर लगाए थे। इसलिए ये जो रेट्स लगाए गए हैं, राजस्थान में 1.40 करोड़ लगाया गया है, यह ज्यादा है और उसका अधिकतर बोझा गंगानगर पर पड़ता है, गंगानगर पर करीब 1॥ करोड़ का असर पड़ता है। जहां सिंचाई की दरें इतनी बढ़ी हैं वहां इस साल जब गंग केनाल आया, राजस्थान केनाल का पानी आया तो भाखरा बैंक में पानी छोड़ दिया गया और जहां पानी छोड़ा जाता है, भाखरा का जो बेड़ है, वहां रबी की फसल होती है जो उनकी चावल की फसल खराब हो रही है, वे पानी लेना चाहते हैं, तो बगैर सिंचाई रेट के पानी दिया जाता है। जहां दूसरे राज्यों की फसल को नुकसान होता है, इसी तरह से जहां पर सिंचाई की दरें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं दूसरी तरफ राजस्थान नहर में भूमि का आवंटन किया गया है, वह गलत ढंग से हो रहा है। मैं यह मान कर चलता हूं कि 1966 के बाद जितनी भी गंगानगर जिले में भूमि आवंटित की गई है आम तौर पर 60 प्रतिशत तक गलत है। राजस्थान केनाल में ऐसे आदमी मिलेंगे जिनके कब्जे में 100 मुरब्बे तक भूमि है और गंग केनाल में भी यही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक 78 टी. बी. नाम का गांव है। वहां पर एक पूंजीपति उस जमीन का मालिक है वहीं उस जमीन पर काश्त करता है और उन्होंने पिछले 10—12 साल से वहां कुछ लोगों के नाम पर भूमि आवंटित करा रखी है। कई उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी बार एलाटमेंट करवा लिया है, गरीबों को

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
वहां से निकाल दिया गया और उन्होंने दूसरी जगह जमीन ले ली। जैसे एक आतू नाम का हरिजन है जहां मुरब्बा नंबर 65 मिला है और 15 ए में उसका एलाटमेंट है। मेरे कहने का मतलब है कि राजस्थान केनाल से जितनी एलाटमेंट है और गंग केनाल में 1966 के बाद जितना एलाटमेंट है, सारा गलत है। एलाटमेंट जो की गई है वह पक्षपात से की गई है। मैंने जानने की कोशिश की थी और मुझे पता चला कि वहां किसी प्रोफेसर शेरसिंह का एलाटमेंट है मुझे बताया गया कि प्रोफेसर शेरसिंह का कोई एलाटमेंट नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चक 13 ए.......

श्री उपाध्यक्ष : क्या कोई एलीगेशन्स आप किसी संसद सदस्य के खिलाफ या भूतपूर्व मंत्री के खिलाफ लगाना चाहते हैं?

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं एलाटमेंट की बात कर रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि यह कौन आदमी है। मैंने जानकारी की थी कि 13 ए में किसी शेरसिंह पुत्र शीशराम का एलाटमेंट है ? यह मेरा प्रश्न था तो उसकी जानकारी मिली कि कोई ऐसा एलाटमेंट नहीं है तो शेरसिंह शीशराम, हरीनारायण और दीपचन्द पुत्र प्रीतमसिंह उनको 4 मुरब्बों का एलाटमेंट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ समझ नहीं पाया और इसलिये मैंने इस सदन में कई बार प्रश्नों के जरिये जानकारी हासिल करने की कोशिश की लेकिन मुझे गंग केनाल और राजस्थान केनाल में जो जमीन के अलोटमेंट हुए हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसलिए कहता हूं कि जो जानकारी मुझे मिली है वह सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय गंग केनाल और राजस्थान केनाल के अन्दर जो लैण्ड का अलाटमेंट हुआ उसके बारे में जांच करने हेतु राज्य सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बैठायी, मैं भी उसका सदस्य था। उपाध्यक्ष महोदय मैंने एक जानकारी 3–बी में जो 29 परिवार रहते हैं जिन्हें कि 1955 में जब गिरदावरी हुई थी उनका रिकार्ड मांगा तो मुझे कोई रिकार्ड नहीं दिया गया। तब मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई जानकारी पूछने का ही हक नहीं है, जानकारी मैं प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर मैं काहे का हाई पावर कमेटी का मेम्बर हूं, मैंने उससे इस्तिफा दे दिया। अगर मैं कोई रिकार्ड नहीं देख सकता तो फिर मुझे ऐसी कमेटी का मेम्बर रहने से क्या फायदा ? फिर मैंने जानकारी मेरे सोर्सेज से की तो मुझे यह मालूम हुआ कि वह एक जमीन किसी भूतपूर्व जागीरदार को अलॉट हुई। उपाध्यक्ष महोदय वहां के एक कर्मचारी ने यह जानकारी दी। वह कोई भूतपूर्व जागीरदार नहीं था और उसको गलत अलाटमेंट जमीन का हुआ है। सिर्फ यही लिख देना कि वह भूतपूर्व जागीरदार था काफी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार के गलत अलाटमेंट राजस्थान केनाल में और गंग-केनाल में सैंकड़ों की तादाद में हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं वह 26 पी. बी. एल. में एक हरिजन को जमीन अलाट हुई थी सन् 1960 में उस व्यक्ति का नाम लीलूराम था। उपाध्यक्ष महोदय उस व्यक्ति ने जमीन पर कब्जा भी कर लिया और उसकी एक किश्त भी

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

जमा करा चुका, मुरब्बा नम्बर उसका है 26 पी. बी. एस. 330। उपाध्यक्ष महोदय, उस हरिजन ने वह जमीन बोली पर खरीदी थी। 969 रुपये की किश्त भी जमा करा दी उसकी रसीद भी प्राप्त कर ली। मेरे पास वह रसीद इस वक्त भी हाजिर है आप चाहें तो देख सकते हैं। वह दूसरी रकम देने को भी तैयार था। लेकिन दूसरे साल वहां के एक पुलिस अधिकारी ने जबरदस्ती वह जमीन उस गरीब हरिजन से ले ली, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, वह बेचारा जगह जगह भटकता फिरा पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद में उसको एक आर्डर मिला कि उसकी जमीन स्टेट गवर्नमेंट ने आर्डर नम्बर एफ. 73 (इर्रीगेशन) डेटेड 3-7-62 के तहत वह जमीन उससे ले ली गयी। उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने पहली किश्त जमा करा दी फिर भी उस गरीब से वह जमीन छीन कर दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से अलाट करा दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के सैंकड़ों आपको उदाहरण गलत अलाटमेंट राजस्थान केनाल और गंग केनाल में मिलेंगे।

इसी प्रकार मैं आपको एक और गलत अलाटमेंट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वह भी एक हरिजन को अलाटमेंट के बारे में है। एक पूर्णसिंह नाम के हरिजन को 3 टी.बी. में उसको चक नम्बर 2 में 19 नम्बर में चार मुरब्बा जमीन अलोट की, सी 145। 42 में मुरब्बा में 9 बीघा जमीन, 162।25 में चार बीघा जमीन अलाट की इसी प्रकार 11,12,13,14,15 में आठ आठ बीघा जमीन अलाट की गयी। मुरब्बा 161।50 में चार बीघा जमीन हरिजनों के नाम पर गलत अलाट की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जमीन किसी के नाम पर अलाट है काम वहां पर कोई करता है कब्जा मिलता नहीं है और वहां पर लोग खेती कराते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और मैं आपको गलत अलाटमेंट का देना चाहूंगा जो कि राजस्थान केनाल का है वह 70 आर. बी. में एक बजनू नाम के हरिजन को पिछले दस साल पहले अलाट की हुई थी उस व्यक्ति से एक सन्तराम नाम के व्यक्ति ने जो कि उस व्यक्ति से हर साल आधा कटाई लेता था लेकिन एक साल उस बजनू ने आधी कटाई देने से इनकार कर दिया तो उपाध्यक्ष महोदय वह सन्तराम पुलिस को लेकर आया और उसको पकड़ कर थाने में ले गया। उपाध्यक्ष महोदय थाने में ले जाकर उस गरीब की बुरी तरह से पिटाई की और उसे जबरदस्ती यह कहा गया कि तुम अपनी जमीन संतराम के नाम पर आधी जमीन अलाट करा दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उसकी काफी पिटाई की अन्त में उस बेचारे गरीब ने जब तक वह जमीन जो उसके पास थी उसका चौथाई हिस्सा उस सन्तराम के नाम नहीं की तब तक उसकी न तो पिटाई बन्द की गयी और न ही उसे पुलिस से छोड़ा गया। उपाध्यक्ष महोदय, मजबूर होकर उसने अपनी जमीन का चौथाई हिस्सा उनके नाम कर दिया तब वह बेचारा छोड़ा गया। उपाध्यक्ष महोदय वह बाद में लिखित में तहसीलदार के पास बेचान किया गया तहसीलदार ने भी उसे मान लिया। उपाध्यक्ष महोदय यह जमीन उसको दी गई जिसका कि वह हकदा

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
नहीं था। मैं इस मामले को लेकर कलेक्टर, गंगानगर के पास गया पर वहां पर कोई सुनवायी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय पुलिस को आपने इस प्रकार की पावर्स दी है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को कभी भी पकड़ कर रख सकती है और किसी भी मजबूरी में कुछ भी करा सकते हैं।

श्री जुझार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने जो राजस्थान केनाल और गंग केनाल में गलत अलाटमेंट हुए हैं उसकी जांच के लिये एक हाई पावर कमेटी बनायी थी उसने कई बोगस अलाटमेंट्स को कैन्सिल किये हैं और उस हाई पावर कमेटी के मेम्बर माननीय सदस्य भी थे। फिर यह बात आप कैसे कह रहे हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब माननीय सदस्य को पता है कि हाई पावर कमेटी ने अपनी जांच के दौरान 30 परसेन्ट पट्टे वहां पर कैन्सिल किये हैं।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं जनवरी, 75 के पहले की जानकारी दे रहा हूं। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी राजस्थान केनाल और गंग केनाल में आपको सैंकड़ों गलत अलाटमेंट किये हुए मिल सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज भी ऐसी स्थिति है कि एक ही व्यक्ति के पास साढे 26 मुरब्बे जमीन है वह लोगों के नाम की है पर उसकी जो आमदनी होती है वह एक ही व्यक्ति लेता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इस एरिया में लोकल आफिसर हैं उनकी सांठ-गांठ से यह सब हो रहा है।

श्री जुझार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी गलत अलाटमेंट राजस्थान केनाल में हुए थे वह हाई पावर कमेटी द्वारा चेक किये गये और लोगों को आईडेन्टिटी कार्ड दिये गये हैं अब ऐसी स्थिति में मैं तो नहीं समझता कि लोगों को कोई शिकायत जमीन के अलाटमेंट के बारे में रहे।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : आप कहते हैं शिकायत नहीं है मैं अभी भी आपको बता दूं कि तीन सौ कैसेज ऐसे हैं जिनमें कि लोगों को शिकायतें हैं। उस कारण मैंने आज भी एक प्रश्न विधान सभा में पूछा था जिसमें मुझे जो जवाब दिया गया है सिर्फ 17 कैसेज के बारे में मन्त्रीजी ने जवाब दिया अभी तक तो नकल मेरे पास है। जबकि रायसिंह नगर के एस.डी.एम. श्री रोशनलाल ने 89 मामलों में गलत अलाटमेंट किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय अकेले रोशनलाल ने 89 कैसेज में नाजायज अलाटमेन्ट किये हैं, और सन् 67 में किया। उनकी अपीलें गंगानगर में चल रही हैं और उनकी फाइलें जयपुर में पड़ी हुई हैं। फाइल्स नहीं जा रही हैं इसलिए उनको न्याय नहीं मिलता है। आम तौर पर वे हरिजनों की जमीनें हैं। चन्द दिनों पहले मैंने कलेक्टर गंगानगर से बात की। वे कहने लगे कि सात साल में फाइल नहीं आयी। मैं फैसला कर दूंगा ये लोग अपील में जावेंगे, पांच साल और लग जावेंगे। सन् 70 से ये फाइलें पड़ी हुई हैं। कलेक्टर गंगानगर के द्वारा मंगाने पर भी नहीं भेजी जा रही हैं। यदि ये फाइलें भेजी जायं तो इनमें से बहुत हरिजन जिनको रिलीफ मिल सकता है, आज भी उनके कब्जे में जमीनें हैं और इस वजह से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। उनके विरुद्ध

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)
मुकदमें बनाये जा रहे हैं और मुकदमों में उनको फंसाने के लिये यह सारी कार्यवाही की जा रही है। जो ये अलाटमेन्ट हैं बहुत से बोगस हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मेरी पार्टी का टाइम है।

एक माननीय सदस्य : पार्टी तो खत्म हो गयी। अब कहां है पार्टी ?

श्री गुरदयाल सिंह संधु : है, उसी तरह से खड़ी है। न उस तरह से जाने की आशा है।

तो मैं अर्ज कर रहा था, अलाटमेंट के सम्बन्ध में पिछली दफा हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि जिन लोगों की भूमि आवंटन में है, किसी कारण से दो साल का गेप हो गया उनकी जमीनें कैंसल नहीं की जायेंगी बशर्ते जमीन उनके कब्जे में हो। 25 मार्च, 1970 को सदन में विश्वास दिलाया था भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने यह भी निर्णय लिया गया था कि जिसके पास 1 मुरब्बा से कम जमीन होगी उसकी पूर्ति कर सकेंगे और इस बिना पर राजस्थान केनाल में बहुत लोगों को जमीन मिलेगी। एक निर्णय यह भी कर दिया कि 15 बीघा से अधिक जमीन नहीं ले सकेंगे। जिसने जमीन दुरुस्त की, उसमें मकान बनाये, खर्चा किया आज उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है। यह मैं मान कर चलता हूं कि सन् 73 से चार तहसीलों में जमीन मिलना बन्द हो गया। कोई हक नहीं रहता है। ऐसा आदमी कि जिनकी जमीन फार्म में आ गयी, नहर में आ गयी, किसी कारण से पट्टा रिन्यू नहीं हुआ 73 के पहले दरख्वास्त दी थी, आवंटित नहीं की गयी उनको और उनको यह कह दिया कि आप जमीन पाने के हकदार नहीं। जमीन की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। 21 लाख एकड़ जमीन है और वहां के भूमिहीन वंचित रह रहे हैं इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं कि कुछ रेवेन्यू के अधिकारी हमारी जमीन पर नाजायज तौर पर दखल दे रहे हैं। रोडावाली गांव है पाकिस्तान बोर्डर पर। एक किसान ने वहां पर ट्यूब वेल लगा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की इन्स्टान्सेज तो आप उसी दिन रखिये जिस दिन इस मद की मांग हो।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : फिर आ जाऊंगा उस पर। अभी तो थोड़े में ही बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके लिए अच्छा रहेगा।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : एक शंकरलाल हैं जिन्होंने ट्यूब वेल लगा रखा था। वहां के नायब जिलाधीश ने बिना किसी कारण के उस ट्यूब वेल को बन्द कर दिया।

एक माननीय सदस्य : माननीय विधायक हैं वे ?

श्री गुरदयाल सिंह संधु : विधायक नहीं। उन्होंने तो वह गांव देखा ही नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि नाजायज मदाखत, जब कि काश्तकार को गेहूं के लिए पानी चाहिये, ट्यूब वेल बन्द नहीं करना चाहिये। ऐसा कर देना उचित नहीं है। सरकार इस ओर ध्यान दे।

उस क्षेत्र की ओर भी बात कहना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : दूसरों को भी समय मिलना चाहिये।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : अपना ही टाइम ले रहा हूं। मैं बिजली की बात कर रहा था। बिजली की रेट बढ़ायी गई। उसमें भी गारन्टी सिस्टम लागू कर दिया गया। गंगानगर का किसान, बीस होर्स पावर से कम की मोटर काम नहीं दे सकती उस पर 4।। हजार था, अब 3।। हजार हो गया है सरकार ने रियायत की। बिजली का कन्जम्पशन सरकार को देते हैं, ट्यूब वेल अपने खर्च से लगाते हैं, वाटर रेट दे देते हैं, फिर भी गारन्टी सिस्टम लागू किया जा जा रहा है तो 3।। हजार रुपया तो उससे आमदनी नहीं होती। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में मुआवजा देने की बात थी। सरकार ने कहा कि मुआवजा देंगे पाकिस्तान से युद्ध के समय का। 2 करोड़ 45 लाख का सामान था। वह अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं अर्ज करूंगा कि किसानों पर इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ अधिक न कहते हुए यही निवेदन करूंगा कि बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापिस लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सावरमल मोर।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान में एक ऐसा बजट पेश किया है जैसा पिछले कई सालों में नहीं आया था।

जब तक उन्होंने भाषण समाप्त नहीं किया तब तक हम यही अनुमान लगा रहे थे कि टैक्स की चर्चा अब आवेगी, अब आवेगी। साधारण लोगों से भी इस सम्बन्ध में बात हुई तो उन्होंने भी राहत की सांस ली।

श्री उपाध्यक्ष : बजट की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आप अपनी ही कहें।

श्री सांवर मल मोर : पिछले वर्षों में जो बजट आये हैं उनसे यह अच्छा ही बजट आया है। इसके अलावा मैं यह अर्ज करूं कि सबसे पहले डेजर्ट डेवलपमेन्ट की बात आयी जो पिछड़े हुए जिले हैं, जो बराबर रेगिस्तान के रूप में कष्ट भोगते रहे हैं उन जिलों का उत्थान हो, तरक्की हो और हमेशा उनका अकाल से पीछा छूटे, उसके लिए आपकी ओर से उनके लिये प्रावधान रखा गया है। वह सर्वोपरि योजना है। माननीय उपाध्यक्षजी मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां जिलों का और तहसीलों का उसमें प्रावधान रखा गया है वहां मैं मेरे

(80)

(श्री सांवरमल मोर)

जिले की उन तहसीलों के बारे में जो उन रेगिस्तानी इलाकों से पूर्णतया मिलती जुलती हैं जैसे फतहपुर, सीकर और लक्ष्मणगढ, उनके लिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन तहसीलों को भी जैसे झुंझुनूं तहसील को लिया है उसी तरह फतहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर को भी लिया जाये जिससे वहां के काश्तकार हैं उनको भी कुछ राहत मिल सके।

इसके साथ एक निवेदन और करूं जहां रेगिस्तानी जिलों का रेगिस्तान समाप्त करना चाहते हैं उन जिलों के साथ साथ एक विकास बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये जिससे अन्य जिलों का विकास हो सके। जैसा कि पिछले अकाल में था कि इस तरह के काम अकाल में किये जायें जो उपयोगी हों और जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिले। हमारे जिले में जब दो साल पहले अकाल पड़ा था तो उसी दृष्टि से चार हजार कुओं का निर्माण कार्य माननीय वित्त मंत्री महोदय के और मुख्य मंत्री महोदय के सहयोग से हुआ था लेकिन काफी प्रयत्न के बावजूद हम यह प्रयत्न कर रहे हैं वहां के कुओं को बिजली दी जाय, बिजली देने के कार्य को प्राथमिकता दी जाय जैसा भाई श्री श्रीराम गोटेवालाजी ने भी निवेदन किया लेकिन बिजली नहीं दी गई है। ढाई हजार रुपये आपने अनुदान के रूप में दिये और ढाई हजार रुपये बैंक के जरिये दिये गये तो मेरा निवेदन है कि ढाई हजार अनुदान की जो राशि है उसे ही बढा कर तीन साढ़े तीन हजार कर दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, आप सोच सकते हैं वे काश्तकार जो ढाई हजार की रकम ले चुके और जिन्होंने खुद ने मेहनत की उसमें कतई फसल नहीं हो रही है। कुओं से पानी निकाल लिया और किस प्रकार कुओं से पानी निकाल कर सिंचाई कर सके, यह स्थिति उनके सामने है। दूसरी तरफ इस तरह के काम जो ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हों, ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाले हों, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढाने वाले हों उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये।

आपने कुओं में बिजली के कनेक्शन देने की प्राथमिकता दी और 10 हजार कुओं को बिजली इस वर्ष देंगे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित होकर आया हूं उस क्षेत्र के लोगों ने करीब 13 लाख रुपये की अग्रिम रकम जमा करवा दी थी और उन लोगों को अग्रिम राशि जमा कराये काफी अर्सा हो चुका है लेकिन मुझे अफसोस है इतने रुपये देने के पश्चात् भी आज तक बिजली प्राप्त नहीं कर सके। आज काफी बड़ी मात्रा में बिजली की रेट बढा दी है लेकिन काश्तकार ने विरोध नहीं किया उसको सहर्ष स्वीकार किया लेकिन फिर भी अगर उनको समय पर बिजली नहीं मिलती है, किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको मान कर चलना चाहिये जो उत्पादन बढाना चाहते हैं वह, उसमें दिक्कत पैदा हो जाती है।

एक बात यह भी है कि जहां हरिजनों को सहायता दी जावे तथा हरिजनों के लिए जो रियायतें बरती हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन हरिजनों ने कुओं का

(श्री सांवरमल मोर)

निर्माण किया है, उनको भी बिजली देने की प्राथमिकता देनी चाहिये और इसमें शीघ्रता करनी चाहिये। कई जिलों में नहरों से सिंचाई की व्यवस्था है, कई जिलों में लिफ्ट से सिंचाई की सुविधा देने का प्रावधान है लेकिन हमारे सीकर जिले उस स्थिति में शायद ही आयें। हमारे यहां तो केवल बिजली का ही साधन है इसलिये मेरा निवेदन है आप अधिक से अधिक बिजली देने की व्यवस्था करेंगे और इस जिले को प्राथमिकता प्रदान करेंगे ताकि अकाल के समय जो बहुत बड़ी दिक्कत है, वह हल हो जाय।

आपने हरिजनों की चर्चा की, तथा राज्य सरकार अच्छी अच्छी योजनायें बनाती है वह सोचती है अधिक से अधिक राहत कमजोर लोगों को मिले, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिले लेकिन यह भी देखा गया है माननीय उपाध्यक्षजी हाउसिंग सोसायटी के जरिये, कोआपरेटिव सोसायटी के जरिये या और अन्य संस्थाओं के जरिये लाभ भवन बनाने का जो देना चाहते है, वह सही रूप से नहीं मिलता है, तथा न समय पर मिलता है और जो मिलता है वह तकलीफ के बाद मिलता है मैंने निवेदन किया था चार हजार रुपये हरिजनों को भवन हेतु लोन दिया जायगा और दिया भी जा रहा है लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है बजाय चार हजार के आप दो हजार रुपये पूरे अनुदान के रूप में दे दें तो अच्छा है। कई तरह का खर्च उनको करना पड़ता है, वकीलों का खर्च करना पड़ता है। एक परिवार में एक हजार खर्च हो जाता है। इस तरह आपको गहराई से सोचना पड़ेगा और जो दिक्कतें लोन लेने में आती हैं उनको भी दूर करना होगा।

राजकीय उद्योगों के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं रोडवेज के लिये जो प्रावधान है, इस साल अधिक दिया है लेकिन जितना रुपया मैं मानता हूं देना चाहिये उतना शायद नहीं मिला है। हम रोडवेज में बराबर यात्रा करते हैं। जो तकलीफ, जो दिक्कतें हमारे सामने आती हैं हम उनको प्रत्यक्ष भोगते हैं। गाड़ी जयपुर से चलती है, अगर चार मील के फासले पर चल कर पन्चर हो जाती है तो सब लोगों का काम रुक जाता है। न स्टेपनी है, न ठीक करने के और साधन हैं। मंत्रीजी के पास जब हम शिकायत लेकर जाते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं है कहां से व्यवस्था करें। आखिर जिम्मेदारी ली है, राष्ट्रीयकरण किया है तो यह कहने से काम नहीं चलने वाला है। जब आपने राष्ट्रीयकरण किया है तो आखिर मुसाफिर यात्रा करते हैं तो उन साधनों को तो देना ही पड़ेगा। मुसाफिर आते हैं उनकी वजह से टैक्स मिलता है, मोटरें चलती हैं, राष्ट्रीयकरण सफल होता है बजाय यह कि हम आलोचना क्यों करें लेकिन हम रात दिन देखते हैं। यह आलोचना नहीं है बल्कि समालोचना है। इसलिए निवेदन है सारी रोडवेज जिन जिन मार्गों पर चलती हैं पर्याप्त सामान दिया जाय। अतः मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम पैसा दिया है इसलिये ज्यादा पैसा दे दें तो जो छोटी मोटी चीजें बसों में होनी चाहिए वह हो जायं।

एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय की बात अपने बजट में रखी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों के बाद यह पहला मौका है कि आपने इस तरह

(श्री सांवरमल मोर)
का प्रावधान चाहे थोड़े में रखे हों इस मद में रखे हैं। आप सब जगह राजस्थान के गांवों में एलोपैथिक औषधालय की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह मंहगी पड़ती है। आपके आर्थिक साधन उतने नहीं हैं लेकिन आयुर्वेदिक औषधालय ऐसे हैं जिनके जरिये देहात के ग्रामों को, देहात के ग्रामीणों की ज्यादा मदद कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप गुंजाइश निकाल कर उन देहातों में जहां किसी तरह की चिकित्सा सुविधा नहीं है उनके पंचायत सर्किल पर एक औषधालय खोलने की व्यवस्था करेंगे जैसा कि आपने कहा भी है कि इस दिशा में यह कीर्तिमान है तो मेरा निवेदन है इस दिशा में भी आप कीर्तिमान स्थापित करेंगे।

एलोपैथिक डिस्पेंसरीज के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 2 पर प्राईमरी हैल्थ सेंटर हैं, गांवों में भी हैं, कई जगह शहरों में भी हैं लेकिन ऐसा देखने में प्राय: आया है कि जितने लाभ उनसे मिलने चाहिए उतना लाभ उनसे नहीं मिलता है और वह लोग प्राय: शहरों में ही रहना चाहते हैं। हमारे यहां साधन और सुविधाएं होने के बावजूद देहातों में जाना नहीं चाहते। ऐसी सूरत में प्राइमरी हैल्थ सेंटर में जो दो तीन डाक्टर हैं, उनके रखने की आपने व्यवस्था कर रखी है उन डाक्टरों को अगर आप उस इलाके के अन्दर कुछ क्षेत्रों को बांट कर, दो तीन सेंटरों को बांट देते हैं तो मेरा खयाल है कि आपके जो कम्पाउण्डर्स हैं, जो नर्स भी वैसे स्थानों में हैं वहां दवाइयां डाक्टर वगैरह देकर इस तरह से व्यवस्था हो जाय तो मेरा मानना है कि ज्यादा खर्चा भी सरकार को नहीं करना पड़ेगा और ऐलोपैथिक डिस्पेंसरीज की जिनकी मांग है उनको अधिक से अधिक खोलने में आप अपने को सक्षम पा सकेंगे।

शिक्षा के बारे में भी आपने बजट में प्रावधान रखा है, हाई स्कूल्स का और पोस्ट ग्रेज्यूएट कालिज का भी और मिडिल स्कूलों का भी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में कि जैसा कि मेरे पूर्व के माननीय सदस्य ने भी कहा कि आज आपने और हिन्दुस्तान की सरकार ने ऐसा माना है कि इतने साल में इतनी उम्र के बच्चों को पढ़ायेंगे, पढ़ने के लिए स्कूल में भेजेंगे। लेकिन लड़कियों की जहां तक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था आज भी थोड़ी है और इसलिए जो भी प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल खोलें अधिक से अधिक संख्या में इन स्कूलों को क्रमोन्नत करना चाहिए और जो बालिकाओं की स्कूलें हैं उनकी संख्या में वृद्धि भी करना चाहिए।

प्राइवेट संस्थाओं के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि कई संस्थायें तो जैसा कि जयपुर के बारे में चर्चा आती है वैसी संस्थाओं के लिए नहीं लेकिन कई ऐसी संस्थायें आज अपने प्रदेश में हैं जो संस्थायें राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से शिक्षा का अच्छा काम करती हैं। देहातों में और शहरों में भी जिनका अच्छा खासा जाल बिछा हुआ है और उनके जो रिजल्ट आते हैं वह सरकारी स्कूलों के मुकाबले काफी अच्छे आते हैं। हमारे माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी वर्गीकरण करने जा रहा हूं। तो ऐसी संस्थायें जो

(श्री सांवरमल मोर)

आज समाज में अच्छा काम करती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम करती हैं, राष्ट्र के प्रति जिनकी भावना है, उन संस्थाओं को आगे लाने के लिए आपको कम से कम एक आधार इस तरह का तय करना चाहिए कि इन संस्थाओं से जो वेतन के रूप में अध्यापकों को दिया जाता है वह राज्य सरकार दे। बार बार चर्चा आती है और यह कहते कि तनख्वाह के रुपये कम दिए गए हैं, ज्यादा लिखा जाता है तो वह धांधली भी इससे मिट जाएगी। बहुत बड़ी राशि आपको खर्च करनी पड़ती हो ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन इसलिये वेतन का खर्चा उनको दे देते हैं तो जो उनके ऊपर छींटाकशी होती है वह सारी की सारी समाप्त हो जाएगी।

उद्योगों के बारे में भी मैं निवेदन करता हूं। वैसे बहुत बड़ी बात तो नहीं लेकिन आज दो ही तरह से अपन प्रगति के पथ पर जा सकते हैं। देहातों में खेती के जरिये से और शहरों में इस तरह के उद्योगों की स्थापना के जरिये से जिनसे कि काफी मजदूरी मिल सकती हो। आज मैं निवेदन करूं कि सीकर जिले के बारे में कि वहां तीन चार साल पहले एक घोषणा कर दी गई कि सीकर में औद्योगिक बस्ती का निर्माण किया जाएगा। लोगों ने प्लाट ले लिए, जमीन अलाट कर दी, पैसे जमा हो गए लेकिन जो डवलपमेंट, जो व्यवस्था होनी चाहिए वह आज तक नहीं हुई। ऐसे स्थिति में जहां हम एक निश्चित प्रोग्राम लेकर चलते हैं, आपने तय किया कि इतने भूमिहीनों को हम पट्टे देंगे और एक निश्चित अवधि में आपने पट्टे दिए, उसकी चर्चा राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में हुई कि राजस्थान की सरकार ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया था उसे समय पर पूरा किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ऐसी स्थिति में जो भी काम आपके करने के हैं, जिनकी जिम्मेदारी आपकी है उन कामों को अगर पूरा करने के लिए ज्यादा रुपया दें तो इन कामों से आपके समाज का, आपके शहरों का, इन सब का विकास होने वाला है। शहरों के बारे में एक बात और निवेदन करता हूं जो कि आपकी आय से संबंधित है। बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें काफी भूमि ऐसी है, कृषि की भूमि है जिन पर लोगों ने मकान बना लिए हैं, हजारों हजारों की तादाद में मकान बना लिए हैं। अगर आप निश्चित राशि तय कर देते हैं कि दो रुपया, एक रुपया, पांच रुपया गज में जिन्होंने कृषि भूमि पर मकान बना लिया है उन सब को कायदे से पट्टे दे देंगे, नियमन कर देंगे तो एक बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है और जो मकान हजारों हजारों की संख्या में बन गए हैं वह मकान भी नियमित हो सकेंगे। आज आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आप इन मकानों को तोड़ दें, फोड़ दें लेकिन सरकार को बहुत बड़ी आय इससे हो सकती है।

सलादीपुर के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी को मिटाने के लिए कोई बहुत समस्या का हल हो ऐसा इस बजट में नहीं आया है। लेकिन आप ऐसे कामों को करिये जिनसे हजारों की

(श्री सांवरमल मोर) तादाद में लोग काम में लग सकते हैं। ऐसी योजनाओं को लेने में राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। उसमें हमारा सलादीपुरा का कार्य तथा खण्डेला का बांध है जिसकी चर्चा पहले भी यहां पर हुई थी। 12–13 मौतें भी एक दफा अधिक बारिश हो जाने से हो गई थी। ऐसे उपयोगी काम को हाथ में लेंगे तो उससे अधिक फायदा भी होगा और आगे सरकार की आय में वृद्धि भी होगी। तो इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इन कामों को आप प्राथमिकता देंगे।

दो जिलों में शराबबन्दी की बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा और आगे बढ़िये और बढ़ करके जैसा कि आपने काफी संजीदगी के साथ इस विधान सभा के समक्ष बजट प्रस्तुत किया है उसी होशियारी के साथ अगर आप इस शराब को भी बन्द कर दें तो मैं मानता हूं कि एक काफी बड़ा काम आप कर देंगे और हमारे राजस्थान के लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय वित्त मंत्रीजी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : We want to know whether our name is there or not. हमारा नाम दिया हो तो बता दें।

श्री राजेन्द्र भारतीय : If our name is there, at what number?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री नाहर की ओर मुखापेक्ष) : आपका नाम तो नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : It must be there.

श्री राजेन्द्र भारतीय : How long should we sit here? Please let us know if our name is there.

श्री उपाध्यक्ष : This is not the function of the Chair.

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्षजी, राजस्थान के वित्त मंत्रीजी ने सन् 75–76 का जो बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, आम तौर पर, आम नागरिक शायद इस बजट को बुरा नहीं कहेगा एक अर्थ शास्त्र का विद्यार्थी कहलाने वाला, प्रगतिशील नीतियों को, समाजवादी नीतियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं उनके इस बजट भाषण की इतनी तारीफ नहीं कर पाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर लोग यह देखते रहते हैं कि बजट आया है तो कोई नया टैक्स लगेगा। अगर नया टैक्स नहीं लगा तो आम तौर पर यह प्रतिक्रिया रहती है कि चलो टैक्स नहीं लगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, बजट जो है वह केवल टैक्स तक ही सीमित नहीं है और टैक्स कोई बजट का अच्छा होने का दायरा नहीं है।

(3.00 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

(श्री शंकरलाल)

आज हम देश की, समाज की प्रगति करना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, देश की गरीबी को मिटाना चाहते हैं और निम्न वर्ग के प्राणी की मदद करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप कोई भी बजट पेश करें आपको टैक्स लगाना ही पड़ेगा। टैक्स किन लोगों पर लगाना चाहिए, जो प्रभावशाली हैं, जिनकी देने की शक्ति है, उनसे पैसा लेकर समाज के गरीब तबके पर पैसा खर्च करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मुझे क्षमा करें यह तो महाजन की प्रवृत्ति है कि जो कुछ मेरे पास है उसमें कोई घाटा न हो। घाटा पूरा किया, ओवरड्राफ्ट की पोजीशन को कम किया। आर्थिक स्थिति इस तरह की इस प्रकार से रखी गई कि घाटे की प्रवृत्ति न रहे। सभापति महोदय, यहां घाटे का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आप बजट के जरिए कितना आगे देश को ले जाना चाहते हैं। घाटा राज्य की प्रगतिशीलता का द्योतक है और राज्य के कल्याणकारी होने का सूचक है। यह कोई व्यक्ति का बजट नहीं है कितना मेरे पास बचता है कितना रहा है यह प्रश्न नहीं है। इसमें प्रश्न आम लोगों की बहबूदी का है। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें इस विदेशी शराब पर टैक्स लगाने की जरूरत है, जिस विदेशी शराब को लखपति लोग पीते हैं। जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। विदेशी शराब पर टैक्स लगे, आम आदमी इसका कोई विरोध नहीं करेगा। विलासिता की वस्तुओं के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए था। आज विलासिता की वस्तुओं ने हमारे आर्थिक जीवन को दूषित कर रखा है। आज न केवल लिपस्टिक, पाउडर की ही बात है, ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण हुआ है जो कि विदेशों से आती हैं जिसने भारत के जन-जीवन के ऊपर आघात कर रखा है, जिसने भारत जैसी आध्यात्मिक भूमि को दूषित कर दिया है। जिन विदेशी वस्तुओं के विरोध में महात्मा गांधी जी लालायित थे तो इसको आप रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में इसका प्रयोग कम हो, अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी इनका प्रयोग न करे तो आपको इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए था। इसी प्रकार से आपको गहनों के ऊपर, जवाहरातों के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। आज भी समाज के प्रभावशाली लोगों ने धन को छिपा रखा है जिनके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं है। दूसरी तरफ समाज के वे लोग हैं जो पटरियों पर रहते हैं, रहने को मकान और पहिनने को वस्त्र नहीं हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको टैक्स का सहारा लेना पड़े तो लेना चाहिए। इसी प्रकार टैक्स लगाना चाहिए जैसा कि बंगला देश की सहायता के लिए टैक्स लगाया गया था। इस प्रकार के टैक्सों से कोई भारी प्रतिक्रिया नहीं होगी। आम आदमी को भूख से मरता बचाना चाहते हैं तो आपको टैक्स लगाना चाहिए। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से पहले प्रापर्टी टैक्स लगाया गया था। बाद में इसमें यह संशोधन हो गया कि पचास हजार से ऊपर का मकान है तो यह टैक्स लगेगा और अगर पचास हजार से कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेरे पास पांच मकान हैं और सब

(श्री शंकरलाल)

पचास हजार से कम हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। होना तो यह चाहिए था कि कुल मिला कर पचास हजार से ऊपर के मकान है तो टैक्स लगे। आज आप कहते हैं कि पचास हजार से कम कीमत के किसी के पास बीस मकान हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिस आदमी के पास इतने मकान हैं, उसको किराये की आमदनी होती है, वह मोटरों में घूमता है, विलासिता का जीवन व्यतीत करता है, वह किराए के रूप में हजारों रुपयों की आय करता है उस पर टैक्स लगाया जाये। परन्तु इस प्रकार का टैक्स लगा कर वह पैसा गरीबों पर खर्च करने की बात इस बजट में नहीं है। इसलिए इस बजट को मैं प्रगतिशील और समाजवादी बजट कहने में मैं असमर्थ हूं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर विकास की जो बात कही गयी है, उसकी मैं तारीफ करूंगा मैं समालोचक हूं। आलोचना ही नहीं करना चाहता हूं। आगामी वर्ष में आपने योजना कार्यों के लिए 110.84 करोड़ की राशि रखी है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री की तारीफ कर सकता हूं। दूसरे आपने छात्र-वृत्ति के मद में 54.12 लाख से बढ़ा कर 75.7 हजार कर दिए हैं। यह भी अच्छा किया। छात्रावासों के लिए आपने 57.21 लाख की राशि रखी, अच्छा किया। वृद्धा-वस्था पेन्शन में भी वृद्धि की और यह राशि 52.50 लाख से बढ़ा कर 56.03 लाख की प्राविजन रखी, जिससे बीस हजार लोगों को मदद मिलेगी जो कि असहाय, अपंग और वृद्ध हैं। आज भी गांवों में कई ऐसे वृद्ध हैं जिनको कि पेन्शन समय पर नहीं मिलती है। जो विधवाएं हैं, असहाय हैं, अपंग हैं, उनको आज इस युग में मदद पहुंचाना जरूरी है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए जो बजट प्राविजन रखे गये हैं, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। सभापति महोदय, साथ ही वित्त मंत्री महोदय ने आगामी वर्ष में 100 मिडिल स्कूलें खोलने, 125 स्कूलों को क्रमोन्नत करने, 10 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खोलने की बात भी इस बजट में कही है। मैं इसकी तारीफ करता हूं परन्तु साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज विद्यार्थियों के साथ जो प्रश्न जुड़ा हुआ है, वह स्कूलों की संख्या बढ़ा देने से, छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा देने से, उस का समाधान नहीं होता है। आज के युवा वर्ग में जो आक्रोश है, असन्तोष है, जिसका फायदा विरोधी पार्टियां लोकतन्त्र के खिलाफ उठा रही हैं, उसके लिए आपने क्या सोचा है? इस युवा वर्ग के मस्तिष्क को सही दिशा में ले जाने के लिए राजस्थान के भूतपूर्व वित्त मंत्री ने इसी सदन में एक घोषणा की थी, राजस्थान के युवा वर्ग को सही दिशा देने के लिए एक राजस्थान युवा बोर्ड की स्थापना की जावेगी। इस घोषणा के बाद इस बोर्ड की स्थापना आज तक क्यों नहीं हुई? क्या कारण रहे। इस घोषणा को हुए तीन/चार साल हो गये परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो युवकों को, विद्यार्थियों को सही मायने में, उनके मस्तिष्क को सही कार्यों की ओर मोड़ सके और देश के सामने आज जो चुनौतियां हैं उनका वे मुकाबला कर सकें। इस समस्या का समाधान केवल स्कूलों की संख्या बढ़ा देने से या छात्रवृत्ति देने से नहीं होगा। मैं

(श्री शंकरलाल)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए हमारी राज्य सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज हमारे विद्यार्थियों को हड़ताल करने की जो छूट दे रखी है, राजनीति में भाग लेने की छूट दे रखी है, उसका खुल कर दुरुपयोग हो रहा है और यह देश को किधर ले जाएंगे यह मालूम नहीं है। जब यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों के राजनीति में भाग लेने पर रोक लगायी जाये तो लोग हंसते हैं। वे कहते हैं कि किस जमाने की बात कर रहे हो। यदि आप महात्मा गांधी के विचार पढ़ें, कांग्रेस की पुरानी नीतियों का अध्ययन करें, महापुरुषों के विचार पढ़ें तो यह प्रकट होगा कि उन सब के यह विचार थे कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने की छूट न दी जाए। जो विद्यार्थी नहीं हैं, युवा हैं वे भाग ले सकते हैं। उनके भाग लेने की बात समझ में आ सकती है परन्तु जो विद्यार्थी हैं और उनको छूट दे रखी है, मैं समझता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और देश की सभी .राजनीतिक पार्टियां मिल कर देश हित में इस समस्या पर विचार करें।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमारा श्रमिक वर्ग है राजस्थान का उस श्रमिक वर्ग के लिए आपने इसके अन्दर क्या प्रावधान रखा है। आज चाहें मिल के अन्दर मजदूरी करने वाले हों, चाहे पब्लिक सेक्टर के मजदूर हों, जो कि राष्ट्रीय उद्योगों में मजदूर काम करते हैं चाहे वे प्राइवेट सेक्टर के मजदूर हों, उन मजदूरों की आज जो दशा है उन मजदूरों के लिए श्रम-कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के आभास का अभाव हमें इस बजट में दिखाई पड़ता है। वह ऐसा तबका है जो कि हमारे देश का निर्माण करने वाला है। अगर आज मजदूरों की दशा भी नहीं सुधरेगी, जो कि उस फैक्ट्री में 10-10 और 8-8 घन्टे काम करते हैं, जिनके रहने की, आवास की पूरी सुविधा नहीं है, जिनके बच्चों की पढ़ाई की की पूरी व्यवस्था नहीं है, जिनके लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं है, तो वह श्रम-कल्याणकारी योजनाएं चाहे राज्य के उद्योगों में हों, चाहे प्राइवेट उद्योगों में हों, उनके लिए इसके अन्दर प्रावधान आपको रखना चाहिए था।

सभापति महोदय, जहां तक इसके अन्दर अकाल की बात कही गई, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा गया है और यहां पर हमारे वित्त मंत्रीजी ने भी कहा है इस बजट के अन्दर, तो इसके लिए तो इनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से अकाल राहत कार्य करने की योजना और प्रोग्राम रखा है, लेकिन, सभापति महोदय, आज अकाल राजस्थान के जिन गांवों में है, जहां की जनता दुःखी है, जो पीड़ित हैं उनके लिए आज तत्काल राहत पहुंचाने की जरूरत है, उसका इसमें अभाव है। हमें आज पंचवर्षीय योजना के अन्दर कितने जिलों के अन्दर 6-6 करोड़ खर्च करना है, कितने जिलों के अन्दर 4-4 करोड़ रुपये खर्च करना है, किन किन तहसीलों के अन्दर 30-30 लाख रुपया खर्च करेंगे यह जो बात आपने बजट में कही है वह बात दुरुस्त हो सकती है। जो ग्रामीण जनता आज पीने के पानी की वजह से और अनाज की वजह से परेशान हो रही है उसके लिए

(श्री शंकरलाल)

आपने क्या किया है ? सभापति महोदय, आपने कहा है कि 21.93 करोड़ कुल मिला कर यानी मार्जिन मनी का 10.19 करोड़ और 10.24 करोड़ प्लान का और डेढ़ करोड़ अपना खर्च करेंगे। सभापति महोदय, मुझे अपने जिले का अनुभव है कि आज मार्च का महीना चल रहा है और गये साल जबकि अकाल पड़ा था तो उस समय मार्च के महीने में पाली जिले के अन्दर 50 हजार लोग काम कर रहे थे और आज 5 हजार मजदूर काम कर रहे हैं।

श्री केशरीमल : आपके यहां 5 हजार तो काम कर रहे हैं और हमारे यहां तो कुछ भी नहीं है।

श्री शंकरलाल : कहीं कम भी हो सकते हैं। तो आपके 21 और दो करोड़ की बात नहीं है, मैं यह कहना भी पसन्द नहीं करूंगा। चाहे आप स्कूल कम खोलें औषधालय कम खोलें, माननीय मंत्री महोदय, लेकिन पूर्ण को बचाने का हमारा कर्त्तव्य है। आज गांवों के अन्दर एक टाइम की रोटी के लिए लोग तड़प रहे है। हम जो अपने गांवों में जाते हैं तो उनकी हालत को देखते हैं तो उन लोगों को राहत पहुंचाने की जरूरत है। विकास के काम अगर कम किये जायं तो हमें गिला नहीं है। उन पर आप कम खर्च करना पसन्द कर सकते हैं, लेकिन आपको उस ग्रामीण आदमी को जो अकाल से पीड़ित है उसको आपको बचाना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आज भी आप केन्द्रीय सरकार से कह सकते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि केन्द्रीय सरकार मान लिया जाय कि बजट कम देती है तो उसके लिए आवाज उठायें। आज जयपुर के महाराजा के यहां तलाशी में मान लीजिये इतने करोड़ों का माल मिला तो केन्द्रीय सरकार उसको जब्त करेगी। राजस्थान के जयपुर घराने से निकलने वाला माल है उसको जब्त करके केन्द्रीय सरकार ले जायगी। इतने करोड़ का माल केन्द्रीय सरकार ले जायगी तो हम केन्द्रीय सरकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो माल निकला है उसका कुछ हिस्सा राजस्थान के लिए खर्च किया जाय इन अकाल-पीड़ितों के लिए, इन गरीबों के लिए। आज इसकी जरूरत है। आप कुछ भी करें, लेकिन अकाल-पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात पूरी तरह कहना नहीं चाहूंगा, खैर नहीं कहूंगा क्योंकि समय की इतनी कमी है। लेकिन जो भी गांव हैं जिनके अन्दर पीने का पानी भी 5-5, 10-10 मील से लाया जा रहा है, जिनके अन्दर टंकियों से पानी पहुंचाया जा रहा है वह भी अकाल-क्षेत्र घोषित नहीं है। यह गलत स्थिति है, सभापति महोदय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस दल की जो घोषित नीति है जो कि नरोरा में हुई है, जिसके अन्दर यह कहा गया है कि तीन माह के अन्दर यह प्रोग्राम मुख्य मन्त्रियों और हर राज्य को यह कहा गया है कि तीन माह में यह प्रोग्राम पूरा करना है। आपने 5 लाख से भी ज्यादा आदमियों को पट्टे

(श्री शंकरलाल)

गांवों में दिये। मैं उसकी तारीफ करूंगा। पूरा राजस्थान और देश इसकी तारीफ करेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि आपकी उस नरोरा घोषणा के अनुसार और क्या करना था इन तीन माह के अन्दर और आपने क्या किया है या क्या करने जा रहे हैं, इसका कोई संकेत बजट के अन्दर नहीं है। उसमें यह था कि चुने हुए महत्वपूर्ण इलाकों के अन्दर, सातवीं बार मैं पढ़ रहा हूं, कम आय वाले लोगों के लिए मकान बनाने का कार्यक्रम तेजी से लागू किया जाय ताकि गन्दी बस्तियों को हटाने में सफलता मिले। आपने क्या किया है शहरों के अन्दर? आज पाली के अन्दर जहां तक मुझे मालूम है ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं हैं और उनका बहुत पुराना कब्जा है राज्य की भूमि पर। उनका रेग्यूलेराईजेशन करने के लिए आपने क्या सोचा है? आपने अभी जो अर्बन इम्प्रूवमेंट के रूल्स निकाले हैं एलाटमेंट के, उनमें कोई भी प्रोवीजन इस मायने में नहीं है कि जिनके पुराने कब्जे हैं, जिनके पास मकान नहीं हैं, जिनकी आय कम है, उनको क्यों नहीं रेग्यूलेराइज करते हैं? आप इसको एक साफ तरीके से रेग्यूलेराइज कीजिये।

आपने जो यह कार्यक्रम बनाया है उसमें 9 में यह दिया गया है कि एक निश्चित तारीख तक कुछ विशेष क्षेत्रों के विशेष लोगों के लिए सरकार के द्वारा कुछ जरूरी चीजों के वितरण की व्यवस्था करनी होगी। आज अभी प्रश्नकाल के अन्दर कृषि मंत्रीजी कह रहे थे कि यह सम्भव नहीं है। दूर दूर गांवों में अनाज पहुंचाने के लिए डीलर नहीं आते हैं तो सरकार वहां पर अनाज पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर सकती है। मैं कृषि मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि जिस जगह डीलर गांव में नहीं पहुंचाता है अनाज और वास्तव में नहीं पहुंचाते हैं कई जगहों पर मेरे क्षेत्र में जिसका मुझे मालूम है क्योंकि उनको मुनाफा इतना नहीं मिलता है, नहीं तो उनको कालाबाजारी करनी पड़ेगी, चोर-बाजारी को रोकने के लिए चाहे कुछ नुकसान में जाना पड़े लेकिन सरकार का कर्तव्य है जैसा कि नरोरा में घोषणा की गई है कि सारी वस्तुओं को, खाने की वस्तुओं को जनता के समक्ष पहुंचाने के लिए व्यवस्था सरकार को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपने वैसे तो इन पर कई बातें की होंगी, लेकिन कुछ बातों के लिए जिनके ऊपर तीन महीनों में कार्य करना था उसके बारे में बजट के अन्दर कोई संकेत नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि अनएम्प्लायमेंट के बारे में, वास्तव में बेरोजगारी के बारे में कोई बजट के अन्दर संकेत नहीं है, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या हल हो चुकी है या बेरोजगारी की समस्या पर बजट में कुछ नहीं कहना चाहते। बजट जो आपने पेश किया है। उसके अन्दर राजस्थान के बेरोजगारों के लिए क्या करने जा रहे हैं। उसकी बात उसमें नहीं है। यह बहुत ही खटकने वाली बात है। सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी आज हमारे यहां

(श्री शंकरलाल)

पर नहीं है । यह जो नियोजन की पुस्तिका, राजस्थान में राष्ट्रीय नियोजन सेवा प्रगति विवरण वर्ष 1974 की प्राप्त हुई है जिसके परिशिष्ट 'अ' के अन्दर जो राज्य सरकार द्वारा जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि हमारे यहां 11,92,485 बेरोजगारों का पंजीयन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ 74 में और आप एम्प्लायमेंट कितनों को दे पाये ? केवल 18,332 को। 18,332 को दे पाये, इसका मतलब यह हुआ कि आपके करीब 1,50,000 बेरोजगार रहे । आपने सोचा है कि उनका क्या करना है ? राज्य सरकार को क्या करना है उनके लिए भी कुछ प्रोविजन बजट में होना चाहिए था ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतना ही नहीं कि आज भी जब हम चाहे विधान सभा के बाहर हों, चाहे रेलवे स्टेशन के ऊपर हों, चाहे बाजार में हों, चाहे होटलों के बाहर हों जो हमारे नागरिक हैं जो कि राज्य के बनाने वाले हैं, राज्य निर्मित होते हैं, जिनके वोटों पर हम यहां आते हैं उनको हम भिखारी के रूप में देखते हैं तो हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है । आज भिक्षावृत्ति की समस्या को हल करने के लिए कई राज्यों ने कानून बनाये हैं । आपने क्या किया है ? उनको किस प्रकार से राजस्थान के अन्दर बसाया जाय आपके बजट में इस बात के लिए कोई बात होती तो मुझे इस बात पर खुशी होती ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं वैसे अधिक समय नहीं लेकर केवल एक-दो बातें कहना चाहूंगा और वह यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में आपने जो जिले पिछड़े हुए घोषित किए हुये हैं, और राजस्थान में अगर आप और औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं तो आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें । आप लोग जानकारी लेकर, सर्वे रिपोर्ट ले कर उनके पास जायं और उनसे कहें कि और भी जिले पिछड़े हुए घोषित करने के लायक हैं।

पाली जिला जहां औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी सम्भावनाएं हैं, वहां पर सैकड़ों की तादाद में फैक्टरियों की सम्भावनाएं हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिये । आपने जोधपुर और अलवर जिले को तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले घोषित किये हैं मगर पाली को जहां विकास की काफी संभावनाएं हैं, नहीं किया । पाली जिला पहले से ही औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, अगर वहां पर फैक्टरियां और कई उद्योग खोलने के लिये लाइसेन्स दिये जाते तो वहां पर बहुत बड़ा विकास हो सकता था । सभापति महोदय, आपकी घंटी बार-बार बज रही है इसलिए मैं एक-दो बात और कह कर समाप्त करना चाहूंगा । अब कृषि उत्पादन को लीजिये, कृषि उत्पादन की जो प्रगति बताई गई वह कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं कही जा सकती । यद्यपि यह कहा गया है कि 1974-75 में कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है । लगभग 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को कृषि के अन्तर्गत एवं 41 हजार हैक्टेयर भूमि को अधिक उत्पादन वाली फसलों के अन्तर्गत लाया गया है । आल इण्डिया का प्रतिशत 20 है और राजस्थान का 15 प्रतिशत है । खाद्यान्न के जो आंकड़े दिये गये

(श्री शंकरलाल)

हैं उनमें भी 70-71 में मार्केबल प्रोडक्शन था। इसका कारण यह है उपाध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से तो पाली जिले के बारे में नहीं कहना चाहता और समय की कमी के कारण कह भी नहीं सकता। किसानों से आप लेवी अवश्य लें देश के हित में भी है, वह आपको देंगे भी। लेकिन आप लेवी के साथ-साथ उनको खेती के सम्बन्ध में जो सुविधायें हैं वह भी उनको दी जानी चाहिए। जिस प्रकार से मकान बनाने वाले को 100 कट्टा सीमेन्ट दी जाती है उसी प्रकार से आज किसान अगर खेत पर कुआ बनाना चाहता है तो उसको उसके लिये सीमेन्ट नहीं मिल पाती है। मैं आपको पाली जिले के बारे में निवेदन करता हूं कि जिन्होंने लेवी दी है उनको भी खाद नहीं मिल रहा है। उन्नत बीज, खाद, सीमेन्ट और अन्य कई इस प्रकार की आवश्यक वस्तुएं जो किसानों को दी जानी हैं, नहीं मिल रही हैं। हमको यह याद रखना पड़ेगा कि किसान जो हमारा जन-जीवन का मुख्य अंग है और मूल जो जनसंख्या हमारी है वह गांवों में ही निवास करती है, ऐसे और भी अनेक काम हैं इसलिए किसानों की बढ़ोतरी की दिशा में, खेतीहर मजदूरों की तरक्की के लिये और ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए जो काम हमको करने हैं उनकी अवहेलना नहीं हो, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र की जल प्रदाय योजना की बात आपने कही। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज वास्तव में राजस्थान में इतने साल आजादी के व्यतीत हो जाने के बाद भी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, वहां की समस्या वैसी ही बनी हुई है। आज भी गांवों में पांच-पांच, सात-सात मीलों से पानी लाना पड़ता है। क्या यह स्थिति सन्तोषजनक कही जा सकती है? शहरों के अन्दर भी पीने के पाना की बात कही जाती है, वहां भी इसी तरह की समस्याएं हैं। मैंने प्राक्कलन समिति की 73-74 की रिपोर्ट देखी है उसमें लिखा है कि शहरों के अन्दर लोग फ्लश के अन्दर और बगीचों वगैरह में बहुत सा पानी फालतू बरबाद करते हैं उन पर रोक लगानी पड़ेगी। इसलिए पीने के पानी के लिये आज मैं इस विधान सभा के अन्दर कहना चाहूंगा कि एक प्रस्ताव पास किया जाय, गैर-सरकारी प्रस्ताव हो, माननीय रघुनाथ विश्नोईजी ने भी एक प्रस्ताव रखा था। राजस्थान के अन्दर ग्रामीण जल की जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिये जल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या विधान सभा ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट कहती है कि उसके विभाग उसको कर नहीं पाते इसलिए आपको ग्रामीण जल बोर्ड का गठन करना ही पड़ेगा। चाहे इसके लिए राशि एल. आई. सी. से ली जाय या बैंकों से जुटा कर कम से कम आपको, वित्त मंत्रीजी स्वयं भी उस इलाके से आते हैं जहां पर पानी की भारी कमी है और आप कम से कम एक काम तो ऐसा कर जाओ जो एक ऐतिहासिक काम हो और आने वाली पीढ़ी कहे कि वित्त मंत्रीजी थे, उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया और लोग आपको याद करें कि जिससे गांवों के अन्दर पीने के पानी की सुविधा हो जाय। मैं अधिक न कहूं

(श्री शंकर लाल)

कर मुख्य रूप से जो बातें बजट में कही गई हैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर राजस्थान सरकार को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल मीणा !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने 1975–76 के जो बजट अनुमान प्रस्तुत किये है उनके लिये तो मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन उससे पहले एक किस्सा कहूंगा। एक नगारची था। उसके कुछ मेहमान आये हुए थे। वह खेल करने गया हुआ था। उसकी औरत रसोई बना रही थी। चूल्हे पर हांडी रखी हुई थी। नगारची जब तान मारता तो वह भी हंडिया पर तान मार देती क्योंकि उसको भी तान आ गई। शाम को जब खाना खाने के लिए घर आये घर वाली ने कहा कि मुझे भी तान आ गई थी, सो मैंने भी हंडिया पर तान डंडे से मार दी। तो नगारची ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, लेकिन तान चूकी तो नहीं ? उसने कहा नहीं। इसी प्रकार से हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने बड़ी होशियारी से इस बजट को पेश किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, मैं इस बजट में जो कृषि के सम्बन्ध में कहा गया है उसके विषय में जरूर निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है और एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी 80 फीसदी जनसंख्या गांवों में खेती करती है। मेरी मान्यता है कि यदि हम किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं और महंगाई को खत्म करना चाहते हैं तो हमको किसानों पर अधिक जोर देना पडेगा चाहे हमको दूसरे खर्चे में कमी ही क्यों न करनी पड़े। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जैसे कि अजमेर जिले में लिफ्ट इर्रीगेशन की योजना बनाई गई थी। आज तक वहां पर पानी का समस्या हल नहीं हो पायी है। अजमेर एक पिछड़ा हुआ जिला है परन्तु वहां के लोग मेहनत करने वाले हैं लेकिन उनकी मेहनत का सदुपयोग पानी नहीं होने से नहीं हो पा रहा है। इसलिए बनास योजना के अन्तर्गत वहां पर पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूं कि कृषि पर बहुत सारी योजनाएं बनायी जाती हैं लेकिन उनकी क्रियान्विति में उतनी शिथिलता बरती जाती है। आपने लेवी का सम्बन्ध खाद से रखा है जो लेवी देगा उसको खाद मिलेगी। एक दो साल से ऐसा-चल रहा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि खाद का वितरण लेवी से नहीं रखना चाहिये। जो गांव पूरे सिंचित रकबे में आ जाते हैं तो सबसे अधिक प्रोयोरिटी उनको पहले बिजली की और फिर खाद की दी जानी चाहिए। और यह रखना चाहिए कि जितने ज्यादा रकबे में खेती करोगे उनको बिजली और खाद दी जायगी इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। नहीं तो आज किसानों में यह है कि गेहूं कम बोयेंगे और जो ज्यादा बोते हैं।

गेहूं कम बोना चाहिए। अगर गेहूं की बोआई करेंगे तो लेवी लेंगे। जैसे कि आप

(श्री शंकरसिंह रावत)
समय पर उत्पादन योजना बनाते नहीं हैं। वैसे ही लेवी योजना भी समय पर नहीं बनाते हैं। जिस समय चारे की समस्या होती है, उस समय आप लेवी वसूल करते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि कोई भी कार्यक्रम हो वह ठोस होना चाहिए। दूसरी अर्ज मेरी यह है कि यह जो सिंचित रकबा आपने दिया है, इसके बारे में मैंने कहा है। इसके अलावा सीमेन्ट, लोहा, आयल हैं, इनके बारे में जिले के अनुसार जिले के अन्दर बनाना चाहिए। जिले के जो विभाग हैं, इनमें इस प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए। जिस किसान को परमिट मिलता है तो वह अनभिज्ञ होने के कारण, इधर उधर मालूम करता फिरता है। बाद में उससे यह भी कह दिया जाता है कि कोटा समाप्त हो गया है। ऐसा उससे कह दिया जाता है। अजमेर जिले में सीमेन्ट का कोटा लैप्स हो गया। हमें जिला स्तर पर कोटा निर्धारित करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से विद्युत के बारे में निवेदन करूंगा कि जहां पर कुओं में ज्यादा पानी है, वहां पर दी जानी चाहिए। आपने इस वर्ष 11,000 कुओं को बिजली देने का लक्ष्य रखा है। सभापति महोदय, बिजली देना चाहिए। बजट में ज्यादा से ज्यादा छूट देकर उन गांवों में विद्युत ज्यादा देनी चाहिए। जहां पानी के स्रोत ज्यादा हैं जहां पर ज्यादा कुवे हैं। उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये बिजली देनी चाहिए। जिस गांव में होकर बिजली जाये तो बीच के जो गांव हैं, यह भी उचित प्रतीत नहीं होता है कि उनको बिजली से वंचित रखा जाये उनको भी बिजली देनी चाहिए।

इसके अलावा सभापति महोदय, जहां क उद्योगों की बात है, जिन कुओं में बैलों से पिलाई होती है, वहां पर 4-5 आदमियों की जरूरत होती है। लेकिन जहां बिजली हो वहां पर एक आदमी भी काम कर सकता है। किसी के घर में दो चार आदमी हों तो उसके घर में यह चल सकता है। लेकिन एक आदमी काम करेगा और आदमी बेकार रहेंगे, तो वह बेरोजगार हो जायेंगे। तो दो हजार या 5 हजार की आबादी का गांव है, वहां पर आपको उद्योगों का निर्माण करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में रामसर और श्रीनगर 5 हजार की आबादी के गांव हैं। वहां पर लोग पावरलूम की मांग करते हैं लेकिन उनको नहीं दी जाती है। जो बी. ए. और एम. ए. लड़के हैं। वह पावरलूम की मांग करते हैं। उनको दी नहीं जाती है। 2,000 से 5,000 की आबादी के गांव हैं, वहां आपको लघु उद्योग का निर्माण करना होगा। इससे बेरोजगारी की समस्या हल होगी। यही नहीं सभापति महोदय, नसीराबाद में जो टेनरी की स्कीम थी वह टोंक चली गई है। आज वहां पर चमड़े का उद्योग इतना है कि पहले अच्छा अच्छा चमड़ा फौरेन तक जाता था। उन आदमियों को वंचित रखना ठीक नहीं है। नसीराबाद में केन्टोनमेण्ट बोर्ड है। तो जैसे कि अन्य स्थानों को सहायता दी जाती है, उसी प्रकार से वहां पर भी बीड़ियों का उद्योग है। पहले पत्ते के बारे में घोषणा की गई थी। वन मन्त्री महोदय को इस बारे में अभी सूझा नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 5% लोग इस धन्धे को कर रहे हैं। उन्हें इस उद्योग में ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जानी चाहिए। साथ साथ मैं इस बात के लिए भी आभार प्रदर्शन करूंगा कि अजमेर और ब्यावर में पानी की समस्या के हल के

(श्री शंकरसिंह रावत)

लिए प्रावधान रखा गया है। लेकिन बार बार अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़ की जल समस्या उनके सामने आती है। तो उनको कम से कम अपने कार्यकाल में, क्योंकि दो वर्ष और रहे हैं। तो बजट स्पीच के साथ साथ में कार्य की स्पीड भी होनी चाहिए। ताकि जनता को राहत मिल सके और कार्यक्रम पूरे हो सकें।

सभापति महोदय, पेय जल के सम्बन्ध में ऐसे भी गांव हैं, जो 12 सौ की आबादी के गांव हैं। रामसर 5 हजार की आबादी का गांव है। उनकी जल योजना ठीक नहीं है। वित्त मन्त्रीजी से भी इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि वह इसको लागू करें।

अकाल की स्थिति के बारे में भयंकर स्थिति है। राज्य के सामने अकाल की भयंकर स्थिति है। आज यह जरूरी है। अजमेर जिले के बारे में यह कहा गया है कि योजनाबद्ध कार्यक्रम हाथ में ले लिया गया है। लेकिन योजनाबद्ध कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए इसको मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन यह किस प्रकार से हाथ में लेना चाहिए ताकि लोगों को अपने घरों से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं वैसे ही जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा था, ताकि अकाल की जो भयंकर समस्या है, उसमें उन लोगों को उचित प्रकार से राहत मिले सके। जिन लोगों के पास जानवर हैं, वह अपने झोंपडे छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। जिनके पास दो-चार जानवर हैं। वह छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोग भले ही चले जायें जिनका काम ही यही है। 5 बीघा वालों को अनाज दे रहे हैं। 5 बीघा से ऊपर वालों को दे नहीं रहे हैं। मेरा निवेदन है अनाज नहीं हुआ तो क्या हुआ। उनके लिए भी एक समस्या है। आज एक कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता है। एक महीना वेतन नहीं मिलता है। एक महीना रोक लें तो वह तिलमिला उठता है। आज किसान ईश्वर के भरोसे पर बीज डालता है। पैदावार हो जाती है तो उसकी वेतन वृद्धि समझिये। नहीं तो गत वर्ष शीत लग गया था तो लाखों मन अनाज खराब हो गया था। देश की समस्या को हल करने के लिए किसान का एक महत्वपूर्ण काम है। आपने कहा कि 5 बीघा से ऊपर वालों को नहीं देंगे। तो यह नहीं होना चाहिए। इसका साधन ढूंढना चाहिए।

शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करते हुये मैं अधिक समय नहीं लूंगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, अजमेर नगर केन्द्रीय सरकार के अधीन रहा है। वहां पर हिन्दू और मुसलमानों के दो ऐसे तीर्थ स्थान हैं, जो विश्व में विख्यात हैं। विश्व भर से लोग वहां पर आते हैं। वहां पर सभापति महोदय, लड़कियों के लिए कालेज नहीं है। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, उन्होंने बजट में नहीं रखा है। वहां पर व्यवहारिक रूप में लड़कियों का कालेज होना जरूरी है। इसके अलावा नसीराबाद में अनुसूचित जाति के लोग अधिक रहते हैं। वहां पर छात्रावास होना चाहिए। पहले भी यह बात हुई थी। नसीराबाद की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है,

(श्री शंकर सिंह रावत)

उसको पूरा किया जाये। इसके साथ ही मुझे थोड़ी सी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सम्बन्ध में बात कहनी है। आपने 243 बसों की स्वीकृति दी है लेकिन आज भी जब जाते हैं तो जनता की यह बात सुननी पड़ती है, हरियाणा की बस निकल गई, अच्छा होता उसमें जाते। समय पर पहुंच जाते। एक बस हरियाणा की जाती है, उस पर हमारी जनता आश्रित है, उस पर विश्वास है कि इससे जायेंगे तो समय पर पहुंच जायेंगे। राजस्थान की बस पर उनको विश्वास नहीं है। एक तो उनमें ड्राईवर अच्छे नहीं है। ज्यादातर ड्राईवर सिफारिश से लिये गये हैं। दूसरे कन्डेक्टर भी व्यवहार कुशल नहीं है, यात्रियों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। तीसरे गाड़ियों की हालत बहुत खराब है। एक दफा एक बस में गया तो वह गाड़ी सैकिण्ड गीअर में गई। या तो ड्राईवर अच्छी तरह चलाना नहीं जानते हैं, या गाड़ी खराब होती हैं और उन पर खर्च पूरा होता है लेकिन लोगों को उन पर विश्वास है, वह हरियाणा की बस के लिए तरसते हैं। हमारा निगम है, जिसमें हमारा पैसा खर्च होता है लेकिन लोग हरियाणा की बस की तारीफ करते हैं। इसलिए जो हमारी गाड़ियों में कमी है या निगम की व्यवस्था में कमी है उसको आपको दूर करना चाहिए।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अजमेर का जो बस स्टेण्ड है, वहां पर महिलाओं के लिए, शौचालय नहीं है। आपने वहां पर पुलिस की बिल्डिंग देखी होगी, सभापति महोदय, आप वहां जाते हैं, आपने देखा होगा। वहां पर पुलिस के सिपाही ऊपर बैठे रहते हैं और नीचे महिलाएं, क्योंकि शौचालय नहीं है, इसलिये वहां बैठ कर शौच करती हैं। आप लोगों को सुविधा देना चाहते हैं लेकिन अजमेर के बारे में मैंने यह मैटर रखा है। मैं समझता हूं कि यह उचित मालूम नहीं होता है कि बस स्टेन्ड पर शौचालय नहीं है, वहां पर पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है, विश्राम गृह नहीं है। आप कहीं पर कैम्प लगाते हैं तब भी शौचालय और पीने के पानी का प्रबन्ध करते हैं। यहां पर यातायात मंत्री ने यह बताया था कि बस स्टेन्ड को वहां से शिफ्ट कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप कब कर रहे हैं? कब बाप मरेगा कब रोयेंगे। जब शिफ्ट करेंगे तब करेंगे, लोगों को यह मालूम नहीं है कि यह सुविधायें इसलिये नहीं दे पा रहे हैं कि बस स्टेन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के लोग जो बस से जाने वाले हैं, उनको दिक्कत होती है इसलिए वहां महिला शौचालय होना चाहिए और पीने के पानी का प्रबन्ध होना चाहिए। अब गर्मी भी आ रही है, वहां पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है, इसलिए लोग पीने का पानी लेने जायं और उधर बस चल दे तो आप सोचिये, क्या दशा होगी।

इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि जो वित्त मंत्री महोदय, ने बजट रखा है, उसमें इधर उधर करके किसानों के खेतों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करिये, उनको और सहूलियत दीजिये। आप किसानों की तरफ ध्यान देंगे तो महंगाई कम होगी। किसान शहरों में नहीं आयेंगे तो आप यह मान कर चलिये कि

(श्री शंकरसिंह रावत)

शहर के लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी। आज शहरों में त्राहि त्राहि हो रही है। इसलिए आप उनके लिए ज्यादा सुविधायें जुटायेंगे तो उचित होगा।

इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री ने बजट रखा है, उसके लिए उनको बधाई देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति महोदय, बजट के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, परन्तु मैं यह बजट छोटा है या बड़ा है, विकास का प्रति व्यक्ति कितना खर्चा होने जा रहा है--इसके बारे में, मैं आपके माध्यम से, वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं दो वर्षों का कम्पेरीजन करता हू, 1972–73 और 1975–76 के वित्तीय वर्ष का। इस पंचम विधान सभा में जो पहला पेश किया था उस समय बजट की साइज क्या थी, इस वक्त में बजट की साइज क्या है, प्लान के लिए कितना रुपया खर्च किया जाता है, 1972–73 में कितना रुपया खर्च किया गया और इस वर्ष कितना रुपया खर्च किया जायगा। सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि वित्त मंत्रीजी ने बड़ी दक्षता के साथ बड़ा संतुलित बजट पेश किया है। मैं कहता हू, सभापति महोदय, न पूरे साधन जुटाये गये है, न लोगों को तनख्वाह दी जा रही है और न प्रदेश को विकास की ओर बढ़ाया जा रहा है और बजट पूरा सकुचित पेश किया गया है। मैं निवेदन करूंगा, 1972–73 के अनुपात में राजस्व प्राप्तियां 25 पर्सेन्ट कम दी गई हैं–यह मैं आंकड़ों से सिद्ध करता हूं। 1972-73 में राजस्व प्राप्ति 228 करोड़ थी, साथ में जो अपना इकानामिक एण्ड स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट है, उसने एक बुकलेट, 'बजट एट ए ग्लान्स' के अन्दर बताया है, प्राइस लेवल कितना बढ़ गया है। 1951–52, 1952–53 को बेस मानें तो प्राइस लेवल बढ़ गया है, करीब 70 पर्सेन्ट। 453 इन्डेक्स है 1974 के अन्दर, और 1972 में इन्डेक्स था 270, 270 और 453, इस प्रकार 70 पर्सेन्ट अधिक होता है। प्लान आउटले में 10 पर्सेन्ट कम से कम कमी मान कर चलें। तीन साल में जनसंख्या साढ़े सात पर्सेन्ट बढ़ती है। इसके साथ में और भी बजट के साधन हैं उनका विकास होता है। नये नये मेजर्स अडाप्ट किये गये हैं इसका इम्पेक्ट होना चाहिए ओवर आल रिसीट्स पर रिसीट्स एण्ड अकाउन्ट्स पर। परन्तु उसको मैं 80 पर्सेन्ट अपग्रेड करता हूं। इस वर्ष के लिए अनुमानित रूप से, यह मानें कि उस समय खर्च किया गया या प्राप्त किया गया, वह प्रति व्यक्ति स्थिर रहा है, 410 करोड़ रुपये होता था, दुर्भाग्यवश वह असेस की गई है, 330 का है। कहां 330 करोड़ और कहां 410। तो इस बजट में राजस्व प्राप्तियां हैं वह वास्तव में 25% पर्सेन्ट कम हैं। ऐसा मेरा अनुमान है इसको वित्त मंत्री मना नहीं कर सकते। जहां तक योजना का प्रश्न है, 1972–73 में 67 करोड़ 23 लाख रु. खर्च किये गये और इस वर्ष 110 करोड़ 84 लाख का 1975–76 के लिए अनुमान रखा गया है, यानि 80 प्रतिशत अपग्रेड कर दें तो कुल आउट ले 120 करोड़ रुपये होता है,

(श्री अमृतलाल गहलोत)

परन्तु प्रावधान रखा गया है 110 का। कहने का तात्पर्य यह है कि एट कोन्सटेंट प्राइस प्रति व्यक्ति जो रखा गया है वह 10 परसेन्ट कम होगा। कहने का तात्पर्य है, राजस्व प्राप्तियां और प्लान आउट ले–यह दोनों 25 परसेंन्ट और 10 पर्सेन्ट क्रमशः कम हैं। साथ साथ पर कपिटा इन्कम आती है। किसी देश की प्रास्पेरिटी का प्रति व्यक्ति आय से अनुमान लगता है, एट कोन्सटेन्ट प्राइस, परन्तु जहां पर 1970–71 में कोन्सटेन्ट प्राइस पर 302 रुपया प्रति व्यक्ति आय और बहुत अच्छा गिना जाता है साल 1973–74 का, उसमें 304 हो जायगी। इस साल ड्राट हो गया तो खरीफ में 36 लाख टन के बजाय 26 लाख टन अनाज पैदा हुआ है और रबी में 41 लाख टन हुआ है। पिछले वर्ष का 31 लाख टन कह देते हैं तो एक मिलियन टन अधिकांश हुआ है और दो मिलियन का ड्राप हुआ है खरीफ में। वह भी ड्राप हुआ है प्रति व्यक्ति आय, 1970–71 में 302 थी और 1972–73 में 304 है। इस तरह से पांच वर्ष तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है। यह मान कर चलिये कि यह तरक्की का अच्छा ट्रेन्ड नहीं है और हमें यह देखना होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी राज्य की आय को बढ़ायें। परन्तु आय बढ़ती है, सभापति महोदय, उसके लिए पहले जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट का रुपया प्राप्त होता है बचत से, ऋण से वह बचत इसमें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक जीवन के अन्दर प्राइस बढ गई हैं, प्राइस 70 पर्सेन्ट बढ गई है। अतः मेरा निवेदन आपके माध्यम से वित्त मंत्री को है, आप बहुत दक्ष हैं, बहुत कठोरता से काम करते हैं। आप अपनी कठोरता के अन्दर और ज्यादा विस्तार करें। उसके लिए तीन तरीके हैं, राजस्व लेखे में प्राप्तियों के लिए, एक तो टैक्स रेवेन्यू, एक नान टैक्स रेवेन्यू, तीसरा ग्रान्ट–इन–एड। टैक्स रेवेन्यू के दो फार्मूले हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू एड-वेलोरेम वे में होती है, दूसरी फिजिकल क्वान्टिटी से रिलेटेड है। एडवेलोरेम में सेल्स टैक्स आता है, कीमत बढ़ गई, सौ रुपये क्विन्टल गेहूं था तब तीन रुपये थे, 200 रुपये क्विन्टल हो गया तो छः हो गया। वित्त मंत्रीजी जानते हैं, प्राइसेज फ्लेक्सिबल हैं और पहले से प्राइस बढ़ गई है। आपकी सेल्स टैक्स से आय बढ़ेगी। एक बोतल शराब पर दो रुपये हैं. लेकिन उसकी प्राइस रखी जायगी वह स्टेबल है। इसी तरह जमीन के ऊपर भी राजस्व है, वह क्षेत्रफल पर है। इसी तरह रोड टैक्स है वह व्हीकल पर है, सिटिंग कैपेसिटी पर गुड्स टैक्स है वह तोल पर है। जो चीज मूल्य पर निर्धारित नहीं है, फिजिकल क्वान्टिटी पर निर्धारित है वह बढ़ती है। अगर, सभापति महोदय, वित्त मंत्री अलग इन्डीकेटर, मेन्टेन करके सारी चीजों का एनेलेसिस कर लें और मूल्य के अन्दर अपग्रेड कर दें, चाहे इरिगेशन चार्जेज हों, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हों, वह आगे नहीं बढ़ पाये हैं। मैं निवेदन करता हूं कि 25 पर्सेन्ट राजस्व प्राप्तियां कम हुई हैं, पूर्व से और अगले साल और कम हो जायेंगी। लोगबाग आरोप लगाते हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, वित्त मंत्री, आपने टैक्स बढ़ाया नहीं है, टैक्स बढ़ाने की गुंजाइश है, एड वेलोरम स्तर पर, सारा

(श्री अमृतलाल गहलोत)

टैक्स फिजिकल क्वान्टिटी पर ले आयें, बुक वेल्यू, एडीशनल पर्सेन्टेज बढ़ाता है, तो आप टैक्स बढ़ायें। विद्यार्थी जो हैं डिप्लोमा लेकर आते हैं, उन बेचारों को 5 साल पहले भी 150 रु. स्टाइपेंड मिलता था आज भी 150 रु. ही मिलता है। डिग्री होल्डर को पहले भी 250 रु. मिलते थे आज भी 250 रु. मिलते हैं। 150 स्टाइपेंड पाने वाले को जयपुर में मकान नहीं मिल सकता। 80–100 रु. में भी कमरा नहीं मिलता है। जिनके परिवारों ने इतनी बडी धनराशि खर्च करके उनको पढ़ाया वे लोग जयपुर शहर में, जोधपुर में 150 रु. लेते हैं, उनको इतने पैसे में न मकान मिलता है न रोटी मिलती है। जो छोटे अधिकारी हैं, फिक्स्ड इन्कम ग्रुप के हैं उनको इन्क्रीज्ड प्राइसेज के लिए आप न्यूट्रिलाइज नहीं कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है, उससे उनका गुजारा नहीं होता। आप कब तक उनको दबायेंगे? 1951 में असिसटेंट इंजनीयर को 285) रु. मिलता था, आज प्राईसेज 4।। गुने हो गए। इसका मतलब उसको 1350) दिया जाए। अब उसको 500 या 550 मिलते हैं। 1400 ज्यादा या 500 ज्यादा? क्यों आप उनको भ्रष्ट होने के लिए बाध्य करते हो, तो आप रियेलिटी को पहिचानें। मंत्रियों और विधायकों के वेतन भी बढने चाहिये। हो सकता है कि वित्त मंत्री सम्पन्न हैं, उनके आय के अन्य सोर्सेज हैं उनसे उनको बहुत कुछ आता है, परंतु जिन मंत्रियों का गुजारा नहीं होता उनका क्या हाल होगा? महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि 500) रु. वे ले सकते हैं। तो आज उन 500) रु. का क्या मूल्य है? मैं कहता हूं कि इट इज ए फाल्स इकानामी, इट इज ए हिपोक्रिटीकल आस्टरिटी। आज एक व्यक्ति को भरण-पोषण के लिए अगर उनको नहीं देंगे तो वह भ्रष्ट हो सकता है और असामाजिक काम भी कर सकता है। अगर हम लोगों ने नहीं सोचा कि जिसको हम वेतन देते हैं उससे उनका न्यूनतम पोषण हो रहा है कि नहीं तो जब समाजवादी कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं तो उसकी परिभाषा की दो तीन चीजें मैं बता दूं। प्रत्येक नागरिक को जीवन की न्यूनतम आवश्यकतायें मिलें जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। रोजगार नहीं मिले तो उसके एवज में भत्ता मिलता है। पश्चिमी देशों में ऐसा है जहां कम्यूनिज्म नहीं फैला हुआ है, वहां सोशियल सर्विसेज गारन्टीड हैं, वह हम भी नहीं कर सकते। 150) रु. में डिप्लोमा होल्डर कैसे गुजारा करेगा? अतः सभापति महोदय, हम सच्चाई को पहचानें और जो टैक्सज नहीं आ रहे हैं, आप उनको बढायें और बजाय इसके कि 330)रु. से 410) रु. तक लाते तो मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री ने 1972–73 में ही प्रति व्यक्ति आय कान्सटेंट प्राइसिज पर लाकर रखी है। आप तो 25 पर्सेन्ट शिक हो गए। न डाक्टर बढ़ा सकते हैं, न अस्पताल खोल सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी करना है। परन्तु जो हैं उनको चलाने के लिए तनख्वाहें देनी पड़ेंगी।

जोधपुर में, मैंने अखबार में पढ़ा कि यूनिवर्सिटी टीचर्स ने लड़कों की परीक्षायें लेने से मना कर दी। वे कहते हैं कि हमें जो

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पैसा मिलता है वह अपर्याप्त है। अप्रेल 1966 में हम उसको 400) रु. देते थे, इस समय हम उनको 550) रु. देते हैं करीब 2।, या 2।। गुना महंगाई बढ़ी है। मैं सिंडीकेट का सदस्य हूं, सी. एम. ने जो कहा वह वाजिब है। अगर केवल यूनिवर्सिटी टीचर्स के वेतन मान बढ़ाते हैं तो आर. ए. एस., आर. पी. एस. वाले सभी के ग्रेड्स बराबर हैं, वे सभी मांग करेंगे। जब वे मांग करेंगे तो दूसरे कर्मचारी भी मांग करेंगे। राजस्थान के कर्मचारियों को तो यू.जी. सी. नहीं देगी उनको तो राज्य के बजट से ही देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर सारे ग्रेड्स को बिल्कुल प्राइस लेविल पर लाया जाए तो राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपये और चाहिए। यूनिवर्सिटी टीचर्स ने हड़ताल की है, सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल कर सकते हैं लेकिन आप उसको फेस नहीं कर पायेंगे। आपके पास जवाब क्या है? प्राइसेज को रोक पाये? प्राइस राइज के लिए कौन जिम्मेदार है। इसके लिए राजस्थान सरकार या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है। पहले अमरीका ने गेहूं का मूल्य बढ़ाया। अरब देशों ने पेट्रोलियम का भाव बढ़ाया। 31 दिसम्बर, 1973 को भारत को मिडिल ईस्ट देशों ने डालर 3.58 सेंट प्रति बैरेल दिया और दूसरे दिन 8.48 डालर प्रति बैरेल हो गया और अब 10.50। सऊदी अरेबिया की जमीन के नीचे 20 हजार मिलियन लिटर तेल भरा पड़ा है जो दुनियां का 20 पर्सेन्ट है। इकानामिस्ट्स ने कोट किया है कि अगर इस तरह से ये लोग मूल्य बढ़ाते गए तो 5 साल में संसार में सबसे ज्यादा सोना और ज्वेलरी अरब देशों में जमा होगी। 300 करोड़ रुपए का हमारा आयात था पेट्रोलियम का वह एकदम 1300 करोड़ हो गया। कहने का तात्पर्य है कि प्राइसेज बढ़ी हैं, लेनिन ने कहा है-Grain is the currency of all the currencies.

मैं कह सकता हूं Petrolium is the currency of all the currencies. हम टेरेलिन बनाते हैं, फर्टीलाइजर्स बनाते हैं One litre petrol means 1 kg and 1 kg Nitrogen means 10 kg. grain.

यूरिया का भाव डबल हो गया क्योंकि पैट्रोल का भाव बढ़ गया। ये चीजें महत्व रखती हैं। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूँ कि वह हिम्मत से काम लें। जहां का भी वित्त मन्त्री सख्त नहीं होगा तो वह गाड़ी आगे नहीं चला सकता। आप फिजिकल मेजर्स को रिवाइज करें। 3-4 महीने में 50-60 करोड़ और जुटायें वरना सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर पायेंगे, विकास योजनायें पूरी नहीं होंगी। इस समय सड़कों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में चारों तरफ पैरेलिसिस आ गया है। एक किसान 10) में सिंचाई करता है इलेक्ट्रिक वाला 100) में करता है। गंगानगर का किसान इर्रीगेशन के लिए सब्सिडी प्राप्त करता है। वहां इर्रीगेशन की चार्जेज ली हैं। आज गुरदयाल सिंहजी कह रहे थे कि हमारे जिले में जुल्म हो रहा है। रिच हैज बिकम रिचर। विषमता बढ़ी है। गरीब अधिक गरीब हो गया। पिछले साल 95.56 करोड़ का योजना थी उसमें से 54 लाख गंदी वस्तियों के लिये और उसमें से 15 लाख शहर को दिया अर्थात् 54 पर्सेन्ट। हमने क्या गुनाह

(श्री अमृतलाल गहलोत)
किया ? हम अल्प संख्या में हैं। आपने कहा कि गांवों में 5,48,317 प्लाट्स बांटे लेकिन नगरों में कुछ नहीं।

इस योजना में ड्रेनेज को आपने नाम मात्र दिया है। जैसे कोई भिखारी को आपने दे दिया। आपने टैक्स लगाये परन्तु आप शहर में रहने वालों के विकास में बाधा न डालें हम राजनैतिक दबाव नहीं डाल सकते हैं।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ न्याय करें। एक बात और जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के बारे में हमारे यहां पर कैपिटा जो बिजली दी जाती है वह केवल 70 यूनिट बिजली देते हैं जबकि आपके पन्जाब में 250 और हरियाणा में 180 यूनिट वार्षिक बिजली देते हैं। यह मैं आपको लेटेस्ट इनफोरमेशन दे रहा हूँ और यह आंकड़े गलत आंकड़े नहीं हैं। अब आप देखिये कि राजस्थान में कौनसी अधिक बिजली आप दे रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय चूंकि सेन्टर में पंजाब और हरियाणा की पोलीटिकल लाबी स्ट्रोंग है इसलिये वहां पर यह लोग बात इस प्रकार की पैदा करते हैं कि राजस्थान में सरप्लस बिजली है। अगर यह आटोमिक प्लान्ट बन्द हो जावे तो हमें इतनी भी बिजली नहीं मिल सकती और मैं समझता हूं कि पंजाब और हरियाणा की जो जनता है उसकी आंख इस आटोमिक प्लान्ट और राजस्थान की बिजली पर है और वह इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप घबराये नहीं हम सभी विधान सभा के सदस्य आपके साथ हैं और एक सर्वसम्मत प्रस्ताव इस सदन से लेकर इस बारे में केन्द्रीय सरकार को भेजेंगे। क्योंकि आज जो हमारे यहां पर बिजली मिल रही है वह पर्याप्त नहीं है। टोटल बिजली जो हमारे को हरियाणा और पंजाब से मिलती है उसमें पंजाब से तो हमारे को पर केपिटा 170 यूनिट कम मिलती है इसलिये मैं आपके मध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी सदस्यों को चाहिये कि इस बारे में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके भेजेंगे और आपके हाथ हम मजबूत करेंगे। बस धन्यवाद।

श्री चेतराम (टोडा भीम): आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। कल हमारे सदन में वित्त मंत्रीजी द्वारा बजट पेश किया गया। सभापति महोदय बजट के पेश होते वक्त सभी माननीय सदस्यों का वित्त मंत्रीजी की ओर ध्यान रहता है। बजट में सभापति महोदय प्रजातन्त्र पद्धति जहां होती है दो बातों के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है जो कि महत्त्वपूर्ण है एक तो उसमें विधान सभा सदस्य यह देखते हैं कि बजट में विकास की गति क्या है और दूसरे वित्त मंत्रीजी ने कर भार कितना जनता पर लाद दिया है। जहां तक कर भार का प्रश्न है वित्त मंत्रीजी ने कर भार जनता पर कोई नया नहीं लगाया है। दूसरी बात इसके लिए जो मैं निवेदन करना चाहूँगा उसमें मेरा कहना तो यही है कि वित्त मंत्रीजी तो पहले ही जनता पर आर्डिनेन्स के जरिये 28 करोड़ रुपये का कर भार तो राजस्थान की जनता पर लगा चुके थे। इसलिये यहां पर जो सदन में

(श्री चेतराम)

वित्त मन्त्रीजी ने यह भाषण में कहा कि कोई कर भार नहीं डाला गया उससे तो मैं सहमत नहीं हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है विकास की गति के बारे में। जहां तक विकास के कार्यों का संबंध है उसके बारे में भी सभापति महोदय जनता का ध्यान वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण में और गवर्नर साहब की स्पीच में इनमें क्या हुआ यह देखा जाता है। सभापति महोदय विकास गति के बारे में तो हमारे यहां पर राजस्थान में एक बहुत बड़ी भारी विडम्बना दैवी प्रकोप की रही और उसकी वजह से हमारे राजस्थान की विकास गति धीमी रही। दैवी प्रकोप का जहां तक सवाल है हमारे राजस्थान में 1959 से लेकर लगातार सन् 1974 तक राजस्थान में अकाल पड़ता रहा है। राजस्थान में करीब 33 हजार गांव हैं इसमें से करीब 12-13 हजार गांव हर साल अकाल की चपेट में आते हैं। सभापति महोदय, जयपुर डिविजन में झुंझुनूं और सीकर को छोड़ कर सभी इलाकों में और कोटा जिले को छोड़ कर बाकी सभी जगह अकाल पड़ता है जिसमें खास तौर से जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर डिविजन में किसी न किसी रूप से अकाल पड़ता ही रहता है। इसमें करीब 12 हजार से लेकर 13 हजार गांव होते हैं। सभापति महोदय मैं, यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर आज तक अकाल के नाम पर करीब 350 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। यह अकाल की बहुत बड़ी भारी विभीषिका हमें देखने को मिली है। सभापति महोदय अगर इन 350 करोड़ रुपये की हम कोई योजना बनाते तो हर गांव के ऊपर करीब तीन लाख रुपये की योजना हम बना सकते थे। लेकिन हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हर साल अकाल पड़ता रहा और राज्य सरकार ने सिर्फ उन्हीं जिलों में अकाल राहत कार्य खोले जहां कि अकाल पड़ता था, जिससे कि उन जिलों में लोगों को काम मिल सके और उन्हें भोजन मिल सके। सभापति महोदय मेरा निवेदन यहां पर यह है कि अगर अकाल को हमेशा के लिये समाप्त करने के लिये अगर राज्य सरकार कोई परमानेन्ट योजना ऐसी बनाती कि जिससे अकाल भविष्य में नहीं पड़े तो लोगों को काफी राहत मिलती। लेकिन सभापति महोदय राज्य सरकार ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाये। यह बहुत ही बड़ी विडम्बना है। सभापति महोदय इतना पैसा खर्च करके भी हम अकाल के लिए कोई स्थायी हल नहीं निकाल सके।

सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी के बजट भाषण में और गवर्नर साहब की स्पीच में ऐसा देखा गया है कि हमारी जो योजनाबद्ध कार्य की योजनायें थीं उनका अकाल राहत कार्य में मोड़ दिया गया है। इस तरह से ऐसा होता है कि हमारे योजनाबद्ध जो कार्य थे वह पूरे नहीं हो सके और एक तरह से हमारी योजनाओं की छुट्टी हो गयी। अगर हमारी योजनाओं को चालू रखा जाता तो मैं समझता हूं कि हमारी विकास की गति काफी बढ़ जाती इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि योजनाबद्ध जो कार्य हमारे हैं वह तो चालू ही रहने चाहिये और योजनाबद्ध कार्यों को अकाल राहत कार्यों में नहीं मोड़ना चाहिये।

(श्री चेतराम)

सभापति महोदय, हमारे अकाल के लिये जो राज्य सरकार ने खर्च किये हैं वह 350 करोड़ रुपया है और हमारी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं पर जो कुल खर्च था वह 369 करोड़ रुपये था जो कि हमारी अकाल राहत कार्यों पर राशि खर्च की गयी थी उससे कोई 25 करोड़ रुपये ज्यादा है। सभापति महोदय, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अकाल राहत कार्यों में ऐसे कार्य खोले जाने चाहिये जो कि स्थायी रूप से काम आ सकें और हमें अकाल से हमेशा के लिये छुट्टी मिल सके। इसके अलावा वित्त मन्त्रीजी से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बजट स्पीच में विकास कार्यों में पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो प्राथमिकता दी है वह है इर्रीगेशन, उद्योग, और सामाजिक कार्यों के लिये। जहां तक सिंचाई के बारे में खर्च करने का सवाल है तीन तरह से पैसा सिंचाई पर खर्च किया जाता है। पहली तो बड़ी योजनायें हैं जैसे कि राजस्थान केनाल, दूसरी मध्यम योजनायें और तीसरी हैं लघु सिंचाई योजनायें। इन तीनों पर राज्य सरकार अपना पैसा खर्च कर रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो पैसा इन सिंचाई की योजनाओं पर खर्च कर रही है वह मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे राजस्थान का पैसा सिर्फ कुछ ही जिलों के लिये खर्च किया जा रहा है और इसके लिये बाकी के जितने भी जिले हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। एक जिले का तो सर्वांगीण विकास आप सिंचाई की योजनायें बना कर कर रहे हैं दूसरी तरफ दूसरे जिलों की आप सिंचाई की योजनाओं को हाथ में नहीं ले रहे हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार को सिंचाई के लिये योजनायें बनाते समय दूसरे जिले की जनता के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिये। इसके अलावा मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछड़े इलाके हैं जो पिछड़े जिले हैं उनके विकास की ओर निश्चित रूप से राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये और इतना विकास करना चाहिये कि दूसरों के बराबर आ जायं। परन्तु दूसरे जिलों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। उनके विकास का कार्य रोका नहीं जाना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे जिले, जो विकसित तो नहीं कहे जा सकते हैं लेकिन जो उन्नत माने जा सकते हैं, उनमें विकास की गति आपको बढ़ानी चाहिये। यदि उन पर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो हम राजस्थान में उद्योग धन्धों, खेती आदि में पिछड़ते चले जावेंगे। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में दो तिहाई भाग सिंचाई और खेती पर खर्च के लिये है। अब तक जो इन योजनाओं पर खर्च किया गया है, पहली चार पंचवर्षीय योजनायें और तीन एक एक साला योजनायें, इन पर जो खर्च किया गया है 75 प्रतिशत ऐसी जगहों पर खर्च किया है जो कि अनउपजाऊ जगह हैं। उन पर खर्च किया गया है जब कि उपजाऊ जगहों पर जैसे जयपुर है, कोटा है यहां पर नगण्य खर्च किया गया है। राजस्थान में जितनी उपजाऊ हैक्टर भूमि है 1,37,066 हजार उसका 40 प्रतिशत जयपुर डिवीजन में है

(श्री चेतराम)

और 10 प्रतिशत कोटा डिवीजन में है। चम्बल को छोड़ कर बाकी किसी बड़ी योजना पर खर्च नहीं किया गया है। 25 हजार का प्रोविजन रखा गया है वह रामगढ़ नहर के लिये रखा गया है। जो योजनायें बनायी गयी हैं, छोटी हों या बड़ी हों या कैसी हों, उनके लिये ऐसा होना चाहिये, इस तरह से खर्च होना चाहिये कि जिससे सारे राजस्थान को फायदा हो, अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़े।

(4.12 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल के पूरा होने पर उस पर 59 करोड़ रुपया खर्च हो जावेगा और 2 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई के साधन उपलब्ध कर पायेंगे। एक हैक्टेयर पर 7,950) रु. खर्च होगा। आप इस ओर तो जरा खयाल कीजिये। एक क्षेत्र पर आप सिंचाई के लिये इतना खर्च कर रहे हैं और जबकि दूसरी ओर आप नगण्य खर्च कर रहे हैं। विद्युत पर होने वाले खर्च से भी 11 गुना बढ़ गया है। जो खेती के प्रधान जिले हैं, वहां पर विद्युत का प्रोविजन कर दें तो आपको बाहर से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर जयपुर डिवीजन, कोटा और उदयपुर...

श्री भीमसेन : आन ए पौइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये।

श्री भीमसेन : देयर इज नो कोरम इन दी हाउस।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम बेल बजाइये।

(गणपूर्ति सूचक घंटी)

माननीय सदस्य (श्री चेतराम) शुरू कीजिये।

श्री चेतराम : उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतिकरण अधिक करना चाहते हैं। बिजली की जो खपत है उसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि 22 प्रतिशत की बिजली कृषि के ऊपर काम आ रही है। बाकी की बिजली उद्योग धन्धों पर काम आ रही है। लघु उद्योग धन्धों और बड़े उद्योग धन्धों को छोड़ कर हम बिजली बाहर भी दे रहे हैं। बिजली बचा कर अधिक से अधिक खेती पर देना चाहिये।

ग्रामों में विद्युतिकरण का जो प्रोग्राम रखा है वह प्रशंसनीय है। भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनूं के लिए एक स्पेशल स्कीम विद्युतिकरण के सम्बन्ध में बनाई गयी थी लेकिन इस सम्बन्ध में भाषण में कोई उल्लेख न सुनने से बड़ी निराशा हुई। खेद भी हुआ। आप अपने उत्तर में यह फरमायेंगे कि इस स्कीम को निश्चित रूप से शामिल करेंगे इसमें।

इसके अलावा यह निवेदन करना चाहूंगा कि एप्रोच रोड्स के सम्बन्ध में प्रावधान रखा है। माननीय मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में फरमाया कि राजस्थान में सड़कों का विस्तृत जाल बिछा हुआ है। लेकिन मैं उन्हें निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सवाई माधोपुर क्षेत्र में चलिये और

(श्री चेतराम)

आप देखिये कि किस प्रकार सड़कों का जाल बिछ गया है। किस तरह से आपको सड़कों का अभाव मिलेगा,जाल नहीं बिछा है। पूरी तहसील में एक लाख लोग रहते हैं पांच मील की सड़क जो कि सन् 43 के पहले की है। सवाई माधोपुर जिले में 3 स्टेट हाई-वेज हैं, एक है जयपुर सवाई माधोपुर वाया दौसा, दूसरा है जयपुर सवाई माधोपुर वाया टोंक और तीसरा है सवाई माधोपुर अलवर। वाया गंगापुर नादोती। मैं आप से निवेदन करूंगा कि इन स्टेट हाइवेज को देखेंगे तो ग्रामीण सड़कें उनसे अच्छी हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। बरसात के चार महीने सवाई माधोपुर का हैडक्वार्टर बाकी तहसीलों से कट ऑफ हो जाता है। रेल ही एक साधन है जिससे आ जा सकते हैं। इसलिये सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है राज्य में वह अब तक सवाई माधोपुर में नहीं बिछा है। यदि इस ओर ध्यान दें तो और भी कर दे सकते हैं और आपका कहना भी पूरा हो जायगा।

इसी प्रकार पुलियाओं की बड़ी आवश्यकता है। यदि आप सड़कें बनायेंगे तो पुलियायें भी बनायेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, अब आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर निवेदन करूंगा। माननीय वित्त मंत्रीजी आपने अपने भाषण में सामाजिक सेवाओं का उल्लेख किया। जो सब-प्लान बनाया है उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के सम्पूर्ण जिले, उदयपुर जिले की सात तहसीलें एवं चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील, ये इस प्लान में रखी गयी हैं, इन सब प्लान को पूरी गति से इस वर्ष में क्रियान्वयन किया जायगा। जनसंख्या 13 लाख और इस पर खर्च आयगा 32 प्रतिशत। प्लानिंग कमीशन के सामने जो सब प्लान प्रस्तुत किया गया था वह 54 करोड़ 60 लाख का था। अपनी ओर से माननीय वित्त मंत्रीजी ने 14 करोड़ दिखाये हैं। जबकि इसमें 23 करोड़ का प्रावधान किया है। सब प्लान में राशि आप कट न करें। सब प्लान के बारे में कुछ सन्देहात्मक धारणायें हुई हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। उसमें यह है कि उद्योगों का वर्णन किया गया है। चीनी, मिट्टी के बर्तन बनाना। इस तरह के जो काम रखे है, मैं निवेदन करूंगा कि आदिवासियों में इस प्रकार के काम करने के लिये तैयार नहीं हैं। वे इनमें से किसी काम को करने को तैयार नहीं हैं और यह होगा जो प्रोविजन रखा गया है पैसा आदिवासियों के भले के लिए न जाकर दूसरे लोगों को जायगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो पैसा आप उद्योग धन्धे में लगाना चाहते हैं वह उसमें न लगाकर खेती पर लगायें। आदिवासी खेती के अलावा दूसरा धन्धा नहीं करते हैं। सुतारी और लोहार आदि के काम को निश्चित रूप से आदिवासियों के नाम पर दूसरों का भला होगा।

मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं 40 एक्सटेन्शन सेन्टर ऐसे खोले जायेंगे जिनके गांवों की संख्या एक हजार होगी। माननीय उपाध्यक्षजी आदिवासियों का एक स्पेशल जीवन होता है। वे कभी भी गांवों में न रह कर गांवों से अलग रहना

(श्री चेतराम)

पसन्द करते हैं। अपने अपने झुण्ड में, अपनी अपनी बीड में रहना पसन्द करते हैं। 10-10, 15-15 के झुन्ड में टीलों पर या पहाड़ों की चोटी पर रहते हैं इसलिए 10 सैन्टर जो ऐसे खोले जायेंगे उसका लाभ निश्चित रूप से आदिवासियों को नहीं मिलेगा और उसका लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो आदिवासी नहीं हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा यह जो आबादी वाला क्राइटेरिया रखा गया है वह उनके लिये किसी हालत में न होकर औरों के लिये ही होगा। उनके लिये योजना में कोई लाभ नहीं होगा। अतः इसके बारे में विचार किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं एक यह निवेदन करूंगा आदिवासी क्षेत्रों के लिये विद्युतिकरण की योजना बनाई है और आपने कहा है कि बड़े बड़े गांवों में बिजली पहुंच जायगी तो मेरा निवेदन है बड़े बड़े गांवों में आदिवासी नहीं होते हैं। जब आप बड़े गांवों तक बिजली ले जाकर छोड़ देंगे तो आदिवासी सक्षम नहीं हैं कि वे अपने क्षेत्र तक या अपने कुओं तक बिजली ले जायेंगे। इसलिये निवेदन करूंगा बड़े बड़े गावों तक न लेजा कर छोटी छोटी ढाणियों तक ले जायं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं एक यह निवेदन करूंगा योजना जो बनाई है-ग्रामों की तो उसमें गांवों का अर्थ सघन गांव से लगाया है जिसकी आबादी एक हजार हो, बिखरे हुये गांव उसमें नहीं माने जायेंगे इसलिये मैं निवेदन करूंगा इससे भी इनको दूर रखा गया है। यदि आदिवासियों का भला करना है तो सबसे पहले आदिवासियों के लिये सिचाई का प्रबन्ध कराया जाय, उनके लिये कुओं का प्रबन्ध किया जाय, उनके लिये पम्पिग सैट खोले जायें। एग्रीकल्चर की जो जमीन होती है वह बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होती है इसके बदले वे बैंक से कर्जा ले नहीं सकते तो उनके लिये कम से कम यह शर्त कर्ज लेने के समय न रखी जाय।

दूसरा निवेदन है स्कूल भवनों की जो व्यवस्था है उसमें भी आदिवासी साधन सम्पन्न नहीं होते हैं। राज्य सरकार स्कूल खोल देती है इसलिये आदिवासियों के यहां भवन बनाने की जो व्यवस्था हो वह भी राज्य सरकार की हो ऐसा मेरा निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष जी इसके अलावा 58 प्रतिशत की जो संख्या है उसके लिए भी हमारी पचवर्षीय योजना में कोई स्थान नहीं है। मैं निवेदन करूंगा जयपुर जिसमें 8 प्रतिशत जनसंख्या है, सवाई माधोपुर जिसमें साढ़े 8 प्रतिशत जनसंख्या है तो मेरा निवेदन है पूरे जिले की संख्या न लेकर तहसील की ली जाय तो उससे आदिवासियों का भला हो सकता है।

एक निवेदन और है समूह के रूप में कोटा जिले में भी आदिवासी हैं सहारियों के नाम से हैं निश्चित रूप से उनकी जनसंख्या 500-600 के लगभग है और इसका सर्वे भी हुआ और सर्वे होकर भी इसमें नहीं लिया गया है। आप तो केवल एक पर्टीक्यूलर एरिया में यह योजना बनाना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा हो लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां आदिवासियों का बाहुल्य हो, वहां इस तरह की योजना बनानी चाहिये।

(श्री चेतराम)

इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राईब्स, जो चार हजार के लोन का प्रावधान है उसके लिये राज्य सरकार को ब्याज देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी 20 साल में जो लोनी होगा वह मूलधन देगा। इसके बदले में राज्य सरकार जो ब्याज होगा उसको देगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो 20 साल में ब्याज होगा वह चार हजार 59 रुपये होगा। एक तरफ जो राज्य सरकार चार हजार 59 रुपये देगी इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च होगा। पैसा देने के लिये, स्टाफ रखा जायगा, स्टेशनरी का होगा, ऑफिसर्स का होगा। यह सारा खर्च करीब लगाया जाय तो 5500 का लगभग आता है। चार हजार के लोन के बदले यह 5500 रुपया दूसरे डिपार्टमेन्ट को देना पड़ेगा। इसका इनडाईरेक्ट मतलब होता है जो 5500 रुपया दूसरे कार्यों के काम में आना था वह न आकर दूसरे मद में खर्च हो गया तो मेरा निवेदन है कि वह इस ब्याज के चुकारे में जाय। इसलिये इस पैसे का घाटा पड़ेगा। चार हजार रुपया यह राज्य सरकार इस प्रकार खर्च करे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को चुकाना नहीं पड़े, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इस समय परिस्थितियों की मांग के अनुकूल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भयंकर बेरोजगारी है, पढ़े-लिखे लोग आज बेकारी के साये में मुंह बाये खड़े हैं। भयंकर विस्फोटक स्थिति बनी हुई है रोजगार की समस्या विकट है। इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये आपके बजट में कोई योजना नहीं है। यह बड़ा शोचनीय विषय है। इसके अन्दर बेरोजगार को सांत्वना किस प्रकार मिलेगी और उसको किस प्रकार हल करेंगे यह वित्त मंत्रीजी बतायेंगे।

दूसरी ओर जो गरीब हैं और सांत्वना चाहते थे कि कुछ महंगाई में राहत मिलेगी वह भी इस बजट में कहीं नहीं मिली है। गरीब लोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। इस खाई को पाटने के लिये कोई विचार माननीय वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत नहीं किया। गरीबी भयंकर रूप से शहरों में थी लेकिन आज बढ़ते बढ़ते छोटे-छोटे गांवों में चली गई है और गरीब इतने परेशान हैं कि वे शहर में कमाने के लिये चक्कर खा रहे हैं जिससे स्पष्ट नजर आता है कि गांवों में भी भयंकर रूप से बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है। आज शहरों में भी झोंपड़ियां बनी हुई हैं और दूसरी तरफ बड़े-बड़े महल खड़े हुये हैं। यह कितनी भयंकर असमानता है। यह फर्क दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज गरीब को सिर छिपाने के लिये कोई हल न निकालकर आपने बजट में अच्छा नहीं किया है। आपके बजट में उस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

आपने चर्चा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित बन जाति को मकान बनाने

(श्री अजीतसिंह)

के लिये कर्जा देने की लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी गरीब बहुत हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही गरीब नहीं हैं इस दुनियां में और भी बहुत सारे गरीब पैदा हुये हैं जिनको दो गज जमीन देने का भी आपने बजट में प्रावधान नहीं किया है। आपने समाज में बड़ा भारी मन मुटाव पैदा कर दिया है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दो गज जमीन दिलाने की फिक्र कर रहे हैं वह न करें कम से कम।

श्री अजीतसिंह : उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरी यह मान्यता है कि आप यह व्यवस्था सभी गरीबों के लिए करते, जिनके पास धन्धा नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है, जिनके पास अपने मकान नहीं हैं, जो मकान खरीद नहीं सकते, ऐसे गरीबों के भवन निर्माण की योजना हाथ में लेते तो ज्यादा उपयोगी होता। इससे जो मन मुटाव पैदा हुआ है किसानों और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के बीच में कि सरकार सारी सुविधायें इनके लिए ही करना चाहती है और हमको नेग्लेक्ट करना चाहती है यह उचित बात नहीं है। आपने जो उनके ही नाम से राग अलापा है मैं चाहूंगा कि इस प्रदेश के अन्दर सब योजनाओं में इन गरीबों के लिए चाहे हाउसिंग बोर्ड की तरफ से या कहीं और से कोई व्यवस्था करें और उनको सुख-सुविधायें उपलब्ध करा दें।

दूसरा आपने जो दूसरी सुविधायें प्रदान की हैं और उनके लिए आश्वासन भी दिया है लेकिन गरीबों के पास पैसा नहीं है और हमारे यहां राजस्थान के अन्दर बहुत ज्यादा तादाद में फायदा नहीं उठा सकते, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब मरते चले जायेंगे। आपने किसानों के लिए एक बड़ी विचित्र बात इसमें अपने बजट भाषण में कह डाली कि महंगाई बढ़ने से किसान सम्पन्न हो गया है। माननीय मंत्रीजी मेरे खयाल से आपने ठीक ढंग से अनुशीलन नहीं किया। और एकदम से यह कह डाला कि कीमतें बढ़ने से किसान मालदार हो गया है। यह बिल्कुल सीधी साधी बात है, इकोनोमिक्स की बात है कि दूसरी चीजों के भी तो भाव बढ़ गए हैं और बचत की आड़ लेकर और पीछे के दरवाजे से आपने 28 करोड़ 40 लाख के अनाप शनाप कर बढ़ा कर, सिचाई की दरें बढ़ा कर, विद्युत् की दरें बढ़ा कर, यात्रा भाड़ा को बढ़ा कर, वाणिज्यिक फसलों पर उप कर लगा कर 28 करोड़ 40 लाख का कर बढ़ा दिया है। इसलिए इस हिसाब से किसानों की और महंगाई बढ़ेगी, और मेरी मान्यता है कि इससे और कीमतें बढ़ेंगी इससे महंगाई कम होने वाली नहीं है और किसानों को इससे फायदा होने वाला नहीं है और महंगाई कम होने वाली नहीं है। आपने अपने बजट को सन्तुलित करने के लिए पीछे के दरवाजे से टैक्स लगा दिए इससे कोई फायदा किसान को होने वाला नहीं है।

उद्योगों के सम्बन्ध में आपने इन्डस्ट्री के अन्दर कम रेट लगा दी है और किसानों पर रेट बढ़ा दी इससे किसान बड़े परेशान होते हैं। यह ठीक है कि आप इनको सब्सीडाइज्ड करना चाहते हैं शहरों में रहने वालों को सुविधा देना चाहते हैं, दूसरी तरफ मैं यह निवेदन करूं कि आखिरकार आप किसानों से पैसा लेकर दूसरों को क्यों सब्सीडाइज करना चाहते

(श्री अजीतसिंह)

है । आप किसानों को सहूलियत क्यों नहीं देना चाहते हैं । आप किसानों को कम रेट पर पानी नहीं देते, बिजली नहीं देते, कम कीमत पर अनाज खरीदने वाली बात कहते हैं । वित्त मंत्रीजी आपने एक तरफ लम्बी-चौड़ी बात कह डाली । आपने कहा है :

"जाहिर है कि राज्य सरकार के लिए इस तरह भारी खर्चा करते हुए इन सेवाओं को बहुत समय तक के लिए सब्सीडाइज करते रहना सम्भव नहीं था"

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत समय पर जो कम कीमत पर अनाज देना सम्भव नहीं है । आप कन्ट्रोल से जो अनाज देते हैं वह पूरा नहीं पड़ता और उसके लिए किसानों से टैक्स लेकर काश्तकारों पर बोझ डालना चाहते हैं यह उचित नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप इस रेट के मामले में भी सर्वे करेंगे और आप इस पर पुनर्विचार करेंगे यही मेरा आपसे निवेदन है ।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों की दृष्टि में मैं निवेदन करूंगा कि उद्योग में कल कारखाने और उनके अन्दर जो व्यवस्थायें की हैं वह कई उद्योगों के आशय पत्र तो सेंट्रल से मिले थे उनके लिए पूरे आश्वासन प्राप्त हुए लेकिन बजट के अन्दर ऐसा कोई देखने को नहीं मिला । ये कारखाने कहां लगाये जायेंगे, खर्चा क्या होगा जिससे हम बेरोजगारी की समस्या को कितना हल कर पायेंगे, क्या उत्पादन होगा इस बारे में कोई जानकारी इस बजट भाषण के अन्दर नहीं दी है । जबकि पहले के बजट भाषण में उनका उल्लेख किया था लेकिन अबके बजट भाषण में उन उद्योगों के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया है । जो आपको आशय पत्र प्राप्त हुए हैं, जो कारखाने लगने वाले हैं उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए क्या व्यवस्था करने चाहते हैं इस बारे में जानकारी देनी चाहिए थी । जिससे यह मालूम हो सके बेरोजगारी की समस्या हल हो और सरकार की आमदनी भी बढ़े । आपने जो हमारे टोंक के अन्दर चर्म शोधन कारखाना शुरू किया है उसके लिए तो हम आपके बहुत आभारी हैं और आपको धन्यवाद देते हैं । वित्त मंत्री जी हमारी समस्या विकट है, आपने सारी व्यवस्था भी कर दी, पैसा भी खर्च कर दिया लेकिन अभी तक समुचित व्यवस्था नहीं हुई है । मैं निवेदन करूंगा कि टोंक में और कोई व्यवसाय नहीं है, टोंक ऐसा शहर है जहां पर न कोई दूसरा उद्योग है और न दूसरा कोई व्यापार है इसलिए टोंक जिले के लोग आपकी कृपा पर आधारित हैं । आपकी मेहरबानी अगर हुई तो वहां के लोग आबाद होंगे नहीं तो मर जायेंगे । वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए आप जल्दी से जल्दी उसको चलाने की कृपा करें । आपने जो धन दिया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रदर्शन करता हूं ।

वित्त मंत्री जी दूसरा मैं आपका ध्यान हमारे सिंचाई सुविधाओं की ओर दिलाना चाहूंगा । सिंचाई सुविधाओं के लिए हमारे बनास पर जो आपने बांध बांधने की बात कही है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और इसके लिए हमारा सारा जिला आभारी है । वहां के लोगों को बड़ी चिंता थी कि वित्त मंत्री जी ने मौका देख लिया है और

(श्री अजीतसिंह)

निश्चित रूप से बनास पर बांध बनेगा और हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। बांध बंधाने की बात के लिए तो हम आपके आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं लेकिन वित्त मंत्री जी इसके अन्दर पानी की नहरों का आश्वासन भी आप दिला दें तो ज्यादा कृपा होती। क्योंकि यह बनास नदी दस महीने बहने वाली नदी है और दस महीने फालतू पानी आता है। बरसात में वह बांध भर जायगा लेकिन. बरसात के बाद में जो फालतू पानी रहेगा उसको नहरों द्वारा सिचाई के काम में लेने का आप आश्वासन दे दें तो कृपा होगी। जयपुर स्टेट के टाईम में इसका सर्वे हुआ था और कमाण्ड एरिया का सर्वे हुआ था आप सारा रिकार्ड देख सकते हैं और जितनी छोटी बड़ी कमाण्ड एरिया की और बांधों का नहरों का पानी वहां आता है उससे ज्यादा जमीन के अन्दर आप पानी की व्यवस्था कर पाते तो ज्यादा उचित होगा।

दूसरा माननीय वित्त मंत्री जी क्योंकि आप योजना मंत्री भी हैं इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा न हो जाय कि बांध बनने के बाद यह सारा पानी नीचे चला जाय और बैंड सूख जाय जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे। क्योंकि इस बनास के बैंक पर, नदी के किनारे-किनारे लाखों मन सब्जियां खरबूजे, तरबूज होते हैं जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए यह निवेदन है कि यहां पर बांध बनाते समय इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि यह बनास नदी सूख न जावे और दूसरा जो आपने आगे बांध बांधने की व्यवस्था की है उस पर भी आप पूरी तरह से विचार करें। यह बांध तीन स्टेज पर बनने वाला है। एक राज महल पर, दूसरा बीसलपुर के पास और एक ईसरदा के पास। जो हमारा फालतू पानी राजस्थान के चम्बल हिस्से में जाकर मिलता है उसका सही उपयोग हो सके। यह बड़ी अच्छी योजना है जो आप हाथ में ले रहे हैं।

ग्रामीण विद्युतिकरण के बारे में, मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के मामले में हालत यह है कि लाइन नहीं होती, लाइन होती है तो कनेक्शन नहीं होता, कनेक्शन होता है तो करेंट नहीं होता, करेंट मिल जाय तो मोटरें जल जाती हैं। समय पर कोई प्रबन्ध नहीं हो पाता। चार सौ रुपये हर कीमत पर उनको देने पड़ेंगे मंथली और इसके उपरान्त इस तरह की दुखदाई हालत हो रही है। बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाते, उसके लिए फाइनेन्स की व्यवस्था नहीं कर सकते, विद्युत् बोर्ड के बड़े-बड़े ट्रान्सफार्मर्स जल जाते हैं लेकिन उनको दूसरा नहीं लगा पाते धनाभाव के कारण और इस तरह से किसान परेशान होते हैं, उनके लिए विद्युत् की व्यवस्था नहीं हो पाती। किसान विद्युत् की वजह से भी बहुत परेशान होते हैं उनकी मोटरें जल जाती हैं जो काफी कीमती होती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं।

पशुपालन के बारे में माननीय वित्त मंत्रीजी मैं यह निवेदन करूंगा कि यह

(श्री अजीतसिंह)

आपने बड़ी-बड़ी डेयरियों पर काफी दिन लगाने की व्यवस्था की है लेकिन जो आपने हमारे यहां चीलिंग प्लाण्ट टोंक में लगाने का आश्वासन दिया था उसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी कुक्कुटशाला की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावे। कुक्कुटपालन में हमारे टोंक के अन्दर यह मुश्किल नहीं है। वहां पर काफी लोग रुचि लेते हैं लेकिन उस पर आपने साढ़े सात परसेन्ट टैक्स लगा रखा है। मैं यह चाहूंगा कि यह साढ़े सात परसेन्ट टैक्स जो है वह इस कुक्कुट पालन के धन्धे को देखते हुए इसको वापस लें ताकि यह धन्धा हमारे टोंक शहर में चल सके। यह मामूली बात है और यह इस धन्धे पर टैक्स लगाना उचित भी नहीं समझा जा सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योगों के बारे में निवेदन है कि हमारे टोंक में एक बड़ा खादी मंदिर था और लाखों रुपयों की आमदनी होती थी लेकिन उनके आपसी विवाद के कारण यह सारा का सारा कार्य खादी भण्डार का बन्द होता चला गया और जितने वहां के कार्यकर्ता थे, पांच हजार लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो आप खादी उद्योग की वापिस स्थापना के लिए ध्यान दें ताकि पैसे का उपयोग हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। बस यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीथिंग।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 1974-75 का बजट प्रस्तुत किया है। बजट का अध्ययन करते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ है कि मौजूदा परिस्थिति के अनुकूल यह बजट नहीं है, क्योंकि जहां 5-7 या 10 वर्ष से लगातार अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। भूख और भुखमरी फैल रही है तो इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्रीजी ने स्थायी रूप से अकाल हमारे यहां घर कर चुका है उससे मुक्त करने के लिए कोई रास्ता नहीं बताया है, न इसमें ऐसा कोई प्रावधान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने पिछड़े हुए लोगों के लिए और विशेषकर आदिवासियों के लिए अपने इस बजट भाषण में जो कहा है यह एक भ्रमजाल है। आज से 20 वर्ष पहले की आदिवासी की स्थिति और आज की स्थिति के अन्दर आप तुलना करें तो आप बांसवाडा और डूंगरपुर जैसे इलाकों को चुन लें और वहां पर अध्ययन करें कि उनकी आर्थिक हालत क्या है, और आज किस जगह पर है और आज से 20 वर्ष पहले कहां थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 20 वर्ष के इस कांग्रेसी राज्य ने आदिवासियों को भीख मांगना सिखाया है। आज वह लोग भिखारी बनकर 500 और हजार मील दूर जयपुर शहर में मजदूरी के लिए भटकते फिर रहे हैं। दिल्ली और कलकत्ता न मालूम कहां कहां ये लोग घूमते हैं। मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उनको जो है...

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस): यह भीख मांगना थोड़े ही हुआ।

श्री जिथिंग : भीख माग रहे हैं।

तो कहने का मतलब यह है कि उन आदिवासियों को हमेशा से अपने बजट प्रावधानों से और और तरह से राज्य सरकार गुमराह करती आ रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गुमराह करने का भाषण है। उनके आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं कि न तो वहां पर कोई सिंचाई योजना है, न कोई बिजली है, न कोई शिक्षा की सुविधा है, न कोई सड़क है, न कोई छोटे-छोटे स्वास्थ्य के केन्द्र हैं और अगर कोई केन्द्र भी है, कोई औषधालय भी है, कोई अस्पताल भी है तो न तो कोई वहां पर दवाइयां हैं और न कोई साधन मिलते हैं। अब आप बताइये कि किस तरह से आप उनको उन्नति पर ले जाना चाहते हैं? कौनसी राहत पहुंचाना चाहते हैं? भीख मांगने की राहत? भीख मांगने के लिए और मजदूरी के लिए अपना वतन छोड़कर नये नये इलाकों में भटकें? मैं चाहता हूं और माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपको इस वक्त यहां पर यह सुझाव देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के बारे में मैं आपको यह कह सकता हूं कि बांसवाड़े को आप ले लें। बांसवाड़े के बारे में मैंने कई बार इस सदन के अन्दर आपकी सरकार पर आरोप लगाया है। अभी भी बांसवाड़े के दो क्षेत्र हैं जिनमें एक कुशलगढ़ और दूसरा पीपलखूंट क्षेत्र है जिनमें डवलपमैंट के कामों में आप भेदभाव करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका राजनैतिक भेदभाव से डवलपमेंट के काम करने का दिमाग बना हुआ है उस दिमाग को कम से कम निकालें, और मानवीय दृष्टि से अगर उस क्षेत्र का विकास करना है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हम आपके जो डवलपमेंट के कार्य हैं उनमें सहयोग देने को तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर स्थाई रूप से अकाल मिटाना हो तो उसके दो उपाय हैं। हम हमेशा कहते आये हैं कि आपका एक नारा है, कांग्रेस पक्ष का एक नारा है हरित क्रान्ति का. लेकिन उस क्षेत्र का, उस इलाके का योजना मंत्री महोदय अगर दौरा करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ में रहकर उनको बतला सकते हैं कि हरित-क्रान्ति इस इलाके में कहां कहा तक फैली है। आज हमारा सारा इलाका एक पहाड़ी क्षेत्र है। आज उस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं है। सारा ऊपर का पानी, प्रकृति का दिया हुआ धन, प्रकृति की दी हुई बारिश सारी बहकर समुद्र में चली जाती है, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने उस इलाके में न तो कोई तालाब बनाये, न कोई लिफ्ट इरिगेशन की योजना बनाई, न कोई एनीकट बनाये, न कोई बिजली पहुंचाई है। अब बताइये कि वहां का किसान किस पर जिन्दा रह सके? कैसे जिन्दा रह सकता है। कभी सूखा हो जाता है तो कभी अधिक वर्षा हो जाती है। कभी कीड़ा लग जाने से फसलें नष्ट हो जाती है हमेशा एक न एक समस्या उस इलाके में बनी रहता है, लेकिन राज्य सरकार ने उन समस्याओं को हल करने के लिये स्थाई रूप से अकाल को दूर करने के लिए कोई व्यापक कदम नहीं उठाये हैं। आज तक आपने बजट में आदिवासियों के लिए लाखों और करोड़ों का प्रावधान किया है लेकिन कोई खर्चा नहीं किया। मैं यह आपको साफ कह देना चाहता हूं।

Page No 112

(112)

(श्री जोथिग)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमारे बांसवाड़े के बारे में समाज कल्याण के बारे में आपने बजट भाषण में कहा है तो आपने जो प्रगतिशील कदम उठाया है वह बिल्कुल गलत है। एस. टी. सी. स्कूल के विद्यार्थियों ने, छात्रों ने हड़ताल की, सब कुछ किया लेकिन आज दिन तक उन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। यही हालत छात्रावासों की है। पहले से जो छात्रावास चल रहे हैं उन छात्रावासों में न तो विद्यार्थियों के सोने के लिए पलंग है और न उनको ठीक ढंग से भोजन दिया जाता है। न बिस्तर हैं। 3-4 वर्ष पुराने बिस्तर और दरियां उनको दी हुई हैं और वह नीचे बिछाकर सोते हैं। कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। मैंने कई बार विभाग को लिखा है, लेकिन विभाग आंख मींचकर सोया हुआ है। कहने का मतलब यह है कि आपकी घोषणाएं आपके कागजों में हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति का अभी तक भी आपने ध्यान नहीं किया है। आप उन समस्याओं को देखें।

जहां तक साधन जुटाने का सवाल है उनके लिए जो आपने बताया है वह अच्छी बात है। मैं इस बात के लिए तो यह कह सकता हूं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन परमानेन्ट रूप में किसानों को आधुनिक ढंग के औजार मुहैया कराये जायं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं नहीं तो नहीं। यह जो घोषणाएं 27 वर्षों से होती आई है इस तरह की यह घोषणाएं बजट के कागजों में ही पड़ी रहेंगी और समाजवाद का खाली ढोंग आप करते है।

श्री रामसिंह : आपको सौंप दिया समाजवाद।

श्री जोथिग : आप नकली समाजवाद चला रहे हैं।

, तो कहने का मतलब यह है। मैं वित्त मंत्रीजी से यह उम्मीद करूंगा कि जितना उन्होंने बिजली का विस्तार बढाने की घोषणा की है उसमें कुशलगढ़ और पीपलखूंट के क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता के आधार पर, जहां हमेशा अकाल की स्थिति बनी हुई है, उसका मुकाबला करने के लिए आपका ध्यान जायगा और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए छोटे छोटे बांध, तालाब और कुओं को गहरा करने के लिए सरकारी साधन जुटाये जायेंगे क्योंकि वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे स्वयं अपने साधन जुटाने में सक्षम नहीं हैं। दूसरा यह अर्ज करूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में सूदखोरों से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए प्रयास करने की जो घोषणा की है, तो मैं यह कहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र जो बिलकुल आदिवासी इलाका है, वहां के लोग निर्धन हैं और वहां के लोग हर प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, उनको इन कर्जों से मुक्त किया जाना उचित होगा और अगर आप मुक्त नहीं करेंगे, कर्जा राइट आफ नहीं करेंगे तो चाहे कितने ही आपके प्रगतिशील कदम होंगे आदिवासी ऊपर नहीं उठ सकेंगे। उनकी माली हालत नहीं सुधर सकती है और सरकार के माध्यम से कृषि के साधन जुटाए जायें और तमाम कर्जों से मुक्त कराने के लिए आप कदम उठावें ताकि उनकी आर्थिक हालत सुधर सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो कल बजट रखा गया है, उसके बारे में जैसा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने उनके प्रेस नोट के अन्दर आया है "वी हेव टर्न्ड दी कार्नर" जितनी अतिशयोक्ति भाषण में बतलाई गई है हालांकि टैक्स का भार डाईरेक्टली जनता पर नहीं रखा गया है किन्तु उसके साथ साथ हिडन टैक्स रखे गये हैं और वे भी हिडन तरीके से। सरकार अध्यादेशों के जरिये टैक्स लाई है। गत वर्ष भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि जहां तक हो सकेगा करों का कोई बजट पेश नहीं करूंगा। फिर भी इस तरह से टैक्स जनता पर लगाये गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह कर भार क्यों रखा है। आगे उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने सैन्ट्रल टैक्स की रेट बढ़ाई है और उसके अनुसार हमें भी बढ़ाना अनिवार्य है। ज्यादा अच्छा होता कि वित्त मंत्री यह बढ़ी हुई रेट भी बता देते इस सदन के सामने कि किस प्रकार वे इसको बढ़ाना चाहते हैं। मेरे खयाल से वे यह समझते हैं कि बता देने पर उनकी तारीफ होना कम हो जाएगी इसलिए यहां पर नहीं कहा गया है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट भाषण में यह कहा गया है कि :

'Those who have benefitted by planned development have a moral duty to contribute towards developmental programmes designed for the benefit of the community in general and socially and economically weaker sections in particular.'

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब मारल ड्यूटी है। मैं कोटा डिवीजन से आता हूं। कोटा डिवीजन राजस्थान की ग्रेनरी के रूप में राजस्थान की सेवा कर रहा है। उसके बावजूद मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण से इस उपजाऊ इलाके को देखें तो यहां के लोगों की भी, अकाल पीड़ित लोगों की, पश्चिमी राजस्थान के लोगों की, उनकी आपदाओं में सामना करने के लिए सहायता करने की मारल ड्यूटी है। यह सारे राजस्थान की चीज है। इसके लिए सारे राजस्थान की जिम्मेदारी आती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा डिवीजन को आज तक विकास व अन्य योजना कार्यों में उपेक्षित रखा गया है। अपने मन में कभी कभी जब मैं राजस्थान के जिन इलाकों का मुकाबला करता हूं कि कहां उपेक्षा की गई है तो उसमें कोटा और बीकानेर डिवीजन को रखता हूं। लेकिन जहां तक बजट का प्रश्न है, बजट में इस प्रकार का अन्दाज होता है। "अन्धा बांटे सीरणी फिर फिर अपने अपने को दे।" वित्त मंत्री ने फिर भी चूरू और बीकानेर को उपेक्षा से बचाने की कोशिश की है। इसके बाद फिर कोटा डिविजन ही उपेक्षित रह जाता है। कोटा डिविजन के अन्दर मैं नहीं समझता कि प्लान के रूप में कोई काम किया गया है। आज तक राजस्थान के शासकों ने किसी एक प्लान के रूप में कोई काम वहां पर नहीं किया है। वहां पर न कोई मेडिकल कालेज है, न इन्जीनियरिंग कालेज है, न

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)

रेडियो स्टेशन है एक प्रकार से उपेक्षा का व्यवहार कोटा डिविजन के साथ किया जाता रहा है जो कि राजस्थान की एक ग्रेनरी है। मैं समझता हूं कि कोटा जिले के नक्शे के अन्दर अगर बूंदी जिले को देखें तो उसका लेशमात्र भी नाम नहीं मिलता है। इसी प्रकार, जहां तक मेरा खयाल है उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्लान डिफेक्टिव प्लान है। जो जमीन उपजाऊ जमीन है, जो जमीन समतल है हर आदमी यह कहता है कि पहले इसका विकास किया जाये। हम भी यह कहते रहे हैं कि अकाल का परमानेन्ट सोल्यूशन किया जाये। तो पहले समतल भूमि जहां पर है वहां बिजली पहुंचायी जाय। अगर यह कर दिया गया होता तो राज्य की इकोनोमिक हालत यह नहीं होती। जहां पहले विकास हो सकता था, जहां समतल भूमि थी उसको पानी, बिजली देने के लिए प्राथमिकता रखी जाती। जहां पर उपजाऊ भूमि है, वहां पर बिजली पहुंचायी जाती जहां पर कि आपका रावत-भाटा और जवाहर सागर डेम है परन्तु वहां पर बिजली का प्रतिशत 12 और 13 प्रतिशत है। वहां पर भी बिजली उपलब्ध नहीं हो यह देखकर मुझे अफसोस होता है। अगर इस इलाके को डवलप कर दिया गया होता तो क्षेत्रीय इम्बेलेन्स की बात महसूस नहीं होती। अगर हम इस इलाके को पर्याप्त बिजली देते, पर्याप्त सेचुरेट कर देते तो वहां से इतना धन आ सकता था जिससे कि राजस्थान केनाल का काम हम खुद कर सकते थे और राजस्थान की इकानोमी से राजस्थान नहर का काम कर पाते...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 5 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 5 बजे बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

115

परिशिष्ट–1

(ता. प्र. सं. 287 की सूची)

1952 के पश्चात् बाड़मेर जिले में बनाई गई डामर की सड़कों की सूची।

क्र.सं.	नाम सड़क	लम्बाई
1.	बाड़मेर-जैसलमेर-धोरीमना-बाड़मेर सीमा तक	195 कि.मी.
2.	बाड़मेर-सिंधरी सड़क	60 कि.मी.
3.	जोधपुर-बालोतरा-सिंधरी पीतलवाना	157 कि.मी.
4.	शिव से फलसूंड	63 कि.मी.
5.	चोहटन-बाखासर	60 कि.मी.
6.	बालोतरा-मेवानगर	11 कि.मी.
7.	बालोतरा-सिवाना	45 कि.मी.
8.	बाड़मेर-वागुडी-पचपदरा	69 कि.मी.
9.	पचपदरा रेल्वे स्टेशन से साल्ट	12 कि.मी.
10.	जसाई-मारूडी	7.40 कि.मी.
11.	समदड़ी रेल्वे स्टेशन से नगर	2.25 कि.मी.
12.	पचपदरा रेल्वे स्टेशन से नगर	2.06 कि.मी.
1 .	मोकलसर रेल्वे स्टेशन से नगर	0.50 कि.मी.
14.	एप्रोच सड़क जिलाधीश कार्यालय बाड़मेर	1.00 कि.मी.
15.	सिटी रोड म्यूनिसिपल सीमा तक	3.00 कि.मी.
		695.21 कि.मी.

सीमान्त सड़कें योजना के अन्तर्गत बनाई गई सड़कें :—

1.	शिव से गडरा	85 कि.मी.
2.	बाड़मेर-गडरा-मुनावा	127 कि.मी.
3.	मुनावा-सुन्दरा-मियाजलार-हरसानी	75 कि.मी.
4.	बाड़मेर-चोहटन-केरनोल	93 कि.मी.
5.	केरीया-आखासर	68 कि.मी.
6.	हरसानी-गिराब-मियाजलार	73 कि.मी.

(116)

(सूची–ब)

क्रमांक	नाम सड़क	आवंटित धनराशि 74–75
1.	डामर सड़क पचपदरा साल्ट वर्क्स से पचपदरा सिटी	30,000) रु.
2.	बांगुन्डी से पचपदरा	70,000) रु.
	न्यूनतम कार्य-क्रम	
1.	डामर सड़क हरसानी फांटा से बसाला	1,70,000) रु.
2.	डामर सड़क सिधरी से गुडा तक	1,30,000) रु.

परिशिष्ट-2

(ता. प्र. सं. 295 की सूची)

सूची सिंचाई विभाग, जोधपुर में कार्यरत असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स, जुनियर इन्जीनियर्स व ओवरसियर्स

क्र.सं.	नाम	पद	जोधपुर में कार्यरत का दिनांक
1.	श्री उदयसिंह	सहायक अभियन्ता	30-10-73
2.	श्री के.एल. माथुर	,,	15-10-74
3.	श्री वी. के. माथुर	,,	13-1-75
4.	श्री वी. एस. चारण	,,	14-11-72
5.	श्री एस. सी. अग्रवाल	,,	10-8-70
6.	श्री विजय नारायण व्यास	,,	5-12-74
7.	श्री शिवराम चौधरी	,,	30-6-73
8.	श्री बाबूलाल सांवला	जूनियर इन्जिनियर/ अधिदर्शक	15-12-73
9.	श्री सम्पतराम	,,	10-1-75
10.	श्री नरेन्द्र सिंह	,,	12-9-72
11.	श्री आनन्दसिंह कछावा	,,	9-10-74
12.	श्री हर्ष वर्धन	,,	25-4-74
13.	श्री आर.सी. गुप्ता	,,	19-11-72
14.	श्री मोहम्मद हुसैन	,,	19-11-72
15.	श्री चान्दमल सांखला	,,	19-11-72
16.	श्री मोहनलाल	,,	19-11-72
17.	श्री अशोक कुमार	,,	17-4-74
18.	श्री वी. के. परिहार	,,	8-11-73
19.	श्री के. के. सोनी	,,	17-4-74
20.	श्री छोगाराम	,,	19-11-72

Page No 118

(118)

प्रतिलिपि (सामान्य प्रशासन विभाग (क) आदेश संख्या एफ. 1 (20)सा.प./क/63 दिनांक 30–7–65)

विषय:––राज्य सेवा में स्थानान्तरण।

राज्य सेवाओं में जल्दी स्थानान्तरण के दुष्प्रभावों के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि किसी भी अधिकारी को उसके स्थानापन्न के स्थान पर कम से कम दो वर्ष तक रखा जावे। आम तौर पर उन्हें तीन साल तक अपने पदों पर रखा जावे।

यदि किसी प्रशासनिक परिस्थिति में इस अवधि के पूर्व स्थानान्तरण करना हो तो बिना विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये ऐसा नहीं किया जायेगा। तथा उसकी सूचना सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा संलग्न रूप पत्र में अपने संबंधित प्रशासनिक विभाग सचिव एवं मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) को प्रत्येक तिमाही के बाद आने वाले माह के अन्त तक निश्चित रूप से प्रेषित कर देना चाहिए। इस प्रकार प्रथम विवरण-पत्र अक्टूबर से दिसम्बर की तिमाही के बारे में 31 जनवरी, 66 तक प्राप्त होने चाहिए। इसी क्रम से यह विवरण-पत्र अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी के अन्त तक त्रैमासिक भेजे जाते रहेंगे।

अधीनस्थ सेवाओं के विषय में यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें एक ही जिले में पांच वर्ष तक समान्यतः काम करने दिया जाना चाहिए तथा उनके अन्तर्क्षेत्रीय स्थानान्तरण न्यूनतम हो तथा इन सेवाओं के अधिकारियों को अपने मूल निवास स्थान के जिले में स्थानापन्न नहीं किया जाना चाहिए तथा यथासंभव उनको उस क्षेत्र में ही रखना चाहिए, जिसमें कि उनके मूल निवास स्थान का जिला सम्मिलित है। इस विषय में क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मंत्रीमण्डल सचिवालय का परिपत्र संख्या एफ 12 (16) केबिनेट/62, भाग–2 दिनांक 20–9–62 अवलोकनीय है। उपरोक्त आदेशों के अनुपालन अपेक्षित जानकारी और पैरा 2 पर अपेक्षित विवरण भेजने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों की व्यक्तिगत रूप से होगी।

इस आज्ञा के अपवाद स्वरूप यदि कोई स्थानान्तरण किए जाना अनिवार्य हो तो उनके विषय में भी पूर्व निर्दिष्ट विवरण-पत्र अलग से उपरोक्त त्रैमासिक क्रम में प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

———

119

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

भीम तहसील में भू-प्रबन्ध का कार्य

299. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की भीम तहसील का भू-प्रबन्ध (बन्दोबस्त) किस सन् में किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि भीम तहसील के किसानों को आज कल नये तरमीम व भू-प्रबन्ध मय संशोधन के कागजात वापिस नहीं मिले हैं जिससे स्थानीय काश्तकारों को राज्य सरकार द्वारा देय ऋण सुविधा एम. एफ. एल. व एस. एफ. डी. ए. इत्यादि का फायदा नहीं मिल पा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध के समय जो दो अधिकारी लगाये गये थे उनमें से उत्तर जोन अधिकारी ने तो नामान्तरणकरण व इन्तकाल इत्यादि मौके पर कर दिये और दक्षिण जोन पर लगे अधिकारी ने नहीं किये इससे भी ऋण प्राप्त करने व अन्य कई प्रकार की सुविधाएं जो योजनान्तर्गत कृषकों को दी जानी थीं उससे वे किसान वंचित हैं ?

(4) क्या माननीय मंत्री अविलम्ब उपरोक्त समस्याओं के निवारण हेतु विभागीय अधिकारियों को तत्काल आदेश देकर किसानों को राहत पहुंचाने का कष्ट करेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील भीम का बन्दोबस्त राज्य सरकार की विज्ञप्ति राज-पत्र दिनांक 13 अगस्त, 1964 भाग 1 (ख) पृष्ठ सं. 798 के आधार पर सन् 1964-65 में शुरू किया गया।

(2) जी नहीं। तहसील भीम के किसानों को दिनांक 6–7–73 से 18–7–73 तक की अवधि में भू-प्रबन्ध विभाग के संशोधित पर्चा दे दिये गये हैं। जिससे काश्तकारों को राज्य सरकार द्वारा देय ऋण सुविधा इत्यादि का फायदा मिलने में असुविधा नहीं होनी चाहिये।

(3) हां। यह सत्य है कि तहसील भीम में दो जोन बनाकर दो अधिकारी लगाये गये थे। यह सत्य नहीं है कि दक्षिण जोन के अधिकारी ने नामान्तरकरण नहीं किये, दोनों ही जोन के अधिकारियों ने नामान्तरकरण किये हैं। उत्तर जोन में 2137 दक्षिण जोन में 1832 नामान्तरकरण तसदीक हुये हैं।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

पक्के खालों के निर्माण में गबन

300. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर):—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि बजट सत्र 1974 में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत पंचायत समिति पदमपुर में बनाये गये पक्के खालों में हुए गबन की जांच करवाने हेतु आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो आज तक कोई जांच क्यों नहीं करवाई गई ?

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

(ख) क्या यह सच है कि एक्स.ई.एन. सिंचाई विभाग गंगनहर श्री गंगानगर ने उन बनाए गये खालों के हिसाब को देखा और उसकी रिपोर्ट मंत्री महोदय को भेजी है ?

(ग) क्या यह सच है कि उस रिपोर्ट के आधार पर चक 2 पी. पी. के खाले पर एक मुरब्बे में (825 फुट लम्बा) 62 मिस्त्री और 248 मजदूरों द्वारा कार्य किया जबकि दस मिस्त्री और 36 मजदूरों द्वारा कार्य किया जाता रहा है ?

(घ) क्या यह सच है कि किसी भी खाले पर 50 थैले से अधिक सीमेन्ट का प्रयोग नहीं हुआ मगर उपरोक्त खाले पर 64 थैले सीमेन्ट दिखलाया गया है ?

(ङ) क्या यह सच है कि 80 रुपये हजार के हिसाब से ईंट खरीदी गई मगर 87 रुपये प्रति हजार दिखाई गई है। 15 रुपये प्रति हजार ट्रक का किराया दिया गया मगर 32 रुपये प्रति हजार दिखाया गया है ?

(च) क्या सरकार ईंटों की खरीद की रसीद, ईंट ले जाने के किराये की रसीद, मजदूरों व मिस्त्रियों की रसीदें, सीमेन्ट की रसीद व किराये की रसीद, जिस स्टोर से जारी किया गया है उसकी लोग बुक सदन की मेज पर रखें और क्या इन रसीदों आदि के आधार पर सरकार जांच कब तक पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) जी हां। जांच करवाली गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। केवल 56 मिस्त्री व 224 मजदूरों ने कार्य किया है।

(घ) हां। क्योंकि यह खाला अन्य से बड़ा है।

(ङ) जी नहीं।

(च) जांच पूरी की जा चुकी है। खाले तकनीकी दृष्टि से ठीक बने हैं एव 3 साल से सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं। अतः उल्लेखित कागजात आदि प्रस्तुत करने का अब प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति आय

301. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में प्रति व्यक्ति कितनी आय है ?

(2) राज्य में 1972 से 1974 तक प्रति व्यक्ति कितनी राशि विकास कार्यों पर खर्च की गई ?

इसके परिणामस्वरूप कितनी औसत आय प्रति व्यक्ति बढ़ी ?

(3) क्या सरकार इस प्रगति (गति) से सन्तुष्ट है ?

(4) क्या सरकार इसके सुधार की ओर ध्यान देगी ?

उत्तर

(1) राज्य में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1973-74 में 762) रु. प्रति व्यक्ति

(योजना मंत्री)
आय आंकी गई है। स्थिर (1954-55) कीमतों पर वर्ष 1973-74 में प्रति व्यक्ति राज्य आय 304) रु. रही।

	योजना कार्यों पर व्यय (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति व्यय रु.
1971-72	64.11	24
1972-73	64.66	24
1973-74	72.04	26

(2) प्रति व्यक्ति औसत आय का घटना बढ़ना कई परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अतः केवल विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि से प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी बढ़ी, बताना सम्भव नहीं है।

(3) राज्य सरकार की निरन्तर यह चेष्टा है कि राज्य सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गति उत्तरोत्तर बढ़े।

(4) राज्य आय एवम् प्रति व्यक्ति औसत आय को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार योजनाबद्ध विकास की ओर अपना पूरा ध्यान दे रही है।

बानसूर क्षेत्र का ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत सर्वे

302. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले की पंचायत समिति बानसूर में ग्रामीण विद्युत् योजना के सर्वे की स्वीकृति में क्या प्रगति हो रही है ? यह योजना कब तक स्वीकृत होने की आशा है ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1973 में पंचायत समिति बानसूर ने प्रार्थना-पत्र सरकार को ग्रामीण विद्युत् योजना के लिये पेश किया था और सरकार द्वारा 7-11-73 को विधान सभा में प्रश्न संख्या 191 के उत्तर में सर्वे कराने का आश्वासन दिया गया था ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बानसूर की एक ग्रामीण विद्युतिकरण योजना तैयार की जाकर ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को भेजी जा चुकी है।

(2) जी हां, योजना सर्वे करने के बाद ही बनाई गई है जो इस समय ग्रामीण विद्युतिकरण निगम के विचाराधीन है।

समग्र ग्राम सहकारी समिति सनवाड़

303. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समग्र ग्राम सहकारी समिति सनवाड़ जिला उदयपुर के तत्वावधान में कुम्हारी समारी, सुथारी, चर्खा उद्योग चलाए जाते रहे थे ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति के कार्यक्रम खादी ग्रामोद्योग बम्बई के सहयोग से चलाए जाते रहे हैं?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(3) क्या यह सही है कि समग्र ग्राम सहकारी समिति सनवाड को Dissolve की जाने से उसकी सम्पत्ति की नीलामी तहसील मावली द्वारा की जा रही है ?

(स्थगित किया गया)

भीलवाड़ा जिले में खनिज कार्य के लिये ली गई भूमि

304. **श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय** (बूंदी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला भीलवाड़ा में कितनी भूमि खनिज कार्य के लिये जंगलात विभाग से ली गई है और उसे खनिज पट्टों में देने के लिए खोला गया ? अब और कितनी भूमि जंगलात विभाग से प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर

खनिज कार्य हेतु भीलवाड़ा जिले में 2.57 एकड़ एवं 37 बीघा 4 विस्वा भूमि जंगलात विभाग से तहसील भीलवाड़ा व जहाजपुर में क्रमशः खनन् कार्य करने हेतु ली गई है। सेण्ड स्टोन की नई प्रस्तावित बाउन्ड्री नला का माताजी ग्राम नया गांव तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा को खोलने के लिए वन विभाग चित्तौड़गढ़ से जंगलात में आने वाले क्षेत्र 402.82 एकड़ को मुक्त कराने के लिये, कार्यवाही जारी है ।

पशु चिकित्सालय भवन असनावर का किराया

305. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि असनावर (जिला झालावाड़) पशु चिकित्सालय भवन का किराया 620/-रु. कई वर्षों से बकाया है ? यदि हां, तो क्यों तथा इसका चुकारा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं ।

तहसील रायसिंहनगर में सीलिंग के अन्तर्गत नोटिस

306. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील रायसिंहनगर में भूमि सीलिंग के नोटिस किस 2 व्यक्ति के नाम दिये गये ? 1973 से लगा कर 1974 दिसम्बर तक कितनी जमीन सीलिंग के तहत खारिज की गई ।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1973-74 में राजस्थान केनाल में भूमिहीनों को स्थायी आवंटन किया गया था उन्हीं व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि श्री भलूराम पुत्र श्री चेनाराम जाति हरिजन चक 2 एन. पी. डी. को नोटिस दिया गया है जिसकी बारानी 30 बीघा व नहरी 10 बीघा भूमि है ?

(4) क्या यह सही है कि जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं उनको नोटिस नहीं दिया

(श्री बेगाराम चौहन)
गया है ? यदि दिया गया है तो कितनी भूमि खारिज की गई है ?

(5) क्या यह सही है कि हरिजनों व भूमिहीन काश्तकारों से सीलिंग के नोटिस देकर पैसे मांगे जा रहे हैं।

उत्तर

(1) तहसील रायसिंहनगर में दो परियोजना क्षेत्र सम्मिलित हैं (1) गंग केनाल क्षेत्र व (2) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र/ इन दोनों क्षेत्रों के क्रमशः 1991 व 437 भूमिधारियों को राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के तहत नोटिस दिये गये। जिनकी नामवार सूची संलग्न है।

दिनांक 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 74 की अवधि में 194 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु एस. डी. ओ., रायसिंहनगर द्वारा आदेश दिये गये।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। सही स्थिति यह है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सभी भूमिधारियों को तहसीलदार से सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने नोटिस जारी किये थे।

(3) जी हां, यह सही है कि श्री ललूराम पुत्र चैनाराम जाति हरिजन चक 2 एन. पी. डी. को उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिया गया।

(4) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। सही स्थिति यह है कि राजस्व भू-अभिलेख के आधार पर निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने पर उन समस्त भूमिधारकों को जिन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्धारित अवधि में उनके द्वारा धारित भूमि का पूर्ण विवरण सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत नोटिस दिये गये हैं। प्राधिकृत अधिकारी ने 194 एकड़ भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये हैं।

(5) जी नहीं, ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राज. विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पानी के उपभोक्ताओं को बिलों का वितरण

307. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही नहीं है कि पानी के नये कनेक्शन लगने के बाद एक वर्ष तक भी उपभोक्ताओं को बिल वितरित करने में जलदाय विभाग असमर्थ रहता है ?

यदि हां, तो क्या उपभोक्ता पर एकदम यह भार डालना औचित्यपूर्ण है।

उत्तर

जी नहीं।

साधारणतया ऐसा नहीं होता।

जी नहीं।

रामसर तालाब का खुर्रा

308. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि रामसर तालाब का खुर्रा जो कि आजादी के पूर्व से बना हुआ था, को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो इसके स्थान पर वापस खुर्रे का निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ?

उत्तर

जी हां। पिचिंग का रिपेयर का अधिकांश कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य तालाब में पानी के स्तर के नीचे उतरने के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

विराटनगर में पर्यटन केन्द्र

309. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सच है कि कस्बा बैराठ का नाम बदल कर 'विराटनगर' कर दिया गया है ? यदि हां, तो विराटनगर में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सच है कि सरकार के पास विराटनगर में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने हेतु अनेकों प्रस्ताव पेंडिंग हैं तथा भारत सरकार द्वारा भी राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो इन पर सरकार कब तक निर्णय करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सच है कि विराटनगर कस्बा महाभारतकालीन कस्बा है। जहां पर अनेकों ऐतिहासिक स्थान हैं ? यदि हां, तो कौन से स्थान हैं, जिनका विकास करना सरकार उचित समझती है।

उत्तर

(1) जी हां। धनाभाव तथा आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका है।

(2) जी हां। कुछ प्रस्ताव आये थे किन्तु ऊपर वर्णित कारणों से उन पर कार्यवाही संभव नहीं हो सकी है।

(3) जी हां। अशोक का पर्वतीय शिलालेख, मुगल गेटवे तथा मौर्यकालीन अवशेष हैं। ये स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं।

चूरू जिले में गेहूं का वितरण

310. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले में अगस्त, 1973 से आज तक नियंत्रित गेहूं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कितना वितरित किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अर्से में ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं का वितरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में अगस्त, 73 से फरवरी, 75 तक शहरी क्षेत्र में 11322 टन

(खाद्य मंत्री)
तथा देहाती क्षेत्र में 1558 टन गेहूं का वितरण किया गया है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में अगस्त, 73 तथा फरवरी, 75 में गेहूं वितरण किया गया है। शेष अवधि में गेहूं की उपलब्धि के अभाव से ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं का आवंटन नहीं किया गया।

राज्य में सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

311. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भू-सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में अब तक कुल कितनी जमीन प्राप्त की ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमियों से राज्य सरकार ने कितनी जमीन विभिन्न जिलों में भूमिहीन काश्तकारों एवं भूतपूर्व सैनिकों को वितरित की ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम विधेयक, 1973 के अन्तर्गत राज्य सरकार विभिन्न जिलों में कितनी कितनी जमीन प्राप्त कर सकेगी ? अनुमानित आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) राज्य सरकार भू-सीलिंग के अन्तर्गत यदि जमीन बहुत ही कम प्राप्त करने का अनुमान लगाती है तो क्या वह इसी सत्र में भू-सीलिंग का प्रगतिशील विधेयक लाकर अधिक जमीन प्राप्त करने के लिए कदम उठायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) राज्य सरकार ने भू-सीलिंग के कानून के क्रियान्वयन के लिये विभिन्न जिलों में अभी तक क्या-क्या कदम उठाये हैं और अब क्या क्या कदम उठाने जा रही है ?

(6) राज्य सरकार उक्त अधिनियम का कब तक क्रियान्वयन कर भूमिहीनों को जमीनों का कब्जा दिला सकेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को राज्य में प्रचलित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1963 व 1973 के अन्तर्गत अब तक 1,13,656 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। जिसमें से 1,09,420 एकड़ जमीन पुराने कानून के तहत व 4,236 एकड़ भूमि नये कानून के अन्तर्गत उपलब्ध हुई है। जिलेवार संलग्न है।

(2) राज्य सरकार को उपरोक्त सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि में से 38,801 एकड़ भूमि 5,146 भूमिहीनों को आवंटित की गई है। भूतपूर्व सैनिकों की सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है। जिलों से प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(3) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत जिलेवार प्राप्त हो सकने वाली सूचना सही अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि विचाराधीन मामलों के निर्णय होने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

(4) जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। राज्य सरकार द्वारा सीलिंग कानून राष्ट्रीय

(राजस्व मंत्री)

दिश निर्देश (नेशनल गाइड लाइन्स) के आधार पर ही बनाया गया है और पूर्णतः प्रगतिशील है। मौजूदा कानून के अतिरिक्त अधिक भूमि प्राप्त करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

(5) राज्य के सभी जिलों में सीलिंग कानून को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार एवं राजस्व मंडल की ओर से समय समय पर विभिन्न बिन्दुओं पर सम्बन्धित जिला अधिकारियों को निर्देश दिये जाते रहे हैं। पुनः सभी जिलों में सीलिंग कानून के अन्तर्गत मुकदमों को दिनांक 31-5-75 तक निपटाने के लिए जयपुर, जोधपुर व अजमेर में जिलाधीशों की बैठकों में इस कार्य को निर्धारित अवधि तक निपटाये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं। अब राज्य सरकार राजस्व मामलों को शीघ्र निपटाये जाने हेतु एक अभियान का आयोजन कर रही है।

(6) राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम को क्रियान्वित करने हेतु निम्न तिथियां निश्चित की हैं:-

1. उप-खण्ड अधिकारी द्वारा 31 मई, 1975 बकाया मामलों को निर्णीत करना।
2. अधिग्रहित भूमि का कब्जा 31 अगस्त, 75 लेना।
3. अधिग्रहित भूमि का आवंटन 31 अक्टूबर, 1975 करना।

127

भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन की प्रगति

जिला	पुराने कानून (1963)				नया कानून (1973)			
	अधिग्रहण हेतु आज्ञा दी (एकड़)	अधिग्रहित की (एकड़)	आवंटित की (एकड़)	आवंटिति (संख्या)	अधिग्रहण हेतु आज्ञा दी (एकड़)	अधिग्रहित की (एकड़)	आवंटित की (एकड़)	आवंटिति (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अजमेर	5443	1717	318	57	1308	152	–	–
2. अलवर	238	100	6	4	58	4	–	–
3. बांसवाड़ा	1433	1233	1208	351	88	–	–	–
4. बाड़मेर	31233	–	3881	1224	5522	–	–	–
5. भरतपुर	–	677	184	70	–	201	–	–
6. भीलवाड़ा	29653	10000	3163	924	–	–	–	–
7. बीकानेर	58475	45009	8368	397	7600	2061	–	–
8. बूंदी	8580	2324	–	–	–	–	–	–
9. चित्तौड़गढ़	2402	1935	311	65	630	30	50	9
10. चूरू	2162	932	774	27	–	–	–	–
11. डूंगरपुर	1838	459	11	9	188	–	–	–
12. गंगानगर	14950	2140	417	38	1402	1402	1402	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. जयपुर	19775	3350	1013	148	–	–	–	–
14. जैसलमेर	24301	–	–	–	11388	–	–	–
15. जालौर	11556	7484	2964	532	314	–	–	–
16. झालावाड	3247	[illegible]	374	2	–	–	–	–
17. झुन्झुनूं	–	–	–	–	–	–	–	–
18. जोधपुर	8909	5384	4660	125	30	–	–	–
19. कोटा	10016	3176	904	150	–	–	–	–
20. नागौर	2859	822	107	14	10	–	–	–
21. पाली	19588	2147	2589	509	1089	–	–	–
22. स. माधोपुर	5720	1521	198	33	245	–	–	–
23. सीकर	216	49	–	–	130	130	–	–
24. सिरोही	2313	2069	1136	293	179	–	–	–
25. टोंक	3386	3141	30	4	–	–	–	–
26. उदयपुर	13849	1889	233	71	5141	256	–	–
राजस्थान राज्य	2,88,640	1,09,420	37,349	5057	35,242	4236	1452	89

पंचायत श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बगरूवालान की भूमि एवं भवन कर की बकाया राशि की वसूली

312. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत श्री दि. जैन मन्दिर बगरूवालान (रजिस्टर्ड ट्रस्ट) स्टेशन रोड, जयपुर, नगरपालिका हाउस नं. 7 एच—बी, 314 हवाली शहर गर्बी खसरा नं. 472 लगायत 494 के भूमि व भवन कर की वर्ष 73—74 व 74—75 की हजारों रुपये की राशि बकाया पड़ी है परन्तु अभी तक भी इसकी वसूली नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां।

इस सम्पत्ति पर देय कर रु. 4465) रु. प्रति वर्ष के हिसाब से सहायक निदेशक भूमि एवं भवन कर, जयपुर द्वारा दिनांक 22-2-75 को निर्धारित किया गया है जिसके लिये वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

तासर छोटी में बिजली का कनेक्शन

313. श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव तासर छोटी के श्री लादूराम हरिजन ने बिजली की सिक्योरिटी सीकर टाउन के सहायक अभियन्ता को 11-1-74 को जमा करा दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि बिजली लेने के प्रार्थना-पत्र तासर बड़ी के श्री कल्याणसिंह का श्री लादूराम के बाद प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्रों के देने की तारीखें क्या हैं?

(3) श्री लादूराम हरिजन तासर छोटी व श्री कल्याणसिंह तासर बड़ी के एस्टीमेट्स सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) श्री कल्याणसिंह तासर बड़ी की सिक्योरिटी किस तारीख को जमा हुई ?

(5) क्या यह सही है कि गरीब किसान की प्रायोरिटी तोड़ कर बड़े किसान श्री कल्याणसिंह को बिजली दी गई ? अगर यह सही है, तो अधिकारी को क्या सजा दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। श्री लादूराम ने बिजली लेने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-8-73 व श्री कल्याणसिंह ने 24-11-73 को दिये।

(3) एस्टीमेट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) श्री कल्याण सिंह की सिक्योरिटी दिनांक 2-9-74 को जमा हुई।

(5) जी नहीं, प्रायोरिटी तोड़ कर श्री कल्याणसिंह को बिजली नहीं दी गई है। उन्हें पूर्व सैनिक होने के कारण सरकार के आदेशानुसार 6 माह पुरानी प्रायोरिटी दी जाकर कनेक्शन दिया गया है। अतः किसी को सजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फागी एवं चाकसू तहसील में भू-जल का सर्वे

314. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि फागी व चाकसू तहसीलों के भू-जल का सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? कृपया सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या सरकार अब सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है और यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। वर्ष 1975-76 में भू-जल सर्वेक्षण का कार्यक्रम लिया जाना विचाराधीन है। यह कार्य 1976-77 में पूरा हो जावेगा।

सवाई माधोपुर जिले में गोचर भूमि पर नाजायज कब्जे

315. **श्री चेतराम** (टोड़ा भीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में अधिकतर गोचर भूमियों पर नाजायज कब्जा कर लिया है और प्रशासन को अनेक प्रार्थना-पत्र जनता द्वारा दिये जाने के बावजूद नाजायज कब्जे हटाये नहीं गये हैं ? यदि हां, तो पिछले 2 सालों में कितने प्रार्थना-पत्र गोचर भूमि पर अतिक्रमण के प्राप्त हुये और कितनी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है ? तहसीलवार आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) ऐसे अतिक्रमणों को बेदखल करने एवं पुनः चरागाह स्थापित करने के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में कुछ चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हुआ है परन्तु यह सही नहीं है कि प्रशासन द्वारा जनता के प्रार्थना-पत्र पेश होने पर भी कब्जे नहीं हटाये जाते हैं—प्रति वर्ष अतिक्रमणी को बेदखल कर दिया जाता है। पिछले 2 साल में जो चरागाह पर अतिक्रमण हुआ व प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उसका विवरण तहसीलवार संलग्न है (विवरण 'क')।

(2) विवरण 'ख' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण 'क'

सूची तहसील अतिक्रमण चरागाह व प्रार्थना-पत्रों की संख्या

नाम तहसील	रकवा चरागाह जिस पर अतिक्रमण गत 2 वर्षों में हुआ	प्रार्थना-पत्रों की संख्या जो जनता से प्राप्त हुई
1. सवाई माधोपुर	1142 बीघा	14
2. खण्डार	1375 बी. 19 बिस्वा	–
3. बोंली	713 बीघा	–
4. गंगापुर	779 बी. 12 बिस्वा	6
5. बामनवास	891 बीघा 16 बिस्वा	20
6. नादोती	524 बीघा 9 बिस्वा	–
7. हिन्डौन	450 बीघा 18 बिस्वा	–
8. टोडाभीम	720 बीघा	3
9. महुआ	1771 बीघा	–
10. करौली	1057 बीघा	11
11. सपोटरा	350 बीघा 18 बिस्वा	5
	9,776 बीघा 12 बिस्वा	59

विवरण 'ख'

सवाई माधोपुर जिले में चराहगाह पर हुए अतिक्रमण को हटाये जाने के लिये एवं राजस्व सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिये उदाहरण के तौर पर नामान्तरकरण, आवंटन, नियमन आदि के बारे में एक राजस्व अभियान चल रहा है जिसमें करीब करीब 90 प्रतिशत चरागाह की फसलों को नष्ट कराया जा चुका है अथवा नीलाम किया जा चुका है एवं सभी अतिक्रमियों को बेदखल कर चरागाह को पुन: स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

Page No 132

(132)

राजगढ़ में बाड़े उठाने के आदेश

316. **श्री मोहर्रसिंह** (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राजगढ़ (जिला चूरू) कस्बे में म्युनिसिपैलिटी की तरफ से उसके क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के वर्षों के बाड़े उठाने के आदेश हो गए हैं ?

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक उचित है ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

जिलाधीश, चूरू ने चरागाह भूमि पर अवैध कब्जों तथा नगरीय भूमि पर हुए अतिक्रमणों को समाप्त करने के लिए दिनांक 1-12-75 से 15-12-74 तक चूरू जिले में एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया था।

नगरपालिका राजगढ़ ने जिलाधीश के निर्णयानुसार नगरीय भूमियों पर किए अतिक्रमणों को हटाने हेतु 136 व्यक्तियों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के तहत नोटिस दिए हैं।

(ख) अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

चूरू जिले में पास-बुकों का वितरण

317. **श्री मोहर्रसिंह** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछली सैटलमेंट के अनुसार चूरू जिले में कौन 2 सी तहसीलों में किसानों को पास-बुक वितरित की जा चुकी हैं ? जिन तहसीलों में नहीं वितरित हुई उनमें कब तक बंट जावेंगी ?

(2) पिछले सैटलमेंट के अनुसार राजगढ़ और चूरू तहसीलों में लगान का जो अधिक निर्धारण किया गया है उसका संशोधन कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) जब तक लगान के निर्धारण का संशोधन नहीं हो जाता तब तक के लिए क्या बढ़ी हुई दर से लगान वसूली स्थगित की गई या नहीं ? यदि नहीं स्थगित की गई तो क्या अब स्थगित की जावेगी ?

उत्तर

(1) पिछली सैटलमेंट के आधार पर चूरू जिले की तहसील राजगढ़, तारानगर, सरदार शहर और श्री डूंगरगढ़ में भी पास-बुक वितरण की जा चुकी हैं, तहसील रतनगढ़, सुजानगढ में सैटिलमेंट विभाग से रेकार्ड तथा नक्शे प्राप्त होने पर शीघ्र पास-बुकों का वितरण कर दिया जायगा।

(2) तहसील राजगढ भू-प्रबन्ध के पश्चात् लगान दरों में संशोधन राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। तहसील चूरू के निवासियों की भी एक दरख्वास्त बाबत संशोधन दिनांक 2-8-74 को प्राप्त हुई थी। उस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(3) वसूली स्थगित करने का कोई विचार नहीं है।

318. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दी कोटा सेन्ट्रल को-ग्रापरेटिव बैंक लि., कोटा के उपनियमों में संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस प्रकार किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि अंता पंचायत समिति क्षेत्र जो सहायक रजिस्ट्रार, बारां के क्षेत्र में लगता था को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर सहायक रजिस्ट्रार, कोटा के क्षेत्राधिकार में कर दिया है ?

(3) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गत वार सम्पन्न संचालक मण्डल के चुनाव में अंता क्षेत्र का प्रतिनिधि बारां सहायक रजिस्ट्रार क्षेत्र से चुना गया और वह अब भी संचालक मण्डल में मौजूद है ?

(4) यदि हां, तो क्या यह चुनाव अवैध नहीं है ?

(5) यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही अमल में लावेगी और भविष्य में इस अनियमितता को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) दी कोटा सेन्ट्रल को-ग्रापरेटिव बैंक लि., कोटा के उपनियम संख्या 32 में संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण निम्न प्रकार किया हुआ है:—

क्षेत्र	प्रतिनिधियों की सं.	
	कृषि ऋण-दात्री सह. समितियां,	अन्य सदस्य समितियां
(अ) क्षेत्र सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, कोटा. (कोटा शहर, पंचायत समिति लाडपुरा, सुल्तानपुर, ईटावा, सांगोद, रामगंज मंडी)	3	1
(आ) क्षेत्र सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बारां (पंचायत समिति, बारां, अन्ता, अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद, शाहबाद)	3	1
(इ) कोटा जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में से	—	1

(2) जी हां।

(3) जी हां। दिनांक 22-12-72 को हुए चुनाव में श्री रघुवीरसिंह कौशल, अंता क्षेत्र से चुने गये थे। उन्होंने 18-2-75 को त्याग-पत्र दे दिया है।

(4) जी नहीं।

(5) राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 144 की सूची)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

S. No.	Name of the District.	Total No. of villages & Towns in the Distt. (As per 1971 Census)	No. of villa-ges ele-ctrifi-ed up to 31-1-1975	No. of Towns electrified up to 31.1 1975	Total No. of villages & Towns electrified up to 31-1-1975	—
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ajmer	962	203	8	211	21.93
2.	Alwar	1873	469	4	473	25.25
3.	Banswara	1441	156	2	158	10.06
4.	Barmer	839	45	2	47	5.60
5.	Bharatpur	1877	318	9	327	17.42
6.	Bhilwara	1512	346	4	350	23.14
7.	Bikaner	546	72	6	78	14.28
8.	Bundi	733	83	4	87	11.86
9.	Chittorgarh	2130	367	7	374	17.55
10.	Churu	861	128	11	139	16.14
11.	Dungarpur	827	106	2	108	13.05
12.	Jaipur	2694	807	11	818	30.36
13.	Jaisalmer	534	1	2	3	0.56
14.	Jalore	597	108	2	110	18.42
15.	Jhunjhunu	705	257	12	269	38.15
16.	Jhalawar	1446	220	5	225	15.56
17.	Jodhpur	706	168	4	172	24.36
18.	Kota	1911	269	6	275	14.39
19.	Nagaur	1224	278	8	286	23.36
20.	Pali	830	204	6	210	25·30
21.	Sawai Madhopur	1537	219	6	225	14.63
22.	Sikar	817	185	7	192	23.50
23.	Sirohi	428	51	5	56	13.08
24	Sri Ganganagar	2398	333	12	345	14.38
25.	Tonk	1012	172	6	178	17.58
26.	Udaipur	3122	462	6	468	14.99
	Total	33462	6027	157	6184	18.48

परिशिष्ट 5

(अता. प्र. सं. 151 की सूची)

सूची–क

सिंचाई हेतु राजकीय नलकूपों की जिलेवार सूची

नल कूप	वास्तविक सिंचित क्षेत्र (एकड़ों में)
1	2
जैसलमेर	
(1) चादन	70
(2) जेठा I	
(3) जेठा II	135
(4) लाठी II	40
(5) सोडा कोयर–13	40
(6) करमों की ढाणी	40
(7) धायसर II	30
(8) जावन्द	30
(9) अजासर	20
(10) भोजका	–
(11) धायसर III	–
(12) कोजेरी नाडी	–
(13) करमेड़ी	–
(14) भेरवा	–
जोधपुर	
(1) रणसी गांव	150
(2) खियासरिया	50
(3) जेठानिया	12
(4) चासू	10
(5) चोरडिया	8
(6) सिंहाडा	30
(7) मोड़ता	–

1	2
बाड़मेर	
(1) रातड़ी	40
बीकानेर	
(1) गुजानदेसर	40
जालौर	
(1) केशवाना	75
(2) तिलोडा	10
(3) कूडा	15
अलवर	
(1) जोडावास	74
नागौर	
(1) पूनलोता	–
भरतपुर	
(1) जगमोहन-का-पुरा	235
(2) सिलावट	385
(3) बाजना	140
(4) असीधीयाराम	–
(5) सिधावर्ला I	375
(6) सिधावर्ला II	–
(7) देवखेडा I	300
(8) देवखेडा II	410
(9) देवखेडा III	425
(10) चौधरी-का-पुरा	80
(11) चिंतामन-की-गढी	–
(12) अमरपुरा	117
(13) चमारपुरा	70
(14) नडोरा I	138
(15) नडोरा II	135
(16) बाबरपुरा II	160
(17) हरिबल्लभपुरा	200

1	2	
(18) गढ़ी	–	
(19) देदवार	–	
(20) सिकरोदा	70	
(21) नागर	– विद्युतिकरण न होने के कारण	
(22) गनेडी	–	–
(23) गनेडी II	–	–
(24) देवदासपुरा	–	–
(25) डिग्गी	–	–
(26) बाबरपुरा I	–	–
(27) शेखपुरा	–	–
(28) जगमोहन-का-पुरा II	–	–
(29) बलेठा	–	–
(30) घेर	–	–
(31) तिखाली गढी	–	–
(32) आमकापुरा	–	–
	कुल योग 60 नलकूप	

138

सिंचाई के अनुपयुक्त राजकीय नलकूपों की सूची

क्र.सं.	नलकूप का नाम	जिला	अनुपयुक्तता के कारण संक्षिप्त में
1.	धारवी	बाड़मेर	पानी की कम क्षमता होने के कारण।
2.	कोटड़ा	"	"
3.	डोली	"	"
4.	बरडाना	जैसलमेर	मांग नहीं है।
5.	लाठी 6	"	पानी की कम क्षमता तथा मांग नहीं।
6.	सोडा कोयर 5	"	कम क्षमता।
7.	चांदन 11	"	,, नलकूप पन्चर।
8.	पाली (डिगा)	"	कम क्षमता तथा सिंचाई के उपयुक्त नहीं।
9.	सम	"	कम क्षमता।
10.	सागड़	"	नलकूप पन्चर।
11.	रनाऊ	"	कम क्षमता पानी खारा मांग नहीं।
12.	बड़ोडा गाव	"	कम क्षमता सिंचाई की मांग नहीं।
13.	सगरा	"	नलकूप पन्चर।
14.	भागू का गांव	"	"
15.	खजवाणा	नागौर	कम क्षमता, सिंचाई के उपयुक्त।
16.	बड़बड़	"	"
17.	रूप	"	"
18.	निम्बी जोधा	"	"
19.	लालमदेसर	बीकानेर	नलकूप पन्चर।
20.	सरनाऊ	जालोर	खारा पानी सिंचाई के अनुपयुक्त। पानी की सिंचाई के लिए मांग न होना।
21.	ददल	"	"
22.	डेगांव	"	"
23.	मीठड़ी	"	"
24.	गोलिया	"	"
25.	सराऊ	"	"
26.	जगोड़ा	"	"
27.	एलाना	"	"
28.	सुराना	"	"
29.	कौल	जोधपुर	पानी की सिंचाई के लिए मांग न होना।

परिशिष्ट 6

(अता. प्र. सं. 156 की सूची)

1. जे. जे. ग्राम सेवा सहकारी समिति तहसील पदमपुर के उन सदस्यों की सूची जिन्हें 26–3–59 से 21–2–75 तक सदस्यता से हटाये गये कारण संक्षिप्त

क्र.सं.	नाम सदस्य जिन्हें हटाया गया	पृथक होने की तारीख	हटाने का कारण
1	2	3	4
1	श्री अमरसिंह पुत्र दरबारसिंह	5–10–60	समिति ने यह प्रस्ताव पास किया दिनांक 5–10–60 सदस्यों ने समिति से त्याग-पत्र दे दिया इसलिए इन्हें हटा दिया गया।
2.	श्री हजारासिंह पुत्र बख्तावरसिंह	,,	,,
3.	श्री भर्तसिंह पुत्र भागसिंह	,,	,,
4.	श्री धर्मसिंह पुत्र चतरसिंह	,,	,,
5.	श्री बिजेन्द्रसिंह पुत्र हजारसिंह	31–8–61	,,
6.	श्री चनणसिंह पुत्र पोलसिंह	,,	,,
7.	श्री अमरीकासिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह	,,	,,
8.	श्री दीदारसिंह पुत्र लखासिंह	,,	,,
9.	श्री अतरचन्द पुत्र राजाराम	,,	,,
10.	श्री साचूसिंह पुत्र लखासिंह	,,	,,
11.	श्री हिम्मतसिंह पुत्र चनणसिंह	,,	,,
12.	श्री दुर्गादास पुत्र रामचन्द्र	23–6–73	मृत्यु हो जाने के कारण।
13.	श्री गिधूराम पुत्र रामूराम	,,	,,
14.	श्रीमती धन्तो पत्नी शिचन्द्र	5–2–71	,,
15.	श्री बन्तासिंह पुत्र चनणसिंह	28– –67	,,
16.	श्री पालाराम पुत्र चूहड़राम	29–2–64	कार्य क्षेत्र छोड़ने के कारण।
17.	श्रीमती चनणराम पुत्र लादूराम	28–5–66	,,
18.	श्री भगतराम पुत्र जगीरसिंह	24–2–64	,,
19.	श्री किशोरीराम पुत्र तुलसीराम	18-5–66	,,
20.	श्रीमती हरनाम कौर पत्नी धर्मसिंह	29–8–64	,,
21.	श्री निरंजनसिंह पुत्र उधासिंह	,,	,,
22.	श्रीमती चन्दिया पत्नी	19-6-72	प्रार्थना-पत्र देने पर।
23.	श्री प्रेमप्यारा पुत्र महगाराम	23-6-73	छोड़ने के कारण।

Page No 140

(140)

1	2	3	4	
24.	श्री लालचन्द पुत्र देवीदत्तराम	27-6-74	प्रार्थना-पत्र देने पर।	
25.	श्री भागीरथ पुत्र हरनामसिंह	23-6-73	मृत्यु होने के कारण।	
26.	श्री बख्शीसिंह पुत्र चुड़सिंह	,,	,,	
27.	श्री सोहनसिंह कोरसिंह	,,	,,	
28.	श्री अर्जुनसिंह पुत्र बादलसिंह	18-5-60	,,	
29.	श्री श्यामसिंह पुत्र हरीसिंह	,,	कार्य क्षेत्र छोड़ने के कारण।	
30.	श्री सुरजीतसिंह पुत्र महन्तसिंह	23-6-73	मृत्यु के कारण।	
31.	श्री विसन्दाराम पुत्र बेलाराम	5-2-71	,,	
32.	श्री जेठाराम पुत्र आसुराम	,,	,,	
33.	श्री रामचन्द्र पुत्र गिरधारीराम	,,	,,	
34.	श्री पुनुराम पुत्र कालाराम	,,	,,	
35.	श्री खेमाराम पुत्र कालाराम	,,	,,	
36.	श्री सिंगारासिंह पुत्र लाभसिंह	,,	,,	
37.	श्री निहालाराम पुत्र खेमाराम	23-6-73	कार्य क्षेत्र छोड़ने के कारण।	
38.	श्री चेलाराम पुत्र बनाराम	,,	,,	
39.	श्री जमनाराम पुत्र मंगलाराम	,,	,,	
40.	श्री बलदेवसिंह पुत्र इन्द्रसिंह	,,	,,	
41.	श्री गुरदेवसिंह पुत्र इन्द्रसिंह	,,	,,	
42.	श्री नेणुराम पुत्र लधुराम	,,	मृत्यु के कारण।	
43.	श्री आसुराम पुत्र सेवाराम	10-5-73	प्रस्ताव संख्या 37 दिनांक 10-5-73 को सदस्य रजिस्टर पर व अन्य पत्र को पूर्ण न करने के कारण इन्हें हटा दिया गया।	
44.	श्री उत्तमाराम पुत्र लसूडराम	,,	,,	,,
45.	श्री बीखराम पुत्र गेलाराम	,,	,,	,,
46.	श्री जमुनाराम पुत्र जुमाराम	,,	,,	,,
47.	श्री दौलताराम पुत्र मुलाराम	,,	,,	,,
48.	श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र सितसिंह	,,	,,	,,
49.	श्री किसनाराम पुत्र बसुराम	,,	,,	,,
50.	श्री रेड़ाराम पुत्र लीलाराम	,,	,,	,,
51.	श्री बुद्धराम पुत्र मुलाराम	,,	,,	,,
52.	श्री अर्जुनराम पुत्र नारायणराम	,,	,,	,,
53.	श्री जमुनाराम पुत्र प्याराराम	,,	,,	,,

1	2	3	4	
54.	श्री किशनाराम पुत्र उदाराम	10–5–73	प्रस्ताव संख्या 37 दिनांक 10–5–73 को सदस्य रजिस्टर पर व अन्य पत्र को पूर्ण न करने के कारण इन्हें यह दिया गया।	
55.	श्री पोकरराम पुत्र नानकराम	,,	,,	,,
56.	श्री दर्शनसिंह पुत्र आत्मसिंह	,,	,,	,,
57.	श्री बसुराम पुत्र प्याराराम	,,	,,	,,
58.	श्री बनुराम पुत्र कल्याणराम	,,	,,	,,
59.	श्री लेकूराम पुत्र सलामताराम	,,	,,	,,
60.	श्री जमुराम पुत्र ,,	,,	,,	,,
61.	श्री कर्मचन्द पुत्र पुड़ाराम	,,	,,	,,
62.	श्री चम्बुराम पुत्र तेजूराम	,,	,,	,,
63.	श्री जीतुराम पुत्र सोहनुराम	,,	,,	,,
64.	श्री चन्द्रभान पुत्र प्याराराम	,,	,,	,,
65.	श्री चन्द्रराम पुत्र खोदलाराम	,,	,,	,,
66.	श्री बेगुराम पुत्र चन्द्रराम	,,	,,	,,
67.	श्री कालूराम पुत्र सुबाराम	,,	,,	,,
68.	श्री निहालाराम पुत्र पोकरराम	,,	,,	,,
69.	श्री देवाराम पुत्र रोशनराम	,,	,,	,,
70.	श्री दलाराम पुत्र खुमाराम	,,	,,	,,
71.	श्री सुखाराम पुत्र परमाराम	,,	,,	,,
72.	श्री निहालाराम पुत्र बसन्दाराम	,,	,,	,,
73.	श्री कीनुराम पुत्र नेनुराम	,,	,,	,,
74.	श्री उदाराम पुत्र गिरधारीराम	,,	,,	,,
75.	श्री चीमनाराम पुत्र मेवाराम	,,	,,	,,
76.	श्री मुलाराम पुत्र पारीराम	,,	,,	,,
77.	श्री हरीचन्द पुत्र कालाराम	,,	,,	,,
78.	श्री तोताराम पुत्र सुखुराम	,,	,,	,,
79.	श्री चोचुराम पुत्र कल्याणराम	,,	,,	,,
80.	श्री हजुरासिंह पुत्र बलवन्त	,,	त्याग-पत्र देने के कारण।	
81.	श्री पेमाराम पुत्र तुलछाराम	,,	,,	,,
82.	श्री रघुराम पुत्र दुलाराम	,,	,,	,,

142

परिशिष्ट–7

(अता. प्र. सं. 158 की सूची)

ठुम्मठ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. ठुम्मठ के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	नाम सदस्य	क्र.सं.	नाम सदस्य
1	2	1	2
1.	श्री हरपाल पिता बाला	31.	श्री हीमा पिता हरजी
2.	श्री बीरजी पिता नाथा	32.	श्री धना पिता रूपा
3.	श्री हुमजी पिता मकना	33.	श्री प्रेमचन्द पिता अमरीया
4.	श्री खीमा पिता बालिया	34.	श्री लक्ष्मण पिता दलिया
5.	श्री मना पिता दला	35.	श्री रामा पिता हरजी
6.	श्री हिंगला पिता जोखना	36.	श्री हुवला पिता दीतिया
7.	श्री दलजी पिता रूपा	37.	श्री हुडिया पिता नाथा
8.	श्री खीमा पिता दीपा	38.	श्री नाथिया पिता धारजी
9.	श्री दूदा पिता दूला	39.	श्री हीरजी पिता हीमजी
10.	श्री जूलिया पिता जेथा	40.	श्री बाल हेग पिता जोगड़ा
11.	श्री दीता पिता हकरा	41.	श्री खेता पिता कीका
12.	श्री कीका पिता रूपजी	42.	श्री हुडिया पिता बाला
13.	श्री रूपा पिता दुबला	43.	श्री गजहेम पिता बाला
14.	श्री जेथा पिता हीमजी	44.	श्री राणजी पिता बीरा
15.	श्री बाबरिया पिता फला	45.	श्री नवला पिता हमजी
16.	श्री माला पिता बाला	46.	श्री चोखा पिता हवजी
17.	श्री रामा पिता बिजिया	47.	श्री कमजी पिता कोदर
18.	श्री बेस्ता पिता हीमजी	48.	श्री रूपा पिता दीपा
19.	श्री दोला पिता लीमजी	49.	श्री धीरजी पिता चमना
20.	श्री लालहेम पिता जगजी	50.	श्री दला पिता मेगजी
21.	श्री दोला पिता नागजी	51.	श्री नरसीग पिता जोखा
22.	श्री दला पिता मेगजी	52.	श्री खेमजी पिता बागजी
23.	श्री भीमा पिता लोमजी	53.	श्री कलसिंह पिता हीमा
24.	श्री दीपा पिता हीमजी	54.	श्री जवसिंह पिता बीरा
25.	श्री लालहेम पिता जोथरा	55.	श्री कलसिंह पिता दलजी
26.	श्री गोगा पिता रूपा	56.	श्री दलहेग पिता मेगजी
27.	श्री हुरतानग पिता बागजी	57.	श्री लालहेग पिता कोगजी
28.	श्री लालू पिता कमजी	58.	श्री अरहेम पिता नवजी
29.	श्री जोरहेग पिता जाती	59.	श्री बालचन्द पिता कचूरीया
30.	श्री तेलिया पिता हयीरा	60.	श्री कान्जी पिता बीरजी

1	2	1	2
61.	श्री कमलजी पिता मेरजी	95.	श्री लीमजी पिता फूला
62.	श्री हुरपाल पिता नानीया	96.	श्री वीरा पिता पदमा
63.	श्री हुडिया पिता बाला	97.	श्री लालीया पिता फूला
64.	श्री जेता पिता रामजी	98.	श्री नाथूड़ा पिता हूंवजी
65.	श्री बीरा पिता विजिया	99.	श्री माडिया पिता कोमजी
66.	श्री मानहेरा पिता भीदर	100.	श्री विरहेग पिता धीरा
67.	श्री हुडिया पिता हीमा	101.	श्री जिथिग पिता भोदर
68.	श्री हुरेग पिता बालेग	102.	श्री नादरिया पिता चोखा
69.	श्री कोका पिता मडिया	103.	श्री हरजी पिता बालहेग
70.	श्री देवा पिता भूरा	104.	श्री भूरजी पिता भरहेम
71.	श्री जोखा पिता हुरेग	105.	श्री मेगजी पिता हरजी
72.	श्री मता पिता जोवला	106.	श्री जबला पिता मामजी
73.	श्री हीरा पिता जोगजी	107.	श्री कालू पिता धीरजी
74.	श्री सका पिता तेजा	108.	श्री लाल जी पिता खीग
75.	श्री हुरजी पिता वारजी	109.	श्री जोती पिता कीक
76.	श्री धूलिया पिता जेथा	110.	श्री हीमा पिता मनजी
77.	श्री दलजी पिता हुरेग	111.	श्री हुबा पिता चतूना
78.	श्री हुरमा पिता देवजी	112.	श्री खीमा पिता मनजी
79.	श्री बरसेग पिता लाला	113.	श्री कोका पिता शानजी
80.	श्री दीपा पिता नाथजी	114.	श्री वरसेग पिता गवजी
81.	श्री साखिया पिता बागजी	115.	श्री हुकजी पिता मडिया
82.	श्री हुगजी पिता गलिया	116.	श्री राणजी पिता पूनिया
83.	श्री चमना पिता जोरजी	117.	श्री रामजी पिता धनजी
84.	श्री धूलिया पिता जीवण	118.	श्री बालजी पिता खीमा
85.	श्री जोखिया पिता बीरा	119.	श्री जीवा पिता दीता
86.	श्री पूजा पिता मलिया	120.	श्री पुरयेग पिता गूंगजी
87.	श्री कसना पिता मानिया	121.	श्री खेमजी पिता बीरजी
88.	श्री हीबला पिता दलिया	122.	श्री कालिया पिता रया
89.	श्री मनजी पिता पीथा	123.	श्री कचरिया पिता दलिया
90.	श्री हुंडिया पिता हीगला	124.	श्री मडिया पिता हुडिया
91.	श्री गडिया पिता कानगी	125.	श्री नानजी पिता खेता
92.	श्री नाथू पिता हवजी	126.	श्री जोधरा पिता हमीरा
93.	श्री कचरीया पिता दलिया	127.	श्री विजया पिता कोदरीया
94.	श्री बालू पिता दला	128.	श्री लूजा पिता कोदरिया

Page No 144

(144)

1	2
129.	श्री हंकरीया पिता जेतिया
130.	श्री धूलिया पिता रूपजी
131.	श्री पूंजा पिता बजूहेग
132.	श्री बाला पिता जोती
133.	श्री बरसेग पिता हुडिया
134.	श्री धाणजी पिता खीमा
135.	श्री मडिया पिता धीरजी
136.	श्री तेरहेग पिता गमना
137.	श्री रामजी पिता हेमा
138.	श्री मता पिता दला
139.	श्री हुरजी पिता बाल हेग
140.	श्री कोदर पिता डुडिया
141.	श्री कोदर पूना
142.	श्री नागजी पिता नाथा
143.	श्री काला पिता जहेग
144.	श्रीमती तुलसीबाई पिता मेमजी
145.	श्री काला पिता जोखना
146.	श्री परथ पिता दीपा
147.	श्री हुरपाल पिता भवजी
148.	श्री जोरजी पिता हूमजी
149.	श्री लूम्बा पिता वेरीया
150.	श्री ज्योति पिता कीका
151.	श्री हुरिता पिता मोती
152.	श्री जुगला पिता कोदर
153.	श्री जीथरा पिता हमीरा
154.	श्री बक्ता पिता शामजी
155.	श्री हुकजी पिता मोती
156.	श्री कचरा पिता ओमजी
157.	श्री कालिया पिता जहेग
158.	श्री मोती पिता खोमा
159.	श्री दीपा पिता मावजी
160.	श्री हुडिया पिता चकना
161.	श्री हुडिया पिता पूजा
162.	श्री भीमा पिता जोरजी
163.	श्री हुमजी पिता मोती
164.	श्री बासजी पिता देबा
165.	श्री मकना पिता राजीया
166.	श्री बजा पिता टोटा
167.	श्री परथेग पिता कोदर
168.	श्री मणजी पिता रगा
169.	श्री दीपा पिता कुहेगा
170.	श्री नूरजी पिता हूमजी
171.	श्री हुडिया पिता पूजा
172.	श्री शम्भू पिता शामजी
173.	श्री कना पिता कला
174.	श्री धूना पिता रुपा
175.	श्री कोमजी पिता गवजी
176.	श्री कोदर पिता पूना
177.	श्री बक्ता पिता शामजी
178.	श्री बीरजी पिता नगजी
179.	श्री तेलिया पिता हमीरा
180.	श्री नागजी पिता जेथा
181.	श्री हरीया पिता चकना
182.	श्री नानूराम पिता थरता
183.	श्री जेथरा पिता गवजी
184.	श्री रामचन्द्र पिता सवलाल
185.	श्री पूजिवा पिता हवला
186.	श्री भूरा पिता बागजी
187.	श्री हीरा पिता लीमजी
188.	श्री पूना पिता कचरा
189.	श्री भीमा पिता राजहेग
190.	श्री हुरता पिता हीगला
191.	श्री वरसेग पिता हीरा
192.	श्री बीरा पिता बेस्ता
193.	श्री जेहा पिता दीता
194.	श्री जारहेग पिता ज्योति
195.	श्री बीरजी पिता नवजी
196.	श्री बाला पिता जोती
197.	श्री मोती पिता खूमा
198.	श्री हुरहेम पिता हाला

Page No 145

(145)

प्रतिलिपि कार्यवाही ग्राम सभा ठुम्मठ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. ठुम्मठ
पंचायत समिति कुशलगढ़ दिनांक 28–8–74.

ठुम्मठ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. ठुम्मठ की ग्राम सभा आज दिनांक 28-8-74 को चुडाधा में श्री कालिया पिता जहेग के घर पर दिन के 11 बजे श्री परथेग पिता गंगजी की अध्यक्षता में की गई; जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित किये :—

प्रस्ताव सं. 1	निर्णय
अध्यक्षता करने पर विचार	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आज की अध्यक्षता करने का अधिकार श्री परथीग को दिया जाता है। श्री परथीग को अध्यक्ष पद आज इसलिए दिया गया कि हुरपाल अध्यक्ष के बार बार निवेदन किये जाने पर निर्वाचन के लिये ग्राम सभा नहीं बुलाई तथा यह आज की आम सभा सदस्यों के 1।3 के लिखित निवेदन प्राप्त किये जाने पर सहायक निरीक्षक, सहकारी समितियां, कुशलगढ़ द्वारा निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से बुलाई गई।

प्रस्ताव सं. 2	निर्णय
प्रबन्धकारिणी का चुनाव करने पर विचार।	प्रबन्धकारिणी का चुनाव काफी समय से नहीं हुआ जिसके कारण अध्यक्ष ने व ग्राम सेवक ने अनेक अनियमितताएं कर रखी हैं। जिसके कारण से प्रबन्धकारिणी का चुनाव कराना नितान्त आवश्यक है। अतः सर्व सम्मति से प्रबन्धकारिणी का चुनाव निम्न प्रकार से किया जाता है :—

1.	श्री परथीग पिता गंगजी,	अध्यक्ष
2.	श्री नागजी पिता नाथा,	मंत्री
3.	श्री मानहेग पिता थोदर,	कोषाध्यक्ष
4.	श्री कमजी पिता गवजी,	सदस्य प्रबन्धकारिणी
5.	श्री हुडिया पिता हीरा	,,
6.	श्री दलहेग पिता मेगजी	,,
7.	श्री हुरता पिता दला	,,

प्रस्ताव नं. 3	निर्णय
नये मंत्री श्री नागजी भाई को रेकार्ड दिलाने के सम्बन्ध में विचार।	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नये मंत्री श्री नागजी भाई श्री हुरपाल (भूतपूर्व अध्यक्ष) को रसीद देकर सभी रेकार्ड प्राप्त कर लें। रेकार्ड प्राप्त होने में श्री नागजी भाई को कठिनाई आ रही हो तो इस सम्बन्ध में वे क्षेत्रीय सहायक निरीक्षक व सहायक रजिस्ट्रार सा.,

146

सहकारी समितियां, बांसवाड़ा से सम्पर्क स्थापित कर रेकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

प्रस्ताव सं. 4	निर्णय
बैंक में हस्ताक्षर नमूना भिजवाने पर विचार।	सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ठुम्मठ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. ठुम्मठ को सेविंग्ज खाता से रकम निकालने का अधिकार श्री परवीग अध्यक्ष व मंत्री श्री नागजी भाई को होगा। अध्यक्ष व मंत्री के हस्ताक्षर का नमूना फार्म बैंक से प्राप्त कर सहायक निरीक्षक से प्रमाणित बैंक को प्रेषित कर देवें।

एस.डी./-

नकल हस्ताक्षर

सहायक निरीक्षक, सहकारी समिति,

बांसवाड़ा।

परिशिष्ट–8

(अता. प्र. सं. 159 की सूची)

सूची

क्र. सं. नाम नगरपालिका	दिए गए पट्टों की संख्या
1. गंगाशहर	34
2. देशनोक	114
3. नोखा	–
4. बीकानेर	–
5. भीनासर	20

Page No 148

(148)

परिशिष्ट-9

(अता. प्र.सं. 160 की सूची)

सूची राजकीय फार्म व बीड

राजकीय फार्म

1. ग्राम कोडमदेसर	भेड़ प्रजनन केन्द्र	2349	बीघा
2. ग्राम बीछवाल	वेटरनरी फार्म	345	,,
3. जैतसर फार्म जिला गंगानगर	—	19475	,,
4. चक नं. 2ए	राजकीय कृषि फार्म	810	,,
5. ग्राम रघुनाथपुरा त. सूरतगढ़	राठी नस्ल गौ उत्पादन फार्म	740	,,

बीड़ व जंगलात

1. उपनिवेशन तहसील, बीकानेर	फारेस्ट इण्डिया के नाम	4411	बीघा
2. उपनिवेशन तहसील, बीकानेर	वन विभाग, राज.	625	,,
3. उपनिवेशन तहसील, बीकानेर	ग्राम खाराबीड़ (मुफीद ग्राम)	1340	,,
4. उपनिवेशन तहसील, अनूपगढ़	1 के एस डी	568	,,
	3 के एस डी	216	,,
5. उपनिवेशन तहसील, अनूपगढ़	4 के एस डी	818	,,

परिशिष्ट 10

(अता. प्र. सं. 162 की सूची)

पटवारी व गिरदावर जो तहसील विराटनगर में नियुक्त हैं उनके शिकायतों के सम्बन्ध में

क्र.	संख्या	विषय व किसके विरुद्ध शिकायत है	कब से पेंडिंग है	क्या कार्यवाही की गई
1	2	3	4	5
1.	119/74	श्री जयनारायण गिरदावर कानूनगो सर्किल शाहपुरा तह. विराटनगर बाबत त्रैमासिक जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने हेतु।	18-11-74	गिरदावर को आरोप विवरण-पत्र दिया गया है उसका जवाब प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।
2.	118/74	गिरदावर व पटवारी हल्का नोरंगपुरा तह. विराटनगर।	23-11-74	एस डी.ओ. कोटपूतली से रिपोर्ट मांगी गई है वह प्राप्त नहीं हुई है।
3.	99/74	पटवारी हल्का खोजावाला।	8-10-74	,,
4.	81/74	पटवारी हल्का धवली बाबत गलत गिरदावरी करने।	13-9-74	तह. विराटनगर से रिपोर्ट मांगी गई। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
5.	82/74	श्री ओमनारायण गिरदावर बाबत त्रैमासिक जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने हेतु।	27-8-74	गिरदावर को आरोप विवरण-पत्र दिया गया है उसका जबाब प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

1	2	3	4	5
6.	72/74	श्री गोपीराम शर्मा, ह. नं. 11 बाबत काले कारनामे।	5–10–74	तहसील विराटनगर से रिपोर्ट मांगी गई है, जांच अपेक्षित है।
7.	551/74	श्री घीसालाल पटवारी व श्री रामस्वरूप गिरदावर बाबत किये जाने फर्जी कार्यवाही।	19–6–74	,,
8.	105/73	श्री बाबूलाल पटवारी हल्का अमरसर बाबत सरकारी रिकार्ड में गलत इन्द्राज हेतु।	6–11–73	,,
9.	22/73	शि.वि. पटवारी व गिरदावर बाबत अनुसूचित जाति को भूमि आवंटन रेगुलाइज करने हेतु।	22–1–73	एस. डी ओ., कोटपूतली से रिपोर्ट मांगी गई।
10.	764/72	श्री प्रभुदयाल पटवारी धोली बाबत राज्य कार्य नहीं करना।	1972	पटवारी को आरोप विवरण–पत्र दिया गया है अभी उसका जवाब अपेक्षित है।
11.	43/72	श्री चिरंजीलाल गिरदावर बाबत रिश्वत लेना आदि।	1972	,,
12.	133/71	श्री भंवरलाल गिरदावर हल्का मेंड़।	1970	संबंधित मामले में रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका अवलोकन करने से कुछ सूचना तहसीलदार, विराटनगर से और चाही जा रही है जो अपेक्षित है।

1	2	3	4	5
13.	9/ 75	श्री जगदीश प्रसाद पटवारी, छारसा ।	17-1-75	एस.डी. ओ., कोट-पूतली से रिपोर्ट मांगी गई है जो अपेक्षित है ।
14.	श्री सूरजमल शर्मा पटवारी	खसरा परिवर्तनशीट में गलत इन्द्राज करने ।	25-5-74	भूमि अवाप्ति अधि-कारी, जयपुर जांच अधिकारी नियुक्त हैं, जांच रिपोर्ट अपेक्षित है । जांच शीघ्र सम्पन्न करने हेतु इस कार्यालय से तार्कीदें की जा रही हैं ।
15.	श्री रामकरण गुप्ता पटवारी	,, ,, तथा रिश्वत लेने ।	14-10-74	उप-जिलाधीश, कोट-पूतली जांच अधि-कारी नियुक्त किया गया है । जांच रिपोर्ट अपेक्षित है ।
16.	श्री बाबूलाल पटवारी	,, ,, तथा रिश्वत लेने ।	14-10-74	,, ,,
17.	श्री सुगनचन्द गुप्ता, पटवारी	आदेशों की अवहेलना करने ।	28-12-73	उप-जिलाधिकारी, कोटपूतली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है किन्तु श्री सुगनचन्द पटवारी दिनांक 31-1-75 को राज्य सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, अब जांच समाप्त की कार्यवाही चल रही है ।

152

1	2	3	4	5
18.	श्री कन्हैयालाल पटवारी	काश्तकारों से मिल कर चरागाह पर काश्त करवाने हेतु।	25-11-74	एस. डी. ओ., कोटपूतली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
19.	श्री राधेश्याम पटवारी	चरागाह भूमि के अतिक्रमणियों से पेनल्टी वसूल कर एवं वसूली में सहयोग न करने व अन्य कार्य पूर्ण न करने।	17-7-72	,, ,,
20.	श्री शिवप्रसाद पटवारी	राजकीय धनराशि के अपहरण व दुरुपयोग।	30-6-68	उप-जिला अधिकारी, कोटपूतली जांच अधिकारी नियुक्त हैं, जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। उन्हें इस कार्यालय द्वारा बराबर ताकीद की जा रही है।

153

शुद्धि-पत्र

[दिनांक 4 मार्च, 1975]

क्रमांक	स्कम्भ संख्या	पंक्ति स.	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	8	नीचे से 6	भी भी	भी
2.	12	ऊपर से 15	बनाया	बनाये
3.	12	ऊपर से 16	एक	--
4.	15	नीचे से 2	अध्यक्ष महोदय मैं,	अध्यक्ष महोदय, मैं
5.	26	ऊपर से 16	उसको	उनको
6.	26	ऊपर से 19	है उसके	हैं उनके
7.	26	नीचे से 3	5 हजार	5 हजार बीघा
8.	27	ऊपर से 2	अवर	आवर
9.	27	नीचे से 15	कानून	कानूनी
10.	29	नीचे से 5	करेंगे ।	करेंगे ?
11.	38	ऊपर से 5	खाद	खाद्य
12.	57	नीचे से 9	नगर)	नगर, जयपुर)
13.	63	ऊपर से 7	सागी	सगा
14.	79	नीचे से प्रथम	लोगों	कर लोगों
15.	94	ऊपर से 7	काम	काम का
16.	96	नीचे से 9	मिसा	मीसा
17.	102	ऊपर से 4	फेज	फेल
18.	109	नीचे से 14	इस	इन
19.	109	नीचे से 3	उपाध्यक्ष,	उपाध्यक्ष महोदय,
20.	113	ऊपर से 17	होन	होनी
21.	127	ऊपर से 15	पट्ठे	पट्टे
22.	129	नीचे से 2	जोखों ला	जो लाखों
23.	146	ऊपर से 1	नेग्लेट	नेग्लेक्ट
24.	157	ऊपर से 4	मदाखत	मदाखलत
25.	165	नीचे से 4	ऐसे	ऐसी
26.	174	ऊपर से 8	पढ़ाई की	पढ़ाई

1	2	3	4	5
27.	175	नीचे से 12	पूर्ण वो	--
28.	211	ऊपर से 3	ट्राईब्स,	ट्राईब्स के लिए
29.	236	ऊपर से 16	रही है।	रही है?
30.	236	ऊपर से 19	वीघा	बीघा
31.	236	नीचे से 12	गई।	गई ?
32.	237I	ऊपर से 5	रहे हैं।	रहे हैं ?
33.	237II	नीचे से 5	है।	है ?
34.	239	नीचे से 5	सूचना	सूचना का-
35.	239	नीचे से 15	जिलेवार	जिलेवार सूची
36.	245	नीचे से 6	चराहगाह	चरागाह